राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ३] तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का ३६ वां दिवस [संख्या २६

बुधवार, दिनांक ३ अप्रेल, १९६३

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

(स्वायत्त शासन, सिचाई, गृह, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण, यातायात, सिचाई, विद्युत्, कृषि एवं जन-सम्पर्क–विभाग)

तारांकित प्रश्नोत्तर

बिना नीलाम प्लाटो का वितरण, दौसा

७२१. **श्री मथुरेश बिहारी माथुर** (बांदीकुई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) दौसा म्युनिसिपल बोर्ड में गत ६ माह में किन किन व्यक्तियों को बिना नीलाम प्लॉट दिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) क्या दौसा म्युनिसिपल बोर्ड में श्री श्यामलाल पंजाबी व श्री भौंरीलाल जैसवाल, व ओंकार हलवाई व लक्ष्मीनारायण बाबूलाल को १०) रु० वर्ग गज पर प्लॉट दे दिये गये हैं और नीलाम नहीं किए गए जब कि आसपास के प्लॉट में औसत कीमत २५) रु० वर्ग गज के प्लॉट नीलाम हुए हैं। यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और नियमों के विरुद्ध क्यों किया गया?

(३) क्या श्री छाजूलाल माली, सदस्य, म्युनिसिपल बोर्ड, दौसा ने कोई प्लॉट पर बिना पट्टे व इजाजत, कोई तामीर व कब्जा किया है? क्या इसके विरुद्ध इसका चालान भी किया गया? यदि हां, तो उसका केस किन मामलों से कम्पाउन्ड किया गया?

(४) क्या अभी श्री छाजूलाल ने उसी जमीन के बाबत मुन्सिफी दौसा में किराये पर भागचन्द्र पुजारी को लेने का जवाब व उज्र किया था और उसी पर यह जमीन भागचन्द्र की नहीं मानी जाकर टाउन इम्प्रूवमेन्ट की मानी गई और उसके बाद मेम्बर बोर्ड होते हुए बिना इजाजत तामीर कराई है? यदि हां, तो क्या इस सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करने को तैयार हैं और क्या उसको सदस्यता से पृथक किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

Page No.2

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

(५) क्या कस्बा दौसा को जाने वाली सड़क पर नन्दकिशोर आर्टिस्ट, मेम्बर, बोर्ड ने बिना नजराना सड़क के एरिया की जमीन पर पक्का अहाता अपने मकान के आगे लगा कर कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) ६ माह में केवल श्री ओंकार पुत्र कन्हैयालाल को बिना नीलाम भूमि दी गई है ।

(२) केवल श्री ओंकार हलवाई को दी गई है । श्री ओंकार का नेशनल हाई वे पर सड़क के किनारे की एक दुकान पर करीब १५ वर्ष से कब्जा था और उसको हटाया जाना आवश्यक समझ कर दूसरी जमीन दी गई ।

(३) स्वं श्री छाजूलाल व मूलचन्द के खिलाफ नाजायज कब्जे की शिकायत आने पर दोनों के खिलाफ राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, १९५९ की धारा २०३ व दफा ९१ आर. एल. ए. के तहत एस. डी. ओ. दौसा की अदालत में चालान किया गया था । श्री छाजूलाल ने अदालत में जाहिर किया कि इस निर्माण से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये उनके विरुद्ध तो मामला वापिस ले लिया गया । श्री मूलचन्द के खिलाफ कार्यवाही चालू है । अदालत के फैसले के अनुसार अगर निर्माण को अनाधिकृत समझा गया तो उसका असर वही होगा जो असर श्री छाजूलाल भी उस मामले में शरीक होते तो होता ।

(४) भाग (३) के उत्तर के फलस्वरूप कोई प्रश्न नहीं उठता ।

(५) नगरपालिका की इजाजत से फेंन्सिग किया गया है ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : आपने प्रश्न संख्या (१) के ऊपर कहा कि केवल एक को बिना नीलाम भूमि दी गई है । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह जवाब सही नहीं है और इन ६ महीनों में करीब १०-१५ लोगों को एलॉटमेन्ट करके जमीन दी गई । मैंने नाम दिये हैं, उनके अलावा लोगों को दी है । मैं आपके उत्तर को चैलेन्ज करता हूं ।

श्री दौलतराम सारण: मेरी सूचना के अनुसार तो एक श्री ओंकार पुत्र कन्हैयालाल को ही दी गई है ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : ११ मार्च की मीटिंग में १० रुपये वर्ग गज के भाव से एलॉट किया है, क्या यह सही है या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : कौनसी मीटिंग में एलॉट किया, यह सूचना मेरे पास नहीं है । जो सूचना मेरे पास उपलब्ध थी वह मैंने निवेदन की कि ओंकार पुत्र कन्हैयालाल को बिना नीलाम दी गई ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : बिना नीलाम किये श्यामलाल, भंवरलाल आदि को दी गई । उन्होंने रुपया भी जमा करा दिये पट्टे की कार्यवाही की गई और आपके यहां, भेजी गई ।

श्री दौलतराम सारण : किन किन को एलॉट की गई ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : श्यामलाल, भंवरलाल, लक्ष्मीनारायण, बाबूलाल, श्री नारायण आदि को एलॉट की गई है, वे

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)
फायल लेकर आये हैं आपके आफिस में। आप फरमा रहे हैं कि एक को एलॉट किया गया है यह गलत है, सही जवाब दिया जाय।

श्री दौलतराम सारण : जवाब गलत नहीं है, समझ का फर्क है। जिन सज्जनों के नाम बोल रहे हैं उनको देने के लिये सिफारिश की गई है, उनको दी नहीं गई है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : यह भी सही नहीं है। मेरा सवाल पूछने के बाद सिफारिश का नाम लिया है। सिफारिश ही की गई है तो पैसे पहले कैसे जमा हो गये ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी कह रहे हैं कि कई केसेज में सिफारिश की है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : देने के लिये तय हो चुका है। मैंने प्रश्न किया, फिर सिफारिश का आॅर्डर दिया, रुपये जमा हो चुके हैं। पट्टा देने की कार्यवाही एस. डी. ओ. ने रोक दी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : प्रश्न यह है कि सिफारिश से पहले पैसा कैसे जमा हुआ ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कब्जा दिया गया या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, इन आदमियों को जमीन देने के लिये सिफारिश की गई है। मैं नहीं कह सकता कि रुपये जमा कराये गये या नहीं, यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : छज्जूलाल माली का चालान पेश करने से पहले उसको नगरपालिका की सदस्यता से निलम्बित किया गया या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं। किसके बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : आपने प्रश्न (३) के उत्तर में बताया है कि छज्जूलाल के खिलाफ चालान पेश किया गया और फिर कम्पाउण्ड किया गया। उसको सलन्बित किया गया या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : निलम्बित करने से इसका क्या ताल्लुक है।

श्री भैरोंसिंह : जब नगरपालिका के एक सदस्य के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया तो उससे पहले उसको निलम्बित क्यों नहीं किया ?

श्री दौलतराम सारण : निलम्बित करने से क्या ताल्लुक है ?

श्री भैरोंसिंह : किसी मेम्बर का कोर्ट में तब तक चालान नहीं हो सकता जब तक कि उसको सस्पेण्ड नहीं कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : म्युनिसिपल बाइ लॉज या रूल्स का उल्लंघन हो तो इसका प्रश्न आता है।

श्री भैरोंसिंह : प्रोसीक्यूशन के मामले में पहले सस्पेण्ड करना पड़ेगा और कई मामलों में किया है।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : अमूमन सस्पेण्ड किया जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि किसी का प्रोसीक्यूशन करें तो उसको सस्पेण्ड करना लाजमी हो।

Page No.4

श्री भैरोंसिंह : लाजमी का सवाल नहीं है, लेकिन प्रेक्टिस यह है राजस्थान में, किसी का चालान करने से पहले उसको सस्पेण्ड करते हैं।

श्री अध्यक्ष : खयानत वगैरह के मामले में ऐसा हुआ करता है।

श्री मथुरादास माथुर : सस्पेण्ड अमूमन करते हैं लेकिन कानूनन जरूरी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के स्टेंडिंग आर्डर्स हैं कि किसी नगरपालिका के सदस्य का चालान करने से पहले परमिशन ली जाय और सस्पेण्ड किया जाय ?

श्री मथुरादास माथुर : परमिशन ली जाय, यह है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस आदमी के लिये इन्क्वायरी हुई और इन्क्वायरी होकर एस. डी. ओ. ने रिपोर्ट पेश की और कलेक्टर साहब, श्री ललवानी ने इसे सस्पेण्ड करने के लिये लिखा, लेकिन उसे सस्पेण्ड नहीं किया गया और चालान को कम्पाउण्ड करने के लिए कार्यवाही की गई, और कम्पाउण्ड करने की कार्यवाही उसे बचाने के लिये की गई ?

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने एक बात रख दी और मंत्री महोदय ने उसकी सूचना दे दी।

श्री दौलतराम सारण : मैं इसकी जांच करा लूंगा।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : क्या यह सच है कि इसको सस्पेण्ड करने की सिफारिश आई, लेकिन उसको सस्पेन्ड नहीं किया गया और उसको बचाने के लिए कम्पाउण्ड किया गया ?

श्री अध्यक्ष : किसकी सिफारिश आई या नहीं आई––यह पूछना उचित नहीं है। मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसे सस्पेण्ड नहीं किया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(विराम)

आबयाने की वसूली–गंगनहर क्षेत्र, गंगानगर

७२२. श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(१) क्या यह सही है कि गंगनहर क्षेत्र, जिला गंगानगर के छः मासी नहर के क्षेत्रों में जब तक एक फसल में तीन पानी नहीं लगे, सरकार को पूरा आबयाना वसूल करने का अधिकार नहीं है ? ऐसी दशा में आधा आबयाना लिया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष तथा इस वर्ष छः मासी नहरों के क्षेत्र में एक या दो पानी से अधिक नहीं लगे हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इसके बावजूद भी छः मासी नहरी क्षेत्रों से पूरा आबयाना वसूल किया गया है ?

(४) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में नहरी रेकार्ड्स में भी हेरा-फेरी की गई है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं।

(श्री दौलतराम सारण)

(२) जी नहीं ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

(४) जी नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि जहां पर तीन पानी नहीं लगते वहां आधा आबयाना नहीं लिया जाता यह गलत सूचना आप दे रहे हैं । छः मासी नहरों के क्षेत्र में, नान-पैरेनियल के लिये यह बेसिस बनाया है कि एक फसल में तीन वार्टरिंग नहीं लगते हैं तो आधा आबयाना लिया जायगा और एक फसल में तीन वार्टरिंग लगें तो पूरा आबयाना लिया जायगा ?

श्री दौलतराम सारण : नान पैरेनियल का नियम है, फर्स्ट वार्टरिंग पर तीन रुपये होते हैं, सैकिंड वार्टरिंग पर तीन रुपये होते हैं और थर्ड वार्टरिंग होती है तो पैरेनियल के चार्जेज करेंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फिर आपने 'जी नहीं' कैसे कहा ? मैं यह पूछता हूं कि आपने 'जी नहीं' कैसे कहा ? आप मीरापो के रजिस्टर चैक करें तो आपको मालूम होगा कि इस साल और पिछली साल फसलों में तीन पानी नहीं लगे हैं ।

श्री दौलतराम सारण : कौनसे प्रश्न के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं बाकी के (२), (३), (४) के इकट्ठे पूछ रहा हूं । आपका उत्तर जो है कि इस क्षेत्र में तीन पानी लगे हैं, वह उत्तर क्या इस आधार पर है कि आपने मीरापो के रजिस्टर चैक कराये हैं ?

श्री दौलतराम सारण : आपने पूछा है कि एक पानी से अधिक पानी नहीं लगे हैं, मैंने निवेदन किया है, 'जी नहीं' ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने यह पूछा है कि आपकी इस सूचना का आधार क्या है ?

श्री दौलतराम सारण : आधार सूचना थी, हमारा विभाग है उससे सूचना थी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दो प्रकार के आधार होते हैं; एक तो जो मीरापो का रजिस्टर होता है, उसमें पानी की बारियां दर्ज होती हैं कि इस वर्ष में इतनी बारियां लगी हैं और दूसरा डिपार्टमेंटल आधार होता है । आपकी सूचना का आधार क्या है, क्या मीरापो के आधार, रजिस्टर के आधार पर बता रहे हैं या डिपार्टमेंटल सूचना के आधार पर बता रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : बेसिस क्या है, बेसिस तो विभाग की जो सूचना आती है उस सूचना को प्राप्त कर उत्तर निवेदन किया है । आपको एतराज है तो आप कृपया जानकारी कर लें । मेरी सूचना के मुताबिक मैंने आपको निवेदन किया है ।

प्रश्न संख्या ७२३

श्री अध्यक्ष : श्री बालूराम चौधरी ।
(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७२२
सम्बन्धी पुनः वाद–विवाद

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने दो पानी लगते हुए माने हैं तो पूरी रेट पर आबयाना क्यों नहीं लिया ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने जो उत्तर दिया है वह ठीक है ।

Page No.6

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप मीरापो रजिस्टर चैक करायें वहां तीन पानी नहीं लगे हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैं आवश्यक नहीं समझता।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सारे गंगानगर के छः मासी नहरों के क्षेत्रों के मीरापो रजिस्टर चैक कराके देख लें, इस वर्ष और पिछले वर्ष दो पानी भी नहीं लगे हैं। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं और खुद इरिगेशन मिनिस्टर साहब ने सूचना दी थी, उन्होंने कहा था कि नहरों में बारह सौ, ग्यारह सौ क्यूसेक्स पानी इस वर्ष और पिछले वर्ष नहीं चला है, जब कि पहले तीन हजार क्यूसेक्स पानी चलता था। जब छः मासी नहरों के क्षेत्र में पानी पहुंचता नहीं है तो कैसे सम्भव है कि ग्यारह सौ क्यूसेक्स पानी चला और उससे तीन पानी लग गये ?

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य, पानी बिल्कुल नहीं लगे, फसल बिल्कुल खराब हो जाय तो उसके लिए नियमों में प्रावधान है और कानून के मुताबिक रेमीशन दिया जाता है। पानी लगने की जो बात है, उसके लिए मैंने निवेदन किया है। उसमें विवाद की क्या बात है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रेमीशन का सवाल नहीं। आधी रेट और पूरी रेट वसूल करने का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

सन् १९६०-६१ तथा ६१-६२ में जन सम्पर्क विभाग द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी के भेजे गये प्रेस-नोट एवं फोटो

७२४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जन सम्पर्क विभाग द्वारा सन् ६०-६१ व ६१-६२ में कुल कितने अंग्रेजी व हिन्दी प्रेस नोट भेजे गए ? इन प्रेस नोटों का अधिकांश विवरण किस प्रकार का होता है ?

(२) इन्हीं दो वर्षों में समाचार-पत्रों को कुल कितने फोटो भेजे गए और ये फोटो किनके थे ?

(३) गत दो वर्षों में फोटोज की कुल कितनी कतरनें तैयार हुईं और कहां कहां भेजी गईं ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१)

	६०-६१	६१-६२
हिन्दी प्रेस नोट ..	१,७५०	२,२९५
हिन्दी विशेष लेख ..	१३१	१५३
अंग्रेजी प्रेस नोट ..	६५८	१,०६१
अंग्रेजी विशेष लेख	७२	९५

प्रेस नोटों में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थानों की सार्वजनिक हित की प्रवृत्तियों के संबंध में जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्य स्तर के तथा सार्वजनिक समारोहों के आयोजनों का भी विवरण यथासमय प्रकाशित किया जाता है। मंत्रियों व अन्य सरकारी प्रवक्ताओं के ऐसे भाषण एवं वक्तव्य भी प्रकाशित किये जाते हैं जिनके द्वारा राज्य सरकार की नीति पर प्रकाश पड़ता हो।

(श्री मथुरादास माथुर)

	६०-६१	६१-६२
(२)	६,६५७	८,४५१

अधिकांश चित्र सार्वजनिक महत्व की योजनाओं और समारोहों के थे। इनमें महत्वपूर्ण व्यक्तियों व मंत्रियों के चित्र भी सम्मिलित थे, जो विशिष्ट अवसरों पर लिये गये थे।

(३) इस प्रश्न का संबंध कदाचित फोटुओं की प्रतियों से है। इसका विवरण निम्न प्रकार है :—

कुल फोटो तैयार हुई

६०-६१	६१-६२
२१,०५४	४०,६७५

इन फोटुओं का वितरण निम्न प्रकार किया गया :—

	६०-६१	६१-६२
(१) समाचार शाखा द्वारा समाचार-पत्रों को भेजी गई	६,६५७	८,४५१
(२) चित्र-शाखा द्वारा समाचार-पत्रों को	५,५१५	६,७६६
(३) साहित्य विभाग, विज्ञापन शाखा व सूचना केन्द्रों को	४४२	५००
(४) स्कूलों, कालेजों व लेखकों को ..	३,५००	७,५००
(५) प्रदर्शनी व ज. स. प्र. को ..	५००	७४४
(६) समूल्य विक्रय	४२२	१५४६
(७) सरकारी विभागों को ..	१,७१८	१,५००
(८) कार्यालय में फाइलिंग तथा नोटिस बोर्ड आदि ..	२,०००	१५,०५०

श्री मुरलीधर व्यास : तीन में जैसा बताया गया है कि फोटो की कतरनें हैं वे २१,०५४ हैं, वे क्या मंत्रियों की फोटुओं की कतरनें हैं या किसी दूसरे को भेजी थी ?

श्री अध्यक्ष : एक एक बात का ब्यौरा बता दिया गया है। उसमें सब लोग शामिल हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : डिटेल्स नहीं बताई हैं ?

श्री अध्यक्ष : वैसे तो डिटेल्स काफी लम्बी होगी, लेकिन माननीय सदस्य का यह प्रश्न पूछना कि किस किस की कितनी कितनी फोटो थीं इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्रियों की फोटो भेजने की क्या आवश्यकता है।

श्री मथुरादास माथुर : मंत्रियों की फोटो सेपरेट नहीं भेजी जाती हैं। उनकी फोटो, जो समारोह या कार्य-क्रम होता है, उसके साथ भेजी जाती हैं। वैसे अलग से जब मंत्रिमंडल बनता है और ओथ ली जाती है, तब अलग से भेजी जाती है। उसके बाद अलग से नहीं ली जाती। वैसे किसी खास ओकेजन या समारोह के साथ मंत्रियों की फोटो होती हैं तो उसमें से मंत्रियों को अलग नहीं किया जा सकता।

Page No.8

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मंत्रियों की फोटो तो लोगों के हृदय में रहती हैं, अलग से भेजने की क्या जरूरत होती है ?

श्री अध्यक्ष : फिर भी जरूरत पड़ती है।

श्री मुरलीधर व्यास : उत्तर में बताया गया है कि फोटो भेजी जाती हैं, वे मंत्रियों के घर भी भेजी जाती हैं।

श्री मथुरादास माथुर : घर कहां ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय मना कर चुके हैं कि नहीं भेजते हैं मंत्रियों के पास।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट में से बता दूं कि घर भेजी गई हैं फोटो।

श्री मथुरादास माथुर : किसी खास ओकेजन की फोटो भेजी जाती है तो मंत्रियों की फोटो भी उसमें होती है। अलग से जब ओथ ली जाती है तब फोटो ली जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास : ओकेजन की फोटो घर क्यों भेजी जाती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूलाल करोल।

चाकसू डिस्पेन्सरी की बिल्डिंग की रिपेयर

७२५. **श्री नाथूलाल करोल** (चाकसू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या चाकसू डिस्पेन्सरी, जिला जयपुर की बिल्डिंग बिल्कुल खराब हो गई है और क्या डिपार्टमेंट द्वारा उसका एस्टीमेट भी बनाया गया था ? यदि हां, तो फिर सरकार उसकी रिपेयर कब तक करायेगी ?

उप मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : इस इमारत की हालत बहुत अच्छी नहीं है। उसकी रिपेयर की जरूरत है और आने वाली साल १९६३-६४ में कराई जायगी; बशर्ते धनराशि उपलब्ध हुई।

श्री नाथूलाल करोल : इसका एस्टीमेट बनाया गया था, वह कौनसी साल का था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : असिस्टेंट इन्जीनियर ने एस्टीमेट बनाया था।

श्री नाथूलाल करोल : इस साल बन जायगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पैसा उपलब्ध हुआ तो बन जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

प्रिन्सिपल, मेडिकल कालेज, उदयपुर

७२६. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल के पद पर इस समय कौन नियुक्त है ?

(२) डाइरेक्टर मोबाइल सर्जरी, राजस्थान के पद पर इस समय कौन नियुक्त है ?

(३) जयपुर मेडिकल कालेज में प्रोफेसर ऑफ कार्डिक सर्जरी के पद पर इस समय कौन नियुक्त है ?

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(४) क्या इन तीनों पदों पर नियुक्त श्री व्यक्ति इन पदों की जिम्मेवारियों को कुशलता व दक्षता से निभा सकता है ? यदि नहीं, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या सरकार महसूस करती है कि प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर, व जयपुर के मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ कार्डिक सर्जरी का कार्य दक्षता व कुशलतापूर्वक करने में असमर्थ है और इसलिये दोनों पर एक ही व्यक्ति को रखा जाना अनुचित है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) डॉ. बी. एन. शर्मा कार्य कर रहे हैं।

(२) डा. बी. एन. शर्मा उदयपुर मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल पद के अलावा इस कार्य को भी देख रहे हैं।

(३) यह पद फिलहाल खाली है। इस पद पर नियुक्ति का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये कितने दिन पहले से हटा दिये गये हैं। नम्बर तीन के जवाब में कहा है कि यह पद खाली है तो कितने दिन पहले से यह पद खाली पड़ा है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अभी यह तिथि मेरे पास नहीं है। यह पद खाली है, यह जानकारी मैंने दी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या कुछ दिनों पहले श्री बी. एन. शर्मा इस पद पर कार्य करते थे ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जब तक यहां थे, वे काम करते थे। यह पद खाली हो गया प्रिन्सिपल के पद पर जाने के बाद।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह बताने की कृपा की जायगी कि श्री शर्मा, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो कॉलेज के प्रिन्सिपल की जो डिग्रियां होनी चाहिये, जो एप्रूव्ड मेडिकल कौंसिल से हैं वे काफी डिग्रियां हैं, वे डिग्रियां क्या इनके पास हैं ? आप इसको देख लें, नहीं तो फिर दिक्कत पड़ेगी मेडिकल कौंसिल से रिकग्नाइज कराने में।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं, उनके पास डिग्रियां हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरे ख्याल से आप जांच करा लें तो अच्छी बात होगी।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आपको आशंका है तो जांच करा ली जायगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या लंदन की एफ. आर. सी. एस. की डिग्री उनके पास है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मोबाइल सर्जरी के डाइरेक्टर बी. एन. शर्मा हैं, और उन्हीं को मेडिकल कॉलेज का प्रिन्सिपल बना रखा है। वे इन दोनों पदों पर कैसे काम कर सकते हैं ? क्या सरकार यह नहीं समझती कि इन दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए और अलग अलग नियुक्ति की जानी चाहिए ?

श्री अध्यक्ष : वे काफी मोबाइल हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह हो सकता है कि उनकी दो पत्नियां हों, एक जयपुर में रहे और एक वहां रहे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेडिकल कॉलेज का प्रिन्सिपल वहां पर रहने वाला होना चाहिए।

डिप्टी कमांडिंग ऑफिसर, राजस्थान होम गार्ड्स

७२७. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में होम गार्ड्स के लिये कुल कितने डिप्टी कमांडिंग ऑफिसर्स नियुक्त किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) डिप्टी कमांडिंग ऑफिसर के लिये क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिये तथा क्या यह सभी एक ही आधार पर नियुक्त किये गये हैं।

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : राजस्थान में होम गार्ड्स के लिये अभी ९ डिप्टी कमान्डेन्ट नियुक्त किये गये हैं, जिनके नाम हैं सर्व श्री मोतीसिंह, वेद प्रकाश, उमरावसिंह रघुनाथसिंह, राजेन्द्रसिंह, बलवन्तसिंह, भूरसिंह, अमरसिंह व बालूपुरी।

डिप्टी कमान्डेन्ट के पद के लिए एक्स आर्मी ऑफिसर, जो कम से कम कैप्टिन के स्तर का ही होना आवश्यक समझा गया है। उपयुक्त ९ ऑफिसर्स मेजर या कैप्टिन के स्तर के हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नगरपालिका कुचामन के भूतपूर्व सदस्य के खिलाफ कार्यवाही

७२८. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्था[न] नगरपालिका अधिनियम, १९५९ की धा[रा] ६३ (१) (डी) के अन्तर्गत श्री गोर्धन शर्मा भूतपूर्व सदस्य, नगरपालिका कुचामन के वि[रुद्ध] सन् ६० से सरकार के सम्मुख कार्यवाही जा[री] है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस सं[बंध] में श्री गोर्धन शर्मा को बराबर आपके कार्याल[य] में हाजिर होकर जवाब देने की सूचना जाती रही है और फिर भी न तो श्री गो[र्धन] शर्मा बराबर हाजिर ही हुए हैं और न [वे] इसकी पैरवी करने में दिलचस्पी ही रखते हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि इस[की] आखिरी सुनवाई की तिथि दिनांक ४-४-... थी ?

(४) यदि हां, तो राज्य सरकार [इस] केस की सुनवाई गत वर्ष से क्यों कर स्थ[गित कर] आगे से आगे बढा रही है ? आज त[क इस] का फैसला क्यों नहीं किया ? आगे के[स का] फैसला करने का इरादा राज्य स[रकार] रखती है अथवा नहीं ? यदि रखती है [तो] कब तक और नहीं तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वायत शासन (श्री दे[व]राम सारण) : (१) जी हां।

(२) यह सही है कि श्री गोर्धन [शर्मा] तारीखों पर हाजिर नहीं हुये।

(३) जी हां।

(४) श्री गोर्धन शर्मा के [हाजिर] नहीं होने से कार्यवाही नहीं की [गई।] अब जल्दी ही कार्यवाही की जावे[गी।]

Page No.11

श्री हनुमानसिंह चौधरी : क्या यह सही है कि माननीय सदस्य ने अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया है ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : उसका क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने बताया कि तारीखों पर हाजिर नहीं हुए इसलिये जवाब नहीं दिया ।

प्रश्न संख्या ७२९

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल चौधरी ।

(अनुपस्थित)

[illegible]नेक्स्ट।

टेक्निकल स्टेन्डर्ड कमेटी द्वारा पुलिस वायरलेस कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला का निर्धारण

७३०. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, [illegible]) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान [illegible] के वायरलैस कर्मचारियों की भारत सरकार द्वारा नियुक्त टैक्नीकल स्टैन्डर्ड [illegible] जुलाई, सन् १९६१ में वेतन-श्रृंखला [illegible] की है ?

([illegible]) क्या यह सही है कि राज्य [illegible] उस वेतन श्रृंखला को लागू नहीं [illegible] हो, तो क्यों ?

[illegible] कमेटी द्वारा निर्धारित वेतन [illegible] कर्मचारियों की वर्तमान वेतन [illegible] है ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा नियुक्त टैक्नीकल स्टेन्डर्ड कमेटी ने पुलिस के वायरलैस कर्मचारियों के वेतन–श्रृंखला के बारे में केवल सिफारिश की थी जो सभी राज्य सरकारों के लिए थी ।

(२) जी हां । जिन पदों की वेतन श्रृंखलाओं के लिए उक्त कमेटी ने सिफारिश की वे पद राजस्थान पुलिस वायरलैस में नहीं थे ।

(३) दोनों वेतन श्रृंखलाएं संलग्न हैं ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिह : दूसरे का जवाब दिया है वह एक बार दुबारा पढ़ दें ।

श्री भीमसिह: जी हां । जिन पदों की वेतन श्रृंखलाओं के लिये उक्त कमेटी ने सिफारिश की वे पद राजस्थान पुलिस वायरलैस में नहीं थे ।

श्री भैरोंसिह : अब हैं या नहीं ।

श्री भीमसिह : उसके इक्विवेलेन्ट नहीं है, नोमेनक्लेचर में फर्क है ।

श्री भैरोंसिह : नाम का ही फर्क है, काम तो एक ही है ।

श्री भीमसिह : मिलते-जुलते हो सकते हैं।

श्री भैरोंसिह : है या नहीं ?

श्री भीमसिह : कहीं है, कहीं नहीं है।

श्री भैरोंसिह : उनको वेतन-श्रृंखला में क्यों नहीं लिया ?

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : वेतन करीब २ एकसा है। वेतन श्रृंखला में लिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : वेतन इक्विवेलेन्ट पोस्ट पर काम करने वालों को मिलते है।

श्री मथुरादास माथुर : जी नहीं।

अभी वे जो Supervisors हमने रखे हैं १५० से ३०० ग्रेड में, उन्हें रखा है १६० से ३३० के ग्रेड में, हमने १०) रु० इन्क्रीमेन्ट रखे हैं और आगे जाकर १२½) रु० इन्क्रीमेन्ट के रखे हैं। इसलिये आगे जाकर कोई फर्क नहीं पड़ता।

पंचायत जैतारण द्वारा पय जल कष्ट निवारण हेतु सरकार से ऋण की मांग

७३१. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत जैतारण द्वारा लगातार गांव में पेय जल-कष्ट-निवारण हेतु सरकार से नल-योजना हेतु ऋण की मंजूरी की मांग की जा रही है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) उक्त मांग पर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए ?

(३) क्या यह सच है कि इस वर्ष अभी से ही पीने के पानी का भारी अभाव होने से पंचायत अपने सामने भारी संकट महसूस करती है और उस हेतु भी सरकार व संबंधित अधिकारी को सूचित किया ?

(४) सरकार कब तक जैतारण में पीने के पानी की व्यवस्था कर रही है ?

उप-मंत्री, स्वायत शासन (श्री दौलत राम सारण) : (१) १९६१ से जल योजना बनाने की मांग है।

(२) जल वितरण योजना (प्राक्कलित सूची) बनाने की कार्यवाही की जा रही रही है तथा सर्वे कार्य चल रहा है।

(३) इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(४) कोई निश्चित समय के लिए नहीं कह सकता।

श्री तेजाराम गहलोत : सरकार ने प्रश्न (३) का उत्तर दिया। क्या सरकार ने इस संबंध में जांच करने की कोशिश की है कि पानी की कमी है ?

श्री अध्यक्ष : नॅक्स्ट।

अजमेर—जयपुर मार्ग पर सड़क यातायात राष्ट्रीयकरण के कारण बेकारी

७३२. श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर) : Will the Minister for Transport be pleased to state:—

1. How many bus owners made unemployed due to Nationalisation of road transport on Ajmer and Jaipur route ?

2. Is it a fact that Government had given them undertaking that alternative route will be provided to them before stopping their buses ?

(श्री पोहूमल ईसरदास)

3. If so, what has been done [illegible] this direction to implement the promise ?

4. How many bus owners are still there who have not been allotted any route?

5. Why the Government is not providing alternative route to such bus owners ?

उप मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह):
1. Eighty one.

2. Yes, an assurance (not undertaking) was given to provide them alternative routes.

3. Out of 81 displaced operators 48 have been given alternative routes by R. T. A., Jaipur. The question to provide alternative routes to the remaining displaced operators is under consideration of the Government.

4. 33 displaced operators still [illegible] to be given alternative [illegible].

5. The matter is under consideration of the Government.

[illegible] पोहूमल : ये ऑल्टर्नेटिव रूल्स कब [illegible] ता दिये जावेंगे ?

[illegible] भीमसिंह : ये अभी अन्डर कन्सीडरेशन [illegible]

[illegible] काफी दिक्कत हो रही है [illegible] है इसलिये निश्चित नीति अपना [illegible] थमिकता देनी चाहिये रिहेबिलि- [illegible])

(विराम)

लाश की बरामदी अलवर

७३३. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तारीख ४-३-६३ को अलवर शहर में सागर से एक लाश बरामद हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि यह लाश रमेश नामक एक १६ वर्षीय लडके की है।

(३) क्या यह सही है कि उक्त रमेश चार रोज से गायब था ?

(४) क्या यह सही है कि तारीख १ मार्च को अलवर शहर के तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ रमेश के मामा सत्यपाल शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने गये थे लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और फिर दुबारा २ मार्च को भी रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की परन्तु कोतवाल साहब ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की ?

(५) क्या यह सही है कि रिपोर्ट एस. पी. को शिकायत करने पर ३ मार्च को दर्ज की गई ?

(६) क्या यह सही है कि रमेश की लाश का डाक्टरी मुआयना कराया गया और डाक्टर की रिपोर्ट के अनुसार लाश १८ घन्टे पानी में रही है ?

(७) क्या पुलिस अभी तक इस हत्या के बारे में किसी नतीजे पर पहुंची है ? यदि हां, तो क्या ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री भीमसिंह) :
(१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां ।

(४) जी नहीं । दिनांक १-३-६३ को डाक्टर कौल तथा श्री सत्यपाल आदि ने कोतवाली में जाकर रमेश के बावत २८-२-६३ की शाम से गुम होने की रिपोर्ट लिखाई थी वह रोजनामचा रिपोर्ट नं० १३ पर दर्ज की गई । दिनांक २-३-६३ को एस. डी. बुद्दो तथा एक पत्रकार ने कोतवाली आकर रमेश की बावत पूछताछ की थी; रिपोर्ट नहीं लिखाई थी ।

(५) जी हां । रिपोर्ट पहले ही १-३-६३ को लिखी जा चुकी थी । ३-३-६३ को डाक्टर बुद्दो एस. पी. अलवर से मिले और रमेश के विषय में अधिक विवरण दिया । तथा उनकी इच्छा से फिर रिपोर्ट लिखी गई जो क्रमशः सं० १२१ पर दर्ज हुई ?

(६) जी हां, लाश की डाक्टरी परीक्षा करवाई गई किन्तु लाश के १८ घंटे पानी में रहने बावत कोई रिपोर्ट नहीं हुई ।

(७) अभी तीन व्यक्ति मदन, आनन्द व मनोहर गिरफ्तार किये हैं; तफतीश जारी है ।

श्री हरिराम चौहान : यह जो रिपोर्ट होने के बाद सरकार पता लगा सकती है कि ३ रोज तक कहां रही । ऐसा डाक्टर की रिपोर्ट में है कि यह ३-४ दिन की लाश नहीं है । बाकी दिन कहां रही ? इसका पता लगा क्या ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): मामला जेर तजवीज है । इसलिए जनहि[illegible] में बताना ठीक नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): डिटेल्स तो कुछ डाक्टर ने लिखे होंगे ।

श्री अध्यक्ष : डिटेल्स में जाना जरू[illegible] नहीं है । माननीय मंत्री कह चुके हैं कि माम[illegible] जेर तजवीज है; इसलिये जनहित में बता[illegible] ठीक नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: But I th[illegible] that is not Something secret.

श्री मथुरादास माथुर : मुआयना [illegible] है । तफतीश जारी है । इसलिए अभी कहना मुनासिब नहीं होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें पु[illegible] का रोल कैसा था ? १-३ को रिपोर्ट [illegible] दी गई थी । लाश मिलने से पहले पुलि[illegible] क्या कार्यवाही की ।

श्री मथुरादास माथुर : २८ ता[illegible] को वह गायब हुआ था ? १-३ को [illegible] हुई । पुलिस उसकी बराबर तलाश [illegible] रही । जो हुलिया बताया गया उसके [illegible] जहां जहां उसको ट्रेस मिले और उनके [illegible] दारों ने उसको बताया, तलाश करती [illegible] तीन दिन के बाद में उसकी लाश [illegible] तालाब के पास मिली । इस संबंध में [illegible] रियें हुई हैं । उसकी पूरी जांच की [illegible]

श्री हरिराम चौहान : ३-[illegible] रिपोर्ट दुबारा लिखने की क्या जरूरत [illegible]

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

ग्राम नोहर में चिकित्सा की सुविधा

७३४. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि तहसील मांगरोल के वोहत नाम के ग्राम की जनसंख्या दो-तीन हजार के लगभग है ?

(२) क्या यह सही है कि इस ग्राम में किसी प्रकार की चिकित्सा-व्यवस्था नहीं है जिससे कि जनता को बड़ी परेशानी रहती है ?

(३) क्या सरकार इस ग्राम में इन तकलीफों को दूर करने के लिये चिकित्सालय व नर्स को शीघ्र इन्तजाम करेगी ? अगर हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) अभी तक योजना में स्वीकृत नहीं है ।

बाड़मेर क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य

७३५. रावल श्री अमरसिंह जासोल (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या बायतु से फलसूंड तक सड़क बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह बनाने का कार्य कब से प्रारंभ किया जायेगा ?

(२) बालोतरा से मेवा नगर तक की सड़क टार कवर क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार इस कार्य को शीघ्र पूरा कराने का विचार रखती है ?

(३) बालोतरा से तिलवाड़ा सड़क को टार सड़क नहीं बनाने का क्या कारण है और यह कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

(४) क्या सरकार बाड़मेर क्षेत्र में सड़कें बनाने के कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां, लगभग ४० मील सड़क बना दी गई है । आशा है कि बाकी सड़क के टुकड़े का कार्य इस वर्ष में प्रारंभ कर दिया जायेगा ?

(२) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है ।

(३) यह सड़क योजना में स्वीकृत नहीं है ।

(४) उपलब्ध धनराशि तथा योजनानुसार कार्य चालू है ।

रावल श्री अमरसिंह जासोल : नम्बर (३) व (४) का उत्तर समझ में नहीं आया ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने साफ कहा कि योजना में स्वीकृत नहीं है ।

रावल श्री अमरसिंह जासोल : क्या सरकार इस बात को देखेगी कि पिछड़े हुए इलाके हैं उनके लियेवहां पर विकास का कार्य ज्यादा तेजी से किया जावे और योजना में नहीं हैं तो बैकवर्ड एरिया वाले स्थानों को प्रिफरेन्स देकर पहले रखा जावे ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : योजनानुसार काम चालू है और बैकवर्ड क्लॉस के लिहाज से हमने भारत सरकार से रुपया मांगा है।

रावल श्री अमरसिंह जासोल : क्या हम आशा करें कि अगले साल रखा जावेगा।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने कहा कि निश्चित रूप से नहीं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपने (३) में बताया कि योजना में नहीं है। (४) में बताया गया है कि योजनानुसार काम किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। वहां ज्यादा सड़कें हैं।

जलप्रदाय योजना-भीनमाल

७३६. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भीनमाल जल प्रदाय योजना को चलाने के लिये भीनमाल का पॉवर हाउस नगरपालिका भीनमाल द्वारा सरकार को सुपुर्द किया जा रहा है? अगर हां, तो ऐसा करने के लिये नगरपालिका व सरकार के साथ समझौते की क्या क्या शर्तें थीं?

(२) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि भीनमाल जल प्रदाय योजना के लिये जोधपुर से २०० किलोवाट के दो जनरेटर सेट्स शीघ्र भीनमाल भेजे जायें? अगर हां, तो ये दोनों सेट्स भीनमाल कब पहुंच जायेंगे? क्या यह भी सत्य है कि इस निर्णय की अवहेलना की जाकर सिर्फ सौ सौ किलोवाट के ए[...] ही दिये जाने का विचार है? अगर [...] तो ऐसा करने के क्या क्या कारण हैं? [...] उपरोक्त निर्णय बदलने से नगरपालिक[...] भविष्य में कोई कठिनाई नहीं होगी?

(३) क्या यह सत्य है कि सौ [...] किलोवाट के एंजिन से भीनमाल में [...] पर्याप्त नहीं होगी और इससे भीनमाल [...] के विकास में बाधा उत्पन्न होगी?

(४) क्या यह सत्य है कि ज[...] वाटर वर्क्स के एंजिन किसी दूसरी [...] भेजने का विचार है?

(५) भीनमाल जल प्रदाय योजन[...] तक पूरी हो जायेगी और क्या शह[...] आगामी ग्रीष्म ऋतु से पहले ही इस [...] से पानी मिल सकेगा?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री परसराम म[...] (१) जी हां। शर्तें अभी तय नहीं [...] नगरपालिका और विद्युत मंडल [...] बातचीत चल रही है।

(२) जी हां, वाटर वर्क्स [...] द्वारा दो-दो सौ किलोवाट के सेट [...] ऑफर मिला है। इन दो सेटों को [...] भेजने का अब प्रश्न पैदा नहीं होता [...] वे आवश्यकता से अधिक होने की वज[...] भीनमाल में तीन एक सौ किलोवाट [...] के सेटों के लगाये जाने की योजना [...] वहां की आवश्यकता के लिये काफी [...] इसलिये भीनमाल में कठिनाई [...] कोई संभावना ही नहीं है।

(३) जी नहीं। एक सौ [...] ३ सेट्स लगाना २०० किलोवाट [...] लगाने से ज्यादा लाभदायक [...]

Page No.17

(श्री परसराम मदेरणा)

(४) जी हां।

(५) जल प्रदाय योजना लगभग पूरी हो चुकी है। सिवाय पम्पों के लगाये जाने के जिसकी भी शीघ्र लगने की संभावना है। कोशिश की जायगी कि पानी ग्रीष्मकाल में मिल जाय।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : फिर सरकार का २०० किलोवाट के एंजिन का हुक्म कैसे जारी हुआ ?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामानन्द अग्रवाल।

सीपेज, नहर क्षेत्र चम्बल

७२७. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले में चम्बल नहर क्षेत्र में सीपेज के कारण कृषि भूमि खराब हो गई है ?

(२) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के [illegible]सान यह भी शिकायत करते हैं कि यह [illegible]यहां की मिट्टी से ठीक प्रकार मेल नहीं [illegible]ाया है ?

([illegible]) क्या सरकार ने इस जमीन की [illegible]ौर पानी का कैमिकल विश्लेषण [illegible]? यदि हां, तो क्या इस विश्लेषण [illegible]मालूमात की है कि इस धरती में कौनसा [illegible]से पैदावार बढ़ सकती है ?

(४) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के किसानों में यह ख्याल फैला हुआ है कि इस नहर का पानी फसल को खराब कर देता है और इसलिये उनमें इस पानी का इस्तेमाल करने का विशेष उत्साह नहीं है ?

(५) किसानों में इस प्रकार के विचार के क्या कोई ठोस आधार हे ? यदि नहीं ? तो सरकार उनमें विश्वास पैदा करने में क्यों असमर्थ हो रही है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, बहुत थोड़ा हिस्सा जो कई जगह नहरों के किनारे है।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं।

(५) जी नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि आस्ट्रेलिया के एक विशेषज्ञ इस क्षेत्र में आये थे और उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि इस मिट्टी का इस पानी से ठीक तरह से मेल नहीं खाता और कैमिकल एनेलेसिस हो जाना चाहिये ताकि उसके अनुकूल कैमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किया जाय।

श्री दौलतराम सारण : ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञ ने क्या रिपोर्ट दी इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। प्रश्न में जो सूचना आपने चाही है वह मैंने आपको दे दी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तीन का उत्तर क्या है ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां।

Page No.18

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जिस क्षेत्र में आपने सीपेज का स्वीकार किया उसमें यह पानी देने से पर एकड़ प्रोडक्शन बढ़ा है या घटा है ?

श्री दौलतराम सारण : पानी देने से स्वाभाविक रूप से प्रोडक्शन बढ़ता है, घटने का सवाल ही नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कैमिकल एनेलिसिस का क्या नतीजा आया ?

श्री दौलतराम सारण : यह पानी वहां की मिट्टी और फसल दोनों के लिये उपयोगी है ।

प्रश्न संख्या ७३८

श्री अध्यक्ष : श्री आनन्दसिंह कछवाहा ।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट ।

स्त्रियों के अपहरण के मामले, धौलपुर

७३९. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) धौलपुर सब-डिविजन में सन् १९५९ से १९६२ तक स्त्रियों के अपहरण की कितनी घटनाएं हुई हैं ?

(२) अपहरण के कितने मामलों में चालान पेश हुआ और कितने मामलों में मुल्जिम सजायाब हुए ?

(३) अपहरण के कितने मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगी और कितने अभी जेर तफतीश हैं ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) धौलपुर सब-डिविजन में सन् १९५९ से १९६[illegible] तक स्त्रियों के अपहरण की ५७ घटनाएं हु[illegible]

(२) २८ केसेज के चालान अदाल[illegible] में किये गये जिनमें से २ केसेज में मुल्जि[illegible] सजायाब हुये ।

(३) अपहरण के २९ मामलों में ए[illegible] आर. दी गई । जेर तफतीश कोई केस नही[illegible]

श्री रामकिशन : ५७ केसेज हुए, उनमें २८ के चालान अदालत मे किये गये, केवल [illegible] हीं सजा हुई; तो क्या इसका मतलब यह [illegible] कि पुलिस ने गलत चालान किये थे ?

श्री भीमसिंह : बाकी के कोर्ट में पेंडि[illegible]

श्री रामकिशन : पेंडिग तो आप नहीं [illegible] रहे हैं ?

श्री भीमसिंह : मैंने कहा कि जेर त[illegible] कोई नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ५७ अपहरण के केसेज हुए उनमें से [illegible] चालान हुआ, बाकी के चालान क्यों नहीं [illegible]

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र ।

श्री रामकिशन : माननीय अध्य[illegible] धौलपुर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वहां अनैतिक कार्य होते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप भी जरा ध्यान [illegible]

प्रश्न संख्या ७४०

श्री रामचन्द्र

(अनुपस्थित)

Page No.19

(श्री अध्यक्ष)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया ।

दुर्घटना

७४१. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेडा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि तारीख २२ फरवरी, १९६३ को कोटडी (जिला भीलवाडा) पंचायत समिति के ट्रेक्टर व ट्रोली से भीलवाडा से कोटडी जाते वक्त कोदूकोटा में कोई एक्सीडेंट हुआ था ?

(२) इस ट्रेक्टर को कौन चला रहा था ? क्या चलाने वाले के पास लाइसेंस था ?

(३) क्या इस एक्सीडेन्ट की कोई रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंची हैं ? अगर हां तो पुलिस ने क्या कार्यवाही की ? कोदूकोटा में पुलिस की चौकी है या नहीं ?

(४) इससे जिस बच्चे के चोट लगी ... अस्पताल में भर्ती कराया या नहीं ... कोई क्षति पूर्ति दी गई या नहीं ?

... मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह): (१) ...

... ट्रेक्टर का चालक तो श्री नाथू ... जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था ... जब कोदूकोटा गांव के पास ... पानी पीने ट्रेक्टर से उतरा तो पीछे ... लाल, प्रधान पंचायत समिति ... उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नही ... ट्रेक्टर पर बैठा था उसे चालू ... होते ही ट्रेक्टर पास पडे ... एक बालक से भी टकराया ... आई ।

(३) जी नहीं । पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं हुई, न कोदूकोटा में कोई पुलिस चौकी ही है ।

(४) जी नहीं । बच्चे को अस्पताल भर्ती नहीं कराया गया । श्री मांगीलाल ने बच्चे के पिता को तत्काल ही दस रुपये क्षति-पूर्ति स्वरूप दे दिये थे ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: जब लाइसेंस ड्राइविंग के लिये नहीं था और ट्रेक्टर चलाया तो पुलिस ने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री भीमसिंह: जब यह प्रश्न हुआ और सरकार के नोलेज में यह बात आई तो सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, भीलवाडा को इन्फोर्म कर दिया, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: बच्चे का सिर फूट गया, ऐसी हालत में उसके मुआवजे का १०) रुपया सरकार वाजिब समझती है क्या ?

श्री भीमसिंह: सरकार ने तो एन्क्वायरी अब शुरू की है ।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमानसिंह चौधरी !

भूमि की बिक्री, कुचामन

७४२. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बतानेत की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका कुचामन के वार्ड नं० ७ में स्ट्रीप लैंड की कीमत जिलाधीश द्वारा २) रु० प्रति वर्ग फुट निर्धारित की गई है ?

(२) क्या यह भी सही है कि मकान के मुहराने के सामने चरो को जमीन

Page No.20

(श्री हनुमानसिंह चौधरी)
स्ट्रीप लैण्ड ही मानी जाती है, खुला प्लॉट नहीं ?

(३) यदि हां, तो वार्ड नं० ७ में डिडवानियों की गली में श्री नारायणदास जी डिडवानियां को उनके मकान के सामने चबूतरी की जमीन अध्यक्ष, नगरपालिका ने २ रु० प्रति वर्ग फुट निश्चित रेट के बजाय २४ नये पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से कैसे बेची और अब राज्य सरकार अध्यक्ष के विरूद्ध इस अवैधानिक कार्यवाही के लिये क्या कदम उठाने की सोच रही है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत राम सारण): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) भूतपूर्व अध्यक्ष ने ४० वर्ष से ऊपर का कब्जा मान कर ३० न० पै० प्रति वर्ग फुट के हिसाब से बेची है। इस सम्बन्ध में जांच की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री हनुमानसिंह चौधरी: क्या जांच शुरू कर दी गई है ?

श्री दौलतराम सारण: कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष: श्री बिरदाराम फुलवारिया।

जालौर जिले की सड़कें

७४३. **श्री बिरदाराम फुलवारिया** (जालोर) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) जालौर जिले में सडकों को डामर रोड बनाने के लिये सर्वे कब किया गया और किन किन सडकों को डामर रोड बनाने की योजना स्वीकार की जा चुकी है ?

(२) क्या यह सत्य है कि जालोर से बागोडा होती हुई गुडामालानी तक जाने वाली सडक को डामर की सडक बनाने का कार्य अधूरा छोड दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

(३) जोधपुर से जालौर, भीनमाल होती हुई सांचोर तक जाने वाली सडकों को डामर रोड क्यों नहीं बनाया गया है ? क्या इस सडक को सरकार डामर रोड बनाने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या इस जिले में बरसात के दिनों में सडकों की हालत अत्यधिक खराब होने से जनता को यातायात में असुविधा होती है ? क्या सरकार इस जिले की यातायात व्यवस्था को सुधारने की योजना रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक इस योजना की पूर्ति की जायेगी ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) डामर के लिये सर्वे की आवश्यकता नहीं है। जोधपुर जालौर रोड तथा रानीवाडा से सांचोर की स्वीकृति दे दी गई है।

(२) जालौर से बागोडा वाया ... की डामर सडक का कार्य योजना में ... नहीं है।

(३) जोधपुर से जालौर तथा रानीवाडा से सांचोर के भाग को ... जाने की स्वीकृति दे दी गई है ... यह कार्य इस योजना-काल में ...

Page No.21

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)
कर चतुर्थ योजना काल में पूर्ण कर दिये जावेंगे ।

(४) जालोर जिले में सडकों की हालत बरसात के दिनों में खराब नहीं होती है किन्तु अधिक वर्षा में नदी-नालों पर असुविधा अवश्य होती है । जी हां । इस जिले में ५,४०,०००) रु० की लागत के कॉज वे तथा क्रोस ड्रेनेज निर्माण की योजना है जो धनाभाव के कारण अभी आरम्भ नहीं कराई गई है ।

श्री बिरदाराम फुलवारिया: पूरे जिले में ... ही है तो सरकार इस ओर विशेष ध्यान क्यों नहीं देती ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां, ... ध्यान दे रही है ।

श्री अध्यक्ष : चौथी पंचवर्षीय योजना ... ।

प्रश्न संख्या ७४४

श्री सतीशकुमार !

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७४५

श्री दिग्विजयसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री हरिराम धाक ।

... परिषद् द्वारा हरिजनों ... नोटिस

श्री हरिराम धाक (सिवाना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि जयपुर नगर परिषद् के ४६८ सफाई मजदूरों को कम किये जाने के नोटिस दिये जा चुके हैं ? यदि हां , तो क्या उक्त कमी के कारण शहर में गन्दगी नहीं फैलेगी और बीमारियां फैलने का अन्देशा नहीं रहेगा ? यदि हां, तो सरकार के पास उसे रोकने के क्या साधन हैं, तथा इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी और इसके साथ ही हरिजनों में फैलने वाली बेरोजगारी को किस प्रकार मिटाया जा सकेगा ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : जी नहीं । प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

श्री हरिराम धाक : नोटिस तो मिल गये भंगियों को कि तुमको हटाया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : आपने देखा है ?

श्री हरिराम धाक : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : वे तो कहते हैं, नोटिस नहीं दिये ।

श्री दौलतराम सारण : आपने पूछा है "क्या यह सही है कि जयपुर नगर परिषद् के ४६८ सफाई मजदूरों को कम किये जाने के नोटिस दिये जा चुके हैं" । मैंने जवाब दिया है, 'जी नहीं' ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ४६८ को नहीं तो कुछ को तो दिये होंगे । टेक्नीक बीच में क्यों निकालते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : कुछ तो दिये होंगे, पर किसी को हटाने का सवाल नहीं है। नगरपालिका ने नये आदमी रखे थे उनकी सेंक्शन नहीं ली थी इसलिये अलग से नगरपालिका को लिखा है कि रेगुलराइज करवा लें कि कौन कौन से पदों पर किन किन को रखना आवश्यक है। जो वे लिखेंगे तो उसके अनुसार रेगुलराइज हो जायगा।

प्रश्न संख्या ७४७

श्री अध्यक्ष: श्रीमती गौरी पूनिया

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

राज्य में जब्त पुस्तकें

७४८. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) प्रेस एक्ट (आपत्तिजनक प्रकाशन) एक्ट, १९५६ की धारा ४ के अधीन कितनी पुस्तकें या अन्य प्रकाशन राज्य सरकार ने जब्त किये हैं ? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) भाग (१) का उत्तर यदि 'ना' में है, तो क्या सरकार को यह जानकारी नहीं है कि राज्य में ऐसी सामग्री प्रचुर मात्रा में जगह जगह बेची जाती है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह): (१) ऐसी ११७ पुस्तकें बरामद की गई हैं। जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सरकार इस विषय के प्रति पूरी जागरूक है और सूचना मिलते ही ऐसी किताबें जब्त करने की फौरन कार्यवाही करती है।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष: सूची नहीं रखते तो ठीक था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सूची इनको खुद को ही चाहिये थी।

क्या इनका सबका चालान हो चुका है?

श्री भीमसिंह : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सारे केसेज का चालान ? अच्छी तरह देख लीजिये।

श्री भीमसिंह: करीब करीब सब का।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सारों का चालान क्यों नहीं हुआ ?

श्री भीमसिंह : तफतीश चालू होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें तफतीश क्या; माल मौजूद है, किताबें मौजूद हैं क्या आप खुद किताबें पढ़ कर देख रहे हैं अफसाने हैं कि नहीं ?

गृह-मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): जो बातें आपने कही हैं उनका रेकॉर्ड के लिये तफतीश करनी पड़ती है।

रामगंजमंडी और छत्रपुर बाया अंडेरा पर पुलिया निर्माण

७४९. श्री जुझारसिंह (खेरवाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) रामगंजमंडी, श्री...

(श्री. जुझारसिंह)

वाया ऊंड आ की पुलियाओं व कुछ हिस्सों के अभी तक नहीं बन सकने के क्या कारण हैं ?

(२) क्या ये सड़कें व पुलियाएं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही पूरी हो जाने को थीं ?

(३) सड़क व पुलियाओं के कब तक पूरा हो जाने की उम्मीद है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) १० मील सड़क में से ९ मील सड़क बन चुकी है । केवल १ मील का कार्य बाकी है जो प्रगति पर है । कुछ पुलियों के कार्य चालू हैं जो ठेकेदार की सुस्ती के कारण पूर्ण नहीं हो पाये हैं ।

(२) जी नहीं ।

(३) आशा है इसी योजना काल में ।

श्री अध्यक्ष : श्री नरसिंह ।

...कार के विरुद्ध कार्यवाही

श्री ...सिंह (भरतपुर)
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
(जौहरी बाजार, जयपुर)
श्री मानिकचन्द सुराणा : (कोलायत),
श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर),
श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन),
श्री ...लियाराम : (रूपवास),
श्री ...विट्ठल : (बांसवाड़ा), व
श्री ...राभाई : (कुशलगढ़) :

...क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अ) भरतपुर के एक पत्रकार एवं ...व्यक्ति के विरुद्ध क्या पुलिस ...में धारा ११० जा. फौ. ...की है ?

(ब) यदि हां, तो क्या इसकी पुलिस ने पहिले राज्य सरकार से स्वीकृति ली थी ?

(स) क्या इस कार्यवाही में उन अभियोगों का भी जिक्र है जिनमें पुलिस इस व्यक्ति को दण्ड दिलाने में असफल हुई है ?

(द) क्या इस कार्यवाही में पुलिस अधिकारियों ने न्यायालयों के सम्मान के विरुद्ध भी कुछ बात अंकित की है ?

(य) यदि हां, तो सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (अ) जी हां ।

(ब) जी नहीं । न इसकी कोई आवश्यकता है ।

(स) जी हां ।

(द) जी नहीं ।

(य) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री रामकिशन (वैर) : यह कौनसे का जवाब है ?

श्री भीमसिंह : मैंने अर्ज किया :

(अ) जी हां ।

(ब) जी नहीं । न इसकी कोई आवश्यकता है ।

(स) जी हां ।

(द) जी नहीं ।

(य) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

Page No.24

श्री रामानन्द अग्रवाल : 'ख' का क्या उत्तर है ?

श्री भीमसिंह : जी नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही नहीं है कि पुलिस ने अभियोग लगाया है उसमें यह भी है कि यह व्यक्ति अदालतों पर नाजायज असर डाल कर अपने आपको बरी करा लेता है । इस तरह का पुलिस ने यह अभियोग इस व्यक्ति पर लगाया है क्या यह सही है या नहीं ?

श्री भीमसिंह : जहां तक मेरे पास रिपोर्ट है उसके अन्दर तो नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो पुलिस ने अभियोग बनाया है धारा ११० के तहत क्या आपके पास वह अभियोग-पत्र नहीं है ?

श्री भीमसिंह : वह तो अलग से इन्फोर्मेशन है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अलग से क्यों ? एक आदमी के खिलाफ पुलिस ११० की कार्यवाही करती है जो किसी पोलिटिकल पार्टी का वर्कर है पचासों केस बना दिये होंगे उस व्यक्ति के खिलाफ लेकिन वह सबमें बरी हो जाता है । पुलिस ने अपने अभियोग-पत्र में लिखा है कि अदालत पर दवाब डाल कर वह अपने आपको बरी करा लेता है । अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा सीरियस मामला है । आपकी पुलिस खुद ऐसा कहती है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is one of the allegations against him

श्री भीमसिंह : यदि अदालत के खिलाफ ऐसा है तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस पुलिस के खिलाफ कर सकते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह ठीक है या नहीं; आपका क्या रुख है ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : हमारा ख्याल बहुत सा है कि उसके ऊपर कई मुकदमे चलाये गये । उसने अखबारों के जरिये अदालतों के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेन्डा किया इसलिये यह पुलिस ने लिखा ।

श्री रामकिशोर : यह आप कैसे कह रहे हैं......

श्री अध्यक्ष : order please मामला सब-जुडिस है । इससे अधिक बहस की आवश्यकता नहीं है । मंत्री महोदय ने कहा कि हम निश्चित हैं इसमें, इसलिए बात में इतना किया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल यह का है, अध्यक्ष महोदय, कि पुलिस ने जो बात लिखी है वह कहां तक सही है ? महोदय, उस अभियोग-पत्र की मेरे पास कॉपी है, उसमें लिखा हुआ है कि न्यायालय में प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर हमला होकर बाधा पहुंचा कर अपने अनुकूल न्याय करने का आदी है । मेरा निवेदन करना है कि पुलिस का महकमा इस प्रकार की बात लिखे यह ऑब्जेक्शनेबल है । अदालत में अपना न हो, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ पर इसके लिए जिम्मेदार हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : पुलिस ने जो लिखा है वह सूचना के आधार पर लिखा है कि इसने अन्दर प्रोपेगेन्डा किया अदालतों के खिलाफ और जो सूचना थी उसके आधार पर पुलिस ने लिखा है । यह मामला सबजुडिस है ।

Page No.25

(श्री मथुरादास माथुर)
तो हम कार्यवाही करेंगे और अदालत नहीं करती है तो ठीक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: सरकार के पास सुबूत है कि अदालत में इस प्रकार व्यवहार करे और पुलिस ने जब यह अभियोग-पत्र में लिखा है तो कायवाही क्यों नहीं की ?

श्री मथुरादास माथुर : हमारे पास तथ्य है, हमने अदालतों के सामने पेश किये हैं। यह चार्जशीट है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जब पुलिस ने यह लिखा.....

श्री अध्यक्ष : Order plesse ! No more Questions please सब जुडिस मामला है। मंत्री महोदय कह चुके हैं कि पुलिस जिस मामले में संतुष्ट है उसके लिये चार्जशीट में लिखा है।

श्री भीमसिंह : कोर्ट में नारे लगाये हैं। कोर्ट ने सजा दी। दो दफा सजायाफ्ता है।

श्री रामकिशन : नारे लगाये तो क्या बात हो गई ?

श्री अध्यक्ष : Order please !

प्रश्न संख्या ७५१
श्री हरिप्रसाद शर्मा।
(अनुपस्थित)
श्री मानिकचन्द सुराणा।

डाक्टरों की पदोन्नति के नियम

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोला- ...): क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राज्य में डाक्टरों की तरक्की के नियम सरकार ने बनाये हैं

(२) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो क्यों ?

(३) क्या डाक्टरों की पदोन्नति के लिये कोई नियम सरकार के विचाराधीन हैं ?

(४) ये विचाराधीन नियम कितने पेज के हैं और इस प्रकार के नियम बनाने की आवश्यकता सरकार ने सबसे पहले कब महसूस की उक्त नियम बनाने के आदेश सर्व प्रथम कब दिये गये ? इन विचाराधीन नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

उप-मंत्री स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) कॉलेजियेट ब्रांच में डाक्टरों की तरक्की के नियम बना दिये गये हैं। शेष डाक्टरों के नियम अभी जारी नहीं हुए।

(२) कॉलेजियेट ब्रांच के नियम १९६२ में जारी कर दिये गये हैं। अन्य नियमों के जारी करने में देरी का कारण था, विभागों के बीच व जन सेवा आयोग के बीच लिखा पढ़ी।

(३) जनरल ब्रांच के नियम विचाराधीन हैं।

(४) ये १८ पृष्ठ के हैं। इनके बनाने की आवश्यकता सन् १९५५ में महसूस हुई। इसके बनाने के आदेश सर्वप्रथम ता० २२-३-५५ को दिये गये। केबीनेट के विचाराधीन नियमों की प्रति इस अवस्था पर सदन की मेज पर रखी जानी संभव नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : २२-३-५५ को जो नियम बन गये.....

श्रीमती प्रभा मिश्रा : बने नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो नियम बनाने के लिये दिये हैं तो क्या आठ वर्ष तक

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
सरकार द्वारा स्वीकार न किया जाना रीजनेबल एक्सेप्शन हो सकता है ?

श्रीमति प्रभा मिश्रा : जो तथ्य हैं वे मैंने सामने रख दिए ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आप यह महसूस नहीं करती हैं कि बहुत देर की गई और शीघ्रता का आप क्या आश्वासन नहीं दे सकती हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : केबीनेट में जो चीज विचाराधीन है उसके लिये आश्वासन कैसे दे सकती हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या शीघ्रता करने के लिये आश्वासन दिला सकती हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह कोशिश की जायगी कि जल्दी से जल्दी पारित किये जायं ।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : असेम्बली समाप्त होते ही ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

पुलिस हिरासत में मृत्यु, थाना झंवर, जिला जोधपुर

७५३. **श्री सतीशचन्द अग्रवाल** : (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले के अन्तर्गत थाना झंवर के पुलिस सब इन्स्पेक्टर श्री पुजराजसिंह द्वारा चोरी के सिलसिले में श्री छोटूसिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त श्री छोटूसिंह का अदालत से ७ रोज का रिमांड लिया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(३) क्या यह भी सही है कि पुलिस हिरासत में श्री छोटूसिंह की मृत्यु हुई ? यदि हां, तो कब और क्या उनका पोस्ट मार्टम कराया गया ?

(४) क्या यह सही है कि पुलिस द्वारा पीटे जाने पर उक्त व्यक्ति की मृत्यु हुई ? यदि नहीं, तो मृत्यु का क्या कारण था ?

(५) क्या मृत्यु से पूर्व श्री छोटूसिंह का डॉक्टरी मुआयना कराया गया था ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट आई ?

(६) क्या यह सही है कि अस्पताल से वापिस ले जाते समय पुलिस वालों द्वारा श्री छोटूसिंह को एक ट्रक नम्बर १०३... नीचे धक्का दे दिया गया ?

(७) क्या सरकार के पास इस... की शिकायत आई ? यदि हां, तो... जांच की गई ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह): ... छोटूसिंह नाम के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया ।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(४) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(५) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(६) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(७) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

Page No.27

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरेशबिहारी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: क्या यह कहानी कपोलकल्पित है ?

बांदीकुई में हाउस टैक्स

७४५. श्री **मथुरेश बिहारी माथुर** (बांदीकुई) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या बांदीकुई कस्बे में कच्चे व पक्के मकानात पर हाउस टैक्स लगाने की कोई योजना बनाई गई है व उसके विषय में असेस्मेंट व सर्वे कराया जा रहा है ? बांदीकुई की आबादी क्या है ?

(२) क्या उस हाउस टैक्स के विषय में बांदीकुई की जनता की ओर से विरोध में प्रार्थना-पत्र सरकार के समक्ष आये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय हुआ है ?

(३) क्या इस हाउस टैक्स के लगाने में नियमों का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या वसूली के नियम बनाये जाकर पास कराये जा चुके हैं ?

(४) क्या कानूनन व नियमों के अनुसार कच्चे मकानात पर हाउस टैक्स नहीं लगाया जा सकता ? यदि हां, तो बांदीकुई में ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

उप मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां । कच्चे मकानों पर लगाने की नहीं है । सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार आबादी १०,६३८ है ।

(२) जी हां । टैक्स लगाना आवश्यक है ।

(३) जी नहीं । प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(४) जी हां, ऐसा नहीं किया जा रहा है ।

श्री **मथुरेशबिहारी माथुर** : सेक्शन १०४ के मातहत कच्चे मकानों पर हाउस टैक्स लगाया जा रहा है, वह खिलाफ है । नोटिफिकेशन निकला है उसमें यह है कि एग्रीकल्चर भूमि के अलावा टैक्स लगाया जाय । कच्चे मकानों पर अटेचमेंट के नोटिस जारी किये गये हैं और वसूली हो रही है ।

श्री **दौलतराम सारण** : स्वायत शासन विभाग की ओर से ८-६-६२ को खाम मकानों की परिभाषा समस्त नगरपालिकाओं को भेज दी है इसलिये वसूली का सवाल ही नहीं है ।

श्री **मथुरेशबिहारी माथुर** : ३०-९-५९ को कृषि भूमि को छोड कर अन्य पर गृह कर किराये की आमदनी पर लगाया है । यह कच्चे मकानों पर भी ले रहे हैं जो सेक्शन १०४ के अगेन्स्ट है ।

श्री **दौलतराम सारण** : नहीं लगा है । मैंने निवेदन किया कि असेस्मेन्ट की कार्यवाही हो रही होगी । एतराजात सुनकर फाइनल हो जावेंगे । आप नियम कायदे जानते हैं ।

श्री **मथुरेश बिहारी माथुर** : आपके नियम और सेक्शन के विरूद्ध हजारों सैंकडों आदमियों को नोटिस दिये गये हैं, परेशान किया जा रहा है, वे ओब्जेक्शन करेंगे और तब निर्णय करेंगे तो क्या फायदा ? जब आप मानते हैं कि सेक्शन १०४ के अन्तर्गत कच्चे मकानों पर गृह कर नहीं लिया जा सकता तो फिर नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी कर देते हैं ?

श्री **दौलतराम सारण** : मेरे पास जानकारी नहीं है । मेरी सूचना के अनुसार

(श्री दौलतरामसारण)
कच्चे मकानों पर नहीं लिया जा रहा है । आप कह रहे हैं तो जानकारी कर लूंगा ।

श्री **मथुरेशबिहारी माथुर** : नियमों के विरुद्ध नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके मुताल्लिक आवेदन आये थे, उन पर निर्णय क्या किये गये ?

श्री **दौलतराम सारण** : नियम के विरुद्ध कौनसी कार्यवाही की गई, क्या आब्जेक्शन हुए, यह मैं इस समय क्या कह सकता हूं ?

श्री **अध्यक्ष** : अभी तो आब्जेक्शन इनवाइट किये गये हैं, मंत्री महोदय स्वयं स्वीकार करते हैं । ऑब्जेक्शन इनवाइट हुए हैं उसके बाद अपील का अधिकार है । इस स्टेज पर उस बारे में कहना कहां तक उचित है यह माननीय सदस्य स्वयं सोच सकते हैं ।

श्री **मथुरेशबिहारी माथुर** : मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ मकानात थे जिनका असेसमेंट हुआ है और उसके बारे में जनता की ओर से प्रार्थनापत्र आये हैं कि उनसे हाउस टैक्स न लिया जाय; इस तरह से जो नियम हैं उसका उल्लंघन किया गया है । वहां के मकानों की आय को देखते हुए यह वसूल नहीं होना चाहिए, इस पर आपने क्या निर्णय लिया है ?

श्री **दौलतराम सारण** : अभी तक तो असेसमेंट हुआ नहीं, उसके बाद भी आमदनी के अनुसार टैक्स लिया जायगा । यह मैं आश्वासन दे सकता हूं कि नियमों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायगी ।

श्री **मथुरेशबिहारी माथुर** : मेरा यह निवेदन है कि जिन लोगों ने यह दरखवास्त दी कि हमारा असेसमेंट हो रहा है जब कि हमारे मकानात उसमें नहीं आते हैं सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है उन पेण्डिग ओब्जेक्शन के लिये ?

श्री **अध्यक्ष** : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि आब्जेक्शन रिजेक्ट होते हैं तो अपील करने का अधिकार है ।

श्री **मथुरेशबिहारी माथुर** : मेरा निवेदन यह है कि जिन लोगों ने आवेदनपत्र दिये उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया टैक्स लेंगे या नहीं ?

श्री **दौलतराम सारण** : टैक्स के नहीं लगने का सवाल ही नहीं । टैक्स तो अवश्य लगेगा । टैक्स अनिवार्य है, जरूर लगेगा; लेकिन सवाल यह है कि कौन कौन उस केटेगरी में आ सकते हैं, इसके लिये असेसमेंट हो रहा है ।

श्री **रामकिशन** (बैर) : ज्यादा जोर से बोलने से कोई फर्क थोड़े ही पड़ता है ।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : आपको अपनी शेहत का ख्याल रखना चाहिए ।

बिजली उत्पादन तथा ट्रान्समिशन के साधन

७५५. **श्रीमतीलक्ष्मी कुमारी चूडावत** (भीम) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्त में सतपुडा, भाखरा और प्रतापसागर की बिजली का उत्पादन

Page No.29

(श्रीमति लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)
भारी मात्रा में राज्य को उपलब्ध हो जायगा ?

(२) यदि हां, तो उस बिजली को पहुंचाने के लिये ट्रान्समिशन लाइन बनाने के कार्य के लिये पूरे साधन उपलब्ध किये गये हैं या नहीं ?

(३) तृतीय योजना के अन्त तक क्या ट्रान्समिशन लाइन का कार्य सम्पन्न कर लिया जायगा ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं ।

प्रश्न संख्या ७५६

श्री **अध्यक्ष** : श्री मोहनलाल सारस्वत

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७५७

श्री तेजाराम गहलोत ।

(अनुपस्थित)

श्री जयलाल ।

चम्बल विद्युत चौमेला तथा डग

७५८. श्री **जयलाल** (डग) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

क्या चौमेला और डग में चम्बल की बिजली देने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक वहां बिजली दी जायगी ?

श्री **उप-मंत्री, कृषि** (श्रीमती कमला बेनीवाल) :

जी नहीं ।

नकबजन गोपाल धाकड

७५९. श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि वर्ष १९६२-६३ में पुलिस बारां ने बारां क्षेत्र के कुख्यात नगबजन गोपाल धाकड के कपड़ में मिट्टी का तेल डालकर उसको झुलसा दिया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस मामले की कोई जांच हुई है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

(ख) क्या उक्त धाकड का मैडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया ? यदि हां, तो कहां ? कृपया एम.इ.की रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उप-मंत्री गृह (श्री भीमसिंह) : (क) जी नहीं। किन्तु गोपाल धाकड बारां थाने के एक नकबजनी केस में थाना छीपा बडोद पर पुलिस हिरासत में था। तारीख ११-५-६२ को जब गोपाल दाल बना रहा था उसने दाल का उबलता पानी स्वयं के शरीर पर आत्म हत्या करने के लिए डाल दिया। उसे १२-५-६२ को छबडा लेजाया जाकर डाक्टर द्वारा इलाज कराया गया एवं इस वाक्ये का मुकदमा नं० २५ जुर्म दफा ३०९ ता. हि, में कायम किया जाकर ता ९-६-६२ श्री गोपाल का चालान पेश किया गया। यह मुकदमा जेर तहकीकात अदालत है।

(ख) जी हां, मेडिकल ऑफिसर छबडा द्वारा मुआयना कराया गया था । नकल मेडिकल रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री भीमसिंह)

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री **भैरोंसिंह**: यह आप नर्णय पर कैसे पहुंचे कि दाल बनाते हुए उसने गरम पानी अपने पर डाल लिया।

श्री **भीमसिंह**: इसके बारे में मेडिकल रिपोर्ट है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर), जेल हिरासत में खुद खाना बना सकता है क्या?

श्री **भीमसिंह** : जेल में नहीं था, पुलिस हिरासत में था जहां तक खाना बनाने का सवाल है उसको सप्लाई दे सकते हैं और उससे खाना खुद बना सकता है।

श्री **भैरोंसिंह**: नियमों के अनुसार पुलिस हिरासत में जो चोरी के मामले में पकडा गया हो उसको खाना बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती?

श्री **भीमसिंह**: नियमानुसार ही इजाजत दी गई है।

श्री **भैरोंसिंह**: मुझे अफसोस है कि पुलिस के मामले को उप मंत्री महोदय दबाते हैं। यह असंभव सी चीज है जिससे चोरी के बारे में रिकवरीज की जा रही हो वह व्यक्ति दाल का पानी लेकर अपने पर डालकर जल जाना चाहता हो। मुझे तो इस सूचना पर दया आती है। ऐसी इन्फोंमेशन आपको दी जाती है। आप कम से कम पुलिस का पक्ष न लेकर कम से कम उस गरीब का भी पक्ष लें जिसको झुलसा दिया गया। मानवता के नाते इन्सान के के नाते आप उस चीज को देखें।

श्री **भीमसिंह**: मुझे जिस प्रकार की सूचना दी गई है वह मैंने आपके सामने रख दी

श्री **भैरोंसिंह**: मैं खुद उस आदमी से मिलकर आया हूं। वह दाल के पानी से जला हुआ नहीं है। डाक्टर ने लिखा है यह भी सही नहीं है। उसके फफोले इतने बड़े हैं कि जिसको पानी से झुलसा हुआ हर्गिज नहीं मान सकते। पानी से जले हुए पर लाल सूजन सी आ जाती है।

श्री **मथुरादास माथुर**(गृहमंत्री): मेडिकल रिपोर्ट जो है वह अदालत में प्रस्तुत है। उसी के आधार पर हम कहते हैं। अब आप ही बताइये, अगर मेडिकल मुआयना नहीं किया होता तो आप कह सकते थे। जब मेडिकल रिपोर्ट है तो उसके बाद में क्या कर सकता हूं।

श्री **भैरोंसिंह**: आपके यहां तो यह बात तक हो जाती है, मर्डर हो जाता है, लेकिन हॉस्पिटल के डाक्टर रिपोर्ट देते हैं कि मर्डर नहीं है इसलिये आजकल रिपोर्ट झूठ देना भी करप्शन हो गया है; इस पर भी चेक लगाने की आवश्यकता है विजयकरण का मामला इसी प्रकार का था?

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना) क्या गृह मंत्री महोदय को यह विश्वास हो हो गया था कि यह बात जो कही गई है वह सच थी?

श्री मथुरादास माथुर: अविश्वास करने का कोई दूसरा पहलू ही नहीं था।

श्री **भैरोंसिंह**: क्या आप इसके बारे में कम से कम जानकारी तो कर लेते?

Page No.31

श्री मथुरादास माथुर: लोग जब जुल्म कर लेते हैं तो पुलिस की कस्टडी में होते हुए आत्म हत्या तक कर लेते हैं । कई पुलिस की जीप से कूद कर आत्म हत्या करने की चेष्टा करते हैं। इसी तरह से इस शख्स को भी जब खाना बनाने के लिये सामान दिया गया तो वह भी दाल के पानी को डाल कर आत्म-हत्या करना चाहता होगा अन्डर ट्रायल्स में भी यह हो जाता है। खाना पकाना कोई कानून के खिलाफ नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह: आप तो हमे रूल्स बता दीजिये कि जो व्यक्ति चोरी के मामले में पकडा गया हो जिसमें रिकवरीज तलब हो ऐसे व्यक्ति को खाना पकाने की इजाजत दे सकते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : अन्डर ट्रायल खाना नहीं बना सकता, यह मुमानियत भी नहीं है। आप क्या कहते हैं कि पुलिस ने उस पर तिजाब डाल कर जला दिया , यह सवाल तो मेरे सामने नहीं था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) इसकी दुबारा जांच करने की कोशश करेंगे कि क्या उसने बयान दिया है कि क्या उसने आत्म हत्या करने के लिये ऐसा किया था ?

श्री भैरोंसिंह: उसके खुद के बयान नहीं। दाल के पानी से मर नहीं सकता तो खुदकशी की उसकी नीयत नहीं। दाल के पानी से केवल फफोले हो सकते हैं कोई यह चेष्टा करे कि मैं दाल के पानी से मर जाऊंगा तो तो यह मानने लायक नहीं। जहां तक पुलिस कस्टोडी में है उसके पास खाना पकाने के लिये बरतन भी होंगे क्या पुलिस के पास इसकी व्यवस्था रहती है ?

श्री मथुरादास माथुर: राशन पुलिस सप्लाई कर देती है। हम राशन दे देते हैं। बरतन भी मुहैया हो सकते हैं यदि खाना पकाना चाहे जैसे श्रीमाली ब्राह्मण पकडा जाय वह कहे कि मैं किसी के हाथ का खाना नहीं खाता ।

श्री भैरोंसिंह: यहतो धाकड है।

श्री मथुरादास माथुर: इस पर्टिकुलर केस के अन्दर जो मेरे पास फेक्टस थे वे मैंने सदन के सामने रख दिये।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, एक सिपाही को और एक कैदी को छ आने के पैसे मिलते हैं: चार आने का तो आटा दो आने में मिर्च मसाला और दाल आदि सब खरीदते हैं। आधा पाव दाल में ज्यादा से ज्यादा पाव भर या आधा सेर पानी डालता होगा। उस आधा सेर पानी में वह मरने की तैयारी कर ले ? इस मामले की पुनः जांच कराई जाय, इसमें उस गरीब के साथ ज्यादती हुई है।

श्री मथुरादास माथुर: तो क्या आप यह कहते है कि पुलिस ने इस आदमी को जलाया ?

श्री भैरोंसिंह: पुलिस ने उसे जलाया है मिट्टी के तेल से जलाया है।

श्री मथुरादास माथुर: डॉक्टरी रिपोर्ट में तो यह नहीं है। फिर भी मैं इसकी दुबारा जांच कराने के लिये तैयार हूं। मगर यह कह देता हूं कि दुबारा जांच करने में भी मेडिकल रिपोर्ट पर ही निर्णय करना होगा।

श्री भैरोंसिंह: आप इसके लिये मेडिकल बोर्ड बिठा कर जांच करवाइये कि इसको

Page No.32

(श्री भैरोंसिंह)

पानी से जलाया गया या तेल से जो फफोले हुए हैं वह दाल के पानी के कारण हुए हैं या किसी अन्य प्रकार से जो निशानात देखे जांय तो ऐसा पता चलता है कि पानी से वे हो नहीं सकते।

श्री **मथुरादास माथुर**: फिर से जांच कराउंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): इसके संबन्ध में टैक्निकल रिपोर्ट ली जा सकती हैं।

प्रश्न संख्या ७६०

श्री **अध्यक्ष**: श्री पुरोहित (अनुपस्थित)

वैर बल्लभ वाया हात्योली सडक का निर्माण

७६१. श्री **सांवलियाराम** (रूपवास): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या वैर से बल्लभगढ वाया हात्योली सडक जिसका स्टेट के समय का सर्वे हो चुका है अब सरकार निर्माण कराने का विचार रखती है?

(२) यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) (१) ऐसा कोई प्रस्ताव योजना में विचाराधीन नहीं है।

(२) अर्थाभाव के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह सडक नहीं ली जा सकती है।

नगरपालिका कुचामन के हिसाब का ऑडिट

७६२. श्री **हनुमानसिंह चौधरी** (नावां): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या नगरपालिका कुचामन के माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, १९५९ के समय का हिसाब का बोर्ड की मांग पर लोकल फण्ड ऑडिट द्वारा स्पेशल ऑडिट किया गया था?

(२) यदि हां, तो कितनी कितनी रकम किन किन व्यक्तियों में वसूली के लिये बकाया निकाली गई? सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त बकाया रकम को वसूल करने के लिये निर्देशक स्थानीय निकाय, जयपुर के आदेश नगरपालिका कुचामन के अध्यक्ष को प्राप्त हो गये थे और बोर्ड ने अपने ६१-६२ के बजट में ६ हजार रुपये स्पेशल ऑडिट वसूली से आय के प्रावधान में शामिल किये थे जिसमें से ३४०२.१० नये पैसे मौजूदा उपाध्यक्ष, श्री प्रकाशचन्द्र आर्य में ही बकाया निकलते हैं?

(४) यदि हां, तो आज तक यह वसूली क्यों नहीं की गई, और इसके लिये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) (१) जी हां।

(श्री दौलतराम सारण)

(२) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(३) जी हां।

(४) वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परशिष्ट ३ देखिये)

श्री हनुमानसिंह चौधरी: छः हजार की वसूली में से केवल ३० रु. वसूल हुए तो इतना विलम्ब क्यों हो रहा है?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट

हत्या की घटनाएं, जिला चित्तौडगढ़

७६३. **श्री चतुर्भुज उपाध्याय** (चित्तोडगढ): क्या गृह-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चित्तोडगढ जिले में गत साल व इस साल कितनी कत्ल की घटनाएं हुई हैं?

(२) इस साल के कितने मुलजिमों के अदालत में चालान हुए और उनमें से कितने सजायाब हुए?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) (१) चित्तोडगढ जिले में जनवरी सन ६२ से २४ मार्च सन् ६३ तक कत्ल की २० घटनाएं हुई।

(२) इस वर्ष में केवल तीन मुकदमें दर्ज हुए और ये तीनों जेर तफतीश हैं।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय: ये तीनों कहां के थे? वे आदमी कौन-कौन मारे गये?

श्री भीमसिंह: नाम तो मेरे पास नहीं हैं।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय: भूदरणा, में मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई उसका चालान हो गया?

श्री भीमसिंह मेरे पास इन्फोर्मेशन है केसों के नम्बर की नाम नहीं दिये हैं। जानना चाहेंगे तो दुबारा इन्फोर्मेशन दूंगा।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय: क्या यह पुलिस-मैन मारा गया गंगरार तहसील का?

श्री भीमसिंह आपने नाम नहीं पूछा, पूछते तो जानकारी करता। आपने तो केवल संख्या पूछी?

श्री चतुर्भुज उपाध्याय: क्या इसकी कार्यवाही, जांच कराई जावेगी?

श्री भीमसिंह: जरूर कराई जावेगी।

१९६२-६३ के राष्ट्रीयकृत मार्ग

७६४. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) १९६२-६३ में कौन-कौन से रूट्स नैशनलाइजेशन में ले लिये गये हैं?

(२) क्या उन सब पर सरकारी गाडियां लगा दी गई है?

(३) यदि नहीं, तो कौन-कौन से रूटस पर नहीं लगाई तथा उसका क्या कारण है?

उप-मन्त्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल): जयपुर, देवली, कोटा, अजमेर, बिलाडा- जोधपुर, जोधपुर पाली-सुमेरपुर अलवर-दिल्ली, अलवर मुबारिकपुर।

(२) जी हां।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

(शेष तारांकित प्रश्नोतरों के लिये कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

१ (१२८।एच. एम.) श्री भैरोंसिंह, (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) अजमेर जिले में १–१–६२ से लेकर अब तक किस-किस पुलिस कर्मचारी को कब २ किस २ अधिकारी द्वारा मुअत्तिल किया गया और क्यों ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) इन मुअत्तिल किये गये कर्मचारियों को कब-कब चार्ज शीट दी गई और इनकी डी. ई. कब २ पूरी हुई और उसका परिणाम क्या-क्या रहा और उस परिणाम के अनुसार किस किसके संबंध में कब २ क्या २ हुक्म हुए ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

उत्तर

(क) सूचना संलग्न सूची (अ) में है।

(ख) सूचना संलग्न सूची (ब) में है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

२ (२३।ई. एम.)—श्री भीमसेन, (लूणकरणसर) : क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर दन की कृपा करेंगे:—

(१) भूतपूर्व रियासतों के समय से किन २ उद्योगों को किस दर से स्टट पावर हाउसेज से बिजली दी जा रही है ? जिस समय उन उद्योगों को बिजली देने का इकरारनामा किया गया था, उस समय उन पावर हाउसेज में बिजली उत्पादन प्रति यूनिट पर कितना खर्चा आता था ?

(२) अब बिजली का उत्पादन व्यय उस समय के मुकाबले में कितना प्रतिशत बढ गया है ? क्या यह सही कि उपरोक्त श्रेणी के उद्योगों को अभी भी उसी रेट पर बिजली दी जा रही है ?

उत्तर

Part I. At the time of former princely States, the rates for the electric power varied from one State Power House to another. The rates for industrial consumers ranged from two to three annas in comparatively bigger power stations and from three annas to four annas in comparatively smaller power stations. Further, certain concessional rates had been offered by the various power stations of the former princely States. To illustrate, concessional rate was given in the former Bikaner State to Shri Sadul Textiles at a rate of annas two per unit. At Bikaner, Water Works, Railways and Palana Collieries were allowed a concessional rate of one and half anna per unit net. Since no commercial accounts were being generally maintained in the-power Stations of the erstwhile princely States, it is rather difficult to indicate the cost of production per unit generated at the time when Agreements, if any, had beeen got executed for the various industrial supplies. Generally, it may be stated that practically the power stations were not running in profit keeping in view the operating expenditure plus depreciation in comparison to the total revenue.

Part II. A comparison in regard to the percentage increase in the cost of generation is not possible since authentic basic data of the cost of production as it was in the

Page No.35

(श्री भीमसेन)

power stations of the erstwhile princely states is not available for comparison as indicated above in reply to Part I of this question.

As regards the continuance of such concessional rates to such category of consumers or industrial consumers, it can be generally stated that except in cases where specific agreement existed between the party and the erstwhile princely State Governments, the rates have been revised to be in consonance with and in accordance with our present tariff. Were specific provision in the agreement with the erstwhile princely States Governments, existed, power supply at such rates is being generally made available. Furthermore, where a revision in tariff has taken place due to switching over from Thermal to Hydel supplies, the relevant hydel tariffs have been enforced except in cases where certain concessional rates had been offered earlier (after formation of the Rajasthan). Since the name of the industries have been not specifically cited, it is rather difficult to correctly reply whether the concessional rates, as existed at the time of the former princely States, are still being continued or not.

३ (४०।एच. एम.)—श्री विजयसिंह झाला, (नाथद्वारा) : क्या जन संपर्क मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सरकार ने पांच वर्षों में सबसे अधिक विज्ञापन किन समाचार पत्रों को दिया है उनमें प्रथम दस का नाम सदन के समक्ष रखें जिन्हें सबसे अधिक रकम दी गई ? कृपया यह भी बतायें कि कितनी रकम विज्ञापन की उन्हें चुकादी गई ?

(ख) उदयपुर डिविजन में जनवरी, १९६१ से लेकर दिसम्बर, १९६२ तक किन २ समाचार पत्रों को कितने २ रुपयों का विज्ञापन दिया गया ? प्रत्येक समाचार पत्र को माहवार कितने रुपयों का विज्ञापन दिया गया ?

(ग) क्या इन समाचार पत्रों को विज्ञापन की कोई रकम चुकाना बाकी है ? यदि हां, तो कितनी तथा किस २ को ?

उत्तर

सूची "क" सदन के समक्ष रख दी गई है।

सूची "ख" सदन के समक्ष रख दी गई है।

सूची "ख" में इसका विवरण दिया हुआ है।

कृपया परिशिष्ट ९ देखिये।

४ (२७८।पी. डब्ल्यू. एम.)—श्री हरि किशन (राजगढ़):—क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में भाप से (Thermal power) व पानी से (हाईडल पावर) बिजली की कितनी २ उत्पादन क्षमता है।

(श्री हरिकिशन)
तथा वर्तमान में कितनी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, तथा बिजली घरों की क्षमता के अनुसार बिजली का उत्पादन न होने के क्या कारण हैं ?

(२) इस वर्ष कितनी २ बिजली उद्योग, खेती व रोशनी को देने के लिये निर्धारित की है तथा निर्धारित योजना के बावजूद कितनी बिजली उद्योगों में खेती में तथा रोशनी में खर्च हो रही है तथा कितनी मात्रा में बिजली काम में नहीं लाई जा रही है उसका क्या कारण है ?

(३) राजस्थान में टरबाईन सैट व डीजल इंजिन कहां कहां बन्द खडे हैं तथा उनकी बिजली उत्पादन की क्षमता कितनी कितनी है, तथा सरकार द्वारा इनके उपयोग करने के बारे में क्या नीति अपनाई गई है तथा सरकार को इनके बन्द रहने से आपकी दृष्टि से कितनी वार्षिक हानि है ?

(४) क्या सरकार ने बिजली की आवश्यकता के आधार पर राजस्थान में जिलेवार व तहसीलवार सर्वेक्षण करा लिया है ? यदि हां, तो जयपुर, अलवर, व सवाई माधोपुर जिलों में कितनी बिजली, खेती के लिये उद्योगों के लिए तथा रोशनी के लिए आवश्यकता पडेगी ? यदि नहीं, तो इन जिलों में क्या सरकार बिजली की मांग के बारे में सर्वेक्षण कराना आवश्यक समझती है ?

(५) यह सही है कि राजस्थान में अधिकतर अलवर, जयपुर व सवाई माधोपुर जिलों में खेती की सिचाई कुओं द्वारा की जाती है तो संकटकालीन समय में अधिक अन्न उत्पादन के लिये क्या सरकार ने इन जिलों में खेती के लिए बिजली देने की योजना प्राथमिकता के आधार पर तैयार की है या तैयार करने का विचार है ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

(६) यह सही है कि विद्युत मंडल ने राजस्थान के बिजली के विकास के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर विद्युतिकरण की योजना नहीं बनाई है तथा जहां खर्चे के मुकाबले में जहां रोशनी के अलावा खेती व उद्योगों के विकास की संभावना नहीं है और जहां बिजली की खपत नहीं है उन स्थानों व क्षेत्रों को पहली व दूसरी पंच वर्षीय योजनाओं में बिजली पहुंचाई है ? जिस योजना से खर्चा अधिक व आमदनी कम है तथा जिन क्षेत्रों से खेती व उद्योगों का विकास होने की अधिक संभावना है उन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर वंचित रखा गया है। क्या सरकार तीसरी पंच वर्षीय योजना में बिजली प्राथमिकता के आधार पर ऐसे क्षेत्रों में पहुंचाने को तैयार है, जहां खेती का विकास व औद्योगिक विकास के लिये बिजली की अधिक मांग हो तथा अधिक मात्रा में बिजली का सदुपयोग किया जा सके ?

(७) पहली व दूसरी पंच वर्षीय योजनाओं में तथा तीसरी पंच वर्षीय योजना के पहले २ सालों में किन २ जिले व स्थानों में बिजली पहुंचाई है उसकी सूची दी जावे तथा जिलेवार बिजली पहुंचाने में कितना-कितना खर्चा हुआ है तथा कितनी-कितनी सालाना आमदनी अब तक हुई है उसकी पूरे विवरण सहित स्टेटमैन्ट देने की कृपा करें ?

(८) क्या यह सही है कि भाखरा व चंबल परियोजनाओं से राजस्थान सरकार अपने

(श्री हरिकिशन)

हिस्से के अनुसार अपने प्रदेश में व मुकाबले पंजाब व मध्य प्रदेश सरकार के योजनानुसार विद्युतिकरण नहीं कर पाई है तथा योजना के टारगेट से पीछे रही है इसका क्या कारण है ? क्या सरकार योजना का टारगेट तीसरी योजना को अवधि में पूरा कर सकेगी ?

उत्तर

(1) The aggregate derated capacity in regard to thermal & diesel plants is 42849 kw. As regards hydel power, no generation is done in Rajasthan State but being partners, we have our share to the extent of 31,500 kw. and 17,000 kw. from Chambal & Bhakra Schemes respectively. At present generation from the plants is being done to the optimum capacity after allowing for the Stand-by Units and derated capacity except in such power stations where the hydel supply has been fully or particially made available. Such power stations where full hydel supply has been made available thermal plants are not being operated.

(2) It is not possible to make specific reservation of the quantum of electric energy during any year for various categories of loads such as industries, agricultural, lighting etc. The electric supply would be a function of the demand as it comes from each category of consumer or load. In regard to hydel supply from Chambal, we are utilising our share in full.

As regards supply from thermal stations except wh ere hydel supply hasbeen made available or in case of Bharatpur, the demand is mostly exceeding the firm generating capacity and hence the question of Nom-utilisation of available power at such stations does not arise. In the regions served by the Bhakra Nangal Project, maximum demands to the extent of 13,000 kw. have been observed and the balance power is likely to be consumed during this financial year in view of the pending demands and natural load growth during this year. Some power has also been reserved for Khetri Copper Smelter.

(3) The names of places where Steam-Turbo-Alternator Sets and Diesel Generating Sets are not operating in view of the hydel suppl

(श्री विद्युत् मंत्री)

haping been made available are given below with their firm generating capacity:—

Locality				Firm capacity
1. Jaipur	..	..	..	8.4 M. W.
2. Bikaner	..	..	..	1.5 M. W.
3. Kotah	..	..	..	1.0 M. W.

(ii) Diesel Engineer.

S. No. Locality				Derated capacity
1. Jhalawar	..	..	..	180 K. W.
2. Bhawanimandi	..	..	..	11 K. W.
3. Bundi	..	..	..	175 K. W.
4. Kotah	..	..	..	100 K. W.
5. Chittorgarh	..	..	..	280 K. W.
6. Kishangarh	..	..	..	265 K. W.
7. Tonk	..	..	..	460 K. W.
8. Bhilwara	..	..	..	1010 K. W.
9. Bikaner	..	..	..	885 K. W.
10. Ratangarh	..	..	..	280 K. W.
11. Nawalgarh	..	..	..	260 K. W.
12. Sri Ganganagar	..	..	..	320 K. W.

The diesel generating sets at the above mentioned stations were required to be operated as 'Stand-by plants' either at the time of peak loads or in the event of a sustained lines fault. It has also now become necessary to operate some of the steam plants at Jaipur, in view of the peak demands being more than the exteting available hydel supply in the Rajasthan Region served by the Chambel Hydel Schemes. In regard to the thermal plants, some generating capacity will be kept to supplement the hydel power supply and to serve as 'Stand-by' in case of emergency. Some of such plants,

Page No.39

(श्री विद्युत मन्त्री)

which have already out lived their useful lives, are going to be disposed of in accordance with the prescribed procedure. It may be stated that generally no financial loss has accrued by not operating such plants since power from alternative sources "hydel" has been available at Comparatively Power cost.

(4) A detailed load survey in the various districts of Rajasthan has been carried out by the Central Water & Power Commission as a ' National Project.. In such survey, most of the tehsils were also considered. Such load survey by the Central Water & Power Commission has been further supplemented by survey of Comparatively smaller localities by our survey & Investigation Unit. It may be stated that still there are some localities left in various districts of Rajasthan where they survey is to be conducted. Such survey is being progressively carried out. List of villages as surveyed in Jaipur Alwar & Swai Madhopur District is appended herewith. The details of the anticipated demands for various type of loads in Jaipur, Alwar and Swai Madhopur districts are appended herewith.

(5) It may be stated that Alwar, Jaipur & Swai Madhopur districts are one of those districts where there is adequate potential for agricultural load. The State Government and the Rajasthan State Electricity Board have given due consideration and important in catering to such power demands as should enhance agricultural production.

Keeping in view the availability of funds, such programme has been planned so as to take up as far as possible such schemes which are remunerative and/or are also closs to our existing power system upto a voltage of 33 KV only (exclusive 66 kV and above). Further schemes for this purpose are also under investigation.

(6) No. The schemes were prepared on the basis of the technical feasibility & remunerative-ness and were got approved both at the levels of State Government and Central Government. Due consideration had been also given to each power system as was existing at that time, for purpose of emenating transmission lines and also to renovate and augment the power stations, transmission and distribution systems as were existing at that time. Due consideration is also being given now for electrification of such localities which even though located at distance but have population of 5,000 and above. Similar localities which are close to each

(श्री विद्युत मंत्री)

power system are being considered. The Board has been ear-marking the funds to the tune of Rs. 40 to 50 lakhs per year towards rural electrification and development of agricultural load. Such schemes are taken up for execution which on the basis of the load survey and the relevant estimates are found to meet the criteria prescribed for being productive.

(7) List of the localities as have been electrified upto August, 1963, from the commencement of the First Five year plan is appended herewith. As regards the revenue realised from each such locality, it is not possible to furnish the details. However, a statement showing the revenue, as realised for the year 1962-63 from a group of localities, falling under the jurisdiction of each division is appended herewith (subject to re-conciliation).

(8) Some delay had been caused in the execution and completion of the portion of Bhakra & Chambal Schemes as far as they relate to Rajasthan. Such delay was unavoidable on account of various difficulties in regard to the availability of equipment and material particularly that of steel. The first stage of the Chambal Hydel and Scheme similarly the pre-Bhakra Stage of the Bhakra Nangal Project has been completed and commissioned.

(संलग्न सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

५—(३७।आई. ए. एम.)– श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, (रायसिंह नगर):—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) गंगनहर की फीडर्स माइनस और डिस्टब्यूटरीज १९५८ से १९६३ तक कितनी बार टूटी है ? नहर के नाम के साथ संख्या सूचित करें ?

(२) नहरें टूटने के क्या क्या कारण रहे है कितने गांव पर नहर टूटने के तावान कायम हुए ? १९५८ से ६३ तक के केस नाम सहित सूचित करें ?

(३) नहरी विभाग गंगानगर द्वारा १९५८ से ६३ तक कितने तावान केस बनाये गये हैं ? तथा किन किन कारणों से किस किस किसान पर बनाये गये हैं ?

सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(४) क्या परम्परागत पुराने खालों और नक्कों पर भी केस कायम किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने तथा कहां कहां ?

(५) क्या ७२ एल. एन. पी. तथा ७३ एल. एन. पी. के मोगों के बीच नहर टूटने का केस बनाया गया था ? यदि हां, तो यह केस किस पर बनाया गया ? क्या इस केस में तावान कायम किया गया ? यदि हां, तो क्या तावान की वसूली हुई ?

उत्तर

(१) कट और ब्रीच की सूची सदन में प्रस्तुत है जिसमें पूरी सूचना दी गई है ?

(२) उपरोक्त नक्शे में टूटने का कारण भी।

(३) और नाम दिये गये हैं। जिन गांवों पर नहर तोडने का तावान कायम हुआ और लगा, उसकी भी फहरिस्त शामिल है। सन् १६५८ से १६६३ तक तावान केसों की फहरिस्त साथ शामिल है।

(४) जो खाले और नाकेजात नहरी रेकार्ड में मंजूरशुदा नहीं हैं वे नाजायज हैं और इरिगेशन एक्ट के अनुसार तावान के काबिल हैं और उन पर हस्ब कायदा तावान लगाया जा सकता है। उपरोक्त नक्शे में यह सूचना भी शामिल है।

(५) इस मामले की उचित जांच की गई। तथ्यहीन होने के कारण आगे कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा, पुस्तकालय में रखी गई)

६-(२।यू. एम. क्यू.)—श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राज्य सरकार ने किस किस नगरपालिका को कब कब और कितना कितना अनिवार्य रूप से गृह कर लगाने के आदेश दिये हैं ?

(ख) किस किस नगरपालिका ने अब तक कितना कितना टैक्स लगा दिया है ?

(ग) जिन नगरपालिकाओं को यह आदेश दिये गये हैं उनमें क्या इस वर्ष तथा पिछले वर्ष में घाटे का बजट बनाया है ? यदि हां, तो किस किस नगरपालिका ने और कितने कितने घाटे का ?

उत्तर

(१) नगरपालिका जयपुर, अजमेर, ब्यावर एवं आबूरोड को छोडकर समस्त नगरपालिकाओं पर दिनांक ३०-६-६२ को दिनांक १-१०-६२ से कृषि भूमियों को छोडकर शेष संपूर्ण भवन व भूमियों पर नीचे लिखी दरों से भवन व भूमि कर लगाया है:—

वार्षिक किराये का मूल्य	कर की दर
१८० रु० से ३०० रु० तक	४ प्रतिशत
३०० रु० से ऊपर एवं ६०० रु० तक	५ प्रतिशत
६०० रु० से ऊपर एवं १,२०० रु० तक	६। प्रतिशत
१,२०० रु० से ऊपर ..	७।। प्रतिशत

(२) इस कर को वसूल किये जाने के लिये शुरू की आवश्यक कार्यवाहियां की जा रही हैं तथा राज्य सरकार के संशोधन अधिकारी (Amending officer) द्वारा निर्णय लिये जाने की आखिरी तिथि ३०-४-६३ निश्चित है।

(३) पालिकाओं के बजट में गृह-कर की आय को सम्मिलित करते हुए उनके बजट स्वीकृत किये गये हैं जिनमें कोई बजट घाटे का नहीं है। केवल जोधपुर नगरपरिषद् का सन् १९६२-६३ में २५,४००) रुपये का एवं सन् १९६३-६४ में ३,४८,१५४) रुपये के घाटे का बजट स्वीकृत किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल यादव।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति १९६२-६३ के प्रतिवेदन का उपस्थापन

Page No.42

श्री अमृतलाल यादव (सभापति आश्वासन समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, १९६२-६३ समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थान करता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : जरा जोर से साहब, सुनाई नहीं देता।

राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण १९६३-६४ का उपस्थापन

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, १९४८ की धारा ६१(३) के अन्तर्गत, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) १९६३-६४ का उपस्थापन करता हूं।

राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६३ (पुरःस्थापन)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मंत्री, राजस्व): मैं राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मनी लैण्डर्स बिल, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

कोटा में दिल्ली क्लाथ मिल्स की कास्टिक सोडा फैक्ट्री के प्रबंधकों संबंधी ध्यान आकर्षित करना।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत कोटा में दिल्ली क्लाथ मिल्स की कास्टिक सोडा फैक्टरी के प्रबन्धकों द्वारा रामपुरा नदी में कास्टिक सोडा सम्मिलित किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग) : यह सही है कि रामपुरा नदी में कुछ मछलियां मारी गई और कुछ पशु भी मारे गये हैं। इस प्रकार की जानकारी नहीं है कि वहां के पानी में हाथ पांव धोने से आदमियों के फफोले पड गये हैं। इन सारी बातों की कलैक्टर, कोटा जांच कर रहे हैं। संभवतः उनकी जांच की रिपोर्ट दो तीन दिन में मिल जावेगी। यह जांच पब्लिक हैल्थ इंस्टीटयूट ऑफ गवर्नमैन्ट ऑफ इण्डिया के अधिकारी व फिशरीज के आफिशियल्स भी काम कर रहे हैं और वे इस नदी के पानी के सैम्पल भी ले आये हैं। उसकी जांच की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

इस बीच डी. सी. एम. के कास्टिक सोडा प्लाण्ट के प्रबन्धकों को भी इस बात के आदेश दे दिये गये हैं कि वे अपना पानी इस नदी में डिस्चार्ज करने से पहले न्यूट्रिलाइज कर दें और संबंधित प्रबन्धकों ने इस बात का आश्वासन भी दिया है कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जावेगा; पहले भी उन्होंने ध्यान रखा है, आगे भी रखेंगे।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : क्या इस प्रकार की कार्यवाही एक फैक्टरी द्वारा करना, यह एक क्रिमिनल ऑफेन्स नहीं है ?

श्री चंदनमल बैद : अभी तो जांच हो रही है कि आया उनके पानी के डिस्चार्ज

(श्री चन्दनमल वैद)

करने से ऐसा हुआ है या और किसी कारण से हुआ है ? वहां का पानी लाये हैं और गवर्नमेंन्ट ऑफ इंडिया के पब्लिक हैल्थ इन्स्टीटयूट के अफसर भी गये हैं, हमारे फिशरीज डिपार्टमेन्ट के अफसर भी गये हैं; वे भी सैम्पल लाये हैं। तो जब तक पानी की रिपोर्ट और कलेक्टर की जांच की रिपोर्ट नहीं मिल जाती तब तक हम निश्चित रूप से कैसे कह सकते हैं कि यह पानी डालने से ही हुआ है।

श्री रामानंद अग्रवाल : अब इस पानी को साफ करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्लान्ट के अधिकारियों से कह दिया गया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वे अपना पानी पूरी तरह से न्यूट्रिलाइज करके छोड़ेंगे। उनका यह भी कहना है कि पहले भी न्यूट्रिलाइज करके ही छोड़ा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मछलियां मरी हैं और पशु भी मरे हैं, यह बात भी उन्होंने मानी है। मैं तो अब यह पूछ रहा हूं कि यह जांच तो वे करेंगे कि यह किसके कुसूर के कारण से हुआ, पर इसके पहले जो पानी इस तरह का है उसको ठीक करने और इस तरह की दुर्घटनाएं और न घट जायं इसके लिये क्या किया है।

श्री चन्दनमल वैद : कलैक्टर कोटा को सारी जानकारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने इसके लिये जरूर आवश्यक कदम उठाये होंगे। उन्होंने लोगों को आगाह कर दिया होगा कि वे इस पानी को काम में न लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस विश्वास पर आप कह रहे हैं, पर यह जानकारी आपने अभी तक हासिल नहीं की या नहीं दी गई यह जानकारी आपको अभी तक कि क्या कदम उठा लिये गये हैं इस तरह की दुर्घटनाएं आगे से रोकने के लिये ?

श्री चन्दनमल वैद : तो मैं निवेदन कर चुका हूं कि जांच कलैक्टर, कोटा के द्वारा की जा रही है। अब केवल टेलीफोन पर तो सारी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस क्वैश्चन का पर्पज ही यही था। बहरहाल गलती की है, यह तो इन्क्वायरी की बात रही' सजा उसको मिले या नहीं मिले, यह उस पर निर्भर करता है एन्क्वायरी की रिपोर्ट पर और उस पर इस सरकार के निर्णय पर, पर अब आगे से मछलियों को, पशुओं को और इन्सानों को इस प्रकार से और नुकसान न पहुंचे, इस बारे में जो आवश्यक कदम उठाये गये हैं उनकी जानकारी तो उनको अवश्य करनी थी और वह यहां देनी थी। सरकार इस मामले में फौरन कदम उठाये कि कम से कम पोल्यूटैड वाटर को साफ करने के लिये कोई उपाय किये जायं।

श्री अध्यक्ष : यह बहुत ही गंभीर बात है, यह माननीय मंत्री महोदय स्वयं स्वीकार करते हैं। मछलियां और पशु भी मारे गये और इसका संबंध फैक्टरी से भी हो सकता है और अन्य कारणों से भी हो सकता है। न्यूट्रिलाइज तो पानी उन्होंने अब तक भी किया और आगे, भी करते रहने का आश्वासन दिया है; पर आगे से तत्काल इसे रोका जावेगा या उस पानी को ठीक करने का प्रबन्ध किया

Page No.44

(श्री अध्यक्ष)
जावेगा इसके लिये आश्वासन दिया जावेगा क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : वह तो हमारे फिशरीज के अफसर वहां गये, वे नमूना पानी का लेकर आये, गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के पब्लिक हैल्थ रिसर्च इंस्टीटयूट के अधिकारीगण गये वे भी नमूना लाये हैं, जांच करा रहे हैं और कलैक्टर से हम अलग से जांच करा रहे हैं। मैं स्वयं जानता हूं कि अगर फैक्टरी के कारण से वह पानी अगर पोल्यूटराइज हुआ है तो वह कारण जानें और अगर दूसरे कारण से है तो उसका इन्तजाम किया जावे। मैं खुद चाहता था और कोशिश भी कर रहा हूं कि कोई भी कमी पाई जावेगी तो निश्चित रूप से उचित आदेश दिये जावेंगे इसको आगे रोकने के लिये।

म्युनिसिपल बोर्ड दौसा में हुई अनियमितताओं संबंधी ध्यान आकर्षित करना

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, नियम १२७ के अन्तर्गत अविलम्ब चर्चा लोक महत्व संबंधी कि म्युनिसिपल बोर्ड दौसा की जो अनियमिततायें हैं उनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसकी आवश्यकता इसलिये पडी कि गत बजट सैशन में व गत अक्टूबर के सैशन में मैंने इस बोर्ड की अनियमितताओं के लिये और इस बोर्ड में जो ऑक्ट्रोय की दरें हैं उनकी वसूली नहीं करने पर एवं वहां के सदस्यों और अधिकारियों के स्वार्थ के तौर पर काम करने के तरीकों की तरफ ध्यान दिलाया था और गत २५ अक्टूबर को इस सदन में मेरे प्रश्न के उत्तर में यह आश्वासन दिया गया कि हम इसका लिखित में जवाब दे देंगे और सदन के अन्दर जो आश्वासन दिया गया था कि, उसकी भी सरकार की ओर से कोई परवाह नहीं की गई और उसका भी लिखित जवाब नहीं भेजा गया। यही नहीं, इस तरह से मैंने आपको भी लिखित में ध्यान आकर्षित किया था कि मंत्री महोदय इस तरह सदन में आश्वासन दे कर उनकी परवाह नहीं करते हैं यह एक ब्रीच है। इसलिये मैं आज ध्यान दिलाना चाहता कि इस बोर्ड के लिये जो प्रश्न हैं, जो अनियमिततायें हैं जो आडिट रिपोर्ट हो चुकी है, आज एस. डी. ओ. रिपोर्ट हो चुकी है; उसके बावजूद भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता और यह साफ है कि यहां के अधिकारियों और मंत्री महोदय की ओर से एक प्रकार का संरक्षण दिया जा रहा है और उसके तहत में एक तरह यह देखने को मिलता है कि कई लोगों के छोटे-मोटे बोनाफाइड क्लेम्स के ऊपर ही सस्पैण्ड कर दिया जाता है और इस बोर्ड के अन्दर जब कि ऑडिट रिपोर्ट २४ पेज की थी उसके अन्दर १६,०००) रुपये का ज्यादा खर्च बताया गया उसमें ज्यादा बजट के अगेन्स्ट आदमी अपनी मर्जी से नोकर रखे और इस बात की भी रिपोर्ट है कि बिना टैण्डर्स से काम कराया। लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। २० मई, १६६२ को उनको यह लिखा था कि इसका ३ माह के अन्दर जवाब दें लेकिन उस चेयरमैन ने उस डाइरेक्टर की भी परवाह न करके आज तक जवाब नहीं दिया और डाइरेक्टर साहब अपने आदेशों की परवाह नहीं करते। उनको यह खयाल नहीं है कि मेरे आदेशों का उल्लंघन करके कोई आदमी कार्य कैसे करता है। उसने आज तक उनके पत्र का जवाब नहीं दिया और बोर्ड की किसी भी मीटिंग में ऑडिट रिपोर्ट को पेश नहीं किया। यही जब कि डाइरैक्टर साहब से कहा जाता है तो

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)
खामोशी से सुनकर उसको टाल जाते हैं।

उसी तरह से सदन के अन्दर अध्यक्ष महोदय, आपके सामने प्रश्न आया, उसके उत्तर में मंत्री महोदय की ओर से बताया गया कि केवल एक आदमी को अलॉटमैन्ट किया गया है। मैंने आपके सामने फिगर्स रखे और बाद में यह माना कि उनको अलॉट तो किया है लेकिन दूसरी जगह मंजूरी के लिये लिखा है। मैं मंत्री महोदय से पूछूंगा कि किससे मंजूरी चाहते हैं। आज म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर कोई चीज ऑक्शन की जाती है, रूल ऑफ सेल बने हुए हैं उनके अन्दर कोई अलॉटमैन्ट का नाम नहीं है, सारा ऑक्शन से है कोई रिजर्वेशन अलॉटमैन्ट के लिये नहीं है। फिर विशेष व्यक्तियों को, जिनके नाम बताये हैं उनको, दसियों आदमियों को अलॉटमैन्ट की कीमत पर दिया है। जब कि मैंने बताया कि पास के प्लाट्स ३५) ३६) और ३०) रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से दिये गये हैं और अपने लोगों को रियायत पर प्लॉट्स देते हैं और वे कहते हैं क्योंकि वे काबिज हैं। मैंने बताया कि उन्हीं लोगों को पहले रियायत से उनके भाइयों के नाम से प्लाट्स मिल चुके हैं और ये तीन भाई हैं, बंसीलाल, मदनलाल और श्यामलाल। बंसीलाल और मदनलाल को आप पहले ही प्लाट्स दे चुके हैं और आज श्यामलाल को दिया जाता है और १।) रुपये के हिसाब से प्लाट एलॉट कर दिया जाता है। उसी तरह से भौंरीलाल जायसवाल को ३) रु० का प्लॉट मिल चुका है और दूसरा प्लॉट ३०) रुपये की जिसकी कीमत है उसको अलाट करके दिया जाता है।

जब मैंने प्रश्न किया तो उसमें एक लाइन लिखते हैं कि मंजूरी चाही गयी है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौनसी कमेटी है, कौन अधिकारी है और किससे मंजूरी चाही जा रही है? यह अध्यक्ष महोदय, टालने के लिए तरकीब की गई है, यह मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं और यह मैंने दृष्टांत रखा है। इसके अलावा और दसों के नाम मौजूद हैं। इसी तरह से लक्ष्मी-नारायण अग्रवाल को जिनको प्लॉट यू. आई. टी. से मिला होगा उन्होंने एक रुपया भी नजराने का जमा नहीं कराया। उसका ऑक्शन होना चाहिये था। उसका चालान हुआ और उन्होंने तरफदारी करके उस केस को कम्पाउण्ड कराया और १।) रुपये में वही प्लाट दे दिया जब कि उसकी कीमत वहां २५) ३०) रु० गज की है। यह आपके यहां हो रहा है और आप उसका संरक्षण करना चाहते हैं।

इसके अलावा मैं ऑक्ट्रॉय के लिये बताऊं। ऑक्ट्रॉय आपके यहां से पास हुई, दरें आपके यहां से पास हुईं और उसके बाद में नियम बन चुके। लेकिन वहां के बोर्ड ने क्या किया कि ११ मार्च, १९६१ को दस चीजों पर लगा दी और दस चीजों पर भी रेट्स बदल दी जो कि सितम्बर ६१ के गजट में छप चुकी। नियम बन चुके लेकिन बोर्ड ने सारी रेट्स बदल दीं और वह भी ऑब्जेक्शन के बाद बदल दी और उसके ऊपर हजारों रुपयों का बोर्ड को फायदा होना चाहिये था, वसूली होनी चाहिये थी उसकी परवाह नहीं की गयी और मंजूरी २०८ और २१२ के तहत गवर्नमैन्ट से ली जानी चाहिये थी वह नहीं ली गयी और इसके लिए मैंने प्रश्न भी किया था सदन के अन्दर और उसके ऊपर कहा गया था कि हम जांच करेंगे। लेकिन कोई जांच आज तक नहीं की गई।

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

इसकी एस. डी. ओ. दौसा ने फिर जांच की और आपके यहां २६ अप्रेल, १९६२ को जांच रिपोर्ट कलैक्टर के यहां भेज दी और उस रिपोर्ट के अन्दर यह माना गया कि छाजूलाल जिसके लिये प्रश्न किया गया है उसने जबर-दस्ती कब्जा किया, बिना कीमत के नजराना दिये हुए प्लाट के ऊपर कब्जा किया है और उन्होंने रिपोर्ट दी है कि केवल इसका चालान पेश कर देते हैं, वह काफी नहीं है बल्कि उसको तुडवा दिया जाये। यह एस. डी. ओ. की रिपोर्ट है। उसके बाद में उस केस को कम्पाउण्ड करा लेते हैं और कहा जाता है कि यह उसका प्लाट नहीं है बल्कि उसके भाई का है।

मैंने आपको प्रश्न में बताया कि उसका मुनसिफ कोर्ट के अन्दर बयान मौजूद है कि यह मेरे नाम का प्लॉट है और मैं किराये के ऊपर काम करता हूं, मुझे दे दिया जाये और वही चेयरमैन साहब उसके वकील भी थे। आज यह कह दिया जाता है कि यह आफत न आ जाये कि वह सदस्यता से पृथक् हो जायें, इसलिये उसको बचाने के लिये यह किया जाता है कि उसके भाई का नाम लेकर कम्पाउण्ड किया जाता है। तो आपके यहां से उसका झूठा जवाब दिया जाता है।

इसके साथ ही इसी तरह से इसी सदस्य के बारे में बताया कि उसने पट्टी, पत्थर और कातलों का कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसकी रसीदें मौजूद हैं। तो एक मेम्बर जो कांट्रेक्ट के अन्दर इन्टरेस्ट लेता है उसकी रसीदें मौजूद हैं, फिर भी आप उसको सस्पैण्ड नहीं करते और वह जबरदस्ती कब्जा करता है, ठेका लेता है और फिर आप उसको टालना चाहते हैं और चालान भी दे देते हैं; फिर भी जब यह आश्वासन दे सकते हैं कि उसको सस्पैण्ड किया जाये तो आप कम्पाउण्ड कर लेते हैं। यह एक सदस्य के बारे में मैंने आपको बताया। श्री आनन्दमल जो आर. टी. ए. के मेम्बर हैं उन्होंने अपने मकान के सामने रोड साइड पर जिसके लिये पी. डब्ल्यू. डी. की तरफ से एतराज है १०० फुट के अन्दर अपने प्लॉट के आगे एक बगीची बना ली, पक्का अहाता बना लिया और एक पैसा नजराने का नहीं दिया। लेकिन वे मेम्बर होने के नाते ऐसी अनियमिततायें करते हैं और उसके लिये यह बताया जाता है कि बोर्ड से इजाजत हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि बोर्ड किस तरह से बिना नजराना लिए हुए सकता है? वह थोडी बहुत जमीन नहीं है, एक पूरा अहाता प्लॉट का है। वहां के चेयरमैन साहब हैं, ५५७१ नम्बर का प्लॉट है उसके अन्दर कब्जा करते हैं और एस. डी. ओ. इसकी जांच करता है और उसका नजराना आज तक जमा नहीं हुआ है और वहां पक्का मकान बना हुआ है।

यह आपके सामने वहां की नगरपालिका की और वहां के अधिकारियों की हालत है। इसी तरह से जो वहां की दो सदस्यायें हैं उनके लिये भी प्रश्न किया था कि वे ८ महीनों तक बराबर मीटिंग में नहीं आई। आपका नियम यह है कि कोई ३ महीनों तक लगातार मीटिंग में नहीं आवे तो उसको सदस्यता से पृथक कर देते हैं, लेकिन उसको ८ महीनों की छुट्टी दे देते हैं और छुट्टी भी तब दी जायगी जब कि जाने लगेंगे, ८ महीनों तक गैरहाजिर हो चुकी है तब छुट्टी दी जाती है। इसी तरह आज वहां पर ५ सदस्य हैं जिनको फौरन सस्पैण्ड किया जाना चाहिये, पृथक किया जाना चाहिये लेकिन आपका विभाग किसी कारण

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

से, राजनैतिक संबंधों के कारण, में साफ अर्ज करूंगा कि आप उनको संरक्षण देना चाहते हैं, टालना चाहते हैं इसलिये उनके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते । इसी तरह में आपके जरिये कहना चहता हूं कि प्लॉट बेचे जा रहे हैं वहां पर प्लान्स टी. आई. बी. के मौजूद हैं, नक्शे मौजूद हैं। गुप्तासाहब के इसी तरह एंरियाज को बदला जा रहा है, अपने लोगों को अलॉट करके जमीन दी जाती है और जब पूछते हैं तो जवाब देते हैं कि मंजूरी चाह रहे हैं, वहां पर जमीन के रुपये जमा हो रहे हैं ।

इसके साथ में यह भी बतलाऊंगा कि जो रिपोर्ट हुई है उस रिपोर्ट के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट हुई, एस. डी. एम. ने रिपोर्ट दी, उस पर आज यह कहा जा रहा है कि हम उसकी जांच करेंगे, एक साल तक लगातार उसके नोटिस में लाया जाता है, जांच हो जाती है लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता। आज भी शायद यही कहेंगे कि हम जांच करायेंगे। जांच तो प्रिलिमिनरी मौजूद है । मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि इन रिपोर्टों पर एक्शन नहीं लिया जाता जब कि डाइरेक्टर साहब ने उसको माना, जब कि कलेक्टर लालवानी साहब ने मान लिया, रिपोर्ट सही है सस्पैण्ड करना चाहिये, एक्सप्लेनेशन लेना चाहिये । फिर आप कहना चाहते हैं कि हम जांच करेंगे यह टाइम पास करने की बात है, किसी को संरक्षण देने का सबूत है । आपके डिप्टी डाइरेक्टर वहां जा चुके हैं, फाइल तक आपके आफिस में ला चुके हैं फाइल लाते हैं, रिपोर्ट होती है, लेकिन आप एक्शन नहीं लेना चाहते इसलिये अध्यक्ष महोदय, में अर्ज करूंगा कि यह लोक महत्व का प्रश्न है जो नियम और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, ऑक्ट्रॉय के जहां हजारों रुपये वसूल होने थे वे नहीं हुए, निर्माण कार्य में बगैर टैण्डर के रुपये खर्च किये जा रहे हैं, बजट के खिलाफ रुपये खर्च किये जा रहे हैं, बजट के खिलाफ लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं।

ये सारे प्रश्न आते हैं जिस बोर्ड के अन्दर इस तरह की बातें देखते हैं, वहां एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाता है । आज ४१ बोर्ड ऐसे हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिये गये ह, जरा से एलीगेशन को लेकर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्य सस्पेन्ड कर दिये जाते हैं; लेकिन यहां पर जब कि इतने एलीगेशन हैं तब भी आप उन पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते । यह कैसा आपका सोचना है ? में कहता हूं कि जल्दी ही कार्यवाही करके उनको सस्पेन्ड करिये । आपके पास मसाला है, रिपोर्ट है, केवल मेरा ही कहना नहीं है । आपके पास सुबूत मौजूद हैं, इन्क्वायरी कराइये और इन्क्वायरी किससे करानी है मैंने यह भी कहा है कि डाइरेक्टर साहब को भेजिये आप, खुद चलिये, मेरी मौजूदगी में इन्क्वायरी कराइये । हर सदन में प्रश्न आता है तब यह कह देते हैं कि अब तक जबाव नहीं आया । मुझे अध्यक्ष महोदय, आपको भी तवज्जोह दिलानी पड़ी है । इस तरह से टाइम लेकर सदन का टाइम पास किया जाता है । यह इस तरह से एक व्यक्ति को संरक्षण देने का प्रमाण है । इस तरह से एक्शन नहीं लिया जाना शोभनीय नहीं है । सरकार के लिये और मंत्री महोदय के लिये आवश्यक है कि उनको प्रमाण देना चाहिये कि वे वाजिब बात करते हैं, किसी की तरफदारी में नहीं हैं । इन बातों की ओर तवज्जोह दिलाते

Page No.48

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)
हुए में दो बातें और बताना चाहता हूं। अभी दो प्लॉट्स ऑक्शन किये गये, ८) रु० १०) रु० गज की बोली आई और तीसरे ही रोज बोली लगी हुई को एक तरफ हटा कर एक व्यक्ति को १।) रु० गज के भाव से दे दिया। जहां बोली लगाते हैं वहां इस तरह की बात करते हैं और जहां बोली लगानी चाहिए वहां बगैर बोली लगाये दे देते हैं। यह आपकी म्युनिसिपैलिटी का हाल है। मैं ज्यादा समय न लेकर कहना चाहता हूं कि आप उसको सस्पेन्ड करिये, एन्क्वायरी करें, एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करें क्योंकि वहां के ५-६ सदस्यों का यह हाल है कि वे डाइरेक्टली इन्टरेस्टेड हैं, पावर का मिसयूज करते हैं इसलिये इन बातों की ओर ध्यान दीजिये।

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री, स्वायत्त शासन) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नगरपालिका दौसा पर काफी गंभीर आरोप लगाये हैं। जो आरोप उन्होंने लगाये हैं वे कहां तक ठीक है, उसका उत्तर में यहां पर देने में असमर्थ हूं; इसलिये जितने आरोप लगाये हैं उनके अलावा और भी आरोप होंगे तो उनकी जांच मौके पर हमारे डाइरेक्टर स्वयं जाकर करेंगे और एक महीने में जांच करके जो भी कार्यवाही होगी की जायगी। इससे अधिक में और कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : इसके लिये तो मैं आपको धन्यवाद दूं, लेकिन मैंने जो प्रश्न किया था कि आपके पास प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी डाइरेक्टर और कलेक्टर के लेवल पर होकर रिपोर्ट आ चुकी है। आप जो एन्क्वायरी कराना चाहते हैं वह मौजूद है, रिपोर्ट में यह लिखा है कि सस्पेन्ड किया जाय। एस डी. ओ. की रिपोर्ट मौजूद है, उसको कलेक्टर ने रिकमन्ड किया है। उस पर डाइरेक्टर ने ३० मई, सन् ६२ को लिखा है कि ३ महीनों में जबाब दो, नहीं तो सस्पेंड किया जायगा, फिर भी सस्पेण्ड नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : इस समय में यह नहीं कह सकता कि सस्पेन्ड किया जाना वाजिब है या नहीं। इन्क्वायरी कराने का निश्चित आश्वासन दिया है। एक माह में डाइरेक्टर खुद मौके पर जाकर इन्क्वायरी करेंगे। एस. डी. ओ. की इन्क्वायरी का आपने हवाला दिया है, लेकिन वह सरसरी तौर पर इन्क्वायरी थी, सरसरी इन्क्वायरी पर कार्यवाही नहीं की गई। अब १ महीने में डिटेल्ड इन्क्वायरी करके जो आवश्यक कार्यवाही होगी वह निश्चित रूप से की जायगी।

श्री अध्यक्ष : डाइरेक्टर जांच के लिये जावें तो माननीय सदस्य को भी इत्तला कर दें ताकि वे तथ्य उनके सामने रख दें।

श्री दौलतराम सारण : अवश्य, माननीय सदस्य को भी इत्तला करेंगे और दूसरों को इत्तला होगी, जो तथ्य रखना चाहेंगे रख सकेंगे।

स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : वित्त विधेयक।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : On a point of Order Sir, मैंने एक एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया था उस पर आपने आर्डर दिया कि नहीं आना चाहिए इस सदन में, क्योंकि इन्क्वायरी हो रही है। मैं आपके जरिये माननीय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : इसमें कई एडजोर्नमेन्ट मोशन, कॉल अटेन्शन मोशन आये हैं। मैंने स्वयं मंत्रीजी से बात की है, वे तथ्य एकत्रित

Page No.49

(श्री अध्यक्ष)

कर रहे हैं। इसके बाद जरूरी हुआ तो व तथ्य आपके सामने रखेंगे।

श्री कुमारानन्द : I want that the Hon'ble Transport Minister should go and address the workers waiting outside and tell that they will sympathetically consider their grievances. If he gives such assurance, I will request the Minister to go and address the workers. That is what I wanted to say, and I think the Rules may allow this.

श्री अध्यक्ष : यह आश्वासन उनकी तरफ से आप ही दे दीजिये, मंत्रीजी विचार करेंगे शान्तिपूर्वक।

श्री कुमारानन्द: मंत्रीजी चाहें तो हम खुद उनके साथ जा सकते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र (यातायात मंत्री) : I don't propose to address them.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : हमारे जाने से उनको संतोष होता नहीं है। हमने उनको कह भी दिया है, लेकिन उनको संतोष नहीं हुआ। जनतांत्रिक परम्परा है, अपनी डिमान्ड लेकर लोग आते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। वे भी जनता के आदमी हैं, आप भी जनता के आदमी हैं। आप वहां जाकर सहानुभूतिपूर्वक उनकी बात सुनकर उनको कह सकते हो, इससे उनको संतोष होगा। आपको तो सिर्फ वहां तक जाकर उनसे कुछ कहना पड़ेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इस संबंध में यह निवेदन है कि एडजोर्नमेन्ट मोशन का नोटिस एक दिन पहले दिया था। और माननीय मन्त्री के पास काफी समय था। यह मालूम हुआ है कि उनको रूल्स के अनुसार चार्ज शीट मिलनी चाहिए, नोटिस मिलना चाहिए, वह किये बिना ही किया है और· · ·

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय जांच कर रहे हैं। उनका कहना है कि कइयों को नोटिस दिये गये हैं, पिछले महीने में, उनका कार्य संतोषजनक है, इस बारे में आज कहना उचित नहीं समझते क्योंकि जानकारी नहीं की है। इसलिये इस सदन का समय लेने के बजाय आप मुझसे या मन्त्री महोदय से पूछ लेते तो मालूम होता। फिर कोई आवश्यकता देखते तो सदन के समक्ष इस प्रश्न को लाते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या कल तथ्यों की जानकारी करके हाउस में स्टेटमैन्ट देने का कष्ट करेंगे?

श्री कुमारानन्द : वे लोग बाहर वेट कर रहे हैं; क्या मन्त्री महोदय वहां जाने के लिए तैयार हैं? अगर वे जाने के लिये तैयार हों तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : आप उनसे पूछ लीजिये।

श्री हरिश्चन्द्र: I have already submitted that I don't propose to go outside. If they have something to say, they can give me in writing.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): इस मामले में मन्त्री महोदय को इतना कठोर नहीं होना चाहिये। कम से कम उन लोगों को इतना सा विश्वास तो हो जाय कि मंत्री

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
महोदय उनके केस को सहानुभूति पूर्वक देख रहे हैं और उनके प्रति सिम्पेथेटिक एटीट्यूड है। केवल इतना दर्शाना आवश्यक है। इसलिये एक-दो मिनट के लिये उनसे मिल लें या उनके डेपूटेशन से मिल लें तो उचित होगा।

श्री अध्यक्ष : डेप्यूटेशन से मिलने में क्या एतराज हो सकता है? उनमें से दो-तीन चले आते हैं तो मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय को कोई एतराज नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Is this a fact that no notices have been given........

श्री अध्यक्ष : That is all hypothetical.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : यह सवाल केवल मालिक और मजदूरों का सवाल नहीं है....

श्री अध्यक्ष : स्वामीजी बोल रहे हैं।

श्री कुमारानन्द : No charge-sheet has been given. According to the Supreme Court's decision, charge-sheet and notices should have been given and that he has not done.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं उनको ध्यान में रखते हुए देख लीजिये कि क्या कार्यवाही करनी है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : बाहर जाकर दो बातें करलें क्योंकि यह प्रजातान्त्रिक तरीक़ा है।

श्री मुरलीधर व्यास : सम्मान के प्रश्न..

श्री अध्यक्ष : आपने एक दफ़ा नहीं छः दफा कह दिया है। कई बार उसी बात को दोहराया गया है, जबकि मन्त्री महोदय ने कह दिया है, कि वे नहीं जाना चाहते।

श्री मुरलीधर व्यास : क्यों नहीं जाना चाहते? वे डैमोक्रेटिक तरीका अपना रहे हैं, इस बात के बावजूद उन्हें डिसमिस किया गया है।

श्री हरिश्चन्द्र : That is a very wrong statement. They have not been dismissed. Their services have been terminated.

श्री रामानन्द अग्रवाल : If their services have been terminated they should have been given notice and should have been given charge-sheet.

श्री हरिराम चौहान : यह जानकारी कहां से आ गई?

श्री रामानन्द अग्रवाल : They should have been given a proper notice or a charge-sheet.

फिर भी होता है तो वहां नियमों का पालन करना चाहिये..

श्री हरिश्चन्द्र : नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप सदन के सामने सारी बातें रख दें, नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं?

श्री अध्यक्ष : Why are you driving him in a position, where he cannot give a definite answer?

मैंने यह निवेदन किया है।

Page No.51

श्री कुमारानन्द : मेरा चार्ज है कि ट्रेड यूनियन में वे पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिये उनको डिसमिस किया गया है। और कोई चार्ज उनके खिलाफ नहीं है, because they are working in the Trade Unions.

क्योंकि ट्रेड यूनियन में पार्टीसिपेट करते हैं इसलिये डिसमिस किया गया है।

श्री हरिश्चन्द्र : यह गलत है, कि-पर्टीक्यूलर क्लॉज़ को विक्टीमाइज़ करने के लिए किया गया है। यह गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Why should not the Minister face them and tell them? Because he has a guilty conscience.

श्री हरिश्चन्द्र : You are distorting the facts. If I am allowed to say, this is not at all correct. I am not at all prepared if you force me to go there............

श्री कुमारानन्द : He should go and address them.

श्री अध्यक्ष : राजस्थान फाईनैन्स बिल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यदि मंत्री महोदय इस प्रकार की बात का भी आदर करने को तैयार नहीं हैं और जैसा कि सरकार का यह रवैया हो गया है कि जो भी पब्लिक रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ आयें अपने ग्रीवान्सेज़ देने के लिये उसको टालने की कोशिश की जाय, उसका जवाब न देने की कोशिश की जाय; अगर वे मिलना चाहें तो मिलने की कोशिश नहीं की तो हम समझते हैं कि यह डेमोक्रेसी . .

श्री हरिश्चन्द्र : मिलने को तैयार हूं। अगर तरीके से हो तो मैं तैयार होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सरकार के लिये अनुचित है।

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय सदस्य, इन्हें यहां बुलाया जाय, नारे लगावायें जाय, डिमान्स्ट्रेशनकराये जांय और फिर आप चाहें कि मन्त्री उनसे मिल लें · · · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : डैमोक्रेटिक एज है, और यह अधिकार है डिमोन्स्ट्रेशन करने का, मीटिंग करने का और भाषण देने का और अपने रिप्रेज़ेन्टेशन करने का। माननीय मन्त्री महोदय को इस नई सिचुएशन के मुताबिक़ अपने को एडजस्ट करना चाहिये और इस प्रकार एम्बेरेस्ड फील नहीं करना चाहिए। इस बात को कहने के लिये आये तो उन लोगों को आप रेस्पोन्स न दें। आप उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दें और यह एस्यो रेन्स न दें कि एक्चुअली अगर इरेंगुलेरिटी होगी, इल्लीगेलिटी होगी तो उस मामले में सिम्पेथेटिकली रीकन्सीडरेशन करेंगे। आप यह एश्योरेंन्स देने के लिये तैयार नहीं हैं, तो अध्यक्ष महोदय, फिर यह ट्रेड यूनियन एक्टिविटी है उसका एक तरह गला घोंटना होगा। हम सरकार के इस रवैये को अनुचित समझते हैं और प्रोटेस्ट के तौर पर, सरकार जिस तरह कह रही है उसके विरोध में सांकेतिक रूप से वाक आउट करना चाहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : There cannot be any statement for a walkout.

(साम्यवादी, संयुक्त समाजवादी व स्वतन्त्र दल के कुछ सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)।

Page No.52

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (ग्रासपुर) : ग्रध्यक्ष महोदय, सहिष्णुता के साथ यदि कोई डेलीगेशन मन्त्री महोदय से मिलना चाहे तो मेरे खयाल से मन्त्री महोदय को मिल लेना चाहिए।

श्री हरिशचन्द्र : मैंने जैसा अर्ज़ किया, मैं हर वक्त हर ग्रादमी से मिलने के लिये तैयार हूं। ग्रगर तरीके से काम हो तो मैं हमेशा सहानुभूति से विचार करने ग्रौर हक़ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिस तरीक़े से यह मामला उठाया गया है, जिस तरह से डिमोन्स्ट्रेशन ग्रौर नारेबाज़ी शुरू की है, मैं समझता हूं यह बिल्कुल गलत है ग्रौर उसको मैं कतई प्रोत्साहन देने के लिये तैयार नहीं हूं।

(१२.३७ म. प.)

राजस्थान वित्त विधेयक, १९६३

(विचार विमर्श)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान फाइनेन्स बिल।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान फाइनेन्स बिल, १९६३ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

श्री बाढ़दार।

(ग्रनुपस्थित)

श्री सतीशचंद ग्रग्रवाल।

विराम

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं बहस शुरू होने से पूर्व, कि इस विधेयक को ग्राज ही पारित करना चाहते हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो क्लॉज़ वाई क्लॉज़ के समय ज्यादा समय ले सकते हैं ग्रौर माननीय सदस्य चाहें तो इस स्टेज पर बहस कर सकते हैं ग्रौर इसमें ज्यादा समय ले सकते हैं। लेकिन किसी तरीके से भी सरकार का उत्तर चार बजे प्रारम्भ हो जायगा ग्रौर पांच बजे से पहले विधेयक पारित करने का प्रयास किया जायगा। इसको ध्यान में रखते हुए ग्राप बहस में हिस्सा लें।

श्री सतीश चन्द्र ग्रग्रवाल (जौहरी-बाज़ार, जयपुर) : एक घंटा एक्स्टेन्ड कर दें टाइम।

श्री अध्यक्ष : सारी बातें जो बिल के बारे में, सिद्धान्तों के बारे में हैं उनकी बहुत चर्चा हो चुकी है। फिर भी कोई बात रह गई हो तो माननीय सदस्य चर्चा कर सकते हैं, लेकिन पांच बजे से पहले विधेयक पारित हो जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ग्रध्यक्ष महोदय, राजस्थान फाइनेन्स बिल, १९६३ जो सदन में माननीय वित्त मंत्री ने विचारार्थ प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध मेंमैं ने यह प्रस्ताव रखा है, "इस विधेयक को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय।"

ग्रध्यक्ष महोदय, यह विधेयक मार्च के प्रथम सप्ताह में जब इस सदन में पुरःस्थापित किया गया था उस समय यह ध्यान में रख कर, कि विधान सभा का ग्रधिवेशन समाप्त होने से पूर्व जनता की राय इस विधेयक पर जानली जाय, मैंने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा। माननीय वित्त मन्त्री यह कहेंगे कि सदन की कार्यवाही समाप्त हो रही है ग्रौर इस विधेयक को यदि हमने निर्धारित ग्रवधि में पारित नहीं किया तो जितने भी करों के प्रावधान

Page No.53

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हमने किये हैं वे सब बेकार हो जायेंगे। यह बात सही है कि बजट का जो भाषण होता है और बजट में जिन करों के बारे में व्यवस्था होती है या उसके बारे में जो संकेत दिये जाते हैं और उसके सम्बन्ध में यह जो फाइनेन्स बिल सदन में पेश किया गया है, अध्यक्ष महोदय, इसमें टैक्सेज़ के बारे में जितने प्रोवीज़न्स हैं, वे तुरन्त लागू कर दिये गये। प्रोवीज़नल कलेक्शन ऑफ़ टैक्सेज़ एक्ट के मातहत वे टैक्स वसूल होने शुरू होगये, वे टैक्स पेएबल हैं, ड्यू हो गये, लेकिन मैं आगे कुछ कहूं, इससे पहले, माननीय वित्त मन्त्री से जानना चाहूंगा, टैक्सेज़ लगाने का प्रावधान जो उन्होंने अपने बजट के भाषण में किया और जिसके सम्बन्ध में इतनी चर्चा गत महीने में यहां पर हुई है और राजस्थान की राजधानी में एक प्रकार से सारे टैक्सेज़ के प्रपोज़ल्स थे, जिनके बारे में गर्मागर्म बहस चल रही थी,वह बहस इस सीमा तक पहुंची, अध्यक्ष महोदय, हम सबको मालूम है कि स्वयं कांग्रेस पार्टी में भी किस प्रकार भयंकर विरोध टैक्सेज़ के बारे में हुआ और जिससमय बजट के बारे में व्यवस्था हुई, बजट के सम्बन्ध में चर्चा हुई तो इधर और उधर के बैठने वाले किसी भी माननीय सदस्य ने टैक्स प्रपोज़ल्स का समर्थन नहीं किया। यही कारण दिखाई देता है कि राज्य सरकार ने पहले जो लैन्ड रेवेन्यू सेस बिल सदन में प्रस्तुत किया था, उसे सरकार को वापिस लेना पड़ा और उसके स्थान पर लैण्ड रेवेन्यू सरचार्ज बिल इस सदन में पेश किया गया।

जहां तक इस सदन की भावनाओं का प्रश्न है, सदन के माननीय सदस्यों ने उनके विचार व्यक्त किये उनकी भावना को सरकार ने लोकतन्त्र परम्परा का परिचय देने का दावा किया, उस बारे में मैं निवेदन करूंगा कि यह बात साफ़ है कि जब सरकार ने टैक्सों का निर्माण किया तो सरकार ने अपने पक्ष के लोगों को भी विश्वास में नहीं लिया, उन्होंने सदन को अपने विश्वास में नहीं लिया। और यही कारण था कि उनको सदन में टैक्सों में परिवर्तन करना पड़ा और इस सदन में बहस होने के बाद मैं समझता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में कोई ऐसी मिसाल नहीं होगी जिसमें इतने परिवर्तन हुए हों। केन्द्रीय सरकार संशोधन में परिवर्तन होने वाले कभी इतना बढ़ा भारी परिवर्तन नहीं हुआ जो हमको हमारे राजस्थान में करना पड़ा। यह परिवर्तन इस बात का सूचक है कि जिस समय टैक्सेशन को लागू करते हैं उस समय इस पर विचार नहीं करते कि इस प्रकार के टैक्सेज़ लेना चाहिये हैं। उनको इस बात पर विचार करना चाहिये था कि कौन कौन से टैक्स पब्लिक दे सकती हैं और जिसके जरिये टैक्सों से आमदनी बढ़ाई जा सकती है।

एप्रोच होना चाहिये : यह साबित करता है कि राजस्थान सरकार ने इसमें हेरफेर की है और यह इस बात का सुबूत है कि आप साइन्टिफिक आधार पर काम नहीं करते और इसका नतीजा यह हुआ कि आपस में इतना अन्तर पड़ा कि सदन के नेता द्वारा अस्तीफा देने तक की नौबत आ गई और आपने टैक्सों को वापिस ले लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की परम्परा और आधारों पर इस प्रकार के टैक्सों को लगाना शुरू कर दिया तो आपको मालूम होना चाहिये कि इसका भयंकर परिणाम होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस समय टैक्सेज के

Page No.54

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रोपोज़ल्स आप पेश करें उस समय आपको देखना चाहिये कि राजस्थान की जनता पर कौनसे टैक्सेज लगाये जा सकते हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि सदन के किस माननीय सदस्य ने आपके इस टैक्सेशन का समर्थन किया कि अनाज पर टैक्स लगना चाहिये। आपको कई लोगों ने अलग अलग सुझाव दिये, मगर माननीय मन्त्री ने इन सुझावों पर कोई विचार नहीं किया। मैं, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये और बातें कहीं उनकी सारी बहस को दोहराना नहीं चाहता लेकिन जो कुछ हेर फेर हुआ है उसके अनुसार राजस्थान के ६३-६४ के बजट में रेवेन्यू के एक्सपेन्सेज ६६ करोड का रखा। इनकम ६३ करोड़ की रखी। यह तीन करोड़ का घाटा होगा। १.५२ पहले लिखा है। इस तरह से ४।। लाख का डैफिसिट था। आपने अब टैक्सेज लगाये हैं और इससे हेर फेर नें आपको दो करोड़ का घाटा रहेगा। अब यह जो दो करोड़ का आपको घाटा फिर भी रहता है उसके लिये आप अपने खर्चे में कमी क्यों नहीं करते मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह पूर्ति किस तरह से की जा सकती है।

यह तीन तरह से पूरा किया जा सकता है; एक तो यह कि आप एक्सपेन्डीचर में कमी करें, या आप क़र्ज़ा ले, या सरकार किसी प्रकार से नये टैक्स लगावें। ये तीन तरीके हैं जिनके ज़रिये से घाटा पूरा हो सकता है। म वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि आपको फिर भी दो करोड़ का घाटा रहने वाला है और उसके लिये आज आप टैक्स नहीं लगा रहे हैं तो आने वाले समय में आप इस प्रकार का नोटिफ़िकेशन या सर्क्युलर निकाल कर अपना घाटा पूरा करने की कोशिश करेंगे और जो अधिकार हमने आपको कानून में दिये हैं उनका उपयोग कर सकते हैं और राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद आप उन टैक्सों को सरकार की मन्डियों पर और दूसरे स्थानों पर नये टैक्स लगा सकते हैं और आप सदन में हुई बहस के कारण कह सकते हैं कि ३१.३.६४ तक कोई नया टैक्स नहीं लगायेंगे। अगर आपकी मन्शा नहीं है कि हमारी सरकार आगे आने वाले सालों में टैक्स नहीं लगावे, माननीय सदस्यों का विरोध होने के कारण अभी टैक्स वापिस ले लिये हैं मगर आने वाले साल में आप कोई नोटिफ़िकेशन निकाल कर उन पर टैक्स लगा देंगे या आप कोई क़र्ज़ा पब्लिक डैट लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका घाटा पूरा कैसे होगा। सरकार आगे भी पब्लिक डैट से लदी हुई है। राजस्थान की जनता और सदन कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि राजस्थान की सरकार पर किसी प्रकार का सार्वजनिक ऋण बढ़ाया जावे। हम कभी आपको यह सलाह नहीं देंगे कि पब्लिक डैट बढ़ाया जावे। आगे का कार्य क़र्ज़ा लेकर सरकार चलाती है तो मैं यह कहूंगा कि यह सरकार की नीति कभी अच्छी नहीं है।

तीसरी बात जो रह जाती है वह यह है कि रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर में कटौती करें। आप इसमें क्या कटौती करेंगे। आपको सदन को विश्वास में लेना चाहिये कि दो करोड़ रुपये सरकार इस तरह से वसूल करना चाहती है। अगर आप सदन को और आपोजिशन को विश्वास में नहीं ले सकते है तो मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, कि जब हमारे रेवेन्यू की

Page No.55

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
रिसिप्ट कम हो गई है तो कटौती हुई तो रेवेन्यू एक्सपेन्सेज़ में कटौती करनी चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही समाप्त हो जावे उसके बाद आप फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स को नौकरियों से निकाल दें और उनकी कटौती कर दें। या उन लोगों की जिनकी १०-१० साल और १२-१२ साल की पुरानी सर्विसेज़ हैं, जो टेम्पोररी हैं और जो लोग काम करने वाले हैं मगर अस्थायी हैं उनको निकाल दें। यह सरकार के लहजे की बात है। मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि १०-१२ साल से सरकार की गलत नीतियों से फोर्थ क्लास चपरासी, जिनका सरकार पर कोई बस नहीं चलता, घर चले जाएं और सरप्लस हों। यह रेवेन्यू एक्सपेन्सेज़ में कमी करने के लिये नहीं है। रीऑर्गेनाइज़ेशन में जितना धन का दुरुपयोग होता है उसके एक नहीं अनेक ऐसी मिसालें हैं जो माननीय सदस्यों को मैं बता सकता हूं जिसमें ख़र्चे के मद हैं उसमें किसी प्रकार धन का घोटाला होता है। आप किसी भी विभाग को ले लें। आप तक़ावी के वितरण को ले लें या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ले लें, शिक्षा विभाग को ले लें, चाहे खेती के लिये सहायता के प्रश्न को ले लें इन सारे मदों में इस प्रकार से धन का दुरुपयोग किया जाता है। मैंने आपको तथ्य बताये थे सदन में, यदि इस प्रकार से विभागीय अध्यक्षों द्वारा और मन्त्रियों द्वारा राज्य के धन पर कड़ी निगरानी नहीं रखी गई तो मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान की जनता और उसका करोड़ों रुपयों का क़र्ज़ा बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, वह दिन दूर नहीं होगा कि हमारी सरकार को कोर्ट में जाकर अपने को दिवालिया करार देना पड़े, बेंक्रप्ट स्टेट घोषित करना पड़े।

आपको नये टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं, कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं। मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि जैसा वे जागरूकता के लिये कहते हैं, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सामने राजस्थान सरकार के मन्त्रियों को दुख के साथ कहना पड़ता है कि करोड़ों रुपयों की बकाया है। जहां तक मेरी जानकारी है। अध्यक्ष महोदय, १९५९ के फीगर्स थे, राज्य का रुपया ११ या १२ करोड़ बाकी था।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि १-४-५९ को आउट स्टेंडिंग था वह १०,६१,५१,४५१ रु० थे। अन्दाज लगाइये कि जिस राज्य की इतनी बड़ी रक़म बक़ाया हो, १-४-५९ का जो १०,६१,५१,४५० अकेले रेवेन्यू विभाग में है जो आजकल चीफ़ मिनिस्टर साहब के पास है।

अध्यक्ष महोदय, यह सारी की सारी बक़ाया की रकम है और बहुत सारी रक़में बकाया की निकलती हैं। पिछले तीन चार साल से सरकार ने बकाया की रक़म की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की है; हमारी राज्य सरकार नहीं बता सकती कि कितनी रकम उसकी बक़ाया है। मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि वे ईमानदारी से बतावे कि आज तारीख ३-४-६३ को राज्य सरकार की कितनी रकम किन किन विभागों की किन किन में बकाया है? सरकार ने इस रकम की वसूली के लिये एक कार्यवाही जरूर की है जो कोई भी कर सकता है। वह कार्यवाही यह है कि एक कमेटी बैठा दी है और वह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कमेटी इसलिये बैठा दी है कि वह इस बात की जांच करे कि यह जो ११ करोड़ रुपया सरकार का बकाया है उसमें से कितना रुपया ऐसा है जो वसूल नहीं किया जा सकता, जिसे बैडडेट डिक्लेअर करना है, राइट ऑफ़ करना है; इस बात की जांच के लिये कमेटी बैठा दी। यह कमेटी बैठाई है ११ करोड़ रुपयों को रद्दी की टोकरी में डालने की राइट ऑफ़ करने की, बैड डैट्स डिक्लेअर करने की वसूली न कर सकने की और दूसरी तरफ़ आप जनता की खाने की चीजों पर टैक्स लगावे। राजस्थान सरकार के लिये इससे बढ़ कर कलंक का टीका और क्या हो सकता है? आप बिजली की रक़म वसूल नहीं कर सकते। सहायता देते हैं तो युटिलाइज़ेशन सर्टिफ़िकेट नहीं ले सकते, ऑडिट के ओब्जेक्शन्स होते हैं और लोगों में बक़ाया हैं उनको आप वसूल नहीं कर सकते। तो यह तो राज्य में इस तरह से हो रहा है कि कोई भी पैसा ले लें युटिलाइज़ेशन का सर्टिफ़िकेट मत दो ऑडिट का सर्टिफ़िकेट मत पेश करो, रुपया लो कोई चिन्ता की बात नहीं सरकार एक कमेटी बैठा देगी और इस रकम को बैड डैट डिक्लेअर कर देगी राइट ऑफ़ कर देगी।

कितने एम्बेज़लमेन्ट के केसेज़ होते हैं, कितने मिसएप्रोप्रिएशन के केसेज़ होते हैं, कितना बक़ाया है, इस पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार के कितने अधिकारियों की ग़लती से सरकार को कितना नुक़सान हुआ है। इसकी जानकारी आप नहीं करते। मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों की वजह से राज्य सरकार को फ़ाइनेन्शियल लोस होता है उनसे वसूली की जाय। आप ऐसे नियम बनायें जिनसे जिस किसी अधिकारी की गलती से राज्य सरकार को लोस होता है सरकारी खजाने को नुकसान होता है वह पैसा उन अधिकारियों से वसूल किया जायगा। पर आपके यहां तो यह है की कोई भी आदमी आये और पैसा खा जाय, कोई पूछने वाला नहीं। आपको कोई फ़ुर्सत नहीं। आपके पास तो यह काम है कि साल खत्म होने आया तो बजट लेकर आगये और टैक्स लगाये बग़ैर काम नहीं चल सकता यह नारा लगा कर राष्ट्रीय संकट का नारा देकर टैक्स लगाते हैं यह न्याय संगत नहीं।

१६५६ में हमने इस सदन में एक क़ानून पास किया पैसेन्जर्स टैक्स के बारे में क़ानून बनाया स्टेट केरेजेज़ और पब्लिक कैरियर्स के द्वारा माल ले जाया जायगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा; ५६ में यह क़ानून बनाने के बाद आज ६३ हो गया है ६२ तक हमारी राज्य सरकार ने इन मोटर विहिकल्स, ट्रक्स के ऊपर टैक्स वसूल किया जायगा; वह वसूल करती रही, कोई नोटिफ़िकेशन नहीं निकाला; इसलिये जो भी टैक्स वसूल किया गया ग़लत वसूल किया गया, बिना क़ानून के वसूल किया गया, नियमों के खिलाफ़ वसूल किया गया। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाया, हाई कोर्ट में रिट पिटिशन की तो ६२ में सरकार ने नोटिफ़िकेशन निकाला। पर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ५६ से लेकर ६२ तक करीब ३ करोड रुपया वसूल किया वह किस क़ानून के तहत वसूल किया? कोई क़ानून नहीं नोटिफ़िकेशन निकाला नहीं और तीन साल तक सरकार टैक्स वसूल करती रही। कोई अदालत में जाय इल्लीगल डिक्लेअर हो जाय तो ऑर्डिनेन्स लाती है। सरकार की जानकारी में यह मामला है

Page No.57

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
सरकार की जानकारी में होने के बाद कि हमने बिना नोटिफ़िकेशन के टैक्स वसूल कर लिया तो इसके लिये सदन में सरकार कोई क़ानून लाती। पर सरकार कहती है कि सदन की कार्यवाही खतम हो जायगी तो ऑर्डिनेन्स निकालेंगे। सदन के माननीय सदस्य इसे नोट करले। आने वाले अधिवेशन से पहले सरकार ऑर्डिनेन्स नहीं निकाले और आने वाले इस सदन के अधिवेशन में यदि अमेन्डमेन्ट नहीं लाये तो मुझे कहना।

३ साल बिना क़ानून के टैक्स वसूल करे। अगर नोटिफ़िकेशन निकालना आपके बश का रोग नहीं है तो लॉ डिपार्टमेन्ट को भेजें आपका काम तो किसी न किसी तरह टैक्स वसूल करना है। आप क्या जानें क़ानून? मैं ने उस रोज़ इनके नोटिफ़िकेशन निकालने का नमूना सदन के समक्ष पेश किया था अभी सेल्स टैक्स के बाबत नोटिफ़िकेशन निकाला है। उदाहरण के तौर पर मैं उसे सदन की जानकारी के लिये पेश करूं गज़ट के ८७६ पेज पर है, २३ मार्च, ६३ का गज़ट है उसमें यह लिखा हुआ है:—

"Notification No. F. 5 (40) F. D. (R. T.)/63-II-Clause (b).

When the sale is made by such manufacturer to a registered dealer for the purpose of sale within the State or sale in the course of inter-State trade or commerce, at the point of sale by such registered dealer: Provided that a declaration in the form given in the Schedule appended hereto is obtained to that effect by such manufacturer from such registered dealer."

यह इस प्रकार का डिक्लेरेशन मैन्यु-फ़ेक्चरर से लेना है रजिस्टर्ड डीलर को किस फार्म में जो नीचे दिया है मुलाहिज़ा फरमा लीजिये फार्म में लिखा हुआ है, फार्म ग्राफ डिक्लेरेशन आप लिखते हैं: —

"A licence to permit sale by manufacturer to a registered dealer without payment of sales tax.

Licence No.

Shri/M/s.....being manufacturer of........ (names of the products) having a place of business at..(with tehsil and district) and Registration certificate No.....is/are hereby permitted to sell his/their above products without payment of sales Tax to a registered dealer in Rajasthan provided a declaration in the prescribed form to the effect that the goods are for sale on which either the State sales Tax or the Central Sales Tax shall be payable, is obtained from the purchasing dealer at the time of sale.

Signature of the assessing authority

ऊपर लिखा है लाइसेन्स नं०, फार्म देना है मैन्यु फेक्चरर को लेने वाला है रजिस्टर्ड डीलर।····

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : इसमें करेक्शन कर दिया है, पार्ट सेकिन्ड में निकाल दिया है।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : करेक्शन कर दिया, इसमें बड़ी खुशी है आपको।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : करेक्शन तो आप करते ही रहते हैं। जी. ए. डी. ने रूल्स निकाले कुमारियों के बच्चे होंगे यह निकाला था रूल। पर मैं कहता हूं कि जो इस तरह के रूल्स निकालते हैं, बारह बारह सौ रुपया तनख्वाह आप उनको डेपुटेशन पर बुला कर देते हैं वे लोग क्या करते हैं? मैं वित्त मन्त्रीजी से कहूगा, आप बचत की बात करते हैं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
१५० कर्मचारी विभिन्न विभागों में ग्रोन डेपूटेशन हैं, ए. जी. ग्रॉफ़िस से ओन डेपुटेशन ग्राये हैं। यदि वे एल. डी. सी., यू. डी. सी. राजस्थान सरकार में बनते हैं तो १२५) रु० मिलगे, ए. जी. ग्रॉफ़िस में चले जाते हैं तो २८०) रु० होंगे, ३००) रु० होंगे । जो वहां का एल. डी. सी. ग्रापके यहां यू. डी. सी. बना उसको २० रुपया डेपूटेशन ग्रलाउन्स मिलता है, पेन्शन कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है, लीव कान्ट्रीब्यूशन मिलता है ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : यू. डी. सी. वहां से नहीं ग्राते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं कहता हूं, ग्राप नोट करलें, मैं यह इसलिये नहीं कहता कि मैं उसके विरोध में हूं। ग्रापके यहां ग्राते हैं। सिलेक्शन ग्रेड यू. डी. सी. की बेसिक पे ३८०) रु. है, २० परसेन्ट डेपुटेशन ग्रलाउन्स के हिसाब से ७५) रुपये यों हो गये । साढ़े बारह रुपया लीव कन्ट्रीब्यूशन ग्रौर साढ़े बारह रुपया पेन्शन कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है। इस तरह क़रीब ५५०) रु० मिलते हैं । ग्रापके राजस्थान ने गजेटेड ग्रफ़सर ग्रकाउन्ट्स ग्रॉफ़ीसर जो कि ग्रकाउन्ट्स सर्विस का होता है उसको २६०) मिलते हैं ग्रौर उसके मातहत काम करता है उसको ५५०) रुपया। ऐसे एक नहीं, ग्रनेकों यू. डी. सी. हैं। ग्रकाउन्ट्स ग्रॉफ़िसर राजस्थान सरकार ने डेपुटेशन पर ले रखे हैं। ग्रौर इसके कारण राजस्थान की सर्विसेज में डिस्सेटिसफ़ैक्शन है। वे कहते हैं कि हमें किसी प्रकार का एनकरेजमेन्ट नहीं।

मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में फ़ैसला कर लें कि डेपुटेशन पर लेने की प्रथा समाप्त करदी जाय। प्रोजेक्टेड ग्रलाउन्स जो दिया जाता है वह भी बन्द कर देना चाहिये। प्रोजेक्टेड ग्रलाउन्स एमर्जेन्सी में भी दिया जाता है, एमर्जेन्सी के कारण ग्राज सेक्रेटेरियट में एक घंटा ग्रधिक काम करते हैं। प्रोजेक्टेड एलाउन्स बन्द कर देना चाहिये, कम से कम एमर्जेन्सी के टाइम में। यदि इस प्रकार किया जाय तो सरकार इससे दस लाख की बचत कर सकती है। यह बचत का एक तरीक़ा है।

एक सुझाव इस सम्बन्ध में सरकार को देना चाहूंगा। ग़लत नीतियों के कारण सरकार की कई बार ग्रालोचना हुई है। सरकार कहती है कि सुझाव नहीं ग्राते हैं ग्रौर यदि सुझाव दिये जायं तो विचार करेगी। मैं ग्रापको सुझाव देता हूं, सरकार की डिस्क्रिमिनेट नीति के ऊपर देता हूं कि सरकार किस प्रकार फ़ेवर करके, ट्रेड ग्रौर इन्डस्ट्री में ग्रनुचित संरक्षण देकर, राज्य के धन का नुक़सान कर रही है।

ग्रध्यक्ष महोदय, माइन्स एक्ट है। मिनरल कन्सेशन ग्रौर माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स बने हुए हैं ग्रौर उनके ग्रधीन रोयल्टी का कलैक्शन होता है। खानों से पत्थर निकाला जाता है जिसकी रोयल्टी का कलैक्शन होता है। राजस्थान सरकार की विचित्र नीति है। राजस्थान के एक राज्य में तो स्टेन्डर्ड है, सरकार की दो प्रकार की एक ही राज्य में नीतियां हैं। एक ज़िले में वज़न के ग्राधार पर रोयल्टी का कलैक्शन होता है ग्रौर एक जगह मेजरमेन्ट के ग्रनुसार होता है। घड़ियां चार ग्राना मन तोल कर चुंगी नहीं लगा सकते। कोटा इलाके में जो रोयल्टी वसूल की जाती है यह चार ग्राना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

क्युबिक फीट के हिसाब से वसूल की जाती है और जोधपुर और भीलवाड़ा में वह की जाती है १) रु० प्रति टन के हिसाब से। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक जगह चार आना क्यूबिक फिट लेते हैं और दूसरी जगह १) प्रति टन लेते हैं। एक ट्रक में १०० फ़ीट माल आता है, पांच टन का वज़नी होता है। एक ट्रक की रोयल्टी आप कोटा में २५) रु० वसूल करते हैं और भीलवाड़ा और जोधपुर में उसी एक ट्रक की रोयल्टी ४) रु० वसूल करते हैं। पांच टन का ५) रु० और कोटा में २५ रुपया। जोधपुर और भीलवाड़ा में सैल्स टैक्स का १) रु० और कोटा में ६) रुपया वसूल कर सकते हैं। वहां पर ३१) रु० ट्रक के मिलते हैं और यहां पर ६) रु. प्रति ट्रक के मिलते हैं। जोधपुर में रायल्टी का कलैक्शन ६) रु० प्रति टन करते हैं और कोटा में ३१) रु०; भीलवाड़ा में वही ६) वसूल करते हैं। यदि कोटा की रेट आप जोधपुर और भीलवाड़ा में भी लागू करें तो जहां आपको १२ लाख की आमदनी है वहां वह आमदनी ६० लाख की हो सकती है। नियम बने हुए हैं। यदि नियमों में ऐसा कोई डिफ़ेक्ट है तो आप उनको बदल दीजिये। सारे राजस्थान में एक सी रेट लागू कर दीजिये। कइयोंको आप नाजायज़ फ़ायदा देना चाहते हैं और वह इसलिये देना चाहते हैं कि वहां कांग्रेस का बहुमत है, वह कांग्रेस पक्ष का क्षेत्र है, इस प्रकार की नीति जायज़ नहीं है। जहां एक और पक्षपात है तो दूसरी ओर राज्य की आमदनी है। सरकार की आमदनी बढ़ाने का सवाल है। डिस्क्रिमिनेशन की नीति को छोड़ना चाहिये। नया टैक्स भी नहीं है और किसी के विरोध की बात भी नहीं। जोधपुर और भीलवाड़ा में बाक़ी रेट्स यूनीफ़ोर्म तौर पर लागू कर देंगे तो ८५ लाख की विशेष आमदनी बिना टैक्स लगाये हो सकती है, बशर्ते कि इस पक्षपात पूर्ण रवैय्ये को सरकार दूर कर विचार करेगी।

जो वित्त विधेयक आया है उसके सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं। अन्त में मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा और खास तौर पर वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा सेल्स टैक्स, एक्साइज सम्बन्धी जो विज्ञप्तियां निकलती हैं उनके बारे में क़ानून निकालते हैं, विज्ञप्तियां निकालते हैं। न आप समझते हैं, न विभाग समझता है और न क़ानून की पैरवी करने वाले ही समझ सकते हैं। नित नयी विज्ञप्तियां निकलती रहती हैं, कहीं एग्ज़ैम्प्शन कर देते हैं, तो कहीं कर लागू कर देते हैं। मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि सेल्स क़ानून के कारण मध्यवर्गीय और आम जनता बड़ी परेशान है। क्या दुकानदार, क्या जनता, सब परेशान है। आप इसका सरलीकरण करें, आप इनको कोडिफ़ाई करें, कन्सोलिडेटेड फार्म में बना कर सरल भाषा में टैक्सों की व्यवस्था करें। जिस प्रकार पैट्रोलियम और मोटर स्प्रिट के बारे में किया। इसका सब ने स्वागत किया। जिस प्रकार आपने इसको फ़र्स्ट पोइन्ट पर लगाया उससे आपने बड़े बड़े लोगों से करोड़ों रुपया वसूल कर लिया। छोटों को दिक्क़त न हो, यह इसलिये किया। टैक्सेशन का स्ट्रक्चर इसतरह का हो कि कम से कम बिजनेस मैन परेशान हों, कम से कम सेल्स टैक्स के दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़े, करप्शन रुक सके। इसलिये इनको सरलीकरण और कोडिफ़ाई करना चाहिये। आये दिन नोटिफ़िकेशन

Page No.60

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के द्वारा टैक्सेज़ बढ़ाने की जो परम्परा है उसको महरबानी करके बन्द कर दीजिये। जो कुछ लगाना है वह सदन में लगाइये, नहीं लगाना है तो उसकी घोषणा कर दीजिये।

अन्त में यह निवेदन करते हुए कि दो करोड़ की रेवन्यू का जो घाटा है, उसको आप अनावश्यक खर्चे में कटौती करके पूरा करेंगे, धनका जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर लगाम लगा कर पूरा करेंगे, लोगों में सरकार का पैसा बाक़ी है जिसकी वसूली नहीं की जा रही है; उसकी वसूली की कार्यवाही करेंगे, जो सरकार का डिस्क्रिमिनेशन है उसको बन्द करेंगे और पक्षपात पूर्ण रवैये को बन्द करके समान रूप से रोयल्टी लागू करेंगे; इसके साथ साथ कितना बैक डेटा है, कितना वसूल कर सकते हैं उसके लिए आश्वासन देंगे। आगे आने वाले साल में न दो करोड़ का कर्जा लेंगे और न टैक्स लगायेंगे। खास कर सरकार को अनाज के ऊपर टैक्स वापिस ले लेना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक सन् १९६३ सरकारी नीति को अमली जामा पहिनाने के लिए, उसे कार्य-रूप में परिणत करने के लिए सदन के समक्ष लाया गया है। यह बात स्पष्ट है कि अभी जो सदन के समक्ष विधेयक है वह सरकार के दिमाग की वस्तु नहीं है। यह विधेयक इस सदन में बहस होने के फलस्वरूप है। यह विधेयक खास कर इस तरफ़ के माननीय सदस्यों द्वारा जो विरोध हुआ उसको कुछ हद तक मैं मानता हूं कि फलस्वरूप हो सकता है परन्तु वह स्पष्ट और निर्विवादित है कि अधिकांश रूप से कांग्रेस दल के माननीय सदस्य जिन्होंने इस सदन के अन्दर इस विधेयक का विरोध किया सेदन के बाहर विरोध किया उसका परिणाम यह हुआ कि जो फ़र्स्ट रीडिंग के लिए वित्त विधेयक इस सदन के समक्ष आया था उसमें और आज जो वित्त विधेयक देखते हैं उसमें रात–दिन का अन्तर है। वह जो योजना थी टैक्स की योजना थी। जिन चार-दीवारी के अन्दर वह योजना स्थित थी उस योजना में और आज की योजना में within four corners of the schemes, रात और दिन का अन्तर है। The whole scheme is undergoing a complete metamophis. मेरे ख्याल से वह एक सरकार की अयोग्यता की द्योतक है।

मैंने वित्त मंत्री महोदय के भाषण को जो उन्होंने सदन के समक्ष तारीख २ मार्च, १९६३ को प्रस्तुत किया था उसको जब ध्यान से पढा, मैं यह अनुभव करने लगा कि वह भी सरकार की ही निति थी। वित्त नीतिमंत्री महोदय केवीनेट के प्रति रेस्पोन्सिबल हैं अतः उनका भाषण भी केबीनेट की नीति का घोतक था। जब मैंने उस भाषण को पढा मेरे मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि सरकार खुदकशी करने जा रही है। सरकार कुल्हाडा अपने हाथों से अपने पांवों पर पटक रही है। यह भी इसके साथ साथ अनुभव हुआ कि सरकार का हाथ जनता की नाडी के ऊपर नहीं। The Government has lost the feel of the pulse of the people.

अध्यक्ष महोदय, मेरे निवेदन करने का मूल ध्येय यह है कि वित्तीय योजना इस हद तक

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

परिवर्तित है, मैं समझता हूं कि सरकार की कोई योजना नहीं, सरकार क्या करना चाहती है, वह ठीक तरह से सरकार को भी पता नहीं है।

पहले ५० लाख का घाटा बताया गया था। अब टैक्सेज में छूट देने के कारण डेढ करोड की छूट देने की योजना सरकार ने बनाई है और संभवतः मक्का, जवार, बाजरा इनके ऊपर जो सरकार ने टेक्स लगाये हैं उस पर पुर्नविचार करके वह टैक्स छोडना पडे।

श्री रामकिशन (वैर): सरकार ने अभी इन पर छूट नहीं दी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: सरकार ने अभी तक छूट नहीं दी है तो सरकार को छूट देनी चाहिये, नहीं तो यह जुल्म है और जुल्म की पराकाष्ठा है। जवार, मक्का, बाजरा जैसी आवश्यक वस्तुओं पर सरकार हठधर्मी से, मनमानी रूप से टैक्स लगा रही है। यह थोथी योजना बनाकर गरीब किसानों की रोटी सरकार छीनना चाहती है, गरीब किसान की रोटी सरकार महंगा करना चाहती है। आज इस तथाकथित एमर्जेन्सी की ओट में जो सरकार यह टैक्स लगा रही है वह बडी खतरनाक और शर्मनाक बात है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि डेढ करोड रूपये की छूट देने का सरकार ने एलान किया है। पहले पचास लाख का घाटा था, यह मिलाकर जैसे मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने बताया, करीब ढाई करोड रूपये का घाटा रह जाता है। इस घाटे को पूरा करना केवल मात्र कर्जा लेने से नहीं हो सकता। कर्ज की एक सीमा होती है, अगर हम कर्जा लेते ही चले जायेंगे तो मेरे ख्याल से १९६१ का दिवालियापन वापिस आ सकता है और एक भयंकर स्थिति उत्पन्न हो सकतीहै। अध्यक्ष महोदय, कर्ज की भी एक सीमा होती है। उस कर्ज की सीमा तक सरकार पहुंच चुकी है जिसके पश्चात् कर्जा लेना सर्वथा अनुचित, हानिकारक तथा भयंकर होगा। अगर सरकार अध्यादेश द्वारा पुनः कर लगाने की चेष्टा करेगी तो सर्व प्रथम यह जनतंत्र की अवहेलना होगी और उसमें इस सदन का घोर अपमान होगा। मैं समझता हूं, अध्यादेश द्वारा टैक्स लगाना हाई हेन्डेडनेस की पराकाष्ठा होगी।

हमारी जो योजना है उसमें तीन भीषण खामियां है। सर्व प्रथम इस प्लान के अन्दर खामी है वह ऐसी खामी है; 'Delay defeats equity' सरकार अपने विचारों को, अपनी योजनाओं को, समयोचित रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से सरकार के इन्टेन्शन और अचीवमेन्ट में क्या भिन्नता है इसकी कोई तमीज इस सरकार को मालूम नहीं होती मैंने अध्यक्ष महोदय, लगभग एक साल से यही कहा है और कहूंगा चाहे जितनी कटु बात हो यह सत्य है और कटु सत्य को कहना अपना कर्तव्य समझता हूं। हमारी प्लान को हमें घटाना होगा, कोर ऑफ प्लान को घटाना होगा। एक हदतक हम यह अनुचित रूप की लग्जरी को बरदाश्त कर सकते हैं परन्तु वास्तविकता को देखते हैं तो हमारी हैसियत के बहार की चीज है। जो प्लान ओवर एम्बीशियस है उसको हमें अवश्य घटाना होगा। अधिक परतन्त्रता से, कर्जे से, कभी सुख या शान्ती न आई है और न आ सकती है। चाहे जिद के कारण सरकार मेरी बात को नहीं माने परन्तु यह आंकडों की सौदेबाजी बहुत दूर और बहुत देर तक नहीं चल सकती। आपकी थोथी लगेजरी आफ फीगर्स में थोथे आंकडों के जाल में जन्ता अब नहीं आयगी। मितव्ययता ही अध्यक्ष महोदय, एक मार्ग है और यह सर्वोपरि मार्ग है। सरप्लस किये हुए कर्मचारियों को एवजोर्ब कर लेते हैं यह सरकार ऐलान करती है यह सरकार की अर्थ नीति है यह कोई मितव्ययता नहीं। इस प्रकार की क्षमता कर्मचारियों की घटती है, कार्यकुशलता में कमी आती है।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

नया सैस, उपकर जो पचास रुपये से अधिक लगान देने वाले किसानों पर तथा ४५ बीघा से अधिक सूखी जमीन का जिस किसान से आता है उस पर उपकर जो लगाया गया है, मैं समझता हूं इस उपकर से ८५ प्रतिशत किसानों पर असर पड़ेगा। सरकार यह अनुमान करती है कि २५ लाख रुपये की इस कर से आय प्राप्त होगी। मैं समझता हूं यह अनुमान ठीक नहीं है। यह अनुमान अन्डर-एस्टीमेटेड है। मेरा अनुमान है कि इस उपकर से ७५ से ८० लाख रुपये सरकार को प्राप्त होंगे।

इससे तो अध्यक्ष महोदय, जो पहले सैस की योजना थी, अर्थात् १५-३।८ एकड पर १२॥ परसेन्ट और ३३ एकड पर २५ परसेन्ट सैस लगाया जावे आदि आदि, वह योजना किसान के लिये विशेष हितकर थी।

मैं समझता हूं कि यह व्यक्तिगत मेरा ही अनुमान नहीं है, लेकिन इस सदन के कई माननीय सदस्यों का यह विचार है।

अध्यक्ष महोदय, डीजल के सम्बन्ध में जिस हद तक डीजल ट्रान्सपोर्ट पर्पजेज यातायात के लिये खर्च हो, तो उसे मोटर स्पिरिट की परिभाषा में लिया जाकर यदि टैक्स किया जावे तो मैं समझता हूं यह बुरी बात नहीं होगी। परन्तु डीजल यदि सिंचाई के काम में, पम्पिंग सेटों में खर्च हो, यदि डीजल ट्रैक्टर में खर्च हो उस समय कि ट्रैक्टर खेती के काम में लाया जाता हो तो मैं समझता हूं कि डीजल को छूट देना आवश्यक होगा।

इसी तरह जनरल सेल्स टैक्स में चार से छः परसेन्ट तक बैशी की गई। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुओं; मसलन कंघे, साबून, डेंटल क्रीम्स आदि को छूट मिलनी चाहिये, बहुत सी ऐसी वस्तुएं आवश्यकता की हैं कि जिनके ऊपर टैक्स की दरों की दुतरफा भरमार लगी है। केन्द्र के द्वारा भी ये वस्तुएं टैक्स्ड हैं और राजस्थान सरकार भी उन पर यदि टैक्स ले तो मेरे ख्याल में यह डबल टैक्सेशन की नीति सरकार चाहे तो काम में ले सकती है, लेकिन सिद्धान्ततः इस नीति को यथाशक्ति काम में कम से कम लिया जावे तो ठीक होगा।

मितव्ययता के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार इस एमर्जेन्सी के समय, संकटकालीन स्थिति के समय तक कोऑपरेशन रोड ट्रान्सपोर्ट सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स में काफी बचत कर सकती है। सरकार को यहां ऐसा निश्चय कर लेना चाहिये कि गत वर्ष जो विभाग पर खर्चा हुआ है उससे किसी हालत में भी अधिक खर्चा इस साल न होने पावे।

अ ी ही मैंने देखा, बिहार राज्य ने यह निर्णय किया है कि कोऑपरेशन पर अधिक व्यय गत वर्ष से इस साल या आने वाले साल नहीं किया जायगा। जब बिहार राज्य को इस सम्बन्ध में मितव्ययता करने के लिये विचार उत्पन्न हुआ तो मेरे ख्याल में राजस्थान सरकार के लिये यह बिहार सरकार का निर्णय अनुकरणीय तथा आवश्यक है।

मेरे पहले माननीय सदस्य ने कई आंकडों के साथ कहा कि आपकी बकाया के लिये आप क्या कर रहे हैं, गाढ निद्रा में सोये हैं।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
इस सम्बन्ध में मैं सदन का विशेष समय नहीं लेना चाहता। मैं कहना चाहता था, पर मेरे पूर्व वक्ता ने सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं पुनः आकर्षित करूंगा और जिस सरकार की बकाय के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था उसको उगाहने की नहीं है तो मेरे ख्याल में तो यह तो ग्रेव एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स हैं, यह बडी बुरी बात है। इस सम्बन्ध में भी सरकार को सजग होना चाहिये और कुछ न कुछ करना चाहिये।

कहा गया है कि Simple rule is the best rule. आज आपने अपने फाइनेन्शियल बिल में एक तरह की भूल-भूलैया बना दी है। रेगुलेशन और उसके साथ साथ रूल्स और मोलेस्टि आफ फोर्स ये सब शायद आधुनिक रूढि के अनुसार आवश्यक हैं पर उनको सब चीजों को आधुनिक आडम्बर को आप अवश्यमेव सिम्पलीसिटी से बदलकर चलें।

यह बजट, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार की नैतिक रुप से हार है। और कुछ अंशों तक मैं यह भी समझता हूं कि इस सदन की ओर खास करके उन कांग्रेसजनों की जीत है कि जो सरकार को खुदकुशी नहीं करने देकर अपनेआप जीवित रहना चाहते हैं और इस पुरानी बुढिया कांग्रेस संस्था को भी जीवित रखना चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): बूढे भी बूढी कहते हैं। दो बूढे बूढे खूब मिले।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मन्त्री आज कोई १५-१७ दिन से कई बार यह कह चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): वित्त मन्त्रीजी को बुढिया कहना तो अच्छा नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मेरे ख्याल से यह बुढिया नहीं जगे तो धीरे धीरे दुबली होकर बहक पडेगी और इसको अगर हरा घास भी खिलावेंगे तो भी यह ग्याभिन होकर दूध नहीं दे सकेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बुढिया के साथ घरवासा करने का इरादा तो नहीं है?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: इरादा तो नहीं है, पर मेरे ख्याल से इस बुढिया ने देश का बहुत भला किया है। अगर अब जीवित रहे तो देश को नुकसान नहीं करेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह दुबली हो गई तो इन बूढेजी के काम की नहीं रहेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्रधान मन्त्रीजी पिछले पन्द्रह बीस दिनों से यह कह चुके हैं, यह अखबारों में भी चर्चा कर रहे हैं कि हमारी उत्तरी सीमा पर चीन फौजें जमा करे, अपने मोर्चे कायम कर रहा है। वह अपने डिफेन्सेज को फोर्टिफाई कर रहा है। यह भी बताया गया कि ८ डिविजन्स की जगह १८ डिविजन मूव की गई और आगे लाई गई हैं। शायद १२ डिविजन्स से भी अधिक आयी हों और इस बात को कुछ ही दिन पहले हमारे राष्ट्रपति ने मद्रास में दोहराया। जहां तक हमारे सीमा के राज्यों का प्रश्न है, चाहे कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम वे तो फ्रन्ट लाइन स्टेट्स हैं, उनको छोडकर, अगर सैकन्ड लाइन ऑफ डिफेन्स

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

के राज्य देखे जावें चाहे उनमें उडीसा हो, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र हों, उन सब में मैं समझता हूं कि राजस्थान का महत्व सबसे ऊंचा है।

हमारी योजनाएं विलेज वॉलन्टियर कोर के सम्बन्ध में, एन.सी.सी. के सम्बन्ध में जो हैं वे अच्छी हैं, होम गार्ड्स बिल एक अच्छा और आवश्यक विधेयक है। उसका मैंने विरोध नहीं किया है। लेकिन मेरे ख्याल से मनोवैज्ञानिक रूप से अगर हम कोई टेरीटोरियल आर्मी की योजना सोचें तो यह बहुत से काम्पलीकेशन्स भी सिम्पलीफाई हो जाते हैं और अगर टेरीटोरियल आर्मीकी योजना राजस्थान केन्द्र के सामने रखें तो मेरे ख्याल से कई मित्र राष्ट्र अमेरिका आदि से हमको काफी हथियार मिल सकते हैं, अब हथियार मिलने की भी सम्भावना दिनो दिन बढती जा रही है। टैरीटोरियल आर्मी को भी मुझे विश्वास है हथियार मिल सकते हैं, चाहे शुरूआत में इस योजना में हमारे जवानों को हथियार न भी मिलें और स्टाफ (लाठियों) से ही ट्रेनिंग देनी पड़े तो दें, परन्तु आर्मी रेगुलर हो।

अगर दो ही खंडों में हमारी सेनाएं विभाजित हो जाती है तो मेरे ख्याल से इसका अन्तर्राष्ट्रीय सिग्नीफिकेन्स भी होगा और मैं आशा करता हूं कि राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में देशको बडी भारी सहयोग भी दे सकती है और केन्द्र से. सहयोग आर्थिक रूप से और हथियारों से भी शनै शनै प्राप्त कर सकती है।

यदि यह योजना सरकार उचित समझे तो जयपुर सर्वप्रथम, जोधपुर, यदि आवश्यकता हो तो बीकानेर, उदयपुर आदि केन्द्र बनाये जायें और वहां पर यह योजना क्रियान्वित की जाये। मैं राजस्थान सरकार का इस ओर भी ध्यान आकर्षित करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान वित्तीय

श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): किस ऑर्डर में बोलेंगे?

श्री **अध्यक्ष**: ऑर्डर तो कोई विशेष रह नहीं सकता। जितने माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव भेजे हैं और संशोधन भेजे हैं, विभिन्न क्लॉजेज पर इस तरह से बहस पार्टीवाइज हो जाये और हर पार्टी के एक दो सदस्य अपने विचार व्यक्त कर दें तो वह ज्यादा उपयुक्त रहेगा और सदन की इच्छा भी इसी प्रकार की मालूम होती है।

श्री **भैरोंसिंह**: पहले तय हो जाता तो सारे पोइन्ट एक पार्टी की तरफ से बोल लेते। हम इसी इम्प्रेशन में थे कि सभी मूव करेंगे जिन्होंने दिये हैं।

श्री **अध्यक्ष**: सब पर तो बहस करना सम्भव नहीं होगा। एक पार्टी के एक से दो सदस्य भी बोल सकते हैं।

श्री **सम्पतलाल बोहरा** (मावली) : clause by clause

श्री **अध्यक्ष**: उस समय यही दिक्कत आयेगी कि इतने अमेन्डमेन्ट्स हैं कि किसी रूप में नहीं ले सकते। हां, कोई माननीय सदस्य चाहे कि विशिष्ट हो, मत व्यक्त करना चाहते हों या बहस चलाना चाहते हैं तो उसको भी ले सकते हैं। लेकिन क्लॉज

(श्री अध्यक्ष)
बाई पलाज लेकर जितने संशोधन आये हैं उस तरह से चलने का प्रयास किया गया तो सम्भव नहीं हो सकेगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक पर हम विचार कर रहे हैं। जो हमारे बजट में वित्तीय कमियां हैं उनको किस प्रकार से वसूल करें, इसके संबंध में वित्त मंत्री महोदय ने अपने कुछ प्रोपोजल्स रखे हैं। मैं इसके संबंध में यही कहना चाहता हूं कि जहां मैं मानता हूं कि इसमें जो कुछ प्रोपोजल्स हैं वे अपने, आपमें प्रगति, शील हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि जिसमें जो टैक्स लगाने का बुनियादी सिद्धांत होता है उसके विपरीत है कुछ ऐसे भी हैं कि जो डुप्लीकेट होते हैं, केन्द्र ने भी लगाये हैं और स्टेट ने भी लगायें हैं कुछ इस प्रकार की इसमें व्यवस्था भी रखी है जिसके जरिये, जैसे बिजली आदि में कुछ छूट देने की और कमी करने की, इसतरह की व्यवस्था भी इसमें रखी है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसमें यह प्रावधान भी रखा है कि जो टैक्स वसूल नहीं होते हैं उनके लिए भी कोई कानूनी अधिकार प्राप्त करने की कोशिश करें ताकि वे ठीक ढंग से वसूल हो सकें। इसलिए जितने भी प्रावधान हैं उनके संबंध में सारों पर नहीं कहकर दो चार के विषय में अर्ज करना चाहता हूं।

सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सेल्स टैक्स हम लगाने जा रहे हैं उसमें से कोई ऐसा टैक्स तो नहीं है कि जिसके ऊपर केन्द्रीय सरकार ने भी टैक्स लगा दिया हो और हमने भी लगा दिया हो। टैक्स का साधारण सिद्धान्त है कि डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, उधर से भी लग जाये और इधर से भी लग जाये। अगर ऐसा होता है तो साधारण आदमियों पर बडा भारी बोझ हो जाता है। आज कॉन्सटीट्यूशन के अन्दर तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसमें इस बात का जरूर उल्लेख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और अक्सर इस बात का ख्याल किया जाता है कि जो केन्द्र ने टैक्स लगा दिया है उसको राज्य सरकार नहीं लगाये। मैं समझता हूं कि केन्द्र ने क्या क्या टैक्सेज लगाये और आपने कौन से लगाये हैं, इसके बारे में जांच आप कर लें और जांच करने के बाद में यदि कोई डुप्लीकेशन हो जाता है तो उसको आप हटाने की कृपा करें। जैसे आप रंग को लें। रंग के ऊपर हमने भी टैक्स लगाया और केन्द्र ने भी और इसके अलावा और भी चीजें इसमें होंगी जिसको आप जांच कर लें।

दूसरे, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि टैक्स का असर सब के ऊपर समान से पडना चाहिये। आपने बसों के ऊपर प्रति सीट टैक्स लगाया है, तो क्या होता है कि कुछ बसें तो बहुत ज्यादा रन करती हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जिनमें बसों के टर्न आते हैं, ८ दफा और ६ दफा और कुछ बसें काफी लम्बी रन करती हैं और टैक्स जो लगाया जाता है. वह इसी आधार पर लगाया जाता है कि सबके ऊपर उसका समान असर पडे। लेकिन मैं देखता हूं कि आपने प्रति सीट के ऊपर लगा दिया है। अगर किसी की ५० सीट की बस है और महीने में उसका टर्न ६ दफा आता है, अपनी रूट पर और एक महीने में जिसका रोज नम्बर आता है तो उसको भी उतना ही टैक्स देना पडेगा। तो यह कोई सिद्धान्त की चीज नहीं है। ऐसे टैक्स को हम सिद्धान्तहीन समझते हैं।

(श्री मुरलीधर व्यास)
इसलिए ऐसे टैक्स के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि आप वह टैक्स लगायें लेकिन प्रति मील के ऊपर लगा दिया जाता कि कौनसी मोटर कितने मील जाती है, जितने मील चलेगी उसको उतना ही लाभ मिलेगा और उसको उसके अनुसार ही टैक्स देना पड़ेगा। एक बस चलती नहीं है, लोगों के टर्न नहीं आते हैं, तो उनके ऊपर भी आपने वैसा ही टैक्स लगाया है। तो मैं समझता हूं कि यह टैक्स सिद्धान्त का नहीं है और इस पर आप पुनः विचार करें।

इसी प्रकार से बिजली के सम्बन्ध में कुछ प्रावधान रखे हैं उनका मैं थोडा विरोध करता हूं। हमेशा ऐसे प्रावधानों का दुरुपयोग होता है, भ्रष्टाचार होता है। छूट भी उन लोगों को मिलती है जो कि बहुत बड़े लोग हैं और कुछ ऐसे समझौते हो जाते हैं कि जिनमें दूसरों को बहुत लाभ मिल जाता है, जैसा मैंने कहा कि लास्ट टाइम क्या हुआ कि मैलाइन एण्ड केमीकल वर्क्स जो कि १२ करोड का प्रोजेक्ट है उसको हमने बिजली दी। आपने फैसला कर लिया अलग से और उसको बिजली ३ नं. पै. पर यूनिट दे दी। जब कि आप २ आने हर उद्योग से लेते हैं और एक कन्सर्न को ३ न.पै. से दे दें, किसी को २ न. पै. से दे दें, यह सौदा होता है और इसका बुरा असर होता है। जब हम समानता के आधार पर चलना चाहते हैं तो इसमें भी आपकी वही नीति होनी चाहिए।

जो हमारी हाइड्रो बिजली का उत्पादन होता है उसकी जैनरेटिंग कोस्ट पर यूनिट ५ न. पै. होती है और उसको ३ न.पै. में दे दें जिसमें करीब ७-८ लाख रुपये का नुक्सान हमारे खजाने के ऊपर है। तो, जो खजाने के ऊपर सीधा लोस होता है उसको रोकना चाहिये। आखिर आप एक करोडपति आदमी को विशेष छूट देकर गरीबों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बिजली का पैसा लगायें, यह अच्छा तरीका नहीं है। तो ऐसे प्रावधान को हम स्पष्ट करना चाहते हैं और वह आपकी ओर से स्पष्ट होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसका नतीजा भी बुरा होता है।

(१. ३१. म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : युनीफॉर्मिटी होगी।

श्री मुरलीधर व्यासः युनीफॉर्मिटी तो कर ली, लेकिन आप यह दावा करते हैं कि उनको भी उसी रेट पर मिलेगी; जिसमें १२ लाख रुपये का नुकसान होता है और अगर आप यह कर लेते हैं....

श्री बालकृष्ण कौल: माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि आप रेट को और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को अलग अलग समझें। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इन्डस्ट्रीज के युनीफॉर्म है और जो आपका ख्याल है शायद रेट का कर रहे हैं इस जगह रेट का ताल्लुक नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके अन्दर भी आपको बाध्य करना चाहिए। आखिर आप दूसरों से टैक्स लेते हैं और छूट देते हैं तो यहां छूट नहीं मिलनी चाहिए। अगर

(श्री मुरलीधर व्यास)
छूट देते हैं तो इसका असर आम गरीबों के ऊपर पडता है

श्री बालकृष्ण कौल: ड्यूटी का नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास: बड़े कन्सर्न्स को आप लाखों की छूट देते जायें····

श्री बालकृष्ण कौल: इससे ताल्लुक नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास: ताल्लुक तो नहीं है

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) ड्यूटी से कन्सर्न तो नहीं है, लेकिन ड्यूटी भी तो पैसों के ऊपर लगा रहे हैं; इसलिए पैसों का कन्सेशन हो जाता है, इसलिए ड्यूटी का ऑटोमेटीकली हो जाता है।

श्री बालकृष्ण कौल: ड्यूटी पैसे पर नहीं लगी है, ड्यूटी कन्ज़म्प्शन पर है, यूनिट पर है।

श्री मुरलीधर व्यास : सिद्धान्त की बात अर्ज़ करना चाहता हूं। वित्त मन्त्रीजी आम जनता से काम चलाने के लिये वित्त प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इसमें जो त्रुटियां हैं उन पर ध्यान देना चाहिये। करोड़पतियों को छूट देकर छोटे लोगों से वसूल करना चाहते हैं, उसका नतीजा अच्छा नहीं है ।

कल नन्दाजी कह रहे थे कि जो हमारे प्लान प्रपोज़ल्स हैं, हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उससे हम कितना प्राप्त करते हैं उस आधार पर हमारा काम होना चाहिये । हम जो पैसा लगाते हैं उसका फ़ायदा कुछ बड़े लोगों को मिल जाता है, उन बड़े लोगों को छूट मिल जाती है। ज़मीन के मामले में भी इतनी जबरदस्त छूट कई जगह दे दी है, बड़े बड़े लोगों को दे दी है, इसकी भी अगर ठीक तरह से जांच कर लें तो १ करोड़ रुपया तो गंगानगर इलाके से ज़मीन से प्राप्त हो सकता है। गंगानगर में एक पैंतालीसिया इलाक़ा है हनुमानगढ़ तहसील के अन्दर। वहां पर हमारे एक भूतपूर्व मन्त्री महोदय ने ३५० बीघा ज़मीन ली, ३०), ४०) रु० प्रति बीघा के भाव से खरीद ली। उसको खरीदने के बाद क्या किया कि क्योंकि अपनी उस ज़मीन को खुदकाश्त में बताना चाहते थे, यह बताना चाहते थे कि इस पर काश्त होती थी। उसको खुदकाश्त बताने के लिये किसी पटवारी को जिसका नाम भी मैं जानता हूं श्री लूनावत, उसका ट्रान्सफर कराया, जब वह उस जगह आ गया ट्रान्सफ़र के बाद तो उससे दर्ज कराया कि वह ज़मीन उनके काश्त की है। उसने दर्ज कर लिया कि वह ज़मीन उनके काश्त की है। जब काश्त की ज़मीन दर्ज हो जाती है तो आप क्या करते हैं कि ३५० बीघा ज़मीन जो खरीदी थी वह काश्त की दर्ज हो गई तो ऐसा कायदा है कि ऐसी ज़मीन कमान्ड एरिया की ज़मीन से ट्रान्सफ़र की जा सकती है और वह चाहे तो बदले में दूसरी ज़मीन से ले सकता है, तो अब होता क्या है कि उन्होंने जो ३०) बीघा के हिसाब से ज़मीन खरीदी थी उसकी हनुमानगढ़ शहर के पास, हिज़ हाईनेस की कोठी के पास की २५० एकड़ ज़मीन से ट्रान्सफ़र कर देते हैं। आज उस ज़मीन की कीमत २०००) पर एकड़ है। अब अगर हिसाब लगाते हैं तो आपके खज़ाने में ५ लाख रुपये उस ज़मीन से आने चाहिये थे वे ५ लाख रुपये दूसरे लोग ले गये, उसका फ़ायदा दूसरे उठा गये ।

Page No.68

(श्री मुरलीधर व्यास)

एक दूसरा उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। उन्हीं के एक दामाद हैं उन्होंने भी इसी तरह से अपनी ज़मीन को ट्रान्सफ़र कराया····

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): फ़ाइनेन्स बिल में दामाद बीच में कहां से आगया ?

श्री मुरलीधर व्यास : उसका नाम श्री श्योपत सिंह है या क्या है, मुझे पूरा मालूम नहीं। आप पैसा लेना चाहते हैं तो जो कीमत का पैसा आपके पास आना चाहिये था वह दूसरों के पास चला गया ; ५ लाख रुपये उस जमीन के आते यदि आप उसको नीलाम करते; तो लेकिन बहुत लोगों ने इस तरह से अपनी जमीनें ट्रान्सफ़र करवा कर राज्य के करोड़ों रुपयों की आमदनी बरबाद कर दी। एक नहीं, ऐसे, संकड़ों उदाहरण हैं जिनसे आपको १ करोड़ से भी ज्यादा रुपया मिल सकता है।

बिजली के मामले में कितनी बक़ाया है उसको वसूल करने के लिये आपने कानूनी अधिकार लिया है, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसी बक़ाया से राजस्थान का नर्जर होने के बाद कई लोगों ने मनमानी तरीके से लाभ उठाया है। कानूनन तो यह तय हुआ था कि जो भी यूनिफ़ाइड पे स्केल होगी उसके मताबिक यह ऑप्शन मांगा गया था कि आप पुरानी ग्रेड लेना चाहते हैं या नयी लेना चाहते हैं। दोनों में से एक का फ़ायदा ले सकते हैं ; लेकिन कुछ ऑफ़िसर्स ने क्या किया कि दोनों ही का फ़ायदा लेना शुरू कर दिया। आपको मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। हमारे पावर हाउस के इन्जीनियर सत्संगी की तरफ़ ५७,००० रु० वाटर के हैं : इतने सालों तक वे अपने बंगले में पानी लेते रहे और वह पानी ४००) रु० माहवार का पड़ता था; एक ऑफ़िसर ४००) रु० माहवार का पानी लेवें और उसकी तरफ़ ५७,०००) रु० बक़ाया हों····

श्री बालकृष्ण कौल : मीटर खराब होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : बिल मौजूद है ५७,०००) रु० का। उनको सन् ५७ में दर्खास्त किया था और सन् ६१ में वापिस लिया, उस समय उनको ७०,०००) रु० दिये गये। जब आपने उनको ७०,०००) रु० दिये तो उनकी तरफ़ जो आपके ५७,०००) निकलते थे यह क्यों नहीं वसूल किये, लेकिन क्या होता है कि आपके अफ़सर मिलकर इस तरह से मामला ढीला कर देते हैं कि पैसा नहीं आता है। इस तरह की गड़बड़ियों की यदि जांच करेंगे तो लाखों रुपये मिलेंगे जो सर्विसेज में हैं। यह देख लीजिये सर्विस रूल्स के मुताबिक इसके पेज ११४ पर स्पष्ट लिखा है कि कोई भी आदमी दोनों ग्रेड्स में से एक एक ले सकता है। यदि दूसरा ग्रेड लेता है तो पुराने ग्रेड के साथ जो सुविधाएं मिलती थीं वे समाप्त हो जाती हैं। अब सत्संगी के मामले में लीजिये, बीकानेर में वे पानी और बिजली दोनों के इन्जीनियर थे, इसलिये दोनों सुविधायें लेते रहे। बिल भी बनते रहे। जब वे केवल बिजली के इन्जीनियर रहे तो पानी किस प्रकार लेते रहे, आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं। आज लोग यहां पर पानी के लिये तड़फते हैं तब ४००) रु० का पानी कोई आदमी खर्च कर सकता लेकिन क्योंकि बड़ी कोठी है, बाग-बगीचा है

(श्री मुरलीधर व्यास)

फल-फूलों के पेड लगे हुए हैं, बाजार में बेचे जाते हैं और पानी का पैसा सरकार के खजाने से लगता है। ऐसा जो अपव्यय है उसको रोकना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनसे पैसा वसूल क्यों नहीं होता? वित्त मन्त्री जी को यह करना चाहिये कि फौरन चीफ इन्जीनियर का पानी-बिजली का कनेक्शन काट दे; जिस तरह से एक, साधारण आदमी में बकाया रह जाती है तो उसका कनेक्शन काट देते हैं, उसी तरह से से इनका कनेक्शन भी फौरन काटना चाहिये था। लेकिन उनका बिजली और पानी का कनेक्शन अब तक जारी है। जिस समय वे रिटायर हुए थे उस समय उन्होंने अपना सारा पैसा जो सरकार में निकला था वह ले लिया और यह पैसा जब तक डिपार्टमेन्टस की तरफ से क्लियरेन्स सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक नहीं उठा सकते। मैं यह पूछना चाहता हूं, वाटर वर्क्स और पावर हाउस ने श्री सत्संगी को क्लियरेन्स सर्टिफिकेट कैसे दे दिया, जब कि उनकी तरफ ५७,०००) रु० बकाया निकलता है और २ साल तक सस्पेन्डेड रहे, उसका रुपया कैसे दिया; हमारे सामने बिल लाकर उसमें से क्यों नहीं ५७,०००) रुपये काट लिये। इस तरह की गड़बड़ियां करने वाले जो लोग हैं उनको सस्पेन्ड करना चाहिये। यदि वाटर वर्क्स के इन्जीनियर ने 'नो ड्यू सर्टिफ़िकेट' दिया है तो किस आधार पर दिया है और बिजली वालों ने दिया है तो किस आधार पर दिया है और साथ ही साथ उस अफ़सर को जिसने मिसयूज़ किया है, पैसा नहीं दिया है, उसको हुक्म देना चाहिये कि कल का कल खजाने में पैसा जमा होना चाहिये और यदि वह नहीं देता है तो खुलकर उसके खिलाफ़ कार्यवाही करनी चाहिये। जो जो रिटायरमेन्ट का पैसा उसको मिल रहा है वह रोकना चाहिये। इतनी सख्त कार्यवाही वित्त मन्त्री जी करें तो कुछ हो सकता है; नहीं तो कितनी ही कोशिश करें पैसा नहीं मिल सकता।

आप किसानों पर टैक्स लगाने की कोशिश करते हैं, २५ लाख रुपयों की बात है। २५ लाख रुपये छोटे लोगों पर टैक्स लगाकर लेने की कोशिश करते हैं, मामूली से मामूली चीजों पर सेल्स टैक्स लगाते हैं, वह गरीब लोगों पर लगता है जिसके लिये बार बार मांग की जाती है कि इसको हटा लीजिये। बाजरा, मक्का और ऐसी चीजों पर सेल्स टैक्स लगाते हैं जिसके लिये मांग बार बार की जाती है कि इसको हटा लीजिये। आप कोई सुझाव ऐसे नये लाइये जो कैपिटलिस्ट लोगों पर लगता हो तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन, २५ लाख रुपये गरीब आदमियों से लेना चाहते हैं जिनकी आमदनी १५ न० पैसे होती है उन पर टैक्स लगाना उचित नहीं है उनको तो इस टैक्स से छूट देनी चाहिये। बकाया के लिये कहा गया तो ५.१० करोड रुपये तो आप बकाया से वसूल कर सकते हैं।

जब माइनिंग डिपार्टमेन्ट को देखते हैं, दूसरे डिपार्टमेन्ट्स को देखते हैं तो मालूम होता है कि बहुत बड़े बड़े लोगों की तरफ़ पैसा बकाया है। आज बिजली का पैसा बड़े बड़े लोगों की तरफ बकाया है। इन बड़े बड़े लोगों से वसूली आप एक क्षण में कर सकते हैं और वसूली करके दो करोड़ रुपये की पूर्ति कर सकते हैं। आपने कानून में प्रावधान रखा है, वह अच्छा है कि आप उसको तेजी करेंगे और बकाया की

(श्री मुरलीधर व्यास)
वसूली करेंगे। जैसा सोचा है, अगर आप मशीनरी को तेज़ कर देंगे तो उसमें पच्चीस लाख रुपया आजायगा और फिर जो आपने अनाज पर टैक्स लगाने की बात कही है उसको कम से कम वापिस ले लेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने प्रगतिशील क़दम उठाया है। आप पर हर एक टैक्स के सम्बन्ध में कई प्रकार के दबाव पड़े होंगे, कई प्रकार की चीज़ें पहुंची होंगी, लेकिन उस ग़रीब की पुकार है वह आपके पास तक नहीं आ सकती, बहुत दूर बैठे हैं। आपको उनकी सुनवाई करनी चाहिये और अनाज और दूसरे धन पर टैक्स लगाया है उसको हटा दीजिये। इसके अलावा आप अपनी मशीनरी को मज़बूत करिये। अगर मशीनरी को मजबूत करेंगे तो आपके करोड़ों रुपये बच जायेंगे। इसके अलावा जो आपके प्रोपोज़ल्स हों, आपको अधिकार देते हैं कि आप को नये प्रपोज़ल्स लाकर इस वित्तीय स्थिति को पूरा करने का अधिकार है। आप गम्भीरता से सोच लीजिये कि जिस तरह आपने गांवों में सरचार्ज लगाया है उसी तरह आज शहरों का भी विकास हुआ है, शहरों की ज़मीन की भी कीमत बढ़ी है। जिन ज़मीनों की कीमत बढ़ी है, उसके लिये गत समय नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा था और उससे करोड़ों रुपये की आमदनी हो सकती है। आप ऐसे नये प्रोपोज़ल्स लायें तो कैपिटलिस्ट्स को डाइरेक्टली असर करते हैं और आम लोगों पर असर नहीं करते हैं। ऐसे प्रोपोज़ल्स रखिये तो इसका नतीजा क्या होगा कि जिस समाजवाद की आप स्थापना करना चाहते हैं, उस समाजवाद की स्थापना हो सकेगी, नहीं तो इन्डाइरेक्ट टैक्स का आम लोगों के ऊपर असर पड़ता है और कैपिटलिस्ट के ऊपर असर करने वाले प्रपोजल आते नहीं हैं तो किसी हालत में समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती।

नन्दाजी ने कल परसों कहा था कि वे ख़ुद चाहते हैं कि इन्कमटैक्स के अतिरिक्त कोई दूसरा टैक्स नहीं होना चाहिये। इसका मतलब यह है कि टैक्स उसी पर लगना चाहिये कि जिसकी आमदनी हो और यह सिद्धान्त हमें मानना चाहिये, परन्तु यह सिद्धान्त आप अपनाते नहीं। हो सकता है, आप एमर्जेन्सी के बारे में यह कहें कि भाई एमर्जेन्सी है, 'एमर्जेन्सी है'। इसका मतलब यह नहीं है कि जो भूखे हैं उनको ही मारा जाय। इसका मतलब है कि बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, जागीरदार हैं, सेठ-साहूकार हैं और लैन्ड होल्डर्स हैं, बड़े बड़े मकान मालिक हैं, जिनके पास पैसा है आप उनकी तरफ़ नज़र डालिये, वहां से पैसा खींचिये। हम कहेंगे कि आप एमर्जेन्सी में ग़रीबों को छोड़ और दूसरा ठीक रास्ता अपनायें। आप कहते हैं कि एमर्जेन्सी के अन्दर मज़दूर हड़ताल नहीं कर सकते, यह नहीं कर सकते वह नहीं कर सकते। आप उनको दबा देंगे। आपने एमर्जेन्सी में बस दबाने का अधिकार रखा है। क्या एमर्जेंसी के अन्दर पैसे वालों से पैसा लेने का अधिकार नहीं है.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अंग्रेज़ों से राज्य लेते हुए यह गुप्त समझौता कर लिया था।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह बात अर्ज़ कर रहा हूं मैं वित्त मन्त्री के लिए सोचता हूं कि वे स्वयं प्रगतिशील हैं। इस मामले से मालूम होता है कि ऐसा सोचना चाहते हैं और उन्होंने बहुत कुछ परिवर्तन किये हैं–

(श्री मुरलीधर व्यास)

किस कारण किये हैं, क्या किये हैं इस बात में मैं नहीं जाता परन्तु इसके अन्दर जरूर परिवर्तन होना चाहिये, क्योंकि इसके लिए सब तरफ़ हाहाकार है। इसलिये आप इस पर गम्भीरता से सोच कर नये प्रपोज़ल्स लायें ताकि देश में सही मायने में समाजवाद की स्थापना हो सके, अन्यथा मैं समझता हूं कि किसी हालत में समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकेगी।

श्री सभापति : श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : श्रीमान्, आज फाइनेन्स बिल के ऊपर बहस चल रही है। तो पहले तो मैं सरकार को बधाई देता हूं कि अबकी बार जो सदन में बहस हुई उसका एक बड़ा असर पड़ा और उस असर से हमारी सरकार ने जो रिलीफ किसानों को दिया, और जो भू-राजस्व के ऊपर-सेस था उसको हटा कर सही तौर पर ऊंचे तबके के ऊपर डालने की बात इस सदन की मानली। इसके साथ साथ यह बात अलग है कि विरोधी दलों के सम्माननीय सदस्य, जब वह टैक्स आता है तो उसका विरोध करते हैं और जब दूसरी बात आती है तो कहते हैं कि इससे तो पहली अच्छी थी। यह तरीका बहुत दूर तक चलता रह सकता है और हम महसूस करते हैं कि किसी भी तरह से सरकार, आपके और हमारे विचारों को ध्यान में रखते हुए जो करती है उससे कुछ लोगों को संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है।

अब मैं टैक्सेज की बात, जो फाइनेन्स बिल है, इस सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, पहली बात यह है कि यह टैक्स की योजना के अन्दर जो डिस्क्रिशन रहता है, वह डिस्क्रीशन उस जगह है जहां से टैक्स नहीं आता है। टैक्स के लिये कहा जाता है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि देश के अन्दर टैक्स का बड़ा हिस्सा लोगों के अन्दर बकाया ही रहता है और सरकार उनसे उगा नहीं पाती है। इसका बड़ा कारण यह है कि जहां कानून से लोगों पर टैक्स लगाते हैं वहां इस प्रकार की चीजें रहा करती हैं और लोग टैक्स इवेड करते हैं। जहां सरकार के हाथ में डिस्क्रिशन रहता है, उसके अन्दर कीड़े पैदा हो जाते हैं हैं करप्शन को बढ़ाने के और वे बहुत दूर तक चले जाते हैं और लेने-देने की बहुत बातें हो जाती हैं क्योंकि यह उस आमदनी पर डिपेन्ड करता है जो डिस्क्रिशन का यूज़ करता है। डिस्क्रिशन इतने बड़े पैमाने पर यूज़ किया जा सकता है। जो बड़े ऑफ़िसर्स और छोटे ऑफिसर हैं, उनकी वजह से इसके अन्दर ऐसी स्थिति पैदा करदी जाती है जिससे टैक्स का इवेजन पैदा हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं, मैं मिसाल देकर कहना चाहता हूं इस सिलसिले के अन्दर कि जो टैक्सेज़ की योजना थी, उसके सम्बन्ध में इस सदन में कई दफ़ा ऐसे मौके आये हैं जिनसे मालूम होता है कि इस डिस्क्रिशन को किस तरह काम में लिया है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि हम सही तौर पर डिस्क्रिशन के मामले को यूज़ करने का दबाव करें और असर पैदा करने में साथ दें क्योंकि हम हाथ उठा कर वोट देंगे, उससे पहले सोच लें कि क्या यह जायज है इस तरह का डिस्क्रिशन देना, जो डिस्क्रिशन हम दे रहे हैं वह उचित रूप से काम में लिया जायगा या

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

नहीं ? अगर हमें जरा भी शंका है तो कि इस डिस्क्रिशन को गलत काम में लाया जायगा तो उसके लिए अपने विचारों को यहां रखना चाहिये और इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिये।

मिसाल के तौर पर मैं कह दूं कि उस जगह करप्शन को ज्यादा बढ़ावा देते हैं जहां पर जो साधारण प्रोसीजर है, फ़ाइल का सिस्टम है उसको कहीं काट कर, उसको ऐलीमिनेट कर जो चीज पैदा करदी जाती है। मैंने पहले भी इस बात पर ज़ोर दिया था, हम डिस्क्रिशन् को काम में लें, लेकिन वह डिस्क्रिशन इस लिये नहीं दिया जाता कि इसको तानाशाह के रूप में काम में लें, डिक्टेट करने के रूप में काम में लें। डिस्क्रिशन के मायने यह हैं :— D.scretion usdc with reason उसके पीछे यह तरीका होना चाहिए। जहां डिस्क्रीशन करना हो वहां यह तरीका आपके दिमाग म हो। डिस्क्रीशन वही होनी चा हए जहां आवश्यक होता है। तो डिस्क्रीशन की बात कही है, वह डे ोक्रेसी म डिस ीशन इस तरह काम में आ सकता है। चाहे जिस तरह उसको काम में ले लें तो मैं समझता हूं, यह गलत है। हमारे सामने स्पष्ट रूप से कुछ मामले ऐसे आये हैं। मैं समझता हूं कि उसमें कोई मंत्री हो, उनका नाम आता है साफ तौर पर तो उसकी सफाई देना आवश्यक है। आज भी इस डिस्क्रीशन की बात आ रही है उसको मैं ब द में रखूंगा। एक सवाल उठ सकता है इस मामले में ोर वह सवाल है, प्रो ह- वशन। प्रोहबिशन की पॉलिसी है कि दूकानें नहीं बढ़ाई जाय। यह बात आई। यह बात बहुत दन नहीं चल सकी और जहां प्रोहबिशन की पॉलिसी है वहां पर वदेशी शराब की दुकानें खोली। उसका क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन क्राइटेरिया हो सकता है, एक क्राइटेरिया हो सकता है कि काम करने का तरीका या पद्धति प्रोहबिशन की अब में नहीं था लेकिन केबिनेट ने तय कर लिया था। मैं मान लेता हूं कि एक अर्से पहले केबिनेट ने तय कर दिया कि सोलह दूकान दे दी जाय। मैं आपको बताऊं कि एक्साइज मिनिस्टर थे, रामचन्द जी, उनके टाइम म केबिनेट ने यह तय किया और उन्होंने इलेक्शन के टाइम के पहले सारी चीजें पब्लिश करके अर्जियां मंगा कर जिस तरह बाकायदा होता है, जिस तरह असिस्टेंट कमि नर से व वह रिकमन्डेशन कराते हैं वे सारी चीज उसके साथ जुड़ गई। बदकिस्मती से वे नहीं आ सके और एक्साइज के अन्दर हमारे वित्त मंत्री ही एक्साइज मंत्री बने और उसके बाद क्या होता है, जो एप्लीकेशन्स मेच्योर हो चुकी थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे सारी दूकानों के लिये रिकमन्डेशनस एसिस्टेन्ट कमि नर से आई थी उनको कैंची से लेकर काट दया गया। वे नाम जो पूरी तरह से एसिस्टेन्ट कमि नर और डिप्टी कमि नर से रकमन्ड होकर पहुंचे थे, नाम तो पास नहीं किये गये क्योंकि वे तो फैशन से बाहर हो गये थे और अब दूसरी फैशन हो गई। आपको माफिक ठेका करना था। आपने

दूसरी अर्जियें लेकर सारी की सारी पहले की अर्जियों को खत्म कर दिया। उसके बाद यह कहा गया कि अर्जियें दो। फिर लोगों ने अर्जियें दीं। कहीं से ३०, कहीं से ५०! इस तरह से अर्जियें आईं। अगर मैं कहीं गलत कहता हूं तो मुझे करेक्ट कर दिया जावे। मैं सर्व व्यापक नहीं हूं जो सब जान

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सकूं। या तो जब जबाब दें तो उस समय कम्पलीट जबाब दें और अगर मैं गलत बात कहता हूं तो मुझे ठीक करदें और टोक देंगे तो मैं मान लूंगा। हमारा चार्ज सब सेक्रेटेरियेट के खिलाफ है। आपने यह लिखा तो सारी एप्लीकेशन्स हमारे पास भेज दी जावें। एप्लीकेशन्स तो कानून के अनुसार एसिस्टेन्ट कमिश्नर रिकमन्ड करेगा या कमिश्नर करेगा। उसमें कोई मिनिस्टर का नाम नहीं है कि यह इसको करे। उसमें मिनिस्टर को कोई पॉवर्स नहीं है, हमने कानून देखा है। हम भी कानून पढ सकते हैं। उसमें कहीं मिनिस्टर का नाम नहीं है। उसके बाद वे एप्लीकेशन पर लिख देते हैं। एक प्रोफार्मा बनाकर इस तरह से एसिस्टेन्ट कमिश्नर अपना डिसीजन काम में नहीं लेते हैं और वह चला जाता है सेक्रेटेरियेट के पास। शराब की दूकानें नई नहीं हैं। व्योपारियों का ध्यान नहीं रखा जाता जो इसके व्योपार में समझते नहीं हैं, जो हट रहे हैं उसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता। कोई रीजन्स नहीं है आपके पास कि आप,ने अपना डिस्क्रीशन क्यों काम में लिया है। वह भी आप नहीं बताते। उसको गमाने के बाद चार दूकानें दी जाती हैं। श्रीमान् मैं यह कहता हूं तो यह सदन जैसे कोई सांप खोल गया हो, कहते हैं कि आप फाइल को यहां पर दिखा दें अगर आप फाइल को हमें नहीं दिखाना चाहते हैं तो स्पीकर महोदय को दिखा दें। अगर कानूनी सही ढंग से ये दूकानें दी गई हैं तो फाइल यहां पर रख दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब मैं यह कहता हूं कि यह कह कर सदन को ....

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): माननीय मित्र को क्या यह मालूम है कि कांग्रेस को लाइसेन्स दिया गया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: जनसंघ कोशिश कर रहा है, उसको दिया जावे।

एक माननीय सदस्य: जनसंघ नहीं आप..

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा: आपको बोतल मिल चुकी है। आप अपना मुंह बंद रखें, आपके मुंह से बदबू आ रही है। आप अपनी बदबू की हवा मत फैलाओ। वहां से जाने के बाद वहां कोई ताकत है कि यहां सदन में जो हाई कोर्ट की तरह से है कोई फाइल न दिखाई जावे। sovereignty है सदन की, सदन हमारा रिप्रेजेन्ट करता है। हम सदन वाले बैठे रहते है, हमारे चेयर की तरफ से अध्यक्ष हैं, वे कहते हैं, वह एक दम मूव किया जाता है कि पोलिटिकल इन्ट्रस्ट नहीं है। मैं यह कहता हूं कि पर्सनल इन्ट्रेस्ट से नहीं दिखाते हैं। वरना कौनसा कानून है जो आप यहां पर उसको अपना डिस्क्रीशन नहीं लेने दें। आपने पहले नाम कर दिया, उनके नाम कटवा दें और आप के पास आवें तो बिना रीजन्स अपने डिस्क्रीएशन को काम में लें, दुकानें दिलवा दी। उसके बाद कानून के अलावा इसको बाद दुकानों का क्या। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पक्षपात चला और लाइसेन्स उनको दिया गया जो पैसों से खरीद करते। मैंने आपके द्वारा पहले निवेदन किया था कि पांच पांच हजार रुपये डिफेन्स फन्ड में दिला दिये जावेंगे। मगर आपने उनको दुकानें नहीं दीं। आपने अपना डिस्क्रीशन काम में लिया जो आप नहीं ले सकते। आज आप देखते हैं कि सिफारिश से देते हैं।

Page No.74

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा:)

मैं यह कहता हूं कि आपने कानून को तोड़ा है। कोआँपरेशन की बात को समझा दें, यह कोई आधार नहीं है। तो पहले, एप्लीकेशन्स को आपने कैसे काटा और किस कारण से आपने, पांच डिविजन्स हैं, वहां हर डिविजन से ५०-५० एप्लीकेशन्स थी उसमें कौनसा आपका दिमाग था; भगवान और शैतान कोई सुना है कि दे दो और फिर मैं जब यह कहता हूं कि फाइल को स्पीकर महोदय को दिखा दें तो आपने जो अनुचित कार्यवाही की उससे आप उस फाइल को उनको दिखाने से इन्कार करते हैं। कौनसा पब्लिक इन्ट्रेस्ट है, कौनसा डाका पड़ रहा है जिससे आपने इसको पब्लिक इन्ट्रेस्ट के नाम दिया है। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप इसके जरिये जो हमको पॉवर्स मिलते हैं उसके बारे में कोई फाइल नहीं हो सकती, जिसको हम नहीं देख सकते और पालियामेन्ट में दिखाते हैं। आज पटनायक साहब ने कह दिया था, हमारा दावा है। हमें मालूम होना चाहिये कि क्या हो रहा है। कोई भी फाइल पालिया-मेंट से दूर नहीं रखी जा सकती है। हाउस से कोई पब्लिक इन्ट्रेस्ट नहीं है। आपने कोन्फी-डेन्स को छीनने की, जो फाइल आप सदन से छुपाते हैं, उससे सब को शुबहा होता है और इसलिये होता है कि हमारे अध्यक्ष ने क्या कहा। सम्माननीय मिनिस्टर का जवाब आपके सामने है। सम्माननीय सदस्यों के प्रश्न आपके सामने है। सदन जो अपनी ओपीनियन बनाना चाहे, बनाले। मैं समझता हूं कि सदन में अभी भी खतरा है। आप टेबल ऑफ दी हाउस पर फाइल रख दें। अगर आपने अपने डिस्क्रीशन को ठीक तरह से काम में लिया है तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है? अगर आप टेबल ऑफ दी हाउस पर फाइल नहीं रखना चाहते तो आप स्पीकर महोदय को दिखा दें। अगर आपने अपना डिस्क्रीशन ठीक तरह से काम में लिया है तो आपको डरने की क्या जरूरत है? मैं तो यह कहता हूं कि आपको अपना डिस्क्रीशन काम में लेने का अधिकार कानूनी नहीं है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, मगर यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इसके बारे में कई प्रकार की चर्चाएं हैं। मैं यह कहूंगा कि लाइसेन्स ऐसे लोगों को दिया गया है जिनका पेशा कभी शराब का रहा नहीं है और जिसने लाइसेन्स के लिये पैसा लिया है, आप इसके लिये इन्क्वायरी कर सकते हैं।

मैं दावे के साथ आपको कहना चाहता हूं कि जिनको आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं उनको आपने दुकानें दी हैं और उन लोगों को दी हैं जिनका कभी पेशा नहीं रहा शराब बेचने का। उनके बाप-दादों के जमाने में भी कभी शराब नहीं बेची। यह कलालों का काम है जो इस काम को करते हैं। आज ब्राह्मण, बनिये और दूसरे लोगों को जिनका कभी यह पेशा नहीं था उनको आपने दुकानें दी हैं। यह इतिहास की बात है। जहां पर आपको डिस्क्रीशन यूज़ करने का कोई अधिकार नहीं था वहां पर आपने डिस्क्रीशन यूज़ किया है, आपने अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। इससे सदन को और दूसरों को शुबहा होता है कि आपने व्यक्तिगत आधार को अपनाया है। With impurity corruption को तरजीह देते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप सदन की मेज पर फाइल को रखें और अगर आप हमको नहीं दिखाना चाहते हैं तो स्पीकर को दिखावें और जिसमें आपका डिस्क्रीशन का हिस्सा है उसमें २० परसेन्ट हमारा भी हिस्सा है। बेईमानी के कीचड़ ....

एक माननीय सदस्य : जायल कम्पनी बोल रही है।

Page No.75

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप अपनी कहें।

दूसरी बात में आपके सामने और मौकों पर रखूंगा। सभापति महोदय, इस पर जो डिस्क्रीशन लिया गया है उसके मैं खिलाफ हूं। मैं बताऊं कि माननीय मंत्री ने, १२ बजे, एक ईमानदार ऑफिसर था पार्टी पर फैसला देनेवाला था, रातो रात, रात को १२ बजे उसको वहां से छोड़ कर जाना पड़ा और बीकानेर जाना पड़ा। उसको रात को जाना पड़ा और दूकानें दी गई कांग्रेस एम.एल. हैं उनके बाप और भाई को। उनको दुकानें दी जावें, उनको दुकानें नहीं दी जानी चाहियें। इस तरह की बात होती है तो आप हंसते हैं। मैं कहता हूं कि आपका हंसना गलत है। हंस कर टालना चाहते हैं।

श्री बाल कृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : मैं आपको इग्नोर करना चाहता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अब मैं ईमानदारी की बात कहूंगा तो आपको हर तरह से बात करनी होगी ......

श्री बालकृष्ण कौल : आपकी ईमानदारी की छाप है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी छाप है। मेरी छाप है या नहीं, सब लोग जानते हैं और कहते हैं ....

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : कांग्रेस एम. एल. ए. के रिश्तेदारों को लाइसेन्स दिया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सब चलते हैं। आप होशियार हो जावें।

आप अपने डिस्क्रीशन पर कर देते हैं कि ये टैक्सेज कैसे वसूल किये जायं, इसकी वसूली के लिये अमेंडमेंट लाये हैं, रेवेन्यू रेंट की तरह वसूली की जाय. यह नहीं रखते। एक असेसी ही, उस टैक्स को वसूल कर ले, यह डिस्क्रीशन करते हैं। अब तक लैंड रेवेन्यू की तरह वसूली की तो अब यह डिसीजन लिया जा रहा है कि असेसी वसूल करे।

सीकर का मैंने मामला रखा। श्री दानसिंह को रात के बारह बजे अलग किया, उन्हें बीकानेर जाना पड़ा, भार्गव की कोई कम्पनी थी असेसमेंट का कोई मामला था, वह फैसला नहीं दे सके। आगे क्या हुआ, आज वह डिसीजन असेसी को दिया जा रहा है। मैं समझता हूं, सम्माननीय वित्त मंत्री इस पर गौर करेंगे और अपने भाषण में इसको सही तौर से रखने की कोशिश करेंगे।

जो असेसी ५ हजार के १० हजार लगा सकता है वही कुर्क करके वसूली कर ले, इस प्रकार के अधिकार देना असेसी को किसी प्रकार न्याय संगत नहीं कहा जा सकता।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : आप असेसी कहते हैं, असेसी नहीं असेसिंग ऑथोरिटी को पॉवर दिये हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : असेसिंग ऑथोरेटी सही। मैं आपके करेक्शन को मानता हूं, मेरे कोई काम नहीं पड़ता है। तो मैं यह कह रहा था कि असेसिंग ऑथोरिटी को ही वसूली के सब अधिकार दिये जा रहे हैं; सेल्स टैक्स, मोटर टैक्स के बारे में। तो मैं बाअदब अर्ज करूंगा वित्त मंत्रीजी से कि इस प्रकार की व्यवस्था से लोगों का बिस्मार होगा और पैसे वालों के साथ जो हमेशा होता रहा है वही होता रहेगा। हम यह चाहते हैं

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

कि वसूली जल्दी से हो। जल्दी से वसूली हो, इसके अधिकार सदन देने को तैयार हूं पर असेसिंग आयोरिटी को वसूली के अधिकार देना उचित नहीं होगा। फिर असेसीज क्या हैं ? आज सरकार इसे मानने में हिचक नहीं करती कि हमारा पैसा वसूल नहीं हो रहा है, तो मैं अदब से अर्ज करूंगा कि जितने क्लाजेज आये हैं उन पर गौर फरमाये और वसूली के लिये और कोई मशीनरी हो इससे रियेलाइजेशन बढ़ सकता है। अगर जल्दी से वसूली करना चाहते हैं तो कीजिये, रेवेन्यू रेटे की तरह वसूली कीजिये पर असेस करने वाली और वसूल करने वाली दोनों एक ही आयोरिटी नहीं होनी चाहिये। असेसिंग आयोरिटी एक अलग आयोरिटी और इसे लागू करने वाली, वसूली करने वाली एक दूसरी आयोरिटी होनी चाहिये।

आपने कई इनायतें की हैं, आपकी इनायतें हुई हैं उसकी चर्चा में अभी नहीं करना चाहता, मैं जानता हूं कि ये पैसे वाले हैं, जो पैसे वाले हैं उनसे टैक्स वसूल करना चाहते हैं, इसमें दिक्कत होती है, फिर उनको बाइज्जत करने के लिये असेसिंग आयोरिटी को उनके ऊपर रहम करके रख दिया जाय, यह उचित नहीं। जैसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है जैसे रेवेन्यू बोर्ड है, इसी तरह की आयोरिटी मुकर्रर कर दें ; जो असेसिंग आयोरिटी की अपील सुन कर फैसला कर सके। पर आपने यह पर्चा छाप कर भेज दिया, अब मालूम हुआ कि इस तरह घुसेड पैठ हो रही है। पर आप ध्यान रखिये कि इस तरह के पावर देते हैं तो करप्शन बढ़ायेंगे। जो लोग आज तक वसूली नहीं कर सके उन्हीं के हाथों में और पावर देते हैं, इससे हैरेसमेंट होगा, करप्शन बढ़ेगा। पावर भी, फिर ऐसी क्लास के हैरेसमेंट के पावर देते हैं जो पैसे वाली है चोरी करते हैं, करप्शन को बढ़ावा देते हैं, उन दोनों का आपसी विश्वास है। इससे और भी चान्सेज बढ़ने की आशंका है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरह वसूली कर सकते हैं लड्ढा साहब आपको सहयोग नहीं देंगे तो हम कह कर दिलवायेंगे। आपका विभाग फैला हुआ है, उसको कन्डेम करने के लिये सदन तैयार है तो आपको जो सहयोग नहीं देता उसको भी कन्डेम करने के लिये तैयार है पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बेलगाम बेतहाशा आपके डिपार्टमेन्ट के लोगों को उनके ऊपर रख दिया जाय। जिस डिपार्टमेंट की मिसाल एक साल में ऐसी है कि किसी को दिया जा रहा है किसी को छोड़ा जा रहा है बहिन-बेटियों के कपड़े उछाले जा रहे हैं रात के अन्दर जाकर। इस तरह के डिस्क्रीशनरी पावर्स सदन आपको नहीं देना चाहता।

सेल्स टैक्स, मोटर टैक्स में डिस्क्रीशनरी पावर्स हैं। चार टैक्सों के मामले में है। मैं बाअदब अर्ज करना चाहता हूं वित्त मंत्रीजी से, बेअदबी तो कभी कभी हो जाती है, कि यह किया तो आपको कोई नमक लगा कर भी नहीं पूछेगा।

आज मैं सदन में इस बात की मुबारिकबादी देना चाहता हूं, इस बात की सदन को भी मुबारिकबादी देनी चाहिये हुकूमत को कि आज के जनतन्त्र के जमाने में जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है कांग्रेस सरकार ताकत के साथ निभा रही है, विकास की योजनाओं को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। यह सही है कि साधारण जनता पर टैक्सों का बोझ बढ़ने वाला है हमारी हालांकि नीयत

Page No.77

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

है कि जो तबका दे सकता है उस ही से वसूल करें, पर आज जो माहोल पैदा हुआ है जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसमें सरकार जितना गरीब जनता का ध्यान रख कर कर सकती थी किया है।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल): श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): सभापति महोदय, अभी नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य भाषण दे रहे थे तो वित्त मंत्रीजी ने कहा था कि मैं आपको इग्नोर करके चलता हूं, सदन में कोई माननीय सदस्य बोले, उनको सबको इग्नोर करके चलते हैं? केवल वे श्री ज्वालाप्रसादजी को इग्नोर करते हों तो और बात है, सबको इग्नोर करते हैं तो पहले इसका स्पष्टीकरण कर दिया जाय कि ट्रेजरी बैंचेज की तरफ से जो माननीय सदस्य भाषण करते हैं उनको इग्नोर करते हैं तो सदन को इग्नोर करने का अधिकार उनको किस प्रकार हासिल होता है? उन्हें इस प्रकार का राइट हासिल नहीं। यह सदन की तौहीन है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने सदन की तौहीन की है, इस लिये पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज रेज किया है और मैं चाहूंगा कि सरकार की तरफ से इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये।

श्री सभापति: नियमानुसार प्रिविलेज का मोशन सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। माननीय सदस्य की राय के अनुसार यदि कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है तो उसकी लिखित में सूचना प्रस्तुत कर दें उस पर जो आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिये वह होगी।

श्री भैरोंसिह: सभापति महोदय, वे अपना स्पष्टीकरण तो कर दें। हम बोलें या न बोलें। माननीय मंत्रीजी इग्नोर करके चलना चाहते हैं तो फिर क्यों बोले? माननीय मंत्रीजी इसको स्पष्ट करें।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): माननीय सदस्य, मेरी बात को शायद बहस के दौरान समझे नहीं। मैं अब भी दोहरा देता हूं। कोई माननीय सदस्य कोई गलत बात कहते हैं, गलत चार्जेज लगायें तो मुझे यह अधिकार है कि मैं उसको इग्नोर कर दूं। अब भी अधिकार है कि जो चार्जेज बेहूदा हैं, बेलगाम हैं, मुझे अधिकार है कि इस किस्म की चीज लगायी है, मैं कहता हूं कि मैं उसको इग्नोर कर सकता हूं।

श्री भैरोंसिह: माननीय मंत्री, रूल्स ऑफ प्रोसिजर के अनुसार सदन में जो बात कही जाय यदि वह गलत है तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन ला सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की भाषा को 'मैं इग्नोर करता हूं', वे प्रयोग नहीं कर सकते।

श्री बालकृष्ण कौल: मैं उनके चार्जेज को इग्नोर कर सकता हूं।

श्री भैरोंसिह: आप उनको इग्नोर कर सकते, आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप उनको रिफ्यूट कर सकते हैं, प्रिविलेज का मोशन ला सकते हैं। आप कह सकते हैं कि चार्जेज सही नहीं हैं, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते।

(श्री भैरोंसिंह)

श्री बालकृष्ण कौल: माननीय सदस्य समझें कि यह चीज बार बार सदन में आ चुकी है और एक तरीका बन गया है माननीय सदस्य का हर दफा तकरीर करें, उसी चीज़ को हर समय लायें। तो मैं पूरा अधिकार रखता हूं कि ऐसी चीज़ सदन में बार बार आती हैं तो उनको इग्नोर करूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, इस मामले में जो कुछ भी मैंने कहा एक तरफ नक्शा यह रखा उस दिन कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट में फाइल को रखें। स्पीकर को दिखायी जाय, लेकिन स्पीकर को नहीं दिखाया। मैंने यह रखा कि इस प्रकार जो किया गया है वह पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं किया गया है। आप पब्लिक को इग्नोर कर सकते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : यह महज गलत है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुझे कह लेने दीजिये।

वह आपके अधिकार की बात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि तीन इश्यूज हैं। पहला इग्नोर करने का, यह मालूम हो जाय। दूसरा फाइल सदन की मेज पर रख दी जाय, स्पीकर महोदय को दिखा दी जाय। वह पब्लिक इन्ट्रेस्ट में कैसे कह सकते हैं? वे फाइल को छिपाना चाहते हैं। मैंने कहा कि सदन उस चीज़ को देखना चाहता है। मैंने कुछ खबरें दी हैं। अगर वे सच हैं तो फिर भी कुछ नहीं किया गया है। होम मिनिस्टर सदन में फाइल हर वक्त रख देते हैं। एक वित्त मंत्रीजी फाइल नहीं रखते हैं तो कौनसा ऐसा कारण है? क्यों छिपाते हैं? मैंने इग्नोर की बात कही तो कौनसी अनपार्लियामेन्ट्री बात कही। इस बात में सदन में इस इम्युनिटी के साथ इस चार्ज को पीते हैं, सदन में अच्छी राय नहीं बनती है। आपके हित में कहता हूं। आपके लिए कोई राय अच्छी नहीं बनती। आप बतला दीजिये कि इग्नोर अच्छा है या नहीं। सभापति महोदय, देख तो लीजिये, आप क्या कहते हैं और मैं क्या कहता हूं, आप देख लीजिये। उन्होंने प्रिविलेज मोशन किया है। मैंने कहा क्या? गुनाह क्या किया? वही बात कह रहा हूं कि सदन के सामने फाइल नहीं दी और फाइल नहीं दिखाना चाहते। पचास दफा पूछा तो आपने नहीं कहा। कमिश्नर का डिस्क्रेशन काम में नहीं आया, आपका डिस्क्रेशन आया। आपने ओब्लाइज किया है उनके नाम सदन के सामने आवेंगे तो सदन थू कर कहेगा कि यह किसके आदमी हैं? यह आपने किया है।

श्री सभापति : अभी माननीय श्री भैरोंसिंहजी ने जो आपत्ति प्रस्तुत की थी उसके सम्बन्ध में मैंने व्यवस्था दी। ज्वाला प्रसादजी के भाषण के दौरान मनानीय वित्त मंत्री ने जो वाक्य कहे उस पर विशेष आपत्ति उठायी गई। मेरी ऐसी मान्यता है कि सदन में माननीय सदस्य वाद-विवाद में भाग लेते हैं, जो भी जानकारी वे देते हैं, जब तक उसको नहीं बताया जाता तब तक वह बात सही मानी जाती है और मानी जानी चाहिये। जो कुछ भी वाक्य उन्होंने कहे मेरी ऐसी मान्यता है, ऐसे वाक्य उन्हें नहीं कहने चाहिये इस बात के लिए माननीय सदस्यों को फिर निवेदन करूंगा कि वाद विवाद के दौरान भावनाओं पर काबू रखें और वाद-विवाद में सदन की स्वस्थ परम्पराओं का ध्यान रख कर कॉन्ट्रीब्यूशन करें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : थू कर कहेंगे, ये शब्द उन्होंने कहे।

श्री सभापति: माननीय श्री मुरलीधर जी, आपने जो आपत्ति उठायी, आपको आपत्ति उठाने का अधिकार है। हाथ बांध कर या मुट्ठी बांध कर सदन में जो कुछ कहा जाता है, आप इस प्रकार की बातों को आपत्ति पूर्ण न लें।

श्री उम्मरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): सभापति महोदय, वित्त विधेयक, १९६३, ऐसी सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो डेमोक्रेसी और समाजवाद में विश्वास रखती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने यह प्रस्ताव पेश किया है कि जो सरकार काम करना चाहती है प्रजातन्त्र के आधार पर और जनता के लिए करना चाहती है उस सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि जिन लोगों से वोट लेकर हम यहां पर आये हैं उन लोगों की रजामन्दी उस बात के लिए जान ली जाय कि हम क्या करना चाहते हैं। इसलिए आज जो टैक्सेज हम जनता के ऊपर लगाना चाहते हैं उन टैक्सों के बारे में जनता की राय क्या है, इस बात को जानना अति आवश्यक है और इसलिये यह जो वित्त विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है, अगर इसको जनता की जानकारी के लिए सर्कुलेट किया जाय तो जनता की उसके बारे में क्या भावनायें हैं, वे भी मालूम हो जावेंगी। इसके अनुसार जितने क्लॉजेज हैं और उनके अन्दर जितनी बातें लिखी गई हैं उनके बारे में भी कुछ ऐसे शब्द हैं; इस कानून की भाषा और जिस कारीगरी के साथ शब्द जोड़े गये हैं वे इतने चतुराई पूर्ण हैं कि जिन लोगों पर इसका असर होने वाला है वे इसकी भाषा और बात को समझ ही नहीं सकते। अनाज पर टैक्स लगाने की बात जिस चतुराई से पहले के एक्ट में तरमीम करके लायी गई उसको यों का यों किसी ग्रामीण आदमी के सामने ले जाकर रखा जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बात को समझ नहीं सकता कि किस प्रकार के टैक्स लगाने वाले हैं। अनाज का टैक्स किस प्रकार सरकार लगा रही है, इस कानून की भाषा के आधार पर एक ग्रामीण नहीं समझ सकता आज उस टैक्स का प्रभाव सबसे अधिक उन लोगों पर पड़ने वाला है जो बाजार से खरीद कर लाते हैं। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं, मुख्य मंत्रीजी ने और वित्त मंत्री जी ने कहा कि काश्तकारों पर नहीं पड़ता बल्कि उन लोगों पर पड़ेगा जो बाजार से नाज खरीद कर काम में लेते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत अदब के साथ वित मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि अगर आज सर्वे कराया जाय तो उनको पता चलेगा कि आज बाजार से हर आदमी को खाने के लिये अनाज लेना होता है, चाहे वह शहरों में रहता हो या गांव में रहता हो। खेतों के अन्दर जो किसान अनाज पैदा करता है आज उसकी माली हालत ऐसी है कि किसान जितना अनाज पैदा करता है वह सारा का सारा अपने कर्जे के पेटे चुका देता है और फिर अपने खाने के लिये उसको बाजार से लाना पडता है। जिस वक्त वह नाज खरीदने बाजार में जायगा तो उसको यह टैक्स अदा करना पडेगा। आज शहरों में जो लाखों आदमी मजदूरी करते हैं जिनका एवरेज १३ आना पर डे है उन सब को अनाज बाजार से खरीद कर लाना पडता है और उस पर यह टैक्स देना पडेगा।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमने भारत को आजाद कराया । उस समय यह नारा था कि वह सरकार निकम्मी है जो जनता को भर पेट रोटी नहीं दे सकती । आज वही सरकार जब सत्ता के मद में ग्रस्त हो रही है और उन पुरानी बातों को भूल रही है और अनाज पर टैक्स लगाने की बात करते हैं तो बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि आप इस टैक्स को विथड्रॉ करें । यह गरीब लोगों पर ज्यादा असर करने वाली है बनिस्बत अमीर लोगों के। बड़े बड़े अधिकारी सेठ साहूकार जो शहरों में रहते हैं उन लोगों को अनाज खरीदना पड़ता है। यह जो माननीय वित्त मंत्री की दलील है, मैं समझता हूं यह उनका कहना ठीक नहीं है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कौन ऐसे आदमी हैं बड़े अफसरों में जिनके पास जमीन नहीं जो केपिटलिस्ट्स हैं, उनके अपने बड़े बड़े फार्म्स हैं अफसरों ने भाखरा क्षेत्र में जमीन ले रखी है वहां उनकी खेती होती है, जागीरदारों के पास खुदकाश्त की जमीन है जिसमें वे पैदा करते हैं, इन लोगों को तो बाजार से अनाज खरीदने की आवश्यता नहीं ।

इसके अलावा उद्योगपतियों ने जो इन्डस्ट्रीज के लिये लैण्ड ले रखी है उसमें उन्होंने फार्म बना लिये हैं । यह बात मैंने पहले भी रखी थी और आज फिर दोहराता हूं कि इन्डस्ट्रियलिस्ट्स जितने हैं उन्होंने इन्डस्ट्रीज के लिये जो जमीन ली है उसमें फार्म खोल दिये हैं । सरकार जिस तरह से सोचती है उससे उल्टा तरीका होता है । वास्तव में बाजार से खरीद कर वे लोग खाते हैं जिनके पास अनाज नहीं होता । गरीब किसान मजदूर वर्ग है, जिनको अनाज खरीद कर खाना पड़ता है । माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि यह क्लॉज जिसमें अनाज पर टैक्स लगाने की बात कही गई, बिल्कुल ही इस बिल से अलग कर दिया जाय और इस तरह से गरीब तबके को रियायत दी जाय ।

पुराना जो सेल्स टैक्स एक्ट था जिसका नंबर २९ है उस पर भी अमेन्डमेन्ट आया है । उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं । अफसोस के साथ निवेदन करना पड़ता है कि क्लॉज नं० १८ में '४' के बजाय '६' अंक किया गया है । 'चार' शब्द कहां से आया जब कि आज भी पांच परसेन्ट टैक्स लिया जा रहा है और इस एक्ट में ५ से ६ किया गया है। मेरा निवेदन है कि ५ के स्थान पर ६ किया जाना चाहिये । पांच परसेन्ट के हिसाब से तो पहले ही वसूल हो रहा है, अगर पांच परसेन्ट के हिसाब से गैर क़ानूनी वसूल किया गया है तो वह कहा जाय । जब आपका एक परसेन्ट बढ़ाने का इरादा है तो चार के बजाय पांच किया जाय, यही इस कानून की मन्शा हो सकती है । क्योंकि हमारी भारत सरकार ने एक परसेन्ट सेन्ट्रल टैक्स बढ़ा दिया है और चार परसेन्ट पहले लगता था उसका छः परसेन्ट हो गया । इससे अमूमन बाजार में बिकने वाली चीजें हैं वे तीन परसेन्ट के हिसाब से मंहगी हो जायेंगी । आज की इस आर्थिक स्थिति में जब कि लोगों की हालत खराब है, क्या तीन परसेन्ट महंगाई को सहन किया जा सकता है ? जब कि सरकार कहती है कि हमारा प्रान्त पिछड़ा हुआ प्रान्त है, यहां लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है ये बातें मैं नहीं कहता सरकार के प्रतिनिधि खुद कहते हैं कि हमारा प्रान्त बहुत गरीब प्रान्त है, पिछड़ा हुआ है

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

खुद अपने मुंह से कबूल करते हैं। उस प्रान्त के अन्दर इस प्रकार से महंगाई कर देना कहां का न्याय होगा। जहां सेन्ट्रल टैक्स एक परसेन्ट बढा दिया और आपने भी इन्टेरिम पीरियड में चार परसेन्ट का पांच परसेन्ट कर दिया और अब आप उसको ६ परसेन्ट कर रहे हो, यह कहां का न्याय होगा, इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको विथड्रॉ किया जाना चाहिये।

इसके अलावा सेल्स टैक्स की वसूली में, उसके असेसमेन्ट के अन्दर आज हमारे प्रान्त के अन्दर क्या हालत है उस पर सभापति महोदय, हम विचार करते हैं तो हमें काफी दुःख होता है। मैं यह कहने के लिये और यह साबित करने के लिये तैयार हूं कि राजस्थान के अन्दर जितनी गडबडी इस सेल्स टैक्स के असेसमेन्ट में होती है, जितना पैसा सरकार में आना चाहिये वह नहीं आता और वे लोग हड़प कर जाते हैं जो लोग इन्स्पेक्टर हैं, असेसमेन्ट करने वाले लोग हैं। इसके अन्दर एक प्रोविजो रखा गया है कि तीस हजार का टर्न ओवर करेंगे उनको फिक्स तादाद में सेल्स टैक्स अदा कर सकते हैं। उसके आगे सुविधा के लिये यह रखा गया है कि उसके लिये कमिश्नर या उनके द्वारा अधिकारी नियुक्त किया जाय जो फिक्स रकम का तय करेंगे, हर साल इसको बदलना पडेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं, इस तरह के अधिकार देना भ्रष्टाचार को बढावा देना होगा। किस तरह से वे व्यापारी से मिल कर असेसमेन्ट करेंगे? इससे तो अच्छा यह होता कि आज से तीन वर्ष पहले जिस अनुपात में रकम होती थी वह व्यापारी एकदम जमा करा दे। इस बात को माना जाता तो भ्रष्टाचार का पोषण नहीं होता और तीन साल के अनुपात से जमा कर दी जाती। किसी अफसर को पूछने की जरुरत नहीं होती। अब जो हर साल के रिवीजन का रखा है उसमें कितने घोटाले होंगे, यह तो बाद में मालूम होगा जब से यह कानून वास्तव में काम में आने लग जायगा। जो व्यापार करते हैं उन लोगों को मालूम है कि हमारे से इन्स्पेक्टर और असेसमेन्ट करने वाले लोग हैं वे गरीब लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। इसके अलावा जहां तक इस सेल्स टैक्स का सवाल है, मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों ने उस जमाने में जब कि अंग्रेजों का राज्य था उस समय जो टैक्स लिये जाते थे उसका हमने घोर विरोध किया था। आज इन टैक्सों के बजाय आप जो टैक्सों की भरमार कर रहे हैं आज ग्राम पंचायत को अधिकार है व्यापार पर टैक्स लगाने का, पंचायत समिति को टैक्स लगाने का अधिकार है, म्युनिसिपल कमेटी को टैक्स लगाने का अधिकार है; जितने व्यापार करने वाले हैं आज उनको कितनी तरह के लाइसेन्स लेने पडते हैं। एक व्यापारी को सौ से डेढ़ सौ रुपये तो साल में लाइसेन्स लेने के लिये देने पडते हैं इससे सेल्स टैक्स अलग और इनकम टैक्स अलग।

सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में वे गांवों के अन्दर रहने वाले जो छोटे व्यापारी हैं, जो पढे-लिखे नहीं हैं, जो हिसाब मेन्टेन नहीं कर सकते उनकी दिक्कतों को जाकर देखें। वे मेरे साथ चल कर देखें जो सात हजार से कम आबादी वाले गांव हैं जहां इस

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

तरह के छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको किस तरह से अपने बचाव के लिये अधिकारियों को, इन्स्पेक्टरों को क्या क्या देना पडता है। आप शहरों में रहने वाले हैं आपको गांव के एक छोटे व्यापारी की दिक्कत का क्या अनुमान हो सकता है? इसलिये मेरा निवेदन है कि इस संबंध में जितना सीधा और सरल तरीका टैक्स वसूल करने का हो वह अख्त्यार करना चाहिये, जिससे लोगों को परेशानी न हो; रिश्वत न देनी पडेगी और सरकार के खजाने में जितना पैसा आना चाहिये वह आ जाय।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा और आपकी मार्फत राजस्थान सरकार को भी कि टैक्स लगाने में दो प्रमुख मुद्दे हमारे वित्त मन्त्रीजी ने बताये। एक तो असाधारण स्थिति जो देश में आज है और दूसरा डेवलपमेन्ट का काम। इन दोनों के लिये सरकार को पैसा चाहिये और इसी के लिये टैक्सों की जरूरत पड गई।

मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आपके इस कहने में कितनी सत्यता है, यह मैं बताना चाहता हूं, आपको जब हम सडकें बनाने के लिये कहते हैं तो हमें निरुत्तर कर दिया जाता है, यह कह कर कि पैसा नहीं है, विकास योजना में यह नहीं है, इसलिये नहीं बन सकता। ईरिगेशन की बात करते हैं तो कहा जाता है वह इस योजना में नहीं आवेगा, आगे देखेंगे।

(२.४१ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उप-शिक्षा मंत्री जी ने इस सदन में कहा कि हायर सैकन्डरी स्कूलें और मिडल स्कूलें नहीं खोली जावेंगी, क्योंकि पैसा नहीं है सरकार के पास। क्यों साहब, यह तो विकास का काम था न? पर आपके पास पैसा नहीं है इसके लिये। जो जगह बैकवर्ड हैं वहां आप हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं खोलेंगे, मिडिल स्कूल भी नहीं खोलेंगे, सडकें भी नहीं बनावेंगे, अस्पताल भी नहीं खोलेंगे क्योंकि पैसा नहीं है, पर बडे बडे शहरों में आप कॉलेजेज और यूनीवर्सिटीज जरूर खोलेंगे और इसके लिये आपको पैसे की शिकायत भी नहीं रहेगी। उनके लिये तो पैसा बहुत है आपके पास, क्योंकि ये बडे बडे शहरों में खोलने हैं आपको और आप बडे बडे शहरों से आते हैं इसलिये वहां कुछ करेंगे तभी आपको वोट मिलेंगे।

आपने दो दिन पहले शाहपुरा में उद्घाटन कर दिया कॉलेज का। पर पास में गांवों में हायर सैकन्डरी स्कूल खोलने के लिये आपके पास पैसे के घाटे का बहाना है। यह है आपके विकास का नमूना और तरीका।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गरीब लोगों से पैसा बटोर कर बडे बडे शहरों में; जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा आदि में खर्च करेंगे विकास के नाम पर एमर्जेन्सी के नाम पर क्योंकि आज ट्रेजरी बैन्चों पर रहने वाले लोग इन्हीं शहरों से आने वाले हैं और इसलिये वे आपस में लडते हैं और अपने अपने शहरों के विकास करने के लिये, अपने प्रान्त के ७० प्रतिशत आदमियों से जो गांवों में रहते हैं उनकी जेबों से पैसा लेकर इन सारे शहरों में आलीशान मकान बनाने में और ऐशो आराम के साधन उपलब्ध कराने में, इन गरीब किसानों का

Page No.83

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

मजदूरों का खर्च कर देते हैं। वहां के छोटे छोटे व्यापारियों के द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वह इन शहरों में ऐशो आराम के लिये, बड़े-बड़े आलीशान मकान बनाने के लिये खर्च किया जाता है। यह न समाजवाद है, न कोई विकास का सच्चा तरीका है।

आज शहरों में कॉलेज, यूनीवर्सिटी आदि की बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, हाई स्कूल की बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, पर कोई पैसा इनके लिये किसी तरह से यहां के लोगों से, जनता से वसूल नहीं किया जाता। पर छोटे गांवों में पंचायत समिति द्वारा प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग भी अगर बनाई जावेगी तो लोगों से उनके लिये ३३ पर्सेन्ट देने के लिये कहा जावेगा। तब वे बनाने को तैयार होंगे। ३३ नहीं, ६० पर्सेन्ट लगाना पड़ेगा। तब अन्दाज लगाइये कि कितना अन्तर है गांवों में और शहरों में? रोड बनाई जावेगी तो ५० परसेन्ट गांव वालों से मांगेंगे, तालाब की बात कही जावेगी तो ५० परसेन्ट खर्चा मांगेंगे और जयपुर में इन सिविल लाइन्स में बैठे हुओं से......

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): श्रीमन्, मुझे वे कोई मिसाल दे दें कि जब से अजमेर जिला राजस्थान में मिला है कितना उसका विकास मैंने कर दिया है, कितनी बिल्डिंगें बना दी हैं विकास के मुतल्लिक।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: मैंने सभी जगहों के लिये कहा है।

श्री बालकृष्ण कौल: आपने चार्ज लगाया है कि अजमेर में गरीबों का पैसा लेकर खर्च कर दिया, इसलिये जानना चाहता हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): आंकड़े हैं ही नहीं आपके पास। आप, बतलावेंगे क्या?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: इस हाउस में आपने ही ऐलान किया था कि एक मैडिकल कॉलेज अजमेर में खुलने वाला है और इस वक्त वे बदल गये और कह गये कि वह अगली योजना में मैडिकल कॉलेज खुलेगा। कोई होगी आपकी आपसी लड़ाई जिसकी वजह से झगड़े पड़ गये होंगे, खुलने खुलाने में।

पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की बातें हुई हैं। आपके यहां पोलीटैक्निक कॉलेज खुला या नहीं? यह पहले से था?

श्री बालकृष्ण कौल: यह तो पहले से था। जी हां, था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: आपके यहां पी० एस० सी०, रेवेन्यू बोर्ड के ऑफिस गये। ये सारे के सारे डिपार्टमेन्ट गये। कौन सा डेवलपमेन्ट रह गया?

तो मैं स्पष्ट तौर से निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी बात नहीं है जो इसे बहस में डाला जावे। यह तो सत्य है, बिलकुल कटु सत्य है, जिसे छोटे से छोटा आदमी भी समझता है कि आज जो सरकार के विकास का तरीका है उसमें गांवों में और शहरों में कितना डिफरेन्स वह रखती है, कितना पक्षपात वह करती है। गरीबों के साथ, देहातियों के साथ यह सरकार कैसा बर्ताव करती है, यह कोई ग्रामीण नहीं जानता हो, ऐसी बात नहीं है। यह बिलकुल सत्य बात है।

आपने पंचायतों के लिये, पंचायत समिति के लिये रूल्स बना रखे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने जितना विकास के लिये

Page No.84

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

पैसे का हिसाब लगाया है उससे आप हिसाब लगाइये कि शहरों में कितना खर्चा किया जावेगा और देहातों में कितना किया जावेगा और देहातों से कितना रुपया आप वसूल करते हैं और शहरों से कितना करते हैं? उस आमदनी के अनुपात में आप किनका कितना विकास करते हैं? पंचायत समितियों में बिल्डिगें बनाने का सवाल आयेगा तो कह दिया जावेगा कि पैसा नहीं है, पर आपने शहरों के लिये बजट में साफ साफ खोल दिया है कि भीलवाडा में कितना खर्च होगा, क्या क्या काम बनेंगे, उदयपुर में इतने बनेंगे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा में इतने इतने बनेंगे। इसके मुकाबले में आप मुझे एक भी उदाहरण बताइये कि सात हजार की आबादी से नीचे के किसी गांव में कितना खर्च करेंगे। आपके मेमोरेन्डम में हो तो बता दीजिये।

तो मैं कहना चाहूंगा कि आप कितना भी कहें, पर मैं पचासों प्रमाण बता सकता हू और मैं तो पंचायत समिति का प्रधान भी हूं, इसलिये मुझे मालूम है कि आप किस तरह से अन्याय कर रहे हैं और उसके बजट को भी और भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां हमारे सामने हैं।

गांवों के रहने वालों को अपने विकास के मामलों में कॉन्ट्रिब्यूशन देना पडता है। आप बताइये शहरों में रहने वाली जनता को कितना देना पडता है? आप उनसे क्या लेते हैं? यह तो आपके कानून-कायदे बने हैं, उन्हीं से, मालूम हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन कर सकता हूं स्पष्ट तौर से कि जो जनता ज्यादा से ज्यादा पैसा देती है वह देहातों की है, पर उसके लिये उतना खर्चा नहीं किया जाता, पर वह खर्च किया जाता है उनके लिये जो शहरों में रहते हैं और जिनसे सरकार डरती है। डरती इसलिये है कि शहरों में रहने वाले जागरुक ज्यादा हैं —— उनके बनिस्बत जो किसान और मजदूर हैं और गांवों में रहते हैं। अगर वे अपने यहां प्राइमरी स्कूल भी खोलने की बात करेंगे तो उनसे कहा जावेगा कि आधा पैसा लाओ। पर अगर यह आधा पैसा शहरों में मांगने, की जुर्रत की तो यहां जनता उबलेगी, जुलूस निकलेंगे, मिनिस्टर साहब के बंगले के सामने, असेम्बली के सामने नारे लगेंगे। उस जनता का मुकाबला यह सरकार नहीं कर सकती, उससे तो डरती है और उन किसानों, मजदूरों और गरीबों का मुकाबला करने को तैयार रहती है जो देहातों में हैं। उनके लिये तो वे कहते हैं कि तुम्हारा three not three से मुकाबला करेंगे। जैसे यहां सदन में गृहमंत्री ने स्वयं ने कहा था कि मैं गोलियां खाता नहीं, मैं तो Three no three की गोली चलाता हूं। उनका इम्प्रेशन वही था जो उनके दिल की भावना और पुलिस का उनका डिपार्टमेन्ट है; जैसे पुलिस डिपार्टमेन्ट करता है। वे गांव के गरीब आदमी, जब पेट की आवाज उठाते हैं, कपडे के लिये, मकान के लिये आवाज उठाते हैं तो सरकार उसका सामना Three not three की गोलियों से करती है, पर वे काम वह नहीं करती जिनसे उनको राहत मिलती हो। इसलिये कहता हूं कि इस तरह का कानून जो आप बनाते हैं, जो शहरवासियों के लिये हैं, जो शहर में खर्चा करना चाहते हैं ऐसे कानून का सर्क्युलेशन जनता में होना चाहिये उस जनता से राय लेनी चाहिये इस पर।

(श्री उमरावसिंह डाबरिया)

आप टैक्स कैसे लगाते हैं ? मैं प्रमाण देना चाहता हूं। आपने पंचायत समिति में टैक्स लगाने का प्रोपोजल दिया है और इसके लिये रूल्स रेगुलेशन्स बनाये हैं उनमें भी आपने कहा है कि अगर टैक्स प्रोपोजल के लिये प्रस्ताव वहां रखा जावे तो उसे जनता की राय जानने के लिये सर्क्युलेट किया जाना चाहिये, जब पंचायत में टैक्स लगाने के लिये आप राय लेते हैं जनता की तो क्या कारण है कि आप जो टैक्स लगाते हैं उनको जनता की राय के लिये प्रसारित नहीं करते। अगर आप प्रसारित करें तो आपको मालूम हो जावेगा कि यह बैलों के नाम से वोट लेने वाले और वोट उसके नाम से लेकर राज करने वाले उन बैलों से पैदा की हुई खेतों की उपज, दालें, नाज आदि पर और भी जो वे पैदा करते हैं उन पर कितना टैक्स और किस ढंग से लगाते हैं। यह स्पष्ट रूप से किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोगों को मालूम हो सकता है।

अब आप यह कहेंगे कि तुमने तो टैक्स का विरोध कर दिया और हमारी योजनायें कैसे चलें ? मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर सरकार बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत ही नेकनीयती के साथ जनता के हक में फैसला करना चाहे इसी साल के लिए तो मैं ३ करोड ४५ लाख रुपये की बचत का एक हिसाब आपके सामने रखता हूं। अगर वित्त मंत्री महोदय, जैसा कि इन्होंने गयी साल हिम्मत की कि किस तरह से हमारी राजस्थान सरकार ने १९६१-६२ में नाजायज तौर से खर्चा किया इस बात को कहने की उनकी हिम्मत थी तो आज यह हिम्मत कर लें कि ३ करोड ४५ लाख रुपये का खर्चा कम कर सकते हैं और उसमें खर्चा इस तरह से कम कर सकते हैं कि जो आपके यहां १० डिप्टी मिनिस्टर्स हैं उनको कम कर दिया जाये तो १२ लाख रुपये की बचत हो जायेगी, समाज कल्याण विभाग के अन्दर जो सेन्ट्रल ऑफिस है उसको कम कर दिया जाये तो ६ लाख रुपये की बचत हो जायेगी, सहकारिता के डिपार्टमेन्ट को जो यहां पर है उसको कम कर दिया जाय तो ७ लाख की बचत हो जायेगी।' सिंचाई विभाग और रेवेन्यू में जो आपके नम्बरदार हैं, जिनकी आज जरूरत नहीं है और आपने एक बार नहीं बल्कि कितनी ही बार कहा कि ये सारे के सारे पंचायतों को दिये जायेंगे—अगर नहीं देना चाहते हैं, उसमें बचत करें तो ५० लाख रुपये की बचत उसमें हो सकती है, अगर रोडवेज को अच्छी तरह से चलाना चाहें और जो यहां पर 'ए' लाइन्स की जितनी रोड्स हैं उनको नेशनलाइज करें वहां हमारे यहां की बसें चलायें तो १ करोड की सालाना बचत हो सकती है। इसके अलावा जो बडे बडे आफिसर्स को स्पेशल पे के नाम से तनख्वाह देते हैं उसकी कटौती करें तो ३० लाख की बचत हो सकती है। और इसके अलावा जो लोगों में वसूलियां हैं; जैसा हमने कहा कि सहकारिता के अन्दर कितना घोटाला और कितनी वसूलियां बाकी हैं और तकावी की वसूली बाकी है और वह किन लोगों पर है। अगर उनकी भी वसूली करें तो १ करोड २५ लाख की वसूली कर सकते हैं। इसके अलावा जिलों के अन्दर जो आपके व्यर्थ के डिपार्टमेन्ट हैं, एक कलेक्टर और उसके नीचे दो तीन डिप्टी कलेक्टर और एडीशनल कलेक्टर और भी जाने कितने दुनिया भर के लोग भर रखे हैं, अगर उनकी कमी करें तो २० लाख की बचत हो सकती है।

Page No.86

(श्री डमरावसिंह डाबरिया)

अगर इन सारे आंकडों को जो बचत के मैंने बताये उनको जोडें तो ३ करोड ४५ लाख रुपये की बचत हो सकती है। आप कहेंगे कि मैं तो नहीं कर सकता, यह तो चीफ मिनिस्टर साहब कर सकते हैं। पर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आपकी जोइन्ट रेस्पोन्सीबिलिटी है। अगर आप न्याय करना चाहते हैं, वास्तव में यहां बैठकर यह कहें कि यह एमर्जेन्सी का टाइम है तो ये सारी की सारी बातें आपको करनी चाहिए और आपको कोई भी एक पैसे का टैक्स लगाने की जरूरत नहीं होगी और जो राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया है वह बिना टैक्स प्रपोजल्स के भी सारा का सारा बजट चल सकता है। लेकिन मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि आपकी हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है, वह इसलिये कि शहरों के मुकाबिले में आप उन लोगों को दबायेंगे कि जो गांवों में रहते हैं और जो बड़े लोग हैं उनको ज्यादा तनख्वाह देने के लिए फोर्थ क्लास कर्मचारियों को, एल. डी. सी. और यू. डी. सी. को कम करेंगे। आपके जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, आई. ए. एस. और दूसरे अधिकारी हैं, इनको कम नहीं कर सकते। आपको इनको हजारों रुपये की तनख्वाह देनी ही पड़ेगी। क्योंकि सरकार आप नहीं चलाते हैं, सरकार तो वे चलाते हैं। कानून कायदे वे बनाते हैं। आप तो महीने में २५ रोज एम्बेसेडर का पहिया घुमाते हैं, राजनैतिक प्रचारों में रहते हैं और जब महीने में ४ दिन की छुट्टी निकाल देते हैं, महीने का एक दिन बाकी रहता है तो वे ऑफिसर्स फिर आपके पास फाइल्स भेजते हैं और आप आंख मीचकर दस्तखत कर देते हैं। इसलिये हमने कई बार देखा है कि सदन में यह जवाब दिया जाता है कि डिपार्टमेन्ट जानता है, हमारे पास जानकारी नहीं है। आपका शासन उन लोगों के द्वारा चलाया जाता है जो कि आपके सेक्रेटेरियट में बैठकर हजारों रुपये की तनख्वाह पाते हैं। यह तो अंग्रेज भी चलाते थे, राजा-महाराजा भी चलाते थे

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं बहुत अदब के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा सरकार से और हमारे क्रांतिकारी वित्त मन्त्री महोदय, अपने को कहते हैं और कहते हैं कि मैं तो अपोजीशन का हमेशा सहयोग चाहता हूं, अगर वे कोई सजेशन दें तो हमने कहा है। इन सब बातों के साथ जो इस एक्ट के अन्दर बातें रखो गयी हैं उनका बिलकुल विरोध करता हूं और यह कहूंगा कि इस एक्ट को सर्कुलेट किया जाये जनता की राय जानने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो वित्त मंत्री महोदय को दाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने बजट के समय इतने भारी टैक्सेशन के प्रपोजल्स रखकर और फिर अपने दल में एक छोटा-मोटा ड्रामा करवाकर एक प्रपोजल को वापिस लेकर दूसरा प्रपोजल किसी दूसरे रूप में रख दिया और अभी भी लगभग ३। करोड के नये टैक्सों के प्रपोजल्स इस सदन के सामने रखे हैं और आपने इस होशियारी से एक दफा बहुत भारी रख कर ऐसा जाहिर किया कि वे शायद रिट्रीट कर रहे हैं। आज ३। करोड के प्रपोजल्स··

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): ३ करोड मान लो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप अण्डर एस्टीमेट करके हमें गुमराह नहीं कर सकते। इस सदन के द्वारा एक ऐसी फिजां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाकर बहुत से टैक्सों को वापिस ले लिया और अब इस प्रकार की उम्मीद कर रहे हैं कि जो टैक्स प्रपोजल्स उन्होंने सामने रखे हैं वे तो बहुत ही आवश्यक हैं और उनको तो मन्जूर कर लेना ही चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रपोजल्स वित्त मंत्री महोदय ने बजट के समय रखें और जो अब इस फाइनेन्स बिल के रूप में इस सदन के सामने मौजूद हैं, हम यह समझते हैं कि बावजूद इसके कि हमारे राज्य को सुरक्षा और अपने विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए जैसा हमने बार बार कहा है अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता है और जिस प्रकार से हमने सुझाव भी रखे थे हमारे वित्त मंत्री महोदय के समक्ष इस सदन में कि वे इस प्रकार के साधन उनको उपलब्ध हो सकते थे। इस प्रकार के टैक्स लगाये बगैर जिनका बोझा आम जनता पर न पडे उसके 'बाजजूद' मैं कहूंगा कि हमारे वित्त मंत्री महोदय बुर्जवा में एक लॉयल और बफादार मिनिस्टर की तरह, उनका वफादार एजेन्ट की तरह उनको वर्गहितों को महफूज रखा है बावजूद इसके हमेशा बहस के जिसमें इस सदन के दोनों पक्षों की ओर से इस सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी की, इस सरकार की पैसा इकट्ठा करने की नीति की आलोचना की है। चाहे इस सदन में इस ओर बैठने वाले सदस्यों ने उसको बहुत स्पष्ट रूप से कहा न हो लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जिस प्रकार यह सरकार और वित्त मंत्री महोदय ने इन टैक्सेशन प्रपोजल्स के जो इस फाइनेन्स बिल में मौजूद हैं वे जिन उसूलों पर आधारित हैं, जिस प्रकार जिन सेक्शन्स पर इसका बोझा पडता है उसकी नीतियों का आम तौर पर इस सदन में विरोध किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह बात भी कही गई कि लाजमी तौर से आपको अपनी योजनाओं को छोटा करना पड़ेगा, आपकी योजनाएं महत्वाकांक्षी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम फिर इस बात को दोहराना चाहते हैं कि हम इस राय के पक्षपाती नहीं हैं, हम इस राय को गलत समझते हैं, हम इस राय को राजस्थान की जनता के हित के विरुद्ध समझते हैं और हमारा इस सरकार पर यह आरोप है कि यह सरकार उसूलन इस बात को गलत समझती हुई अपने आपको ही मुसीबत में जो अपनी नीतियों के कारण खड़ी कर रही है अपने इर्द गिर्द मकड़ी के जाले की तरह अपनी ही नीतियों के कारण फंसती जा रही है, उसूलन स्वीकार नहीं करती है। यह बजट सरकार ने मंजूर किया है, यह प्लान सरकार ने मंजूर किया है वह इस बात का सुबूत है कि इस सरकार ने आहिस्ता आहिस्ता अपने प्लान को कट करना शुरू कर दिया है। मैं नहीं जानता वित्त मंत्री महोदय इतनी ईमानदीरी से जवाब देंगे। स्वतंत्र पार्टी के लीडर का जो उन्होंने कहा था कि अपने कोर को भी छोटा करना पड़ेगा। मैं जानता हूं यदि ईमानदारी है तो कहेंगे कि हम आपका पहले ही से हुक्म बजाये रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वे इस बात को कहने में हिच-

को (श्री रामानन्द अग्रवाल) किया जाये क्योंकि जो घोषणायें वे करते हैं जनता में जिसके आधार पर वोट लेकर आये हैं उन घोषणाओं को अपनी जबान से नामंजूर करना उनके और उनके दल की एक हितकर बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार फाइनेन्स बिल सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है उसमें जिस किस्म के टैक्सेशन को बढ़ाने के प्रोपोजल्स हैं चाहे स्टाम्प ड्यूटी हो, चाहे वह सेल्स टैक्स बढ़ाने के प्रोपोजल्स हो जो कि मुख्य तौर पर ये दो चीज हैं। तीसरा तो सरचार्ज है वह कल आयेगा, आज फाइनेन्स बिल का हिस्सा नहीं है इसलिये उसका जिक्र मैं आज नहीं करूंगा इसी प्रकार के टैक्सेज के जरिये २ करोड़ ६५ लाख की आमदनी करने के इसके अन्दर प्रपोजल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार अपने फाइनेन्सेज रेज करने के लिये जो अत्यधिक टैक्सेज के ऊपर निर्भर करती जा रही है यह एक खतरनाक रास्ता है जिसको यह सरकार अपना रही है और यह बात मैं ही नहीं कहता, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की जो फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी है उसने भी सरकार को इस बात की तरफ संकेत किया था कि टैक्सेज लगाने की जो पोटेंशियलिटी है। वह एग्जस्ट होती जा रही है, उससे आप छोटे मोटे एडजस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन आप इसको बेस बनावें, फर्दर रिसोर्सेज बढ़ावें और प्लान को एग्ज़ीक्यूट कर सकें तो यह गलत रास्ता है। उन्होंने भी आपको सुझाया कि आप नोन टैक्स रेवेन्यू को ज्यादा बढ़ाइये, एक्सपेण्डिचर को कम करिये लेकिन इसके बावजूद भी यह सरकार ध्यान नहीं दे रही है और गलत रास्ते पर चलती जा रही है। जिस बात को फाइनेन्स इन्क्वायरी कमीशन ने कहा था, उपाध्यक्ष महोदय, अपनी रिकमण्डेशन में वह पेज २८८ पर है :

"Taxation measures have been pushed sufficiently. Further effort in this direction can only produce marginal increase in the revenue."

और यह सन् १९५८ में कहा गया था। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी सरकार ने काफी टैक्सेज लगाये हैं और अब भी सरकार वही रास्ता अपनावे तो क्या इस राजस्थान स्टेट के लिये, यहां की जनता के लिये यह दुरुस्त होगा, सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने बावजूद यह कहने के कि नोन-टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना चाहिये, यदि हम देखें कि क्या सरकार ने इस नीति का पालन किया है तो हम पायेंगे कि नोन-टैक्स रेवेन्यू बजाय बढ़ाने के घटती जा रही है। जो नोन-टैक्स रेवेन्यू सन् ६०-६१ में ३४.६ पर्सेन्ट थी वही ६३-६४ में २२.२ पर्सेन्ट केवल रह गई है। इसी तरह से करीब १२ पर्सेन्ट नोन-टैक्स रेवेन्यू में घटोतरी हुई है। और फिर यह सरकार जिन टैक्सेज को रिज़र्व करती है उस टैक्सेशन में एक खास किस्म का टैक्सेशन है जो इस सरकार का ऑप्शन है और वह टैक्सेशन है इण्डाइरेक्ट टैक्सेशन। ऐसा टैक्सेशन जिसका बोझ आम जनता पर न पड़ कर के बड़े बड़े लोगों पर पड़े। इस प्रकार का यदि सरकार लगाती तो कहा जा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सकता था कि इसका बोझ कुछ ही लोगों पर पड़ेगा और वह सही किस्म की टैक्सेशन पोलिसी होती। लेकिन इसके बजाय सरकार के आंकड़ों को देखें तो लगातार इण्डाइरेक्ट टैक्सेशन की पालिसी को अपनाये जा रही है, लगातार इण्डाइरेक्ट टैक्सेज बढ़ोत्तरी की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, जो डाइरेक्ट टैक्सेज सन् ६०-६१ में ५० पर्सेण्ट थे वे ६३-६४ में केवल ४१ परसेण्ट रह गये। इसका मतलब यह है कि इनडाइरेक्ट रेट टैक्स बढ़ कर ५० पर्सेन्ट से अब ५६ पर्सेण्ट पर पहुंचे गये हैं। डाइरेक्ट टैक्सेज घटते जा रहे हैं और इण्डाइरेक्ट टैक्सेज बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार बजाय नोन-टैक्स रेवेन्यू तलाश करने के टैक्सेशन पर अपने को आधारित कर रही है और टैक्सेशन में भी बजाय डाइरेक्ट टैक्सेशन पर आधारित करने के इण्डाइरेक्ट टैक्सेशन पर आधारित कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार ने अपना ऑब्जेक्टिव हिन्दुस्तान में एक समाजवादी समाज व्यवस्था कायम करने का रखा है। इसका मतलब यह है कि जो डिस्पेरिटी इन्कम की है, असमानता है गरीब लोगों और बड़े लोगों में, इस सरकार के कार्यों द्वारा, इस सरकार की फिस्कल पोलिसी के द्वारा, इस सरकार की टैक्स लगाने की नीति है उसके द्वारा उस असमानता में लगातार कमी होती जानी चाहिये। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम इस फाइनेन्स बिल को देखें और जो लगातार जिस तरह की नीति पिछले फाइनेन्स बिलों में रही है उसको देखें तो देखेंगे कि यदि घोषणा उत्तर की तरफ है तो उसका अमल बिल्कुल दक्षिण की तरफ जा रहा है। वह असमानता कम होने के बजाय लगातार उल्टी बढ़ती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार यह दावा कर रही है कि हमने पिछली योजनाओं में लोगों की आमदनी बढ़ाई है और लोगों की आमदनी बढ़ने से लोगों का जीवनस्तर ऊंचा उठा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि जितनी आमदनी पर-केपिटा, प्रति-व्यक्ति बढ़ने का सरकार का क्लेम है वह कितनी आमदनी है। यदि वास्तव में इस सरकार ने लोगों का जीवनस्तर ऊंचा कर दिया है तो निश्चित रूप से सरकार को फंड्स लेने का हक हो सकता है, लेना चाहिये। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े हमारे सामने हैं उनके अनुसार जो इन्कम पर केपिटा इन्क्रीज हुई है वह इस प्रकार है :

जहां ५५-५६ में पर-केपिटा इन्कम २३५) रु० थी वह आगे जाकर ६०-६१ में २४६ और अब १ परसेण्ट और बड़ी है यानी २४७) रु० प्रति व्यक्ति हुई है; जहां सन् ५५ से लेकर अब तक केवल १२ रु० प्रति व्यक्ति पर केपिटा इनकम बढ़ा पाये हैं। यदि हम, इस सरकार ने जो इस दौरान में टैक्स लगाये हैं उनके आंकड़ों का पर-केपिटा लें तो हमें मिलेगा कि उस १९५५-५६ में, जिसमें परके-पिटा इनकम २३५) रु० थे, उसमें पर-केपिटा टैक्स आठ रुपये था और अब जब कि २४७ रुपये पर-केपिटा इन्कम है तो टैक्स पर-केपिटा २०) रु० है यानी इतने ही वर्षों के अन्दर टैक्स पर केपिटा में १२) रु० की बढ़ोत्तरी हुई है और बारह रुपये की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बढ़ोत्तरी इस सरकार ने पर-केपिटा आमदन में की है। इस तरीके से जो इन पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये एवरेज इन्कम, हमारी पर-केपिटा इनकम बढ़ी है वह इन टैक्सों के जरिये हमारी सरकार ने वापिस ले ली है।

उपाध्यक्ष महोदय, शायद मेरी इस बात के कहने :. यह अन्दाज लगायें या वित्त मंत्री यह कहें-तो फिर भी हमने जो कुछ दिया है वही तो वापिस ले लिया है। यदि यह भी बात होती, उपाध्यक्ष महोदय, तो शायद मुझे बहुत ज्यादा गिला करने की बात नहीं होती लेकिन जो ये आंकड़े टैक्सों के भी, और इन्कम के भी, या तमाम लोगों की एवरेज पर-केपिटा है, अगर हम इन्कम-वाइज ग्रुप पर-केपिटा इन्कम और पर-केपिटा टैक्स का लें तो हम मिलेगा कि किसान, मजदूर या मध्यमवर्गीय लोगों की यह जो २४६) रु० या २४७) रु० पर केपिटा इन्कम सरकार बताती है, यह बड़े बड़े करोड़पतियों और गरीब लोगों की मिला कर एवरेज है। इसका मतलब यह है, गरीब लोगों की आमदनी २४७) रु० से कहीं कम है, किसानों की पर-केपिटा आमदनी १५०) रु० या जो आपने दिया है उसके करीब आती है, मजदूरों की पर-केपिटा आमदनी इससे भी कम या इसके नजदीक आती है और पूंजीपतियों की पर-केपिटा इन्कम कहीं आगे बढ़ती है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर टैक्सों का सवाल देखें, तो टैक्सों में बढ़ोत्तरी चाहे पर-केपिटा बारह रुपये हुई है, लेकिन चूंकि यह सरकार इण्डाइरेक्ट टैक्सों का ज्यादा बोझ डालती रही है, इसलिये इन इनकम वाइज ग्रुप गरीब लोगों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, मध्यमवर्गीय लोगों पर टैक्सों का बोझ ज्यादा पड़ा है। इस सरकार के चालीस करोड़ के टैक्स, जो यह सरकार वसूल करती है, का ८८ प्रतिशत बोझ गरीब लोगों के ऊपर पड़ने वाला है, केवल बारह परसेण्ट टैक्स इस किस्म के हैं जो ऊंची आमदनी वाले लोगों के ऊपर पड़ता है। इसका मतलब यह है, जहां एवरेज बारह रुपये बढ़ाया है, वहां गरीब लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ इससे दुगुना बढ़ा है और अमीर लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ उल्टा कम पड़ा है। तो कुल मिला कर, उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार की इन योजनाओं का, नीतियों का यह नतीजा रहा है और उन योजनाओं के साथ जो टैक्स लगाया है, उन तमाम नीतियों का कुल मिला कर यह नतीजा रहा है कि बड़े लोगों की आमदनियां ज्यादा बढ़ी हैं और उनके ऊपर टैक्स का बोझ कम डाला है और इन योजनाओं के जरिये इस सरकार ने उनके पास उनके घर का सरप्लस बजट छोड़ा है लेकिन जहां तक गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, मध्यमवर्गीय लोग हैं, उन लोगों की आमदनी कम बढ़ी है, उनके ऊपर टैक्स का बोझ ज्यादा बढ़ा है और इस तरीके से उनके घरों का जो बजट पहले ही डेफीसिट था, उस बजट को आपने और भी ज्यादा डेफीसिट बनाया है। और फिर, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी वे घोषणाएं ! आपका वह समाजवाद ! वह कौनसा समाजवाद है ? कौन से तरीके का समाजवाद है जिसके अन्दर गरीब लोगों की आमदनियां कम होती जा रही हैं और बड़े लोगों की आमदनियां बढ़ती जा रही हैं, ? उनके अन्दर जो फर्क है वह फर्क घटने के बजाय उल्टा बढ़ता जा रहा है और आप छाती ठोक कर कहते जा रहे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
हैं कि हम समाजवाद कायम करना चाहते हैं, हम समाजवाद लाकर छोड़ेंगे ! मुझे खतरा है, उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह की नीति इस सरकार के द्वारा चलाई गई तो जो इस सरकार की, इस डालडा रूपी, इस बनावटी, धोखा देने वाले समाजवाद के नारे के खिलाफ है, और खुद ट्रेजरी बेंचेज के ऊपर बैठने वाले लोग, जिनका वोट लेकर आप आये हैं, इस तरीके के लेजिस्लेशन के जरिये, इस तरह की पॉलिसी के जरिये आप उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं—यह आपकी बात ज्यादा अर्से तक चलने वाली नहीं है । मैं आपका ध्यान अभी हमारे प्रधान मंत्री ने जो बात कही उस ओर दिलाना चाहता हूं । हमारे प्रधान मंत्री ने बजट की बहस का उत्तर देते हुए पार्लियामेंट में कहा था कि हमारी इन तमाम प्लान्स का एक ऑब्जेक्टिव है, और इन टैक्सेज का एक ऑब्जेक्टिव है-एक पर्टिक्युलर तरह की सोश्यल जस्टिस हम देना चाहते हैं । लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री से, ट्रेजरी बेंचेज से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसी प्रकार की सोश्यल जस्टिस आप देना चाहते हैं ? क्या इसी तरह का समाजवाद आप बनाना चाहते हैं इस हिन्दुस्तान में जिसमें गरीब आदमियों का जीवन स्तर घटता हुआ चला जाय और बड़े आदमियों का जीवन स्तर बढ़ता हुआ चला जाय, और जो डिफरेन्स है आमदनी का उसमें समानता आने के बजाय असमानता उल्टी बढ़ती हुई चली जाय ? इस तरह की बात कह कर और उसका इस तरह अमल दिखा कर आप कितने दिन धोखा दे सकेंगे, यह आपके सोचने की बात है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : 'धोखा' शब्द आप देख लीजिये, अनपार्लियामेन्ट्री है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिल्कुल पार्लियामेन्ट्री है । मुझे अफसोस है कि पार्लियामेन्ट्री की चिन्ता करते नहीं हैं और 'धोखे' को अनपार्लियामेन्ट्री कहते हैं और खुद 'धोखा, धोखा, धोखा' करते चले जाते हैं और धोखे को देखते नहीं हैं, कैसा है · · ·

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपकी रूलिंग नहीं चाहता, मैं उपाध्यक्ष की रूलिंग चाहता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप बैठ जायें । यह पार्लियामेन्ट्री है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपके कहने से बैठने वाला नहीं हूं · · ·

श्री उपाध्यक्ष : Order please. ! Order please !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं · · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : बैठें नहीं तो खड़े रहें ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह 'धोखा' शब्द

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य को 'धोखा' शब्द पसन्द नहीं है तो मैं 'धोखा' की जगह फरेब कह देता हूं, ४२० कह देता हूं · · ·

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ४२० आप जैसे ही करने वाले हैं । जैसा कहोगे वैसा सुनोगे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, Order please धोखा शब्द अनपार्लियामेन्ट्री नहीं है ।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : 'धोखा, देना ४२० है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको पसन्द न हो तो बदल लीजिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जहां सरकार की नीति इस प्रकार से समाजवादी दृष्टिकोण को न अपना कर इस समानता को बढ़ाने की हो, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि अपनी इस कमजोरी के कारण इस राज्य के अन्दर जिस तरह की, इन प्लान्स में जिस तरह से पैसे को खर्च करने की नीति अपना रहे हैं वह भी इस प्रान्त में रीजनल डिस्पेरिटी को क्रियेट कर रही है और जिसका नतीजा, उपाध्यक्ष महोदय,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह होगा कि इस प्रान्त में एकता को मजबूत बनाने के बजाय, इस प्रान्त में जो विभिन्न रियासतों के लोग मिल कर यहां आये हों सारे राजस्थान के हित को ध्यान में रखते हुए वहां विकास की तरफ आगे बढ़ती सरकार की इन नीतियों की वजह से, जिस तरह उनका अमल हो रहा है, कुछ एरिया के अनुचित तौर पर विकास की ओर ध्यान ज्यादा रखा जा रहा है और दूसरे एरियाज़ को निग्लेक्ट किया जा रहा है । राजस्थान की दो करोड़ जनता का समाज-विकास हो, वह जनता कहीं पर भी हो—हम उसका बहुत स्वागत करते हैं । आखिर हमारी सारी जनता एक है । लेकिन सरकार की इन गलत नीतियों के कारण यह नतीजा होता है कि ग्रुप रिटेलियेशन में हमारी शक्ति बरबाद होती है, हमारी सारी शक्ति ग्रुपिज्म में बरबाद होती है, रीजनल पॉलिसी के अपनाने के कारण, सरकार की नीतियों के कारण जो यहां अपनाई जाती है । मैं समझता हूं कि सरकार की इन नीतियों की, जो रीजनल डिस्पेरिटी ज्यादा क्रियेट करने वाली हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर वास्तव में राजस्थान की तमाम जनता का हित चाहते हैं.......

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : नेशनल नीति को छोड़ कर इण्टरनेशनल नीति में आने वाले हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इस बिल में जो कुछ प्रावधान रखा गया है उनके संबंध में कुछ शब्द कहना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के जरिये आप यह देखेंगे कि सरकार ने अपनी कुछ बड़े लोगों को रियायतें देने और छोटे लोगों को बोझ से लादने की वही पुरानी नीति कायम रखी है । मिसाल के तौर पर बजट की बहस के दौरान में सदन के इस ओर व उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों की ओर से ये सुझाव आये कि शहरों की बड़ी बड़ी प्रोपर्टी है जिसके मालिकों के द्वारा आमदनी बढ़ाने की कोशिश किये बगैर कीमतें अपने आप दुगुनी-तिगुनी बढ़ गई उनसे सरकार को हिस्सा लेना चाहिए, सरकार जो अपनी स्टाम्प ड्यूटी में चेन्ज ला रही है उसके जरिये सरकार बड़ी आसानी से अपने टार्गेट को एचीव कर सकती है । जो लोग इस प्रकार के बड़े बड़े मकान १९५२ के बाद ट्रांसफर कर रहे हैं और जिनकी कीमतें आज बगैर किसी प्रकार के मालिकों द्वारा प्रयत्न किये जाने के ज्यादा हो रही है उस पर अगर सरकार वेल्यू से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ऊपर ५० प्रतिशत या ३० प्रतिशत या ३५ प्रतिशत लगाना चाहें तो लगा सकती थी क्योंकि उसकी कीमत दुगनी–तिगुनी हो गई है और उसको बढ़ाने के लिये कोई प्रयत्न मालिकों की तरफ से नहीं हुए थे। अगर ५०,००० रु० में कोई जायदाद बिकती है तो उसकी असली कीमत तो २५ हजार ही थी। उस पर २५ हजार जो उसे मुनाफा मिल रहा है उस पर ५० प्रतिशत आप लेलें तो भी उसको १२॥ हजार रु० का फायदा मिलता है। अगर सरकार ऐसा करती है, ठीक है, मगर सरकार यह न करके छोटे मकान वालों के समान व्यवहार करती है।

(३.२२ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी सभापति पदासीन)

इस पर यह ड्यूटी डबल कर दी जावे, दूसरे लोगों पर सामान्य तरीकों के करों का बोझ बढ़ा हुआ है और उन लोगों पर अधिक बोझ नहीं पड़े इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को इस बात पर सोचना चाहिये; हम इसमें एमेण्डमेण्ट नहीं रखते क्योंकि टैक्सेज़ के मामलों में जब तक गवर्नर की मंजूरी नहीं हो, एमेण्डमेण्ट नहीं हो सकता। मगर इस पर वित्त मंत्री को सोचना चाहिये।

अनाजों पर, दालों पर दो प्रतिशत टैक्स लगाया, यह सरकार के लिये शर्म की बात है। राजस्थान ने ऐसा करके हिन्दुस्तान में एक नई मिसाल कायम की है इस तरह से टैक्स लगा कर। आज गरीब आदमी को रोटी पर इन करों के बोझों को डालने की कोशिश की है। मैं यह सुझाव तो नहीं दूंगा, मगर इस सदन में एक माननीय सदस्य की ओर से आया था कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये, अनाज पर से कर हटा कर नमक पर टैक्स लगा दें। मैं समझता हूं कि इससे और भी ज्यादा लोगों में मुसीबत की बात होगी। मैं समझता हूं कि इसके बाद तो पानी और हवा ही एक रह जायेगी जिस पर हमारी सरकार टैक्स छोड़ेगी। यह टैक्स अमीर आदमियों पर है। नमक का कर गरीब से गरीब आदमी पर लगता है। यह कहना कि यह टैक्स देहातों में किसानों पर नहीं पड़ेगा, आप गांवों में जाकर देखें कि किसान के घर में कितना नाज बचा रहता है। तो आपको मालूम होगा कि ५ प्रतिशत नाज बड़ी मुश्किल से बचा सकता है। बाकी आम किसान के खलिहान पर साहूकार की गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है और कई दफ़े उस किसान के खेत का धान भी साहूकार ही काटते हैं, काश्तकार को खाने के लिये भी धान ज्यादातर साहूकार के घर से ही लाना पड़ता है। आपकी यह ग़लत थ्योरी है कि यह टैक्स किसान पर नहीं लगेगा, आप गांवों की व्यवस्था को जानते नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सिवाय बड़ी बड़ी जागीरों के जिनके सरप्लस धान होता है उनके धान बचता है, इसलिये इसको वापिस लेन चाहियें।

इसी तरह से सेल्स टैक्स में आपने ४ प्रतिशत से ६ प्रतिशत किया, आपने साधारण आदमी की जरूरतों पर भी टैक्स बढ़ाया है, इसलिये कि कोई ख़रीदे नहीं। आपको पैसे की जरूरत है आप चाहते हैं, कि अपने डेफिसिट बजट को कैसे पूरा करें। हमने इसके लिये पहले भी कितने ही सुझाव दिये हैं, मगर आप उन सुझावों पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं? आप ऐसी नीति अपनाना चाहते हैं कि जिसका भयंकर नतीजा राजस्थान के डेवलपमेन्ट

पर हो सकता है ? अभी बजट की बहस पर और फाइनेन्स बिल के समय कहा था और हम फिर कहना चाहते हैं कि अलवर, भरतपुर में ऑइल इन्डस्ट्री को पहले ऑइल सीड के पर्चेजेज पर आपने टैक्स माफ किया था पहले भी उन मिलों को बंगाल और यू. पी. की मिलों से कम्पीटीशन करना पड़ता है हमारे अलवर और भरतपुर में इस प्रकार की मिलें हैं। इस इलाके में कोई इन्डस्ट्रीज़ नहीं है। हमारे उधर आपने इन्डस्ट्रियल एस्टेट को खतम कर दिया। आपने इस इलाके में न कोई बिजली लगायी, वहां पर यदि छोटे मोटे उद्योग पनपते हैं तो उसको भी आप ख़त्म करना चाहते हैं। इसकी तरफ आपको विचार करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ सभापति महोदय, मैं यह जो फाइनेन्स बिल सरकार को ओर से पेश किया गया है, इसका घोर विरोध करता हूं और सरकर को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप इन्हीं नीतियों पर दृढ़ रहेंगे तो आपको जनता माफ नहीं करेगी और आप ऐसे रास्ते की तरफ जा रहे हैं जिससे आप पब्लिक को मजबूर करेंगे, जनता आपके ख़िलाफ खड़ी होगी, आप चाहे एजेमन्सी के बहाने लोगों को बम्बूजिले करने की कोशिश करे मगर लोग डरने वाले नहीं हैं। उन लोगों से कह कर कि यह सुरक्षा का वक्त है, आप महारी इस बात का विरोध न करें इससे सुरक्षा कमज़ोर होगी। हम कहना चाहते हैं कि हम सुरक्षा और प्लान को मजबूत बनाना चाहते हैं, मगर जिस तरह से आप चलना चाहते हैं उसके लिये आप जिम्मेदार हैं; प्लान कोक मज़ोर करने और आपको जनता की अमानत पर हमला करने का मौका और दिया जा सकता है। आप लोगों के साथ जिस तरह चाहें व्यवहार करें। चाहे जिनको आप नौकरी से निकाल दें, हर वक्त एमर्जेन्सी की बात कहते रहें और लोगों को जेलों का भय दिखाते रहें, यह वाजिब बात नहीं है। हमने आपकी जेलें पहले भी देखी हैं, अब भी देखने को तैयार हैं; हमें जेलों से डर नहीं है, पहले गये हैं और अब भी जाने को तयार हूं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि अगर आप भी जनता के हितों पर ध्यान नहीं रखेंगे और अपनी जेलों व पुलिस की लाठियों पर भरोसा रखेंगे तो याद रखिये, हिन्दुस्तान की जिस जनता ने अंग्रेज़ों को रास्ता बताया, आपको भी रास्ता बता देगी।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : श्रीमती सभानेत्री जी, फ़ाइनेन्स बिल पर, काफ़ी चर्चा, जब से इसे वित्त मंत्री महोदय ने पेश किया है दोनों पक्षों की ओर से हो रही है। मैं समझता हूं, हमारे सदन में सरकार को उस तरफ़ से या इस तरफ से बोलने वालों का आग्रह था, इसको डैमोक्रेटिक तरीक़े से माना है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं कि जो कर हम लगाते हैं जिसका विरोध हाउस में किया गया है सरकार ने कम से कम लैण्ड सेस पर निर्णय लिया था उसको विथड्रा किया है। सभी पार्टीज़ ने कदम उठाया, यह उसका फल हुआ है उसका नतीजा हुआ है कि राजस्थान अपने कुछ ग़रीब तबक़ों पर ज्यादा बोझ बढ़ने वाला था उसको नहीं पड़ने दिया और इसके लिए तो मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब और सारी गवर्नमेन्ट को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी इस बात को माना। सबसे पहली बात में यह कहना चाहता हूं कि डैमोक्रेटिक तरीक़ों को अब तक हाउस में कहा गया इस बात को माना।

(श्री मोती लाल चौधरी)

लेकिन साथ ही साथ में श्रीमती सभापति अभी में सुन रहा था जब विरोधी दल के नेता बोल रहे थे और बराबर प्रतिरोध और रोषपूर्ण की धमकी देते हैं, लोग जानते हैं कि आपकी बहुत बड़ी ठेकेदारी है, ऐसी बात करते हैं, सिद्धान्तः वे भूल जाते हैं कि इस देशका विकास किस कारण से हुआ, मैं सभापति महोदय, उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान एक बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त है, यह इकोनोमिकली पिछडा हुआ है। यहां पर आज से १२ वर्ष पहले राजाओं का राज्य था और अंग्रेजों के कारण से कुछ इन्डस्ट्रियल एस्टेट हुए? लेकिन हमारा विकास का कार्य ५२ से शुरू हुआ और चल रहा है और इतने थोड़े अर्से में हमने जो कुछ भी प्रगति की है वह हमारे सामने है।

लेकिन इसके बाद भी प्लान कार्यक्रम चालू करने के बाद, डिकेन्द्रीकरण कर देने के बाद, विकास के तरीकों को अपना लेने के बाद भी कॉम्युनिस्ट पार्टी की तरफ़ से बार बार धमकी मिलती है कि क्रान्ति करेंगे, जनता क्रान्ति कर देगी, तो मैंने पहले भी मार्क्स के नाम से हाउस में कहा था और फिर निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप मार्क्सवाद के नाम पर बार बार यह धमकी देते हैं कि क्रान्ति कर देंगे तो आज ख्रुश्चेव खुद मार्क्स के नाम को भूल रहे हैं। जो इन्टरनेशनल कॉम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं वे खुद ख्रुश्चेव मार्क्स, लेनिन और स्टेलिन को भुला रहे हैं और महात्मा गांधी के रास्ते को अपना रहे हैं। राजस्थान की कॉम्युनिस्ट पार्टी के नेता क्रान्ति की धमकी देते हैं, हमने पहले भी कहा है और आज फिर कहते हैं कि पार्लियामेन्टरी तरीक़ों को कॉम्युनिस्ट नहीं मानते, आप प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं करते, डेमोक्रेसी में आप बिलीव नहीं करते, यह हम जानते हैं और जनता भी अच्छी तरह से जानती है। आप क्रान्ति पैदा करने के लिये, केओस पैदा करने के लिये बातें करना चाहते हैं। पर जनता काम्युनिस्ट पार्टी की नीति को जानती है। मैं इस बारे में ज्यादा न कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके नेता, इन्टरनेशनल काम्युनिस्ट पार्टी के नेता ख्रुश्चेव ने महात्मा गांधी के तरीके को माना है कि पीस के तरीक़ों से ही विश्व में विकास और शान्ति हो सकती है, हिंसा से नहीं हो सकती है। इसके बाद माना है कि जनता कीमत से होगी और जनता आज क्या चाहती है, यह सब जानने के बाद भी आप चाहते हैं कि एक डिक्टेटर का राज्य हो, यह नहीं हो सकता, न एक राजा का राज्य हो सकता है और न एक डिक्टेटर का राज्य हो सकता है। ये दोनों ही तरीक़े टोटेलिटेरियन तरीक़े हैं इस चीज़ को जनता आज जानती है। तो मैं उनसे कहूंगा कि आप बार बार क्रान्ति की धमकी देते हैं वह व्यर्थ है, यहां डिक्टेटर शिप कभी नहीं हो सकती।

श्री कुमारानन्द (व्यावर) : देश के बहुत से नौजवानों ने हंसते हंसते अपने आपको बलिदान किया, उनके बलिदानों से देश को आजादी मिली है ।

श्री मोतीलाल चौधरी : तो मैं यह कह रहा था कि हिन्दुस्तान में मोनोपोलिस्ट तरीक़ों से कैपिटलिस्ट तरीक़ों से कॉम्युनिस्ट तरीक़ों से विकास नहीं होने वाला है। हिन्दुस्तान की जनता कॉम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट तरीक़ों को कभी नहीं मानेगी। हिन्दुस्तान मध्यम मार्ग की नीति से गांधियन

Page No.96

(मोतीलाल चौधरी)
थ्योरी से ही पनपेगा। हर एक मनुष्य की कीमत है। जो तरीका यहां है वही सही तरीका है। मैं ज्यादा न कह कर इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कितनी ही धमकी दें जनता आपको जानती है। हिन्दुस्तान की जनता ने पहले भी आपको देखा है, देख रही है और आगे देखेगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय सभानेत्री महोदया, माननीय सदस्य ने कहा कि राजाओं का राज्य और कॉम्युनिस्टों का राज्य, इनमें कोई फर्क नहीं, दोनों टोटेलिटेरियन हैं तो ....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्यगण, आप इन्टरप्ट न करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : क्या करें साहब, भाषण ही ऐसा है कि इन्टरप्शन की प्रेरणा मिती है; इनकी आदत पड़ी हुई है टोटेलिटेरियन की।

श्री मोतीलाल चौधरी : आपकी आदत से आफ़त तैदा होती है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय हांडाजी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप बार बार इन्टरेप्ट न करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सभानेत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उन्हें कहें कि पर्सनल एस्पर्शन्स न करें।

श्रीमती सभानेत्री : मैं आपसे निवेदन कर चुकी हूं कि आप इन्टरप्ट न करें।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं आपसे यह कह रहा था कि जहां भी दुनियां में काम्युनिज्म चला है वहां मानते हैं कि दुनियां में हिंसा से विकास नहीं हो सकता। दुनियां में विकास करना है तो गांधियन तरीक़ों से होगा। जो डैमोक्रेसी से जनता का विकास मानते हैं उनका स्वागत है, जो नहीं मानते हैं यह गलत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: सभानेत्री महोदया, On a point of Order, माननीय सदस्य सब्जेक्ट मैटर से बिल्कुल बाहर जा रहे हैं, फाइनेन्शियल बिल पर बहस हो रही है और वे इन्टर्नेशनल. पोलिटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं।

श्रीमती सभानेत्री: इस तरह के भाषण आपकी तरफ से भी हो चुके हैं।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : एक तरफ से एक गलती हो जाय तो दूसरे भी वही गलती करें, यह न आवश्यकता है और न उचित।

श्री मोतीलाल चौधरी: फाइनेन्शियल बिल पर भाषण देते हुए जो कहा गया उससे पता चलता था कि किस तरह वे चाहते थे। अब मैं इस पर न कह कर फाइनेन्शियल बिल पर आता हूं, जो मन्त्री महोदय ने पेश किया और सेस के सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने डिक्लेअर किया कि नहीं लगेगी और सरचार्ज पर विचार पर करेगी। इस वक्त मैं इस पर बोलूंगा। सेस का विथड्रावल हुआ है, इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं, इसका स्वागत करता हूं। मैं फाइनेन्स मिनिस्टर का ध्यान इस पर और आकर्षित करूंगा कि हम किसलिये टैक्स वसूल करते हैं, शासन चलाने के लिये और विकास करने के लिये, जनता का इनसे सम्बन्ध है, जनत

(मोतीलाल चौधरी)
एड्मिनिस्ट्रेशन चलाने के लिये और विकास करने के लिये टैक्स देती है और इसीलिये अपने नुमायन्दे भेजती है कि उसके अनुसार देश के राज्य का संचालन करने के लिये और विकास करने के लिये काम करें और इसके लिये धन की जरूरत होती है तो टैक्स और नांन टैक्स दोनों तरह की रेवेन्यू की व्यवस्था करें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान बना उस समय हमारे यहां १,५० एड्मिनिस्ट्रेटिव कोस्ट थी, आज वह बढते-बढते २,६० पहुंच चुकी है, प्रति व्यक्ति एक्स्पेन्डीचर १,५० से बढ़ कर २,६० तक बढ़ा है।

एक तो हमने विकेन्द्रीकरण किया है, पंचायती राज किया है, जनता को उसका काम दिया है और दूसरी तरफ एड्मिनिस्ट्रेटिव कोस्ट बढती जा रही है, यह परस्पर विरोधी बात क्यों हो रही है? किस कारण से एड्मिनिस्ट्रेटिव कोस्ट बढ रही है। हमने एड्मिनिस्ट्रेटिव कोस्ट कम करने के लिये विकेन्द्रीकरण किया था, इसके दो उद्देश्य थे एक तो यह कि ग्राम राज्य बनेगा और दूसरा यह कि एड्मिनिस्ट्रेटिव कोस्ट घटेगी। १.८० लाख जनता को पंचायती राज में विकेन्द्रीकरण के जरिये लिया है तो इसके दो कारण हो सकते हैं या तो पंचायती राज असफल रहा है या एड्मिनिस्ट्रेशन पर हम खर्चा कर रहे हैं उसमें कहीं गलती है, गड़बड़ है। विकेन्द्रीकरण के पश्चात् तो एड्मिनिस्ट्रेटिव कोस्ट घटनी चाहिये। तो इस चीज को हमें गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये कि प्रशासन का खर्चा बढ़ने के क्या कारण हैं और जिन तरीकों से एड्मिनिस्ट्रेटिव कोस्ट घटे उन तरीकों को पंचायती राज्य में अपनाना चाहिये ।

दूसरे खर्चे हुए हैं उनको प्लान और नान प्लान इन दो भागों में बांटते हैं। वे खर्चे कहां कहां हो रहे हैं, यह मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से जानना चाहूंगा। मेरे पास बहुत उदाहरण हैं, सब नहीं एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा। आप प्लान रखते हैं नरसरी बनाने के लिये, सीड स्टोर बनाने के लिये; पर वास्तव में बनते क्या हैं रेस्ट हाउस। मैं आबू में गया तो मैंनें देखा कि रेस्ट हाउस बना हुआ है फोरेस्ट डिपार्टमेंट का कि कम से कम उस पर ५०,०००) रु० की कीमत लगी होगी। आबू से आने के बाद मैंने बजट देखा, छान-बीन की इस रेस्ट हाउस की जरूरत क्या पड़ी थी, किसने सैंक्शन दी रेस्ट हाउस के नाम से दस वर्ष में कोई पैसा गवर्नमेंट की ओर से नहीं दिया गया। फोरेस्ट महकमे के बजट को देखा। पांच वर्ष से लगातार बजट में 'सीड स्टोर, सीड स्टोर' के नाम से दिखाया जाता रहा है। बड़ा विचार और आश्चर्य हुआ कि माउन्ट आबू के ऊपर ऐसा कौनसा सीड स्टोर है। मैं इस सीड स्टोर को देखने के लिए गया। न तो वहां सीड स्टोर था और न ही सीड था उसमें तथा न सीड रखने वाला था। डाक बंगलो में डिप्टी फोरेस्ट मिनिस्टर मिले । हमने पूछा कि सीड सटोर रेस्ट हाउस कैसे बन गया? चीफ सेक्रेटरी मिले, हमने पूछा। बजट में सीड स्टोर के नाम लगातार पांच वर्ष से यह हो रहा है, फिर यह रेस्ट हाउस किस प्रकार बन गया? यह सरकार को धोखा दिया गया, सदन को धोखा दिया गया, फाइनेन्स को धोखा दे रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री,वन: Point of information, Sir, Deputy Minister at present or the Deputy Minister......

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : Deputy Minister of the past.

श्री मोतीलाल चौधरी: आपके शपथ लेने के पहले की बात है

तो माननीय सभापति महोदय, वर्तमान डिप्टी फोरेस्ट मिनिस्टर आबू पहाड़ पर शपथ लेने गये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : पहाड़ पर शपथ ली।

श्री भैरोंसिह: तो इसका मतलब यह है कि भूतपूर्व डिप्टी फोरेस्ट मिनिस्टर पर चार्जेज लगें तब तो कुछ नहीं और वर्तमान डिप्टी फोरेस्ट मिनिस्टर पर यदि चार्जेज लगें तो इतना उछाल आ जाता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मतलब बड़ा साफ है, आप दोनों को भिड़ाना चाहते हैं; लेकिन भिड़ने के नहीं।

श्री मोतीलाल चौधरी: मैं भिड़ने वाला नहीं। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। माउन्ट आबू पर इस प्रकार बताया गया कि सीड स्टोर है। वहां उस सीड स्टोर में सी.सी. एफ. मिनिस्टर, सी.एस. पहुंचते हैं। हिन्दुस्तान के बडे बडे लोग वहां पहुंचते हैं, सीड स्टोर में जाते हैं। वहां पर सीड रखने की व्यवस्था नहीं है। जी.ए.डी. का साफ बोर्ड लगा हुआ है कि रेस्ट हाउस जी.ए.डी. को पूछा कि कब से यह रेस्ट हाउस बना, फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने कब पास किया? कुछ नहीं। पता नहीं। इतना बड़ा अन्धेर असेम्बली से धन-राशि दी जाती है उपयुक्त स्थान पर खर्च करने के लिए पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी को, ए.जी. को फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को और हाउस को धोखा देते हैं। इस तरह का प्लानिंग करना अनुचित होगा। देश का विकास कीजिये। लेकिन सीड स्टोर के नाम से रेस्ट हाउस, डाक बंगले मत बनाइये।

इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण मैं प्लान में रखता हूं, और अधिक उदाहरण नहीं दूंगा । भरतपुर में कैबिनेट गई। कुम्हेर की गौशाला को ले लीजिये। सरकार ने खुशी के साथ गौशाला को ग्रान्ट किया। माननीय सभापति महोदय, गौशाला को ग्रान्ट किया तो अन्याय नहीं किया है, न्यायसंगत है। ५६ तक गौशाला राजस्थान सरकार के पास थी। लेकिन ५६ के बाद वह बजट में से ही गायब हो गई। मत्स्य गवर्नमेन्ट के द्वारा एक कमेटी के सुपुर्द की गई थी। तहसीलदार को सौंपा था, इसके साथ लगभग २४ हज़ार एकड़ भूमि थी, ऐसा बताया गया। महाराजा किशनसिंह, भरतपुर ने ब्रीडिंग सेन्टर कायम करने के लिए इसको लिया था। ५६ तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के बजट में गौशाला चली आ रही थी । ५६ के बाद बजट से गायब। ज़मीन बंट गई। लोगों ने यह जमीन लेली। सन् ६० में कैबिनेट पहुंची है। राज्य की गौशाला है, उस पर खर्चा किया गया था। लेकिन उसकी ज़मीन बंट गयी। कहा गया कि इसको सरकार में ले लीजिये। उसके बाद उसको कोई इन्क्वायरी नहीं हुई। उसको ले लिया गया। उसके बाद क्या किया? आप फ़ाइल देख लीजिये। मेवाड़ ब्रीडिंग का सेन्टर खुल गया। डिप्टी सेक्रेटरी ने इसका विरोध किया। मेवाड़ ब्रीडिंग की संख्या कम है। कांकरोली, राठी, थरपारकर इनकी संख्या अधिक है। अच्छा ब्रीडिंग है। मेवाड़ का ब्रीडिंग कम है, उसके मुक़ाबले में अच्छा नहीं है। कारोल, राठी

(श्री मोतीलाल चौधरी)

के डवलपमेन्ट की व्यवस्था बन्द नहीं होनी चाहिये लेकिन चीफ सेक्रेटरी चाहते हैं मेवात की हो, उनकी इच्छा है। क्योंकि मेवाड़ ब्रीड की जरूरत नहीं, मेरा नाम होना चाहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of order Sir, जो आप कह रहे हैं एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है, अनपब्लिश्ड रिपोर्ट से बोल रहे हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं निजी जानकारी से बोल रहा हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप उस कमेटी के चेयरमैन हैं और आप अनपब्लिश्ड रिपोर्ट से बोल रहे हैं उसको उद्धृत कर रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : आप ज़ाहिर कर रहे हैं....

श्री मानिकचन्द सुराना : आप एक्सपोज़ नहीं कर सकते।

श्री भैंरोंसिह : आपने यह कहा है कि डिप्टी सेक्रेटरी ने प्रोटेस्ट किया है, फ़ाइल पर लिखा है। आप फ़ाइल तो नहीं देख सकते, एस्टीमेट कमेटी में देखी होगी।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्यन कन्फ़र्म कर दिया है।

श्री मोतीलाल चौधरी : मेरी जानकारी में है उसके अनुसार कह रहा हूं।

श्री भैंरोंसिह : पोइन्ट यह नहीं है। पोइन्ट यह है कि जैसे माननीय सदस्य ने डिप्टी सेक्रेटरी के नोटिंग का रेफ़रेन्स दिया और कहा कि डिप्टी सेक्रेटरी ने प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद भी मेवाती ब्रीडिंग का फ़ार्म खोल दिया। या तो उनकी नौलेज में डिप्टी सेक्रेटरी का नोटिंग आया हो या एज चेयरमैन एस्टीमेट कमेटी की जो फाइल उनके सामने आयी हो और उन्होंने उसको देखा हो और यहां कह रहे हों। मुझे मालूम है कि यह मामला एस्टीमेट कमेटी के सामने आया था। जब एस्टीमेट कमेटी के सामने कोई फ़ाइल प्रोड्यूस की जाय तो उसके कन्टेन्ट्स जब तक कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश न हो जाय उद्धृत नहीं किये जा सकते।

श्रीमती सभानेत्री: क्या माननीय सदस्य का ऐतराज़ ठीक है ?

श्री बालकृष्ण कौल : जब तक रेफ़रेन्स ला रहे थे, एस्टीमेट कमेटी के मेम्बर नहीं थे गुमान भी नहीं था कि यह एस्टीमेट कमेटी की चीज़ है। माननीय सदस्य ने यह सवाल पैदा कर दिया कि एस्टीमेट कमेटी का है और इसको डिस्क्लोज़ कैसे कर दिया ? कन्फ़र्म कर दिया कि एस्टीमेट कमेटी के सामने आया। आपने जाहिर कर दिया कि यह सवाल एस्टीमेट कमेटी का था। अन्यथा हाउस को नहीं मालूम था।

श्री मोतीलाल चौधरी : I cannot disclose my sources.

श्री भैंरोंसिह : यह मामला एस्टीमेट कमेटी को रेफर किया हुआ था, किया हुआ है। एस्टीमेट कमेटी के चेअरमैन होने के नाते आपने इसको रेफर कर दिया है तो यह ग़लत है।

श्री मोतीलाल चौधरी : एस्टीमेट कमेटी में क्या है या नहीं वह मुझे नहीं, मालूम ?

श्रीमती सभानेत्री : वहतर है कि आप इसको एवोइड करदें और भाषण दूसरी तरफ जारी रखें।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं दो बातें कह रहा था। विकास के लिये पैसा ले लीजिये। विकास करना है, राजस्थान पिछड़ा हुआ है विकास के लिये कर्जा लेते हैं इसके लिये भी आपत्ति नहीं। खर्चा करते हैं वह वाजिब है या नहीं, यह प्रश्न है ?

तीसरा उदाहरण दूं। एस्टीमेट कमेटी का रेफ़रेन्स नहीं देता हूं। सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था कि जितनी गवर्नमेन्ट की व्हिकल्स हैं . . .

श्री भैरोंसिंह : फ़ाइनेन्स बिल पर वहस हो रही है।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं पैसे की ही बात कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय।

मैं कह रहा था कि टैक्स लीजिये। देने के लिये तैयार हैं। एक परसेन्ट है वहां २० परसेन्ट लीजिये। लेकिन उसका सदुपयोग हो। गवर्नमेन्ट–एक्स्पेन्डीचर में इकोनोमी हो, आप करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद भी इकोनोमी के नाम से इकोनोमी नहीं होती है। रेशनलाइज़ेशन करते हैं, एक्स-पेन्डीचर कट करते हैं, एक्चुअल इकोनोमी करते हैं। तीनों में फ़ंसे हुए हैं। इकोनोमी कट अलग चीज़ है। जो करना था नहीं कर पाये। रेशनलाइज़ेशन करके इकोनोमी करना चाहिये। इकोनोमी की अलग बात है।

गवर्नमेन्ट व्हिकल्स जो हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है ; हर पंचायत के पास हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिपार्टमेन्ट के पास गाड़ियां हैं। इस बारे में एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट है कि गवर्नमेन्ट विहिकल्स के दो पूल किये जायं। एक तो स्टेट लेवल पर और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसके अलावा कुछ डिपार्टमेन्ट्स के पास छोड़ दी जाय; जैसे पुलिस, पब्लिक हैल्थ, फ़ायर आदि के लियें अलग रखा जाय। बाक़ी सब गाड़ियां स्टेट लेवल पर एक पूल में होनी चाहिये। इसमें गवर्नमेन्ट मानती है कि ६० और ७० परसेन्ट तक इकोनोमी हो सकती है। मानने के बाद भी क्यों नहीं कर रहे हैं ? इससे जो गवर्नमेन्ट विहिकल्स का मिस यूज़ हो रहा है वह नहीं हो सकेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन विहिकल्स को स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इन दो पूल्स में लाइये, इससे स्टेट को साठ और सत्तर प्रतिशत इकोनोमी की गुन्जाइश है।

मैं इसके अलावा एक और निवेदन कर देना चाहता हूं कि वह यह कि जो फ़ाइनेन्स बिल सदन में लाया गया है उसमें मेरा निवेदन है कि जो टैक्स लगना चाहिये उसका बोझ ग़रीबों पर नहीं पड़ना चाहिये। आप इस एक्ट की ५ वी में संशोधन ला रहे हैं और उसके अन्दर यह पॉवर ले रहे हैं पशुओं पर, लाइव स्टॉक पर पांच परसेन्ट से लेकर दस परसेन्ट तक करने का अधिकार ले रहे हैं। मैं समझता हूं, यह जो अधिकार ले रहे हैं यह जनता के साथ अन्याय होगा। पावर लेकर के बाद में दस परसेन्ट तक बढ़ा सकते हैं, मेरा तो यह निवेदन है कि यह पांच परसेन्ट भी अधिक है, उसको कम किया जाय। अगर आप कम करने को तैयार नहीं हैं तो पांच से ज्यादा मत रखिये। आपने बकरी पर टैक्स कम किया, क़साई ख़ाने में जो

Page No.101

(श्री मोतीलाल चौधरी)
जाते थे उनके लिये रहम किया, इससे गरीबों को मांस खाने की सुविधा मिलेगी । तबीयत ठीक रहेगी। लेकिन खास तौर से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्लॉज़ ५ ए में जो पांच से लेकर दस परसेन्ट तक बढ़ाने का अधिकार लेना चाहते हैं आप उसको न लें, पांच परसेन्ट ही रक्खें और कमतो कर सकते हैं तो कम करें।

स्टेट फ़ेयर के सम्बन्ध में भी बिल आया है, उसमें बैलों की जोड़ी पर २) से ५) रु० कर दिये, ऊंटों पर ५) से बढ़ाकर ८) रु० मांग रहे हैं। इस तरह से दोनों तरफ़ बढ़ाने से नुकसान होगा । इसलिये मैं चाहूंगा कि जो लाइव स्टाक पर आपने टैक्स बढ़ाया है उसको पांच परसेन्ट ही रहने दें, पशुओं पर रहम करें । खास तौर से मैं ऊंटों के लिये कहना चाहूंगा कि ऊंट हमारे राजस्थान का ट्रैक्टर है। मेरे घर में कोई ऊंट नहीं है, लेकिन मैं ऊंट को राजस्थान के लिये बहुत आवश्यक मानता हूं । एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिये भी यह आवश्यक है, इसमें ऊंट का महत्वपूर्ण स्थान है । राजस्थान के काश्तकारों के पास जो ऊंट हैं वे दो काम करते हैं, एक तो वे खेती में काम में आते हैं और दूसरा जहां सड़कें नहीं हैं वहां पर ऊंटों पर ही आते-जाते हैं । इस उपयोगी जानवर पर आप टैक्स लगाते हैं तो यह बहुत अन्याय होगा । इससे ऊंट की ब्रीड म भी कमी होगी, उनका पालन लोग कम कर देंगे । उप-मन्त्री राजस्व हंस रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, ऊंट हमारे राजस्थान के लिये वरदान है । इसको भी आप प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। आप लाखों रुपये प्रोडक्शन पर खर्च करते हैं, वहां इन ऊंटों पर आप टैक्स न भी लगावें तो काम चल सकता है। ऊंट की यहां पर बहुत क़ीमत है, ट्रान्सपोर्ट के काम भी आता है ऊंट रेगिस्तान का जहाज़ है। ये राजस्थान में ही ज्यादा तादाद में मिलेंगे, राजस्थान के नहरी इलाक़े में जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर में काश्तकार इससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : गधों पर तो टैक्स नहीं लगाया है।

श्री **मोतीलाल चौधरी** : गधों की बात मैं नहीं करता, उन पर टैक्स लगा है या नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो फिर आप बच गये।

श्री **मोतीलाल चौधरी**: इन्हीं शब्दों के साथ में एक बात हाउस को और निवेदन करना चाहता हूं । हमारे यहां करप्शन की बात को लेकर बहुत लम्बी-लम्बी बातें कही जाती हैं। मैं निवेदन कर दूं कि जहां हम टैक्स लगा रहे हैं उनके साथ-साथ हमें यह भी देखना है कि नोन टैक्स रेवेन्यू किस प्रकार से बढ़ सकती है। समाजवाद का नक्शा जिनके दिमाग में है ,जनता के दिमाग में है हमारी पार्टी के दिमाग़ में है, जहां हमने जागीरों का रिज़म्प्शन कर लिया आपने एक दृष्टिकोण से समाज को फ़ायदा दिया; लेकिन दूसरी तरफ़ जागीरदार और बढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिगें बना कर किराया लेकर खूब मालदार बन रहे हैं, उनके किराये की आमदनी इतनी ज्यादा है और वे इन्कम टैक्स देने से भी बच जाते हैं; इसलिये मेरा निवेदन है कि जिनके पास अर्बन प्रोपर्टी है और उससे तीन हज़ार से ऊपर की आमदनी है उनको रिज्यूम किया जाय। इस तरह का

(श्री मोतीलाल चौधरी)
क़दम आप उठाते हैं तो आपकी नोन टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकती है।

इसके अलावा जितने सिनेमा हाउसेज़ हैं उनको नेशनलाइज़ किया जाय, सबसे अच्छा क़ीमती खर्चे में, कम इनवेस्टमेन्ट में अच्छी आय हो सकती है। कम से कम अभी जहां स्टेट के सिनेमाज़ हैं उनको तो पूरा कन्ट्रोल किया जाय; जैसे आबू में। यहां पर रामप्रकाश सिनेमा है इसको तो ठेके पर न दिया जाय जोधपुर और बीकानेर में भी है। इनको सरकार चलावे। इस तरह से सिनेमाज़ के नेशनलाइज़ेशन से दो प्रकार के फायदे होंगे। एक तो अच्छे पिक्चरों का प्रदर्शन होगा, दूसरे जो आजकल पिक्चर चलते हैं जो समाज को चरित्र हीन करते हैं, उन पर भी कन्ट्रोल हो सकेगा।

इसके साथ साथ जनरल इन्श्योरेन्स के ऑल इन्डिया बेसिस पर नेशनलाइज़ करने की सिफ़ारिश करूंगा। राजस्थान में जितनी जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनीज हैं वे प्राइवेट सेक्टर में हैं। मेरा निवेदन है कि इनको पब्लिक सेक्टर में लिया जाय, जिनमें मोटर, फ़ायर, प्रोपर्टी, क्रोप्स, आदि का बीमा हो गवर्नमेन्ट यदि पब्लिक सेक्टर में यह काम प्रारम्भ कर दे तो काफी फायदा हो सकता है।

इसके लिये मेरा एक निवेदन और है कि गवर्नमेन्ट द्वारा एक कमीशन को नियुक्त किया जाना चाहिये जो यह देखे कि हमारी योजनाओं से कितना फ़ायदा हुआ है, कितने परसेन्टेज़ का फ़ायदा हुआ है। इसके साथ साथ जो करप्शन की बातें करते हैं उनके लिये मेरा यह निवेदन है कि आज से हम इस बात को तय कर लें कि जनता के दृष्टिकोण से जिनका प्लानिंग हो वह गवर्नमेन्ट सेक्टर में हो। इसके अलावा जितने अधिकारी जिस दिन से नियुक्त हुए हैं, उनकी मूवेबल और इम्मूवेबल प्रोपर्टी की लिस्ट लेनी चाहिये। इसके सिवाय जो एम. एल. एज़ हैं और जो इलेक्टेड होकर किसी भी संस्था में आते हैं उनकी प्रोपर्टी की भी लिस्ट लीजिये। (अश्रव्य) जैसे दोनों हम पेश करते हैं। लेकिन आज गवर्नमेन्ट के आदमियों से मूवेबल की रिपोर्ट आती है, इम्मूवेबल की नहीं आती। दोनों की आनी चाहिये और यह रिपोर्ट पब्लिक के लिये खुली होनी चाहिये। वह देख सके और बता सके कि फलां आदमी सर्विस से पहले क्या था और बाद में क्या हो गया।

जानवरों को टैक्स से आप मुक्त कर सकते हैं; जवार, बाजरा, मक्का और जौ इन पर भी छोड़ सकें तो इसकी व्यवस्था करें। इसके लिये जनता सरकार का साथ देगी।

(४.०० म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने २६५ लाख रुपयों का यह फ़ाइनेन्शियल बिल सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह फ़ाइनेन्शियल बिल फ़ाइनेन्शियल बिल न रह कर राजस्थान की दो करोड़ जनता के लिये एक डैथ वारन्ट है। माननीय वित्त मन्त्रीजी को इस डैथ वारन्ट को इश्यू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। बधाई इसलिये देता हूं कि कोई एक व्यक्ति तो दो करोड़ जनता के लिये डैथ वारन्ट इश्यू करे तो वह यह कम से कम

Page No.103

(श्री भैरों सिंह)

समझ कर चले कि इसकी तामील दो करोड़ जनता पर नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने यह इश्यू किया है उनके ऊपर तो उसकी निश्चित रूप से तामील होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो बाकी के टैक्स लगे हैं उनका मैं इस समय उल्लेख नहीं करना चाहता; लेकिन २७५ करोड़ रुपयों के भारत सरकार ने टैक्स लगाये हैं, हिन्दुस्तान के ४५ करोड़ लोगों पर प्रति व्यक्ति हिसाब से ६) रु० पर-कैपिटा का यह टैक्स आता है। अब हमारी राज्य सरकार ने जो-चार करोड़ के टैक्स लगाने के प्रस्ताव रक्खे हैं उनको यदि दो करोड़ जनता जो राजस्थान की है, उसमें विभाजित किया। जावे तो २) रु. प्रति व्यक्ति के हिसाब से आता है अब हमारे राजस्थान सरकार को जनता ने एमर्जेन्सी के अवसर पर दो करोड़ रुपयों के लगभग नक़द सुरक्षा कोष में दिया है और उसके साथ सोने के ज़ेवर भी दिये हैं।

इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान जनता पर भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने टैक्सों का प्रावधान रखा है, उनके हिसाब से प्रति व्यक्ति ६) रु. के टैक्स आता है। अब ये ६ रुपये के टैक्स यदि राज्य सरकार यह कहे कि पिछले वर्ष से लेकर अब तक हमने प्रति व्यक्ति की आय में ६) रु. से अधिक की वृद्धि की है तो यह कुछ समझ में आ सकता है कि सरकार जब पर-केपिटा इन्कम का आइडिया है उस सरकार को अपने दैनिक खर्च के लिये आवश्यकता हो सकती है कि वह टैक्स लगा कर उसका कुछ हिस्सा सरकार के ख़जाने के लिये प्राप्त करे।

पर बदक़िस्मत यह है कि पिछले वर्ष की पर-कैपिटा इन्कम जो २४३ रुपये थी इस वर्ष केवल २४६ रुपया हुई है, तो कहने का तात्पर्य यह है, कि एक व्यक्ति की आमदनी एक साल में ३) रु. बढ़ी और हमारी सरकार ने ६) रु. लिये। अब यह समझ में नहीं आता कि वह व्यक्ति ६)रु. का प्रावधान अपने इकोनोमिक बजट में किस प्रकार से कर पावेगा और जब ६)रु. का प्रावधान नहीं कर पावेगा तो वहां सिवाय इसके कोई चारा नहीं कि वह अपने पेट पर पट्टी बांधे, अपने बच्चों की शिक्षा के लिये खर्च में से बचत करे, बच्चों की तीमारदारी के लिये, उनकी वृद्धि के लिये और अपनी फ़ैमिली के विकास के लिये, वह विकास भी कोई लग्ज़री गुड्स का नहीं एसेन्शियल गुड्स की पूर्ति करे, उनसे वह कटौती करेगा और एक आदमी को उसके अनिवार्य खर्चों में, उसकी आवश्यकताओं में जब कमी करने के लिये बाध्य किया जाता है तो अन्ततोगत्वा उसके यह परिणाम निकलेंगे कि इकोनोमिक कन्डीशन उसकी ख़राब हो जावे तो वह फ़्रस्ट्रेटेड होकर इसका इलाज सरकार से करवा नहीं सकता, या तो फिर वह क्रिमिनल की तरफ़ टेन्डेन्सी की तरफ़ बढ़ने की चेष्टा करे या फिर सरकार ने टक्स लगाये हैं तो उनसे बचने की चेष्टा करे और या दोनों ही ये चीज़ें अगर नहीं हो सकतीं तो इसका अर्थ यह होगा कि जिनकी इकोनोमिक कन्डीशन दिनों दिन ख़राब होती जावे, वे सुसाइड करके अपने बच्चों की तड़पन न देख सकने के कारण सारी की सारी फ़ैमिलि सुसाइड करके चली जावे। यह परिणाम निकलगा। पिछले दिनों भारत सरकार ने जो सोने का नियन्त्रण किया उसके परिणाम स्वरूप जो सुनार बेकार हुए उनके बारे में समाचार पत्रों में हमने पढ़ा है कि जिन सुनारों को सरकार ने

Page No.104

(श्री भैरोंसिंह)
बेरोज़गार कर दिया उनके कई परिवारों ने अपने परिवार सहित आत्म-हत्याएं की हैं।

आज जो मैंने कहा कि वित्तमन्त्री ने दो करोड़ जनता के लिये डैथ वारन्ट इश्यू किया है वह निश्चित रूप से राजस्थान की इकोनोमिक कन्डीशन को खराब करेगी, राजस्थान की फ़ैमिली की इकोनोमी प्लानिंग को ख़राब करेगी और राजस्थान को ज्यादा ग़रीब किस प्रकार बनाया जावे, इस ओर अग्रसर करने की चेष्टा करेगी।

कोई भी सरकार टैक्स लगावेगी, टैक्स लगाने की नीति का विरोध नहीं करता। पर किस प्रकार से वे लगेंगे, कितने लगेंगे और टैक्स जो हम लगावेंगे उनकी इन्कम कितनी होगी, इसका ध्यान रख कर हमें चलना होगा। राजस्थान सरकार राजस्थान की जनता पर टैक्स लागने की स्थिति में नहीं है, लगा नहीं सकती; लगाती है तो जनता, के साथ विश्वासघात करती है।

पिछले दिनों में हमारे जो २३६ करोड़ रुपये का प्लान था उसके कोर ऑफ़ दी प्लान में कमी करके उसको २०८) रु. का रखा और उसमें एडीशनल टैक्सेशन की इन्कम कितनी एक्सपेक्ट करते हैं, वह २४ करोड़ निर्धारित की। पर कल प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में मुख्य मन्त्रीजी ने बताया कि हमने जो टैक्सेशन का प्रावधान किया है उससे २६ करोड़ की आमदनी होगी। वह इस बात का सबसे मोटा सुबूत है कि हमारी सरकार टैक्स की इन्कम कम दिखाती है. इन्कम कम दिखा कर जनता के साथ विश्वासघात करती है और ज्यादा से ज्यादा टैक्स के ज़रिये आमदनी खींचने की वह कोशिश करती है।

दूसरी योजना में भी क्या था? शुरू में ८ करोड़ की व्यवस्था थी; उसको बढ़ाकर ९ कर दिया। वास्तविक आमदनी जो हुई वह ९ करोड़ से भी अधिक थी, १३ १.२ करोड़ के करीब की वसूलियां हैं।

आज जो टैक्सों के अनुमान बताये हैं ये भी वास्तव में सही नहीं हैं, बल्कि इतने गलत हैं कि उसके आधार पर जो पर-कैपिटा टैक्स ९) रु. का हुआ है उसको केवल आधार नहीं मान सकते, पर अन्दाज लगाकर चलना पड़ेगा कि यह ९) रु. से बढकर कहीं बहुत अधिक है। इस हालत में हम सरकार से यह कहें कि वह अपने खर्चों में कमी करें, पर वह तैयार नहीं। हमारे वित्तमन्त्रीजी ने कहा कि हमने अभी तक २ करोड़ की कटौतियां कर दी हैं। उन्होंने नजीरें बताई। आज से दो वर्ष पहले इतनों को पिछले वर्ष में इतनों को और इस वर्ष में इतनों का कम किया है। मैंने पिछले दिनों सवाल पूछा था कि आपने जो कटौतियां की हैं उनमें से सरकारी मुलाजिमों को कितनों को कम किया, कोई छः-सात आदमियों को सरप्लस डिक्लेअर किया। पर इसमें विशेष रूप से एक बात देखी। आज तक कटौतियां हुई, उनमें केवल डेज़िग्नेशन चेन्ज किया गया है। एक कमिश्नर को वहां से हटाकर दूसरी पोस्ट पर लगा दिया, एक सेक्रेटरी को हटाकर दूसरी जगह रख दिया। एक कलेक्टर को सरप्लस करके दूसरी पोस्ट पर लगा दिया। यह वास्तव में कटौती नहीं है?

आपके सर्विस नियमों के आधार पर एक आदमी को आप ५५ साल की उम्र में रिटायर करते हैं। आपने उनको हटाकर ५८ कर दिया। भारत सरकार के आदेश पर। आप क्या भारत सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

के गुलाम हैं ? दिल्ली के गुलाम हैं आप कि दिल्ली से जो आदेश मिले वे मान लिये। आज आपको यह समझ कर चलना है कि जिस जिस अधिकारी की आपको आवश्यकता नहीं है और जिसे कम करना आप जरूरी समझते हैं और जिनकी ५५ वर्ष की सर्विस हो चुकी, उनके लिये आप निवेदन करते कि हम उनको सरप्लस डिक्लेअर करना चाहते हैं और उनको रिटायर करना चाहते हैं, हम इकोनोमी करना चाहते हैं। वह फिर आर.ए.एस. ही हो या आई. ए. एस. हो, कोई हो। पर आपने उनको तीन साल का एक्सटेंशन दिया है। आप अन्दाज लगाइये, अगर आप इनको रिटायर कर देते तो ७६ अधिकारियों को आप रिटायर करते इससे कितनी बचत आपको होती और टैक्स के प्रावधान कम करने का आपको अवसर मिलता।

लेकिन हमने नहीं किया और किया क्यों नहीं कि हमारेवेस्टेड इन्टरेस्ट्स हैं। हम अधिकारियों के अन्दर इन्टरेस्टेड हैं। हम यह सोचते हैं, कि अमुक अधिकारी का रिटायरमेन्ट हो गया तो अच्छा नहीं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप भारत सरकार की गुलामीवृत्ति को छोडें और भारत सरकार को स्पष्ट कह दें कि हम ५५ वर्ष के बाद में किसी आदमी को री-एम्पलॉय करने के लिए तैयार नहीं हैं और आप उनको रिटायर कीजिए और उनके स्थान की पूर्ति नहीं करें, मैं यह नहीं कहता, परन्तु आप प्रमोशन दे दीजिए और चैन में जिस तरह प्रमोशन होते जायें और जिस स्टेज पर जिस पोस्ट की कमी करनी हो उसकी कमी कर दें। हमारे यहां टैक्स रेवेन्यू और नोन-टैक्स रेवेन्यू का वर्षों से संघर्ष चलता आ रहा है। कोई भी सरकार जो जनता की सरकार होगी उस सरकार के लिए आवश्यक है कि वह जनता को टैक्सेज के बर्डन से बचाये और हमारे नोन टैक्स रेवेन्यू को बढाये। लेकिन बदकिस्मती हमारी ऐसी है कि हमारे यहां नोन टैक्स रेवेन्यू तो कम होते जा रहे हैं और टैक्स रेवेन्यू बढ़ते जा रहे हैं और वह इतना बढ़ गया है कि ऑल इन्डिया एवरेज जो पर-कैपिटा टैक्सेशन का है उससे हम कहीं ज्यादा टैक्स दे रहे हैं और जो हमारी इन्कम है वह ऑल इन्डिया को पर-कैपिटा जो इनकम है उससे कम है। इन हालात में आप राजस्थान की जनता से क्या एक्सपैक्ट करते हैं? वह कमर पर पट्टी बांधकर राजस्थान सरकार के फाइनेन्शियल बर्डन को दूर करने के लिए टैक्स के रूप में रुपया जमा कराये।

एक माननीय सदस्य: कमर पर पट्टी या पेट पर ?

श्री भैरोंसिंह: पेट पर।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वित्त मंत्री के कर पर और आपके पेट पर पट्टी।

श्री भैरोंसिंह: मैं ऐसा समझता हूं कि सारी हालत में जो टैक्स लगाये हैं उसका व्यौरेवार हिसाब देखें, तो सबसे पहले सेल्स टैक्स पर आता हूं। सेल्स टैक्स जो लगाया गया उसमें एक ही बात का ध्यान रखा है कि कौन कौन से मद से ज्यादा आमदनी हो सकती है, हमारा आमदनी का दृष्टिकोण है। हमने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि यदि सेल्स टैक्स ऐसी मदों पर लगा दें जिसके कारण से टैक्सों का इवेजन होगा और जो भी ईमानदार व्यापारी हैं वे जान बूझकर

Page No.106

(श्री भैरोंसिंह)

भ्रष्ट होंगे और आमदनी सरकार की नहीं होगी यह दृष्टिकोण नहीं रखा । हमने यह देखा कि यह चीज राजस्थान में सबसे ज्यादा आती है और इसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दिया जाये ताकि टैक्स की आमदनी ज्यादा हो जाये। आप मानते हैं कि राजस्थान हमारा इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड इलाका है। आप चाहते हैं कि राजस्थान में इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट हो, इन्डस्ट्रियली राजस्थान पनपे और मीडियम इन्डस्ट्री, कॉटेज इन्डस्ट्री और लार्ज साइज इन्डस्ट्रीज पनपें। आप कहते हैं कि हम बाहर के लोगों को राजस्थान में इन्डस्ट्रीज लगाने के लिए अट्रेक्ट करना चाहते हैं परन्तु आप उनको अट्रैक्ट कैसे कर पाओगे ? आपके यहां रॉ-मैटीरियल नहीं है, आपके यहां स्किल्ड लेबर नहीं है और जो साधन उन इंडस्ट्रिलिस्ट्स को दूसरे स्थानों पर मिलते हैं और जो कन्सेशन्स मिलते हैं उस प्रकार के कन्सेशन्स आपके पास नहीं हैं, उस स्थिति में आप कैसे यह मान्यता करके चलते हैं कि राजस्थान में इंडस्ट्रियल बैकवर्डनैस धीरे धीरे दूर हो जायेगा। नहीं होगी।

आपकी यह टैक्सेशन पॉलिसी इंडस्ट्रीज के ऊपर आघात करेगी और इनके कारण से जो इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट होता और लोगों को एम्पलॉयमेंट मिल सकता था, उसके ऊपर भी एक प्रकार का आघात होगा। आपको यह मान कर चलना चाहिये कि अगर राजस्थान में इंडस्ट्रीज पनपेंगी तो एम्पलॉयमैन्ट मिलेगा । लेकिन हमारे यहां इंडस्ट्रीज के पनपाने की व्यवस्था नहीं है । फाइनेन्स कमीशन ने कहा है और टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने कहा है कि राजस्थान फाइनैन्स इन्क्वायरी कमेटी ने भी कहा है कि हम जितना भी सेल्स टैक्स लगायें तो यह ध्यान रखें कि जितनी भी नेबरिंग स्टेट्स हैं, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो उत्तर प्रदेश हो या गुजरात हो इन स्टेट्स के अन्दर सेल्स टैक्स की क्या दरें हैं ? उसमें अगर किसी प्रकार की वृद्धि कर दें तो हमारे ट्रेड के ऊपर कितना बुरा असर पडेगा । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय हमारी बदकिस्मती है कि हमारी सरकार ने राजस्थान के किसी भी कस्बे को डिस्ट्रिब्यूटिंग सैन्टर नहीं बनाया ।

आज दिल्ली एक बडा जबर्दस्त डिस्ट्रिब्यूटिंग सैन्टर है । दिल्ली में इंडस्ट्रियल डेवलपमैन्ट ज्यादा नहीं हो पाया है। लेकिन किसी को छोटा-मोटा सामान चाहिये, किसी चीज की जरूरत हो तो वह दिल्ली से लायेगा; दिल्ली से इसलिये लायेगा कि वहां पर ४ परसैन्ट का टैक्स है। उस टैक्स से जो राजस्थान सरकार ने लगाया है उससे बचने के लिये राजस्थान सरकार में सामान खरीद बेच नहीं सकता और दिल्ली से लाता है । आज उदयपुर में किसी को किसी चीज की जरूरत है तो वह दिल्ली एक पत्र लिख देगा और वह चीज वहां से आ जायेगी । आज वही हालत हमारे यहां राज्य सरकार ने हमारे यहां कर दी । हमने टैक्सेज बढा दिये। पहले ४ परसैन्ट था और उसको ४६ परसैन्ट कर दिया और कुछ लग्जरी गुड्स के नाम पर ५ से १० परसैन्ट कर दिया ।

इसके अलावा इलेक्ट्रीसिटी के ऊपर समान रूप से ड्यूटीज कर दी यह सारी व्यवस्थायें कर दो । लेकिन वित्त मंत्री जो बतायें कि जब ४ परसैन्ट के आधार पर आपको चीजें मिल सकती हैं सैन्ट्रल सेल्स टैक्स देने के बाद, जो अब २ परसैन्ट हो गया है, आपको बिना टैक्स के मुहैय्या हो सकती हैं। दिल्ली से सामान आयेगा और केवल ४ परसैन्ट का टैक्स चुका

Page No.107

(श्री भैरोंसिंह)

कर और जो टैक्स राजस्थान सरकार को मिल सकता है उसको आप बचाने की कोशिश करेंगे। आप देख लें। आपने जिन जिन चीजों के ऊपर टैक्स बढाया है तेल में, वेजिटेबिल ऑयल में हमारी इनकम गिरी है। आप यदि यह सिद्धांत लेकर चलें कि जितना हैवी टैक्सेशन होगा उससे उतनी ही आमदनी होगी यह गलत है। जितना हैवी टैक्सेशन होगा उतना ही हैवीली उसका इवेजन होगा समाज के अन्दर एक प्रकार का करप्शन बढेगा। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह आमदनी का दष्टिकोण न रखे। राजस्थान को इन्डस्ट्रियली डेवेलपमैन्ट करना है और टैक्सों के द्वारा प्रांत की ज्यादा आमदनी करना चाहते हैं तो इस प्रकार के टैक्सेज लगाने होंगे, जिनसे उनका इवेज़न हो तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने इस संबंध में कुछ नहीं किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरकार कहती है कि हम असेसिंग आथोरिटी से कहें, हम अटेच करके इसको वसूल कर लें। लेकिन मैं वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने एक कमेटी अपोइन्ट की थी ओन टैक्स इवेजन। उसने कहा था कि एक वर्ष में ४।। करोड का इवेजन होता है। इसके अलावा महावीर त्यागी की कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि ढाई सौ या तीन सौ करोड के टैक्स का इवेजन होता है। कोई भी सभ्य सरकार जो प्रशासनिक दक्षता में माहिर हो वह टैक्स लगाने से पहले जो टैक्स ऑलरैडी इम्पोज कर रखे हैं उसकी पूरी वसूली होती है या नहीं, उसका दृष्टिकोण लेकर चलना चाहिए। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, बदकिस्मती यह है कि सरकार टैक्स लगाये जा रही है और उनका इवेजन भी होता जा रहा है और हमारी सरकार उस इवेजन को रोक नहीं पाती है। यह सरकार की एक प्रकार की अकर्मण्यता है। सरकार प्रशासन के मामले में दक्ष नहीं है। यह कहना चाहिए कि सरकार प्रशासन के मामले में अयोग्य है और गरीब जनता के ऊपर टैक्स लगाकर अपने खर्चे की पूर्ति करना चाहती है।

आपने इंडस्ट्रीज के ऊपर टैक्स लगा दिये और आज हमारे वित्त मंत्री महोदय ने लोगों की रोटी पर भी टैक्स लगा दिया। मैं समझता हूं कि आप बडे धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन वित्त मंत्री जी ध्यान रखिये कि जो जनता के साथ इस प्रकार का विश्वासघात करता है वह बच नहीं सकता। बचने का मतलब यह नहीं कि जनता उसकी हत्या करेगी, बल्कि आप मान कर चलें कि जिस तरह से लैण्ड सरचार्ज के ऊपर आपको मजबूर कर दिया और आपने टैक्स वापिस लिया, एक दिन आपकी वही हालत होगी कि इस सदन के सामने आपको स्वीकार करना पड़ेगा और इस स्थिति में आयेंगे कि जो मैंने टैक्स लगाये हैं मैंने गलती की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लोग पेट में रोटी तो खाते हैं, लेकिन ज्वार, बाजरा, मक्का आदि पर भी टैक्स लगाते हैं और इस लिए लगाते हैं कि सरकार की आमदनी बढेगी। वह आमदनी किसकी बढायेंगे, किसके लिये आमदनी बढा रहे हैं। आप कहेंगे कि जनता के लिये बढा रहे हैं। उस मोटे अनाज के ऊपर टैक्स, मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार यदि सभ्य सरकार होगी, जनता की सरकार होगी, जनता की भावनाओं को पहचानकर राज्य करने वाली सरकार होगी

Page No.108

(श्री भैरोंसिंह)

वह मर भले ही जाये, खत्म भले ही हो जाये, उसको अपदस्थ भले ही कर दिया जाये, लेकिन गरीब जनता की रोटी पर टैक्स नहीं लगायेगी। आपने उनके पेट पर लात मारी है, अब हमारा फर्ज है कि जिस सरकार ने पेट के ऊपर लात मारी है उसको भी हम अपदस्थ करके बतायें कि यह सरकार जनता की सरकार नहीं है ।

मुख्य मंत्रीजी का भी भाषण सुना है, कई लोगों ने सुना है । कोई आपमें से खडा होकर माई का लाल कह दे कि मैंने चुनाव के समय जनता के सामने कहा था कि इतने रुपयों का टैक्स लगायेंगे । उस समय तो भाखरा और चंबल याद आता था । भाखरा का इतना पानी, चंबल का इतना पानी, गांधीसागर की इतनी बिजली, ये चीजें याद आती थीं । किसी ने टैक्स का जिक्र नहीं किया । जब आपने इलेक्शन के मौके पर टैक्स का उल्लेख नहीं किया और आज आप टैक्स लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि जनता से वोट धोखा देकर लिये हैं । मैं आपको चुनौती देता हूं कि टैक्स लगाने से पहले सरकार त्याग-पत्र दे और अपने टैक्स प्रपोजल्स के समर्थन में रिफ्रेन्डम करावे, जनता से वोट ले कि हम गरीब जनता पर टैक्स लगाने की सरकार की नीति के साथ हैं । तो मैं कहता हूं कि सरकार का साथ कोई नहीं देगा । ६ महीनों तक इलेक्शन नहीं होगा तो खर्चा भी बचेगा, मंत्रियों पर जो खर्चा होता है वह बचेगा । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि जनता के साथ विश्वासघात करके टैक्स लगाने से पहले उसको जनमत प्राप्त करना चाहिये, त्याग-पत्र देना चाहिये और नये चुनाव कराकर यदि जनता आपका समर्थन करती है तो टैक्स लगाकर आगे चलना चाहिये....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात का जिक्र २ मिनिट में करना चाहता हूं । नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य ने लाइसेन्स का जिक्र किया था, इंग्लिश वाइन का लाइसेन्स दिया था, उसका उल्लेख किया, वित्त मंत्रीजी ने उसको इग्नोर करने की चेष्टा की । मैं वित्त मंत्रीजी और सरकार से कहना चाहता हूं कि यह मसला 'इग्नोर' करने का नहीं है । यदि सदन जांच करे और जांच के बाद वित्त मंत्रीजी की गलती साबित न हो तो मैं चुनौती देता हूं कि यदि आप गलत हैं तो आप त्याग-पत्र दें और यदि आप सच्चे हैं तो मैं त्यागपत्र दूंगा । आपने इससे अपने लोगों को ओब्लाइज करने की कोशिश की है । सरकार के नियमों के आधार पर नहीं, अपनी मर्जी के आधार पर । आपकी मर्जी नहीं चल सकती । मैं सदन का प्रोटेक्शन चाहता हूं, सदन कमेटी बनाकर जांच करे, यदि वे त्यागपत्र दे दें तो अच्छा है, यदि वे त्याग-पत्र नहीं दें तो उनसे सारे कागज जब्त करके जांच कराई जावे, चाहे सदन के सारे सदस्य जांच करें, चाहे कोई मंत्री जांच करना चाहे तो वे जांच करें । मैं यह कह सकता हूं कि आपका डिस्क्रीशन जुडिशियस नहीं था, उसके साथ लोगों का पक्षपात जुडा हुआ था । जिस समय नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस विधान सभाई के पिताजी को लाइसेन्स दिया और उनके बारे में कहा कि उनकी पीढियों में किसी ने शराब बेचने का धंधा नहीं किया तो कौनसे शराब की खुशबू आपको उनमें आ रही थी, वह रिम की थी, या सोलन की थी या जिन या व्हिस्की की थी जिसके कारण आपने इनको लाइसेन्स दिया । मैं कहना चाहता हूं कि ये चीजें छोटी मानकर चलते हैं लेकिन इन छोटी

Page No.109

(श्री भैरोंसिंह)

चीजों से भी आप जनता का विश्वास खोते हैं। जनता का विश्वास बनाये रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपने कारनामों से विश्वास खोती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके मसले पर सदन कमेटी बनाकर जांच करावे। यदि आप सही हैं तो मैं जो आपके बीच में कंटक हूं वह निकल जायगा और यदि आप गलत हैं तो आपके त्याग-पत्र से जनता का कंटक निकल जायगा। लेकिन आप इन दोनों बातों को स्वीकार करें···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): On a point of order, Sir, इस बारे में बात चल रही है। मैं भी कहता हूं, आप भी कहते हैं, उधर से भी बात आई है, मैं खुद चाहता हूं कि आपकी तरफ से सदन कोई फैसला तो करे कि आखिर क्या हुआ है? इस सिलसिले में सम्माननीय मंत्री कुछ कहें लेकिन यह हमारा हक है कि इस मामले में हमारा संतोष कराया जाय, हम जो बात कहते हैं उससे संतोष कराया जाय। आज एक मंत्री पर लान्छन आता है, आखिर क्या मकसद है? इस चीज को कौनसे सिद्धान्त के मातहत किया गया है। जिस चीज को छिपाने की कोशिश की है, सदन में कहा कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट में किया है इससे किस तरह साबित करेंगे, यदि कागजात सदन की मेज पर रखे जावें तो उसके बाद में नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन इस तरह से इस बात को एग्जामिन करावे। हम तो यह चाहते हैं कि हमारी सरकार और कांग्रेस की सफाई हो जाय। आज केन्द्र के मिनिस्टरों के बारे में चर्चा चलती है तो उसकी जांच पंडितजी खुद करवा रहे हैं। आज यहां भी यह हो जाय तो हमारा दामन साफ हो जाय। जब हमारे दामन पर धब्बा लगता है तो उसको साफ करना कांग्रेस का फर्ज है।

श्री भैरोंसिंह: सेल्स टैक्स के मामले में फाइनेन्स इन्क्वायरी कमीशन ने तीन बातों की सिफारिश की, इन्डिपेन्डेन्ट ट्रिब्युनल का गठन करना चाहिये।

तीसरा सेल्स टैक्स एडवाइजरी कमेटी का फोर्मेशन किया जाय जो सरकार और ट्रेडर्स के बीच में लाइजन का काम कर सके। लेकिन हमारी सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया। इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि लोगों को सेल्स टैक्स के बारे में सही न्याय प्राप्त हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिये और टैक्स के इवेजन से बचने के लिये फाइनेन्स इन्क्वायरी कमीशन ने जो सजेशन्स दिये हैं उन्हें सरकार स्वीकार करे और इसके साथ साथ जनता पर जो इन्डाइरेक्ट टैक्सेज के रूप में जो टैक्स लगाये हैं उसमें संशोधन करके जनता की कितनी शक्ति टैक्स देने की है, कितना टैक्स जनता दे सकती है उसके अनुसार टैक्स लगाने का प्रावधान करे। इतना ही कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराना (कोलायत):— उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक के संबंध में बहुत से महानुभाव अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। मैं उन बातों को दुबारा दोहराना नहीं चाहता। वित्त विधेयक के द्वारा, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा २ करोड ६५ लाख रुपयों के टैक्सेज का प्रावधान किया जा रहा है। जहां तक मेरी सूचना है इस वित्त विधेयक के द्वारा, २ करोड ९० लाख

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

का प्रावधान किया जा रहा है। २५ लाख का सरचार्ज लैंड रेवेन्यू पर आ रहा था वह भी बजट प्रपोजल्स के पार्ट के रूप में ही हमें देखना पड़ेगा। इस तरह से हमारी सरकार ३ करोड रु० के करीब टैक्स लगाना चाहती है और १ करोड ८५ लाख का डेफिसिट अनकवर्ड छोडा है जिसके लिये कभी भी, किसी समय सरकार कर सकती है और इसका आदेश दिया जा चुका है; नजदीक भविष्य में अनकवर्ड आफ डेफिसिट है उसके लिये नये टैक्सेज का प्रोवीजन किया जायगा। नये टैक्स लगाये जावें, उसमें दो राय नहीं है। लोन्स, पब्लिक डेट्स द्वारा योजनाओं को पूरा किया जाय, इसमें भी दो बात नहीं है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि टैक्सेज का इन्सिडेन्स जिस वर्ग पर डालना चाहते हैं उस वर्ग की पेइंग केपेसिटी है या नहीं। राजस्थान में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज टैक्स का इन्सिडेन्स १६। प्रतिशत सारे बजट का, स्टेट इन्कम का है। इसमें २२१ करोड की इन्कम दिखा रखी है और राजस्थान में टैक्सेज वसूल करते हैं पिछले वर्ष में जो वसूली हुई उसके आंकडे दिये हैं वे करीब २५ करोड के हैं और ११ करोड के टैक्सेज सैंट्रल गवर्नमेण्ट के लगाये हैं जिसमे से हिस्सा राजस्थान सरकार को मिलता है। इस तरह से करीब ३६ करोड की आमदनी टैक्सेज से होती है, जब कि इस राज्य की कुल आमदनी २२१ करोड है तो ३६ करोड टोटल आमदनी का १६। परसैन्ट आता है। इतना बडा हाई इंसीडेन्स आफ टैक्सेशन हिन्दुस्तान की किसी स्टेट का नहीं है। यदि किसी स्टेट में इतना हाई इन्सिडेन्स आफ टैक्सेशन है तो उसके फिगर्स दें और बतावें कि १६। परसेन्ट इन्सिडेन्स कहां है हिन्दुस्तान में। ५६.५७ में स्टेट इन्कम के मुकाबले में टैक्सेज का प्रपोर्शन हमारे यहां ७॥ परसेन्ट था जो एशिया में लोएस्ट था, ब्रिटेन में जब कि ३१। परसेन्ट है और यू. एस. ए. में २० परसेन्ट है तो इन सारी कन्ट्रीज के मुकाबले में राजस्थान का ७॥ परसेन्ट था। ५६-५७ के मुकाबले में देखें तो ताज्जुब होता है कि सारे हिन्दुस्तान में जहां ७॥ परसेन्ट इन्सिडेन्स आफ टैक्सेशन था वहां आज राजस्थान की हुकूमत १६। परसेन्ट तक पहुंचती है और स्टेट का लें तो २२१ करोड में से २५ करोड रु० टैक्सेज से वसूल करती है जो १२ परसेन्ट आता है।

राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के सौ रुपये में से बारह रुपये आपके हैं। इतना बडा हिस्सा राजस्थान के प्रत्येक नागरिक से लेते हैं। इसके बावजूद भी आपका पर्फोर्मेन्स कितना पूअर है—ये आपके सारे प्लान के आंकडे हैं और जो टार्गेट्स आपने अचीव किये हैं, उनसे साफ रूप से पता चलता है।

एक बात और मैं विशेष तौर पर टैक्सेज के पर्सेन्टेज के साथ साथ कहना चाहता हूं, कि टैक्सेज के पर्सेन्टेज नित्य प्रति आप बढा रहे हैं, इसके साथ जो पिछले वर्ष के आंकडे सदन के सामने रखे गये हैं, पिछले वर्ष के आंकडों में पर-केपिटा इन्कम २४३ रुपये थी, तो इस वर्ष २४६ रुपये हो गई है। जब कि तीन रुपये एक व्यक्ति की आमदनी बढी है, आपने दो करोड के नये टैक्सेज लगाये हैं। इसका मतलब यह हुआ कि डेढ रुपया प्रति व्यक्ति से नये टैक्स के रूप में वसूल करना चाहते हैं। इस प्रकार पिछले वर्ष जनता को आपने जो तीन रुपये दिये थे उसमें से

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

आप डेढ़ रुपया निकाल लेना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता को हुई आमदनी में से ५० प्रतिशत रुपया वापिस ले लेना, ऐसा हिन्दुस्तान के किसी हिस्से में नहीं हुआ है और आप जिस प्रकार टैक्स इन्सीडेन्स बढ़ा रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। इसकी कहीं मिसाल नहीं मिल सकती है कि सवा सोलह परसेन्ट टैक्स कहीं वसूल किया जा रहा हो जो कि आप वसूल कर रहे हैं।

इसके साथ साथ जिक्र किया गया इकोनोमी का, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आपके द्वारा हुई इकोनोमी रियल नहीं है, वह इकोनोमी वेस्टफुल है। क्या आपने कभी केबिनेट में यह तय किया कि राजस्थान में कौनसी फिजूल खर्ची हो रही है जिसे आप काटें ? आपने हर विभाग को एक चिट्ठी लिख दी कि कटौतियां बतायें और हर विभाग के सेक्रेटरी या डाइरेक्टर ने आपको लिख दिया कि एक लाख, दो लाख की कटौती कर सकते हैं और आपने उस पर मोहर लगा दी। मैं यह कह सकता हूं कि यह विचारवान इकोनोमी करने का तरीका नहीं है। इकोनोमी का मतलब है, फिजूल खर्ची को आप बन्द करें। आपने जो तरीका अपनाया है, उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने इकोनोमी एण्ड इन्डस्ट्रियल सर्वे में से ग्यारह इन्वेस्टीगेटर्स को तोड दिया। मैं पूछना चाहता हूं वित्त मंत्री से कि क्या वजह थी कि आपने डाइरेक्टोरेट आफ इकोनोमिक्स एण्ड इन्डस्ट्रियल सर्वे और डाइरेक्टोरेट आफ इकोनोमिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स-इन दोनों को मिला कर एक नहीं कर दिया ? आपने दोनों डाइरेक्टर्स में से एक डाइरेक्टर के पद को क्यों नहीं रखा ? आप यदि डाइरेक्टर की छंटनी करते तो हमारी समझ में आ सकता था, लेकिन आपने ग्यारह इन्वेस्टीगेटर्स की छंटनी कर दी, इसके अलावा और जितना स्टाफ था उसमें छंटनी कर दी लेकिन इकोनोमिक्स एण्ड इन्डस्ट्रियल सर्वे का डाइरेक्टर रहेगा और इकोनोमिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स का डाइरेक्टर रहेगा। इसी तरह मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां पर कृषि का सवाल है, आप चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहते हैं कि हम इस संकट-काल में देश का उत्पादन बढाना चाहते हैं। एक ओर जहां आप देश के उत्पादन को बढाने के लिए सोचते हैं वहां आपने कृषि अधिकारियों में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर्स में कमी कर दी है। आपने बीकानेर में आज तक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर नियुक्त नहीं किया। आपने जैसलमेर में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर नियुक्त नहीं किया। आपने डूंगरपुर और बांसवाडा के दो डिस्ट्रिक्ट्स को मिला कर एक कर दिया। जहां पर तीन-चार डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर नियुक्त करने थे, वहां आपने दो डिस्ट्रिक्ट को एक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर के नीचे रख दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि उत्पादन बढाने का तरीका है, आप डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर्स को, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स को कम कर दें और उसके बाद कहें कि हम कृषि उत्पादन बढाना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भारत सरकार के खाद्य मंत्री ने टार्गेट्स रखे हैं कि हम एक वर्ष के अन्दर दस प्रतिशत अनाज का उत्पादन बढाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आप जिस गति से चल रहे हैं, जिस गति से सरकार चल रही है, उससे दस प्रतिशत उत्पादन बढाना तो दूर रहा आप तीन प्रतिशत अनाज

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

का प्रोडक्शन राजस्थान के आंकड़ों के आधार पर बढाने में असमर्थ रहेंगे।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, यह टैक्स परसेन्टेज की बात और जो उत्पादन के टार्गेट्स रखते हैं, उनके अनुपात में उत्पादन न बढने की बात कही। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि आप जो टैक्स बढा रहे हैं वह हमारे सामने आता है, लेकिन उसके साथ ही साथ आप स्माल स्केल सेविंग्ज में क्या कर रहे हैं, दूसरी सेविंग्ज में क्या कर रहे हैं, उसके टार्गेट्स को आप कितना अचीव कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि फाइनेन्स बिल के साथ फाइनेन्शियल स्टेट हमेशा इस सदन के सदस्यों के सामने आना चाहिए कि राजस्थान सरकार की स्थिति दूसरे मदों में क्या है। आखिर आप टैक्सों को बढाने से तो योजना पूरी नहीं कर सकते, इसलिये स्माल स्केल सेविंग चाहिए, लोन्स चाहिए, पब्लिक डेट्स चाहिए—और इन सबके आंकडे हमको मिलने चाहिए। मुझे ताज्जुब होता है, उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष राज्य सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है कि जिससे स्माल स्केल सेविंग में इस सरकार को प्रति वर्ष साठ लाख रुपये का नुकसान होने का पूरा अन्देशा है। मुझे यह जानकारी मिली है कि १९६० में हमारी सरकार ने एक ए्ग्रीमेन्ट किया, कोई मि. एच. एम. धारीवाल थे, उनसे। और यह एग्रीमेन्ट उन्होंने यह किया कि साठ लाख रुपये स्माल स्केल सेविंग के राजस्थान की बाहर की इन्डस्ट्रीज से वे इकट्ठा करेंगे और वह हमारी इस स्टेट को मिलेगा। हमारी सरकार ने यह एग्रीमेन्ट किया कि सौ रुपये पर तीन आना कमीशन उन्हें दिया जायगा। उन्होंने दो वर्ष काम किया—एक वर्ष में एक करोड रुपये इकट्ठे किये और दूसरी वर्ष में ६१ लाख रुपये इकट्ठे किये। और इस वर्ष जानकारी मिली है, मुझे यह कहा गया है कि उन्हें हमारी सरकार ने कह दिया है—हमें आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, हिसाब लगाइये कि अकेले अधिकारी ने इस मामले में राज्य सरकार को कितना रुपया दिया, आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज ८० लाख रुपया उसने इकट्ठा किया है और उस व्यक्ति पर राज्य सरकार का खर्चा पन्द्रह हजार रुपये का पडा है। इसके मुकाबले में जो स्माल स्केल सेविंग का दफ्तर चलता है उसमें सवा परसेन्ट सेविंग पर कमीशन देते हैं- कहां तो रुपये पर १९ नये पैसे तीन आना और कहां सौ रुपये पर १२५ नये पैसे कमीशन। इसके साथ इस विभाग ने तीस लाख की स्माल स्केल सेविंग कर दी है उस पर आप, उसके एडमीनिस्ट्रेशन पर आप लाख रुपये करते हैं और दूसरी तरफ एक आदमी पर अस्सी लाख रुपया इकट्ठा करने के लिए आप पन्द्रह हजार खर्च करने से इन्कार कर देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी यह, योजना टैक्सेज की आय से नहीं चलने वाली है, इसलिये स्माल स्केल सेविंग के सम्बन्ध में आपने जो अदूरदर्शिता से इस प्रकार की कार्यवाही की है, उस पर आप पुनर्विचार करें और यदि इसमें कोई सैद्धान्तिक प्रश्न हो तो उसको आप सदन के सामने रखें क्योंकि इस तरह का राज्य सरकार ने जो एग्रीमेंट किया था पांच साल के लिए उसको तोड कर हमेशा के लिए साठ लाख रुपये का नुकसान करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप दो करोड

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

९०_लाख के टैक्स बढा लें और ६० लाख की_स्माल सेविंग की राशि को जाने दें तो उसका असर राज्य की केपीटल रेवेन्यू पर आने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इस राज्य में जो भी दो करोड ढाई करोड एन. डी.एफ. में इकट्ठा किया है उसके प्रति भी हमारी सरकार पूरी तरह से ईमानदार नहीं है और उसका सबसे बडा कारण यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कुल असेट्स ३० करोड की होते हुए भी उस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने पांच करोड की असेट्स के ऊपर, जो कम्पलसरी एमर्जेन्सी इन्श्योरेन्स स्कीम है, वह वार एफर्ट्स के भारत सरकार ने लागू की थी उसमें पांच करोड को इन्श्योरेन्स कराई है। हमें डर लगता है, उपाध्यक्ष महोदय, क्या मालूम कि तीस करोड की जो असेट्स बताई गई थी वह समाप्त हो गई, खा ली गई या डुबान कर दी गई है। अगर यह स्थिति नहीं है और आज भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तीस करोड की असेट्स है तो हम पूछना चाहते है कि इमर्जेन्सी इन्श्योरेन्स स्कीम, में जिसकी एक एक पाई हमारे एफर्ट्स के लिए जाने वाली है, उसमें पांच करोड को असेट्स की इन्श्योरेन्स कैसे कराई, जब कि हकीकत में तीस करोड की असेट्स पर करानी चाहिए। हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को उसमें दो-चार लाख रुपये का नुकसान होता। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नुकसान होता है या फायदा होता है, प्रश्न यह है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह भारत सरकार के कानून का उल्लंघन करें, उन कानूनों को तोड और जो जैसा वार एफर्ट्स में जाने वाला है, उसमें कटौती की जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर यह इन्फोर्मेशन, जो मैंने आपके सामने रखी है सही है तो जिन अधिकारियों ने ऐसा काम किया है उन्होंने दोष किसी साधारण से काम के लिए नहीं किया है, बहुत बडा दोष किया है और इसलिये उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि एन.डी. एफ. के प्रति ईमानदारी बरतें, लेकिन दूसरी तरफ आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अन्दर एन.डी. एफ. के प्रति इस सरकार की कार्यवाही हो तो साफ जाहिर होता है कि सरकार एन.डी.एफ. के प्रति ईमानदार नहीं है इसके अलावा जो अधिकारी एन.डी.एफ. के पैसे को खा जाते हैं उनके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है। राज्य सरकार को तार भेजे गये, सरकार को चिट्ठियां भेजी गई कि भादरा के तहसीलदार वहां के नागरिकों द्वारा दिया रुपया खा गये, सोने को खा गये और रुपयों का गबन कर दिया लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नही की। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्टेट की जनता जो दो करोड ढाई करोड रुपये दिये हैं उसके साथ इस सरकार को एन. डी. एफ. के प्रति ईमानदारी रखनी चाहिये।

इसके अलावा जो दूसरे कान्स्टीट्यूटेड बोर्ड हैं उन्होंने अगर एन.डी.एफ. के अन्दर कोई गैर कानूनी या गैर ईमानदारी का काम किया है तो उसको रोकना चाहिए, और जिन अधिकारियों की शिकायतें आयी हैं कि एन. डी.एफ. के रुपये के अन्दर गडबडियां की हैं, गबन किये उनके खिलाफ शीघ्रातिशीघ्र सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

(श्री मानिकचंद सुराणा)

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर मैं वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा और वह यह है कि इस प्लान को पूरा करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसी पर हो सकती है है तो वह वित्त मंत्री पर हो सकती है और वित्त मंत्री किसी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना की बाकी की योजना के लिए जब यह स्थिति पैदा नहीं कर देत कि सब मिनिस्टरीज को धन पूरा दिया जाय और जितना प्रोविजन उनके लिए रखा गया है वह उसको पूरी तरह से खर्च करें तब तक वित्तमंत्री अपनी सफलता का कोई इजहार नहीं कर सकते, सफलता का अनुभव नहीं कर सकते। अगर आपने प्रशासन के खर्च को कम कर दिया या प्लानको काट दिया यह तो सफलता का प्रतीक नहीं है सफलता का प्रतीक तब होगा जब मिनिस्टर्स कहेंगे कि फाइनेंन्स मिनस्टिर ने पूरी लिबर्टी दे दी है कि पंचवर्षीय योजना के लिए जो प्रोवीजन रखा गया है उसको खर्चा करें और यह फाइनेन्स मिनिस्टर का काम है कि व उसके लिए प्रोवीजन करें। यह फानेन्स मिनिस्टर की काबलियत का नमूना नहीं कि प्लान को काट दिया जाय, प्लान को कम कर दिया जाय।

यह काम तो प्लान काटने का स्वतंत्र पार्टी कर देगी, प्लान काटने का काम तो जन संघ कर देगा–क्योंकि वे ही दुहाई देते हैं कि प्लान को छोटा कर दिया जाय। मुझे अफसोस है कि आज स्वतंत्र पार्टी के नेता कहते हैं कि यह प्लान घोर एम्बीशियस है।

स्वतंत्र पार्टी जिसको आप कहा करते हैं कि यह अमेरिका के आदर्श को मानती है, मैं कहूंगा कि आप अमेरिका के आर्थिक विकास को पढ़िये तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान में जितना पब्लिक डेट है उससे ५ गुणा ज्यादा अमेरिका की गवर्नमेन्ट पर पब्लिक डेट है। राजस्थान की सरकार को अगर तेजी से प्रोग्रेस करना है तो पब्लिक डेट बढाने चाहिये और जनसंघ व अन्य पार्टी के लोग कहें कि पब्लिक डेट नहीं बढ़ना चाहिये तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दें। अगर आपको अपने डेवलपमेंट वर्क्स को तेज करना है तो आप पब्लिक डेट लें और वे काम जो होंगे वे केपिटल इन्वेस्टमेन्ट के होंगे और उसी से हमारा डैफिसिट पूरा हो सकता है। टैक्सेज से नहीं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी पब्लिक डेट के संबंध में जो पालिसी है उसको साफ सदन के सामने रखें और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो आपने प्लान बनाया है उसके एक एक लिखे हुए अक्षर का पालन करें, यदि आपने इसको पोल्यूट किया तो यह आपकी अयोग्यता का नमूना होगा, वह आपकी अयोग्यता और सरकार की अयोग्यता का नमूना होगा। इसलिये अगर कांग्रेस के राज्य को यदि सबसे बडी आवश्यकता किसी बात की है तो वह यह कि वे इस प्लान के प्रति निष्ठा पैदा कर लें और प्लान में जो कुछ उन्होंने लिख रखा है उसको ज्यों का त्यों एग्जीक्यूट कर दें तो बहुत सी समस्या हल हो सकती है। आपने तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्कूलें बनाने, डिस्पेन्सरीज खोलने, सडकें बनाने आदि का जो प्रोग्राम रखा था उसको ज्यों का त्यों रखना चाहिये। यह

Page No.115

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
नहीं होना चाहिये कि आप योजना को छोटी कर दें। योजना तो छोटी करने से बचत अपने आप हो सकती है। जनसंघ वाले भी कहते हैं कि योजना छोटी कर दें।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : बगैर रुपयों के योजना पूरी कैसे हो सकती है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मूंग, दाल आदि पर टैक्स लगाने से यह कमी पूरी नहीं हो सकती है। आपको टैक्स ऐसी चीजों पर लगाना चाहिये जिसका भार बड़े लोगों पर पड़े, गरीब छोटे लोगों पर न पड़े। मैंने पहले आपको चार चीजें बताई। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि टैक्सेज के बिना योजना नहीं चलती है। आप जरूर टैक्स लगावें। प्रोग्रेसिव पार्टी और सारी पार्टीज व कॉम्युनिस्ट पार्टी ने जो बातें बताई उस पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया...

श्री बालकृष्ण कौल : मैं इसका जवाब दूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सरकार पूंजीपतियों के गठबन्धन में लगी है। मैं यह कहूंगा कि आपको सिनेमा का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये, लेकिन यदि आप राष्ट्रीयकरण सिनेमा का करते हैं तो आपके अधिकारियों को दुःख हो जाता है। उनको सिनेमा देखने को चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बीकानेर स्टेट में एक सिनेमा था स्टेट का। गंगासिंहजी ने उस पर म्युनिसिपल कर लगा रखा था। उस समय में, आप कहते हैं कि फ्यूडेलिज्म था उस समय में उन्होंने यह कर रखा था कि उसकी आय का पैसा हो वह हास्पिटल में काम में आए। आप भी सिनेमा का राष्ट्रीयकरण करें और प्रिन्सिपल मैडिकल आफिसर के सुपरविजन में उसको चलावें और यह कर दें कि उसका पैसा होगा वह हास्पिटल के काम में आएगा। वित्त मंत्री हंस सकते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल :—मैं भी आपके साथ हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मगर विचारों में मतभेद हो सकता है। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो वह उसका सुपरविजन अच्छी तरह से कर सकता है, क्योंकि उसको मालूम हो कि यह आमदनी हास्पिटल में आने वाली है, इसमें किसी प्रकार की चोरी न हो, वह अच्छी तरह से उसका प्रबन्ध कर सकता है। इसके अलावा जिस आदमी को १५००) या १०००) रु० तनख्वाह के मिलते हैं और जिसकी १०००) रुपये की माहवार की प्रेक्टिस चलती होगी वह आदमी कभी भी बेइमानी नहीं करेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

आपको ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ने एक दकियानूसी ढांचा दिया, उसके अनुसार आप चल रहे हैं और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय वह नहीं रहा, अब प्लान को चलाने के लिये नई चेतना और नये दर्शन की आवश्यकता है। अब दकियानूसी विचार के पुराने इन्श्योरेन्स एजेन्ट काम नहीं कर सकते, दर्शनवादी काम कर सकते हैं।

(श्री मानिकचंद सुराणा)

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य, कोलायत से आने वालों ने कम्पलसरी इन्श्योरेन्स के बारे में कहा था। मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। कोई हमारा ऐसा मकसद नहीं था कि हम सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के कानून हैं उनकी अवहेलना की जावे। पोजीशन यह थी कि वर्कर्स ने हमारे पास रिप्रेजेन्टेशन दिया था और कहा कि यह कानून नहीं लगना चाहिये क्योंकि जो स्टेट की तरफ से मैडिकल फेसिलिटीज उनको मिल रही हैं हो सकता है कई ज्यादा हों, उसी के तहत मिलनी चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वे कम्पलसरी इन्श्योरेन्स के बारे में नहीं कह रहे थे, वे रिस्क इन्श्योरेन्स के बारे में कह रहे थे। एमर्जेन्सी इन्श्योरेन्स उनको करानी होगी उसके लिये कह रहे थे।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने समझा कि कम्पलसरी इन्श्योरेन्स के बारे में कह रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं, वे कम्पलसरी इन्श्योरेन्स के बारे में नहीं कह रहे थे वे रिस्क इन्श्योरेन्स है उसके बारे में कह रहे थे कि केपीटल गुड्स हैं उनको इन्श्योर कराया जावे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : I was talking about the risk emergency scheme promulgated by the Government of India.

श्री हरीराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार की अच्छाई और बुराई को देखने के लिये उसको बजट पर ही नजर डालनी पडती है और यह भी कि उनकी आमदनी के सोर्सेज कौन से हैं। किन लोगों से पैसा लेकर किन लोगों पर खर्च करना हमारी सरकार चाहती है और उससे कहां पहुंचना चाहती है, इन तीन बातों के आधार पर ही हम किसी सरकार के बारे में कह सकते हैं और हमें यह तय करना पडेगा कि दरअसल यह प्रजातन्त्र की सरकार है, जनवादी सरकार है, पब्लिक की सरकार है या कोई सरमायेदारों की सरकार है या पूंजीपतियों की सरकार है, दंडपटेल की सरकार है, किस तरह के राजा और रईसों की सरकार है। इन तीन चीजों के आधार पर ही हमें यह सब देखना होगा। यह जो सरकार है और इस सरकार के बजट को अगर हम पूरी तरह से देखें तो हमें पता चलेगा कि जितना भी गरीब से गरीब आदमी है उस पर भी टैक्स पड रहा है और यह राजस्थान सरकार का दोष नहीं, बल्कि दिल्ली की सरकार–मुरारजी देसाई ने भी २७५ करोड के टैक्स लगाये, उसमें भी ज्यादा पैसा गांवों के लोगों से और गरीब लोगों की जेब से आने वाला है। यह पैसा गरीब लोगों की जेबों से तो आए और अमीर लोगों को खर्च करने के लिये मिले। अमीर लोगों को मुआवजा मिले तो हम अन्दाज लगा सकते हैं कि यह किस तरह की सरकार है और इसका मंजिले मकसद कहां है। वैसे तो कहने के लिये तो वित्त मंत्री ने १० जगह जिक्र किया है कि समाजवादी सरकार के लिये समाजवाद लाने के लिये कुछ न कुछ बोझ उठाना ही पडेगा। जनता से यह अपील की गई है कि वह कमर कसे, पेट के पट्टी बांधे और पूरी तरह सुरक्षा के लिये, विकास के लिये कुर्बानी करने को तैयार हो जाय। मैं यह

Page No.117

(श्री हरिराम चौहान)
कहना चाहूंगा वित्त मंत्रीजी से कि यदि आप लोग आंख पर पट्टी बांध रहे और गरीब लोगों से कहें कि कुर्बानी करें, राष्ट्र के नाम पर, विकास के नाम पर। वे तो कुर्बानी कर रहे हैं, मजदूर किसान कुर्बानी कर रहे हैं पर आपके दिमाग पर आपके खर्चों पर उसका असर होना चाहिय, आपके प्रशासन पर उसका असर होना चाहिये, आपकी इस बात पर असर होना चाहिये कि टैक्स किस पर लगें। आपने टैक्स लगाये हैं, मक्का पर, बाजरे पर, जवार पर और चने पर, यह टैक्स राजस्थान की सरकार ने लगाया है और दिल्ली की सरकार ने गरीब की झोंपडी में टिमटिमाता दिया है, उसको सरकार देखना नहीं चाहती, उसकी रोशनी को बुझा देना चाहती है, और यह यहां गरीब की रोटी पर टैक्स लगाना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं वित्त मंत्रीजी से कि उस गरीब की झोंपडी का उजाला बुझा कर, उस गरीब की झोंपडी में अन्धेरा करके, उसके हाथ की रोटी छीन कर आप समाजवाद लाना चाहते हैं, तो यह समाजवाद कैसा समाजवाद है? जो गरीब की झोंपडी में अन्धेरा करे, जो गरीब की रोटी पर टैक्स लगाये, उसका नाम समाजवाद है। इन पर टैक्स लगायें और अच्छे शानोशौकत के शब्दों में कहे कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं, आपके इस तरह के समाजवाद को कोई पसन्द नहीं करेगा। इस तरह आप समाजवाद को बदनाम करना चाहते हैं, समाजवाद लाने की आपकी कतई नियत नहीं है।

कानून के रूप में यह बिल हमारे सामने है मैं हाउस के सामने यह रखना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर और एक जेबकतरा कानूनी अधिकार लें उसमें क्या फर्क है? आज हमारे वित्त मंत्रीजी बिलकुल एक जेब कतरे की तरह से, यह कह कर कि मुझे जेब कतरनी है, यह बिल ला रहे हैं। जो स्टेशन के ऊपर जेब कतरते हैं उनको कानूनी अधिकार नहीं पर हमारे वित्त मंत्रीजी गरीबों की जेब कतरने के लिये इस सदन में कानून लाना चाहते हैं और कानूनी अधिकार जेब कतरने के लिये लेना चाहते हैं, तो एक जेब कतरे और इस कांग्रेसी सरकार में कोई फर्क नहीं। एक जेब कतरा उसकी जेब में से पैसा निकालता है जिसकी जेब में कि पैसा है लेकिन इस जेबकतरी कांग्रेस सरकार के जेबकतरे वित्त मंत्री उन लोगों की जेबों में से पैसा निकालना चाहते हैं जिनकी जेब में पैसे हैं ही नहीं। तो इस तरह की यह सरकार है, ऐसे टाइम के अन्दर जब कि लोगों ने कुर्बानियां की हैं, जब कि लोगों ने आपके कहने पर आपकी सरकार के कहने पर, आपके नेताओं के कहने पर आपकी सरकार के नेताओं को तोला है, सोने से तोला है, चांदी से तोला है, आपकी जनता ने नोटों की गड्डियां दी हैं, आपको हर गांव गांव से चन्दा देकर, गरीब लोगों ने, हरिजन बंधुओं ने भी हद दर्जे की कुर्बानी की है, जिसके रहने को झोंपडी नहीं, खाने को रोटी नहीं, जिनके बच्चों को पहनने को कपडे नहीं, उन लोगों ने भी कुर्बानी की है और वे कुर्बानी करके अभी अभी उठे हैं। कुर्बानी किये दो महीने, चार महीने नहीं हुए, वह कुर्बानी तो अभी जारी है, अब भी उस कुर्बानी के करने के लिये किसी की मनाही नहीं है, किसी ने नहीं कहा है कि अब कुर्बानी नहीं करेंगे, आपने टैक्स लगा दिये फिर भी कुर्बानी कर रहे हैं, टैक्स के रूप में कुर्बानी कर रहे हैं। आपने उस

(श्री हरिराम चौहान)

कुर्बानी की तारीफ की है, नारियों की तारीफ की है, उन नारियों की तारीफ करने वाली, किसानों की तारीफ करने वाली सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन कुर्बानियों का आपने उनको यह इनाम दिया है ? क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह से टैक्स पर टैक्स लगाते जायं ।

एक आदमी के सर पर एक ईंट रख दी, फिर दो ईंटें रख दी, फिर चार ईंटें रख दी, दस ईंटें रख दीं, इसी प्रकार हर साल उसके सर पर ईंटें रखते ही जाओ और वह इन ईंटों के भार से दब जाय और उठ नहीं पाये तो क्या आप इस टैक्स के बोझ से उसको दबा कर, पस्त हिम्मत करके, आप सुरक्षा करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं । यह आपका कौनसा तरीका सुरक्षा का और विकास का है ? यही आपकी मंजिले मकसूद है जिसे आप समाजवाद कहते हैं । यह समाजवाद नहीं, आप गलत समझे हैं । समाजवाद क्या है, इसके लिये आपको अध्ययन करना पड़ेगा, दूसरे मुल्कों में जहां समाजवाद है, उनकी अच्छाइयों और तौर तरीकों को देखना पड़ेगा । समाजवाद में यह कभी नहीं हो सकता कि समाजवाद की बकाया वसूलियां अमीरों से नहीं करें, ५ करोड़ रुपया सरकारी टैक्सों का बकाया है, उसे वसूल नहीं करें ? वह आपसे क्यों नहीं वसूल होता ? पहले वह रुपया बकाया है उसे वसूल करते और फिर कहते कि अब हम टैक्स लगाते हैं · · · ·

श्री बालकृष्ण कौल : यह ५ करोड़ के फीगर्स कहां से आये ?

श्री हरिराम चौहान : आपकी किताबों से ।

श्री बालकृष्ण कौल : किताबें पढ़ लीं ?

श्री हरिराम चौहान : अच्छी तरह से ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : माननीय उपाध्यक्ष, ये आपस में जो बातें होती हैं ठीक नहीं, आपकी मार्फत होनी चाहिये ।

श्री हरिराम चौहान : बिजली का बकाया है, पानी का बकाया है, सेल्स टैक्स का बकाया है, इन्कम टैक्स का बकाया है और यह किन लोगों में बकाया है, इन्कम सब बड़े बड़े लोगों में, अमीरों में बकाया है और दूसरी तरफ आप एक चवन्नी भी किसान की जेब में नहीं छोड़ना चाहते, यदि चवन्नी भी उसमें बकाया है तो उसे बैठा लेते हो ; तहसीलदार कुर्क करता है । इसकी एक गंगानगर की मिसाल पेश करूं । गंगानगर में एक किसान की तरफ बकाया नहीं था । दूसरे किसान में बकाया था, जिसमें बकाया नहीं था, उसका माल कुर्क किया गया और उसकी भैंस नीलाम की गई । नाम चाहें तो नाम मेरे पास है । गरीब किसानों से बन्दूक की नोक के नीचे वसूली की जाती है । अमीरों से पैसे इकट्ठे करने का सवाल आता है, उनसे बकाया वसूली का सवाल आता है तो आपके हाथ कांपने लगते हैं, आपकी सरकार के हाथ कांपने लगते हैं और फिर बड़े ठाठ से कहते हैं, शान के साथ कहते हैं, हमें और पैसा चाहिये, टैक्स देने पड़ेंगे । अरे साहब, किसलिये चाहिये । जिन लोगों में तो बकाया है उनकी वसूलियां नहीं

Page No.119

(श्री हरिराम चौहाण)

करो, उनको रियायतें दो और हम लोगों से, गरीब लोगों से टैक्स मांगो तो इस तरह हम टैक्स नहीं दे सकते। टैक्स लेने से पहले आपको बकाया वसूली करनी पड़ेगी, आपकी जो बड़ी बड़ी तनख्वाहे हैं उनमें कमी करनी पड़ेगी, आपकी फिजूलखर्चियां हैं उनमें कमी करनी पड़ेगी, टैक्स लगाने से पहले मंत्रि-मण्डल के खर्च में कमी करनी पड़ेगी, मंत्रि मण्डल की संख्या में कमी करनी पड़ेगी, सरकार के खर्च में कमी करनी पड़ेगी।

श्री बालकृष्ण कौल: हाउस की कमी करनी पड़ेगी।

श्री हरिराम चौहान: वह सुझाव आप अपनी तरफ से दे देना।

ये सब चीजें तो आप करें नहीं और फिर कहें कि टैक्स देना पड़ेगा, तो यह तो समाजवाद नहीं, यह तो कोई आपकी मन-घड़न्त उपज है समाजवाद की।

तो यह जिस तरह का बिल, बजट हमारे सामने पेश किया है, यह जनता का गला घोंटू बजट, जिसको यह हाउस किसी भी तरह मंजूर नहीं कर सकता। मुझे बड़ी खुशी है कि इस बजट की इस साल जितनी पिटाई हुई है, उतनी कभी नहीं हुई थी। इधर के लोगों ने तो की ही, पर उधर के लोगों ने खूब पिटाई की है, इतनी पिटाई होने के इस घिसे-पिटे बजट को इधर उधर कर दिया गया है और ये बातें हमारे सामने तोड़ मरोड़ कर कही हैं, अब भूमि के ऊपर सरचार्ज के रूप में आयगा, पहले एक बीघा पर भी लगाया, फिर १० एकड़ किया, अब और तरीके से कर रहे हैं. यह इस बात का सबूत है कि आपके बजट में कितनी खामियों को दूर करने के लिये अन्दर और बाहर आवाज उठी, राजस्थान में आज शायद ही कोई ऐसा जिला बाकी होगा जह इन टैक्सों का विरोध, इनकी मजामत, इनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं हुए हों, जनता ने खड़े होकर वहां एक साथ आवाज नहीं उठाई हो।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): समय समाप्त हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन का समय समाप्त हुआ। सदन की बैठक कल प्रातः ११ बजे प्रारम्भ होगी।

श्री हरिराम चौहान: जारी रहेगा?

श्री उपाध्यक्ष: जारी नहीं रहेगा।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. ५ बजे दिनांक ४ अप्रैल, १९६३ के म.पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

(बुधवार दिनांक ३ अप्रेल, १९६३)

बिना नीलाम प्लाटों का वितरण–दौसा

आबयान की वसूली–गंग नहर क्षेत्र गंगानगर

सन् १९६०-६१ तथा ६१-६२ में जन सम्पर्क विभाग द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी के भेजे गये प्रेस-नोट एवं फोटो

चाकसू डिस्पेन्सरी की बिल्डिंग की रिपेयर

प्रिन्सिपल, मेडिकल कालेज, उदयपुर

डिप्टी कमान्डिंग आफिसर राजस्थान होम गार्ड्स

नगरपालिका कुचामन के भूतपूर्व सदस्य के खिलाफ कार्यवाही

टैक्नीकल स्टेन्डर्ड कमेटी द्वारा पुलिस वायरलैस कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला का निर्धारण

पंचायत जैतारण द्वारा पेय जल कष्ट निवारण हेतु सरकार से ऋण की मांग

अजमेर-जयपुर मार्ग पर सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण के कारण बेकारी

लाश की बरामदगी–अलवर

ग्राम बोहत में चिकित्सा की सुविधा

बाड़मेर क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य

जल प्रदाय योजना, भीनमाल

सीपेज नहर क्षेत्र चम्बल

स्त्रियों के अपहरण के मामले–धौलपुर

दुर्घटना

भूमि की बिक्री–कुचामन

जालोर जिले की सड़कें

जयपुर नगर परिषद द्वारा हरिजनों को नोटिस

राज्य में जब्त पुस्तकें

रामगंज मंडी–श्री छत्रपुर वाया ऊंडवा सड़क पर पुलिया निर्माण

पत्रकार के विरुद्ध कार्यवाही

डाक्टरों की पदोन्नति के नियम

पुलिस हिरासत में मृत्यु–थाना झंवर जिला जोधपुर

बांदीकुई में हाउस टैक्स

बिजली उत्पादन तथा ट्रांसमिशन के साधन

चम्बल विद्युत्–धौमेला तथा डग

नकबजन गोपाल धाकड़

वेर–वल्लभगढ़ वाया हाल्योली सड़क का निर्माण

नगरपालिका, कुचामन के हिसाब का आडिट

हत्या की घटनायें—जिला चित्तौडगढ

१९६२-६३ के राष्ट्रीयकृत मार्ग

केटल ब्रीडिंग फार्म—लक्ष्मणगढ तहसील. पंचायत समिति गोविन्दगढ

उदयपुर—रखदेव बस रूट

श्रीमाधोपुर तहसील के ग्रामों को सिंचाई के लिये बिजली

ग्राम खेडली-सूरोठ वाया पाली विजयपुर सडक योजना

प्रथम दो पंच वर्षीय योजनाओं में सडकों का निर्माण—अलवर

ग्राम खौड में पीने के पानी की कमी

कोटा से झालावाड-अकलेरा तक रोडवेज की बसें

करोली सब-डिविजन में चोरियां

विद्युत वितरण योजना—तहसील जमवारामगढ

१९६२-६३ में हुई डकैतियां

(ख) अतारांकित प्रश्न

आज की प्रश्न सूची में ६ अतारांकित प्रश्न थे।

२. समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री अमृतलाल यादव, सभापति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, १९६२–६३ ने समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

३. सदन की मेज पर रखा गया पत्र

श्री हरिश्चन्द्र, विद्युत मंत्री, ने इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी (सपलाई) एक्ट, १९४८ की धारा ६१ (३) के अन्तर्गत, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण (आयव्ययक), १९६३–६४ को सदन की मेज पर रखा।

४. विधायी कार्य

पुरःस्थापित किया गया विधेयक

राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६३ सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, पुरःस्थापित किया गया।

५. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत, श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने कोटा में दिल्ली क्लाथ मिल्स की कास्टिक सोडा फैक्ट्री के प्रबन्धकों द्वारा रामपुरा नदी में कास्टिक सोडा सम्मिलित किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री चन्दनमल वैद, उप-मंत्री, उद्योग विभाग ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

६. अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर थोडे समय के लिये चर्चा

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १२७ के अन्तर्गत श्री मथुरेश बिहारी, सदस्य विधान सभा, ने दौसा म्युनिसिपल बोर्ड संबंधी विषय पर चर्चा उठायी।

श्री दौलतराम सारण, उप-मन्त्री यस्वायत्त शासन ने एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

७. विधायी कार्य

राजस्थान वित्त विधेयक, १९६३

श्री बाल कृष्ण कौल, वित्त मंत्री, द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाये, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करन का संशोधन प्रस्ताव रखा।

इन प्रस्तावों पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) महारावल श्री लक्ष्मणसिंह

(२) श्री मुरलीधर व्यास

(३) श्री ज्वाला प्रसाद

(४) श्री उमरावसिंह ढाबरिया

(५) श्री रामानन्द अग्रवाल

(६) श्री मोतीलाल चौधरी

(७) श्री भैरोंसिंह

(८) श्री मानिकचन्द सुराना

(९) श्री हरिराम चौहान

सदन की बैठक ठीक ५ बजे गुरुवार दिनांक ४ अप्रेल १९६३ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

गुरुवार, दिनांक ४ अप्रेल, १९६३
की कार्य सूची

१. राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड एक्वीजीशन आफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट्स बिल, १९६३

(पुरस्थापन)

२. खानों से वसूली की जाने वाली रॉयल्टी संबंधी तारांकित प्रश्नोत्तर विषयक आधे घण्टे की चर्चा।

३. राजस्थान वित्त विधेयक, १९६३

(खण्डशः विचार विमर्श एवं पारित)

४. राजस्थान भू-राजस्व (अधिभारी संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७३० का उत्तर देखिये)

The pay scales (previous and revised) are given below:—

(1) **Previous Pay scales**

a.	S.Is.	80-5-100-8-140EB-10-200.
b.	A.S.Is.	60-4-80-5-100 E.B.5-130.
c.	Constables	30-1-50.

(2) **Revised Pay scales.**

a.	S.Is. (Radio supervisors)	150-10-250-12½-300.
b.	S.Is. (Radio Operators & Radio Technicians).	90-5-125-10-225-12½-300
c.	A.S.Is. (Radio Operators and Fitters)	75-3-90-4-110-5-120-EB-160.
d.	Constables	50-1-70-2-76-EB-2-80. With minimum pay Rs. 55/- P. M.

The Technical Standards Committee has suggested the following grades as mentioned in the T.S.C. report :—

1.	Supervisor (Operational/Technical)	160-10-330.
2.	Radio Technicins Gr.I	100-8-140-10-300 and a proficiancy pay of Rs.40/-
3.	-do- Gr. II	100-8-140-10-300 and a proficiency pay Rs. 20/-
3.	Wireless operator Gr.I	80-5-120EB-8-200-10-220 & a proficiency pay of Rs. 40/-.
5.	Wireless operator Gr. III	80-5-120-EB-8-200-10-220- and a proficiency pay of Rs. 20/-
6.	Asstt. -do-	75-3-105
7.	Fitter	75-3-105.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७५६ का उत्तर
देखिये

To

Mangrol Dispensary.

The Dy.Supdtg. of Police,

BARAN.

Sub:—Regarding injuries on the person of accused Gopal Dhakar of Napania.

Ref:—Your No. nil dated 10-10-62.

As desired in your letter No. cited under reference I am hereby furnishing the following information :—

1. Shri Gopal Dhakar who was brought by SHO Chhipabarod was attended and treated by me for burns on 12-5-62 at Chhabra Dispensary out-door.

2. As regards the burns these were big vesides and bilsters on his body which were likely caused by Boiling substance and Gopal, stated to me at that time that he got these burns by boiling Dal. Subsequently he was also attended by me at lock up Chhabra for the treatment of these burns.

3. There was no smell of Kerosin Oil on his cloths worn by him at that time and there was no odour of Kerosin oil from his body at the time when he was first attended by me.

4. I also did not notice that the cloths worn by him were burnt in fronts. On the basis of above dates I am be opinion that these burns were not possibly due to Kerosin Oil or anyother influmable material.

D.N. VERMA,
M.O.H.O. Dispensary
Mangrol Distt. Kotah.

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७६२ का उत्तर देखिये

बकाया वसूली की सूचि (नगरपालिका, कूचामन)

नाम सदस्य	बकाया वसूली की राशि
१. श्री गोरधन शर्मा	रु०९९९)
२. श्री गोरधन शर्मा	रु० ३१४-१७ न.पै.
३. श्री दीपचन्द	रु०१९२-२८ न.पै.
४. श्री सत्यनारायण	रु० १९६)
५. श्री गोरधन शर्मा	रु० ९५)
६. श्री मजीद खां	रु० १०)
७. श्री मांगीलाल जोशी	रु० २०-६९ न.पै. (जो वसूल किये जा चुके हैं)
८. श्री प्रकाशचन्द्र	रु० ३,४०२-१० न.पै.

भार्म

परिशिष्ट ४

(समस्याभाव के कारण प्रश्न में न लिये जा सकने वाले प्रश्नोत्तर

केटल ब्रीडिंग फार्म-लक्ष्मण गढ़ तहसील, पंचायत समिति गोविन्द गढ़

७६५. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ़): क्या कृषि एवं पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) लक्ष्मणगढ़ तहसील की पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में कितने Cattle Breeding Farms हैं ?

(२) क्या ये सारे नियमानुसार चल रहे हैं ? अगर नहीं, तो कितने ऐसे केटिल ब्रीडिंग फार्मस् है जो नियमानुसार नहीं चल रहे हैं ? मय नाम के बताया जावे और यह भी बताया जावे कि इनको दी गई राशि की रिकवरी के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है और अब तक यह रिकवरी क्यों नहीं की गई, तथा भविष्य में कब तक रिकवरी हो जावेगी ?

उत्तर

१. विभागीय फार्म एक भी नहीं है

२. प्रश्न ही नहीं उठता ।

उदयपुर-रखदेव बस रूट

७६६. **श्री जोधसिंह चौहान,** (गिरवा): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या उदयपुर से रखदेव रोड पर पडूनों ग्राम चणोवदा तक कोई बस जाती है ?

(२) क्या यह सत्य है कि पडूणों से चणोवदा तक ग्रेवल सेड बनी हुई है जिस पर आसानी से मोटर जा सकती है और पडूणों एक बडा गांव भी है और वहां के निवासियों को मोटर में बैठन के लिये पडूणों जाना पडता है ?

(३) क्या इतने बडे गांव तक सरकार मोटर चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(४) क्या इस सम्वन्ध में ट्रान्सपोर्ट विभाग, उदयपुर कोई दरख्वास्त आई हुई है ?

उत्तर

(१) उदयपुर से रिखवदेव रोड पर जो बस जाती है वह पडूणा ग्राम तक जाती है, चणोवदा ग्राम तक नहीं जाती ।

(२) पडूणा से चणोवदा तक पक्की सड़क नहीं है। मोटर चणोवदा तक नहीं जाती। अतः वहां के निवासियों को मोटर में वैठने के लिये पडूणा आना पडता है।

(३) आर.टी.ए. के समक्ष इस तरह की कोई दरख्वास्त पश नहीं हुई ।

श्री माधोपुर तहसील के ग्रामों को सिचाई के लिए बिजली

७६७. **श्री रामचन्द्रः** (श्री माधोपुर)

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जमाखरा व चम्बल की बिजली की लाइनें सीकर जिले में शहरों के अलावा कितने गांवों से होकर गुजरी है ? जिन गांवों से बिजली की लाइनें गुजरी हैं क्या उन गावों

की भी बिजली दी जावेगी ; यदि नहीं तो कब तक दी जावेगी ? बिजली देने के लिये बिजली विभाग द्वारा इन गांवों के लिये क्या क्या शर्तें होंगी ?

(२) क्या बिजली विभाग ने श्री माधोपुर तहसील के किन्हीं गांवों को सिंचाई के लिये बिजली देने की योजना बनाई है ? किन किन गांवों को यह बिजली दी जावेगी व इस योजना के अन्तर्गत लगभग कितने कुवे सिंचाई में आवेंगे ? जइन गांवों के किसानों से किस किस दर पर बिजली के पैसे चार्ज किये जावेंगे ?

(३) प्रश्न (२) में पूछी हुई योजना कब तक कार्यान्वित हो जावेगी ?

उत्तर

(१) सीकर जिले में भाखरा व चम्बल योजना की बिजली की लाइन निम्न गांवों के पास से गुजरती है :—

भाखरा योजना:—रोलसाबसर ढान्डन बालोद, नवीपुरा खुरी बदासर सबलपुरा रसीदपुरा बिदासर, डालस जोगियों का बास आदि ।

चम्बल योजना :—सरगोष, गघा, पैरोली अलपाली, नांगल इस कीतरी लोंहारधारा कानवट इन गांवों को बिजली देने की अभी कोई योजना नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

(२) जी हां । कांवट व मेरोली:—अभी कांवट में दस कुवे व मेरोली में ६ कुवें वालों ने बिजली लेने की मांग की है । बिजली की दर वह होगी जो सारे राजस्थान में अन्य स्थानों के लिये खेती बाडी के लिये निर्धारित की गई है ।

(३) हां । प्रश्न दो के उत्तर में बतलाई गई कांवट ग्राम की योजना मई-जून सन् १९६३ तक पूरी होगी । ग्राम मेरौली का विद्युतीकरण तारीख २८-३-६३ को हो गया है ।

ग्राम खेरली–सुरोठ वाया पाली विजयपुर सडक योजना

७६८. श्री श्रवणलाल (हिंडौन)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या मऊ नदी से ग्राम खेडली व पाली विजयपुरा होती हुई सूरोठ जाने के लिये सडक की योजना बनाई गई है ?

(२) यदि हां, तो यह योजना कब चालू होगी ? यदि कोई योजना नहीं बनाई गई है तो कब तक बनाई जावेगी ?

(३) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में कोई भी सडक नहीं है और यहां के लोगों को सामान लाने, ले जाने में बहुत मुसीबत होती है ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता । अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

(३) इस क्षेत्र के पास से हिंडौन तक ५ मील लम्बी पक्की डामर की सडक है । हिंडौन से सूरोठ (फतेसिंगपुर) तक पक्की सडक है ।

प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं में सडकों का कार्य

७६९. श्री नत्थीसिह (गोबिन्दगढ)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अलवर में प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी नई व कितनी पुरानी सडकों का कार्य हुआ और उनमें कितनी कितनी रकम खर्च हुई ? जयपुक पृथक बताया जावे

(२) क्या प्रथम और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किसी सडक का कार्य अधूरा भी है ? अगर हां, तो यह कार्य कब तक पुरा हो जावेगा ।

उत्तर

(१) अलवर में प्रथम व द्वितीय पंचज वर्षीय योजना में जितनी नई व पुरानी सडकों का कार्य हुआ है और जितनी रकम खर्च हुई है उसकी सूची प्रस्तुत है ।

(२) जी हां, निम्न लिखित सडकों का कार्य अधूरा है आशा है ३१ मार्च, १९६४ तक समाप्त हो जावेंगे ।

१. पक्की सडक बजरका रेल्वे स्टेशन से अलवर-बहरोड सडक तक

२. पक्की सडक खेरथाल से बानसूर मिलाती हुई बहरोल से शाहजहांपुर ।

३. लक्ष्मणगढ से गढी ।

४. मांचेडी से मंडावर ।

५. पक्की सडक गहरोड से गंडराला सेरहद नारनोल तक

1st Five Year Plan (Road Development Plan)

Alwar District.

S.No.	Name of Work.	Expenditur upto date
1.	Metalled road from Alwar to Rajgarh via Nalakhera	Rs. 4,26,319.00
2.	-do- Kharali to Nagar Via Khatumal(Part-A) ..	Rs. 1,74,251.00
3.	-do- -do- (Part B)	Rs. 1,99,244.00
4.	-do- Alwar to Kishangarh	Rs. 309,200.00
5.	-do- Malakhera to Lachhmangarh	Rs. 2,72,880.00
6.	-do- Lachhmangarh to Khatumal	Rs 3,84,014.00
7.	-do- Kherthal, Bansur with a link read to Mandawar to Shahjanjpur	Rs. 6,09,154.00
8.	-do- Kotputli to Bansur	Rs. 1,98,160,00
9.	-do- Kushalgarh to Natainpur	Rs. 2,62,006.00
10.	-do- Thanagai to Partapgarh, Ajitgarh ..	Rs. 4,87,201.00
11.	Fair Weather Road from Rajgarh to Mandawar ..	Rs. 45,442.00
12.	Metalled road fromBehror Madankund with a link to Neemrana.	Rs. 5,26,945.00
13.	-do- Tejara, Tapukar to Bhawari	Rs. 4,51,540.00
14.	-do- Junction to Alwar, Bharatpur Road to Bahrod Mio Village	9,571.00
15.	Approcah road from Alanpur in mile 25 in Alwar, Mio Village. Jiapur Road to Harsora Village	Rs. 69,677.00
16.	Fair Weather Road from mile 29 of Alwar, Jaipur Road to Devanpura village	Rs. 2,175.00

17.	Metalled road from Phuti Ghat to Ramgarh	Rs.	17,000.00
18.	Metalled road from Nawagaon Bazar	Rs.	17,129.00
19.	-do- Gandhi Vidyalaya to Harasora Village	Rs.	6,673.00
20.	-do- Tehla Village to Tehla Rajgarh	Rs.	4,149.00
21.	-do- Nawagaon to Mubarakpur	Rs.	69,780.00
22.	-do- Narseli Mandawar to ulehri Quarry	Rs.	1,62,000.00
23.	-do Alwar to Behrore	Rs.	2,00,645.00
24.	-do- Joining Baru toGovindgahvi Jalukia Junction	Rs.	3,40,569.00
25.	-do- 6 mile Tartpur to Banasur (F.W)	Rs.	1,11,907.09
26.	Construction of Metalled Road from Rampur to Alwar Bansur Road	Rs.	1,21,387.00

IInd Five Year Road Development Plan, Alwar District.

S.No.	Name of Works.		Expenditure uptodat
1.	Metalled road from Macheri to Mandawar via Garhi	Rs.	2,94,058.00
2.	-do- Behror to Gandrala upto Border	Rs.	1,82,250.00
3.	-do- Narsaor to Bansur	Rs.	4,14,310.00
4.	-do- Narainpur to Bansur	Rs.	2,98,273.00
5.	-do- Kotkasim to Kishangarh	Rs.	2,30,548.00
6.	Metalling remaining miles of Harsoli Sodawas Road	Rs.	1,53,000.00
7.	Metalled road from Ahirka Railway Station to Alwar Bohror Road	Rs.	61,500.00
8.	-do- Kaligahti to Pandupole	Rs.	1,59,781.00
9.	-do- Harsoli to Kherthal	Rs.	1,55,193.00
10.	-do- Lachmangarh to Gari	Rs.	2,48,166.00
11.	Bitumen treatment of road from Alwar to Baswa	Rs.	1,45,568.00
12.	-do- Sirila Thela Sajgarh (R.M.)	Rs.	4,79,953.00
13.	-do- Alwar to Kishangarh	Rs.	2,90,460.00
14.	-do- Kherthal to Bansur	Rs.	3,56,287.00
15.	Consts. of an approahcroad from Chikani to Bhadirpur	Rs.	52,464.00
16.	-do- Khatuwas to Pertapur village	Rs.	72,284.00
17.	-do- Bhudwal village to Behrorkond	Rs.	25,200.00
18.	-do- Kishangarh Bas to Ganj	Rs.	29,845.00
19.	-do- Railway Station Rajgarh to Thana Vill..	Rs.	13,357.00
20.	Approach road from Bus Stand Gandrells village to Behror Kund Raod	Rs.	6,500.00
21.	-do- mile10 ofAlwar Bherorroad toChandoli via	Rs.	10,976.00
22.	Alwar, Beawa Road	Rs.	2,02,382.00

Page No.130

७७०. श्री मोहन राज (बाली):— क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार पाली तहसील के ग्राम खौड में पीने के पानी की अत्यन्त कमी विशेषकर गर्मी के दिनों में से परिचित है ?

(२) क्या सरकार जवाई बांध से जोधपुर जाने वाली पीने के पानी की नहर से जो कि खौड ग्राम से कुछ ही दूरी पर होती जहुई जाती है खोडग्राम को पानी पहुंचाने की योजना पर विचार करेगी ? तात्कालिक राहत पहुंचाने हेतु सेरकार ने क्या सोचा है ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) उचित समय पर विचार किया जा सकता है । तात्कालिक राहत पहुंचाने केज लिये सरकार के पास कोई योजना नहीं है ।

७७१. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा)—क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा से झालावाड-अकलेरा तक रोडवेज की बसें कब से चलाई जाने की योजना है ?

(२) क्या रोडवेज की बसें चलने से इस रूट पर चलने वाली प्राइवेट बसें बन्द हो जावेंगी ? यदि हां तो क्या उन बसों के ड्राइवर और कन्डक्टरों को रोडवेज में ले लिया जावेगा ?

(३) क्या जनता की सुविधा के लिये कोटा से मनोहरथाना तक रोडवेज की बसें चलाई जावेंगी ?

उत्तर

(१) कोटा से झालावाड-अकलेरा मार्ग पर विभागीय गाडियां ८ अप्रेल १९६३ से चलाने का विचार है ।

(२) जी हां । इस मार्ग के ड्राइवर व कन्डक्टरों को उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र देने पर तथा चुनाव कमेटी द्वारा योग्य समझे जाने पर उन्हें विभाग में लिया जा सकेगा ।

(३) जी नहीं ।

७७२. वैद्य श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) करौरी सब-डिविजन में जून ६२ से दिसम्बर, ६२ तक कितनी चोरियां हुई हैं तथा उनमें से कितनी बरामद हुई हैं ?

(२) क्या यह सही है कि गांवों के आदमी करौरी रिपोर्ट दर्ज कराने आते हैं तो पुलिस रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करते ?

(३) क्या यह सही है कि चोरी बार-बार होती रहती थीं, फिर भी पुलिस अधिकारी कहीं मौके पर नहीं पहुचते थे ?

उत्तर

(१) करौरी सब डिविजन में जून ६२ से दिसम्बर, ६२ तक कुल ५५ चोरियों की वारदात हुई हैं । इनमें से १८ बरामद हो चुकी हैं ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं ।

७७३. श्री डूंगाराम राजोरिया, (जमवा रामगढ): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील जमवारामगढ में विद्युत वितरण की क्या योजना है तथा यह योजना कहां कहां तथा कब तक कार्यान्वित होगी ?

उत्तर

जमवा रामगढ तहसील के ग्राम मानपुरा, सरवा, किलनगढ, खोर चावन का भेद और साईपुरा सन् १९६२–६३ के विद्युतिकरण के एग्रीकल्चरल लोड प्रोग्राम में सम्मिलित थे यह कार्य अभी चालू है और जून, ६३ के अन्त तक पूरा होने की संभावना है।

७७४. श्री मुरलीधर व्यास, (बीकानेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

इस वित्तीय वर्ष (१९६२–६३) में राजस्थान में कहां कहां कितनी डकैतियां हुई तथा उनमें कहां २ कितना माल लूटा गया तथा कितनों की हत्यायें हुई तथा कितने स्त्री पुरुषों का अपहरण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

उत्तर

सूचना संलग्न विवरण पत्र (अ) में है।

तालिका (अ)

क. सं.	जिला	स्थान जहां डकैती हुई	कुल संख्या डकैती की	अपहृत धन	स्त्री और पुरुष मरे	संख्या जो अपहरण किये गये
१	२	३	४	५	६	७
१	अजमेर	दोराई गांव	१	८८० रु०	..	..
२	जयपुर	मौजामा बाद	१	२५५० रु. व एक सूट केस	..	..
३	अलवर	धाधोली	१	..	१	..
४	कोटा	खेड़ली भंवरगढ़ सन्दकड़ा खाटेका	४	२०५० रु. १५०० रु. २८०२ रु. ७३९ रु.	..	..
४	कोटा	खेड़ली	४	२९५० रु०	..	..
		भंवरगढ़		१५०० रु०	..	..
		सन्दूकड़ा		२८०० रु०	..	..
		खाटका		७३८० रु०	..	३
५	जोधपुर	रानेरी	१	१४७६० रु०	..	४
६	जालोर	काटड़ा	१	एक राइफल व ५ कार्तूस	..	..
७	चूरू	रायपुरिया	१	एक ऊंट ६०० रु.	१	१

				का व २० रु.		
				नकद		..
८	उदयपुर	पिपली तलाई	२	८००० रु.	१	..
		कुन्डवों का गुडा		६१६ रु. २५ न. पै.	..	..
९	भरतपुर	बराय	१२	७००० रु०	..	..
		बरखेड़ा (४-५-६२)		२००० रु०	..	..
		बरखेड़ा (१२-५-६२)		१०५० रु०	..	
		धाकली का पुरा		१६५० रु०	.	..
		समोना		२५ रु०	..	१
		बसई नवाब		१००८१७ रु०	..	..
		नगला खंगार		१४०७	..	१
		तेहरा		१०४०	..	..
		नूनेरा		१७००० रु०	..	..
		नियाडू		२७०० रु०	..	१३
		बान्सोरी		५५६१ रु. ५० न.पै.	..	..
		इटकी		३०८७ रु.	..	..
१०	भीलवाड़ा	खेरड़ी	१	२६५ रु.	..	..
११	सवाईमाधोपुर	अंरोधा	५	२५६६६ रु०	..	..
		घोरेटा		८२६७ रु.	..	..
		कल्यानपुरा		१४० रु.	..	..
		जिया पुरा		६७३६ रु.	..	..
		ग्रान्यू		८० रु.	..	..
१२	बाड़मेर	गगादियों की ढानी	६	१०६३५ रु.	..	१
		वसरा		३५८८	..	..
		जसूर		१२३० रु०	..	१
		सोखरू		६०५१ रु.	..	..
		नन्द		८८१० रु.	..	१
		भीमदा		१६७८० रु.	..	२
१३	गंगानगर	चार एफ़. डी.	१४	घरेलू वस्तुएं	..	..
		वाता कालाखेड़ी		३५३४२ रु.	...	..
		रावतसररोड़		६०५६१ रु.	..	..
		विजयनगर	..	..	..	टेकनीक डकैती
		चदेरी		९०४ रु.	.	..
		५५ एफ.		३८००० रु.	..	..
		१५ पी. एस.		८० रु.	..	..

		राबसिहनगर		पंचायत के कागजात	..	..
		सरयाना		९०३० रु.	..	२
		९० जी. बी.		घरेलू वस्तुएं	..	..
		६२ एन. पी.		२३७५ रु.	..	..
		फोलेवाला व बाहु किन्सर		३६५० रु०	४	४
		दत्तसर		३ मन बाजरी	..	..
		रोही बिजनौर		६७५० रु.	..	..
१३	बीकानेर	रोही मौजा	८	९७५ रु.	..	..
		मौजा झन्जेऊ		१२६० रु.	..	..
		मौजा मोडायत		१५०३३ रु.	..	..
		रास्ता पालन गांव	..	..	..	..
		मौजा गिरजासर		१६८२१ रु.	..	..
		धोबी तलाई		२५० रु.	..	..
		रोही मौजा लूनखान		८६४० रु.	१	..
		मौजा मुसेवाली		४१२३ रु. ५० न. पै.	..	..
		जैसलमेर		१५५७ रु.	..	..
		पन्डिया		१ राइफल	..	२
				९६००रु.	..	..
				१५८०रु.	..	..
				८९७९	..	..
			२	१९८ रु. २५ न. पै.		..
			६०	४१७२५ रु.	१५	४२

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर देखिए).

सूची

तालिका "अ"

क्रम संख्या	पुलिस आफिसर का नाम जो मोअत्तिल है	नं० और ता० जिसमें मोअत्तिल है	किस अफसर के द्वारा वे मोअत्तिल किये गये मोअत्तिल करने वाले आफिसर का नाम	मोअत्तिल होने के कारण	किस तारीख को आरोप-पत्र दिया गया	किस तारीख को विभागीय जांच पूरी की गई	नं० संख्या अन्तिम आज्ञा दिये जाने की	विस्तृत जानकारी अन्तिम आज्ञा दिए जाने की
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	एस. आई. जे. सिह	४३५, ता० १३-१-६२	श्री सुलतानसिंह आई. पी. एस., डि. आ. जी. पी., अजमेर	अभियोग धारा १६१ भा. द. स. द्वारा अण्टिकरप्शन विभाग के अन्तर्गत	न्यायालय द्वारा अभी केस निर्णय नहीं किया गया है ।	—	—	अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है ।
२	का. १०६ टेऊराम ..	३८९-९१. तारीख २२-१-६२	श्री गोविन्दसिंह, आई. पी. एस अधीक्षक आरक्षी अजमेर	अजमेर के अधीक्षक की कानूनी आज्ञा का उल्लघंन करना	६-४-६२	२७-८-६२	९८३-८६. ता० ६-४-६२	इस पर आरोप सिद्ध नहीं हो सके और जिससे उसको मुक्त कर दिया गया क्योंकि उसने अपनी पत्नी की जो

								कि वह गर्भवती थी जिसका स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र पेश कर दिया था ।
३.	हैड का. २९६, श्री गोरधनलाल	७१३-१८ ता. २३-१-६२	श्री गोविन्द सिह आई. पी. एस. अधीक्षक आरक्षी, अजमेर	अनाधिकार सरकारी वाहन को काम में लिया	१३-३-६२	१३-८-६२	१०५३-३३ ता.११-१०-६२	उस पर आरोप सिद्ध हो गये अतः उसे सिपाही के पद पर अवनित कर दिया गया ३।४ वेतन सरकार में जप्त कर लिया गया तथा ३० मील के चार्जेज वापिस लिये गये ।
४.	एस. एम. एम. चिप्ट कनिष्ठ लेखक	१०५४-५८ ता. १९-२-६२	श्री गोवर्न्दसिह अधीक्षक आरक्षी अजमेर	अधीक्षक अजमेर की आज्ञा का उल्लंघन किया तथा आवश्यक व महत्वपूर्ण आम चुनाव का टाइप का काम नहीं किया	१०-४-६२	२५-४-६२	२५-४-६२	उसने अपराध को स्वीकार किया अतः उसे निन्दन प्रदान किया गया

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८	९
५.	का०हजारी ५७	३३२५-२७ ता. २७-४-६२	श्री गोविन्दसिंह अधीक्षक आरक्षी अजमेर	अभियोग नं. ९१९२ धारा ३२४ भा.-द. स. थानागंगल में अपराधी होना	अभियोग अदालत में विचाराधीन है		——	अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है।
६.	का०लेख रा ६६१	१०३३२-६ ता. १०-१०-६२	श्री जे: पी. पीलानिया अधीक्षक आरक्षी अजमेर	अभियोग नं. १२०। ६२ धारा ३९४ भा. द. स. थाना ब्यावर में अपराधी होना	अभियोग अदालत में विचाराधीन है		——	अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है
७.	का-३०७ ए. पी. मंगला राम	१०४४०, ता० १५-१०-६२	अधीक्षक आरक्षी अजमेर	दोनों का स्थानान्तरण ए. पी. से आर. ए. सी. में किया गया, किन्तु उन्होंने जाने से मना किया	२-१२-६२	२६-१२-६२	१२७०-७२ ता. २-२-६३	का. ३०७ ए. पी. का ६ महिने का ग्रेड इन्क्रीमेन्ट बन्द किया गया (विदाउट फ्यूचर अफेक्ट) को. ४५ ए. पी. श्री हीरा लाल अभी तक मौअत्तिल है। अन्तिम आदेश शीघ्र ही जारी किये जावेंगे
८.	का० ४५ ए. पी. श्री हीरालाल							

९	का. ६६० सी. पी. रोहतास सिंह	१०६६४-६८ ता.१५-१०-६२	„	दिनांक १०-१०-६२ को चालानी गार्ड की ड्यूटी से अनुपस्थित होना	१३-११-६२	७-१-६३	„	अन्तिम आदेश होने ही वाले हैं।
१०	का.१०६ सी. पी. तेउराम	३३२-३४ता. ८-१-६३	„	स्थानान्तरण के आदेश की अवहेलना करने के कारण	११-१-६३	„	„	चार्जशीट का जवाब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
११	एस. आई. एल. के. राय	१०२९ ता० २४-१०-६२	श्री सुल्तान सिंह आई.पी.एस. डी.-आई. जी. पी अजमेर रेन्ज जयपुर	पुलिस हिरासत में मोती जाट की हत्या होने के संबंध में मु. नं. २९। ६२ धारा ३०२ भा. द. स. पु. का विजयनगर	–	–	–	मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है
१२	है. का. कन्हैयालाल	१२७९५-९७ ता. ८-१२-६२	एस. पी. अजमेर	„	„	„	„	„
१३	सूरजमान का. नं. २६०	„	„	„	„	„	„	„
१४	चन्ना मल का. नं. १५७	„	„	„	„	„	„	„
१५	रूप सिंह है. का. ए. पी.	१,१६,७५-८० ता० १४-११-६२	„	मुकदमा नं. ३९।६२ धारा ३९२ भा.-द. स. में होना	„	„	„	„

[६०४७

१	२	३	४	५	६	७
१६	सुल्तान सिंह का. १६७ ए. पी.	"	"	"	"	"
१७	मूराराम का. २१७ ए. पी.	"	"	"	"	"

(किसी भी कर्मचारी द्वारा अभी तक आई. जी. पी. तथा डी. आई. जी. पी. को कोई आवेदन-पत्र (अपील) प्रस्तुत नहीं किया गया)

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर देखिये)

पांच वर्षों में सबसे अधिक विज्ञापन जिन समाचार पत्रों को दिये गये उनकी सूची।

अप्रेल, १९५७ से मार्च, १९६२ (५ वर्ष)

क्र० सं०	पत्रों के नाम	धनराशि
१.	नवयुग ..	.. ३६,९७५.८०
२.	नवज्योति	.. १९,९१६.५०
३.	मशाल ..	.. १७,५७६.५०
४.	नवजीवन	.. १६,४२५.००
५.	विशाल राजस्थान ..	१४,७२४.५०
६.	राजस्थान पत्रिका ..	१३,६६१.७५
७.	लोकवाणी	.. १२,८६८.२५
८.	अमरज्योति	.. १२,३६४.७५
९.	अमर राजस्थान	.. ११,४८८.००
१०.	राष्ट्रदूत ..	.. ६,२२३.५०

1. NAWJEEN, UDAIPUR.

Month	Amount paid	Amount to be paid
January, 61	233.00	
Febreary, 61	382.50	
March, 61	1202.50	
April, 61	215.00	
May, 61	572.00	
June, 61	499.00	
July, 61	1025.00	
August, 61	1027.50	
September, 61	941.50	
October, 61	1165.00	
November, 61	886.50	
December, 61	4292.50	
January, 62	3000.50	
February, 62	160.00	
March, 62	3153.00	
April, 62	140.00	
May, 62	165.00	
June, 62	77.50	
July, 62	65.00	
August, 62	814.00	
September, 62	15.00	
October, 62	97.50	
November, 62	40.00	
December, 62	—	
	20,170.00	

2.KOLAHAL, UDAIPUR.

January, 61	84.00
February, 61	183.00
March, 61	649.00
April, 61	78.00
May, 61	243.00
June, 61	312.00
July, 61	67.50
August, 61	82.50
September, 61	355.50
October, 61	60.00
November, 61	358.50
December, 61	1096.00
January, 62	88.50
Fuberary, 62	429.00

March, 62	649.50	
April, 62	123.00	
May, 62	403.50	
June, 62	19.50	28.50
July, 62	21.00	
August, 62	229.50	
September, 62	12.00	
October, 62	—	
November, 62	54.00	33.00
December, 62	43.50	
	5,642.00	61.50

3. PRAGATI, UDAIPUR.

January, 61	24.00	
February, 61	105.00	45.00
March, 61	294.00	10.50
April, 61	63.00	
May, 61	267.00	
June, 61	45.00	54.00
July, 61	67.50	
August, 61	108.00	
September, 61	186.00	
October, 61	309.00	
November, 61	138.00	
December, 61	352.50	
January, 62	75.00	
February, 62	186.00	9.00
March, 62	54.00	
April, 62	27.00	
May, 62	61.50	13.50
June, 62	70.50	27.00
July, 62	28.50	
August, 62	165.00	
September, 62	111.00	
October, 62	—	
November, 62	—	
December, 62	54.00	
	2,791.50	159.00

4. PRATAP, UDAIPUR.

January, 61	121.50	
February, 61	19.50	
March, 61	243.00	
April, 61	—	
May, 61	256.50	
June, 61	—	
July, 61	—	
August, 61	216.00	
September, 61	—	16.50 bill not received
October, 61	—	13.50 -do-
November, 61	—	54.00 -do-
December, 61	—	60.00 -do-
January, 62	—	30.00 -do-
February to December, 1962	Nil:	
	857.00	174.00

5. RAJASTHAN, UDAIPUR.

January, 61	—	
February, 61	118.75	
March, 61	232.00	
April, 61	237.50	28.44
May, 61	51.65	
June, 61	128.25	
July, 61	144.40	14.25
August, 61	154.37	
September, 61	118.50	108.75
October, 61	592.75	
November, 61	—	
December, 61	329.31	
January, 62	593.75	21' 37
February, 62	2054.37	
March, 62	356.25	
April, 62	—	
May, 62	—	
June, 62	—	
July, 62	46.31	
August, 62	118,75	
September, 62	—	
October, to December, 62	—	23.75
	5,276.91	206.56

6. POOKAR, UDAIPUR.

January, 61	189.00	
February, 61	64.50	
March, 61	27.00	
April, 61	—	

May, 61	193.50
June, 61	36.00
July, 61	264.00
August, 61	242.50
September, 61	468.00
October, 61	—
November, 61	67.50
December, 61	330.00
January, 62	39.00
February, 62	360.00
March, 62	792.00
April, 62	48.00
May, 62	345.00
June, 62	106.50
July, 62	21.00
August, 62	283.50
September, 62	24.00
October, 62	—
November, 62	78.00
December, 62	—
	3979.00

7. HAMARA HINDUSTAN UDAIPUR.

January, 61	12.50	
February, 61	360.00	
March, 61	522.50	
April, 61	30.00	
May, 61	645.00	
June, 61	250.00	
July, 61	340.00	
August, 61	85.00	
September, 61	705.00	
October, 61	—	
November, 61	—	
December, 61	390.00	
January, 62	270.00	
February, 62	340.00	280.00
March, 62	150.00	
April, 62	50.00	
May, 62	180.00	
June, 62	95.00	
July, 62	75.00	
August, 62	325.00	
September, 62	—	
October, 62	137.50	
November to December, 62	—	
	4,962.00	280.00

8. JANSHAKTI, UDAIPUR.

January to November, 61	—
December, 61	132.00
January to December, 62	—
	132.00

9. ARAWALI, UDAIPUR.

January, 61	50.00	
February, 61	125.00	
March, 61	30.00	
April, 61	57.50	
May, 61	30.00	30.00
June, 61	128.75	
July, 61	37.50	
August, 61	62.50	
September, 61	97.50	47.75
October, 61	—	
November, 61	120.00	
December, 61	110.00	25.00
January, 62	7.50	
February, 62	—	
March, 62	—	
April, 62	102.50	
May, 62	—	25.00 bill not received
June, 62	—	26.25 -do-
July, 62	—	16.25 -do-
August, 62	—	—
September, 62	—	12.50 -do-
October, 62	75.00	—
November, 62	40.00	—
December, 62	—	26.25 -do-
	1073.75	209.00

10. HAMARA RAJASTHAN, UDAIPUR.

January, to December, 61	—	
January, 62	—	
February, 62	105.00	45.00
March, 62	45.00	

April, 62	35.00	
May, 62	45.00	
June, 62	45.00	
July, 62	35.00	
August, 62	120.00	
September, 62	45.00	17.50
October, 62	—	
November, 62	40.00	
December, 62	—	
	515.00	62.50

11. 2ND OCTOBER, BHILWARA.

January, 61	45.00	
February, 61	—	
March, 61	54.00	36.00
April, 61	18.00	9.00
May to Aug.,61	—	
September, 61	288.00	
Oct. to Nov.,61	—	
December, 61	288.00	
January, 62	49.50	
February, 62	—	42.00
March, 62	—	
April, 62	84.00	
May, 62	55.50	
June, 62	—	
July, 62	36.00	
August to November, 62	—	
December, 62	—	12.00
	918.00	99.00

12. LOKJEEWAN, BHILWARA.

January, 61	99.75	
February, 61	206.50	
March, 61	245.00	
April, 61	253.75	
May, 61	262.50	
June, 61	—	
July, 61	14.00	
August, 61	210.00	
September, 61	168.00	
October, 61	227.50	
November, 61	169.25	
December, 61	897.75	
January, 62	84.00	
February, 62	2400.00	
March, 62	81.00	
April, 62	139.50	
May, 62	90.00	63.00
June, 62	171.00	
July, 62	40.50	
August, 62	—	
September, 62	—	
October, 62	87.75	
November, 62	—	
December, 62	15.75	
	5,863.50	63.00

13. LALKAR, CHITTORGARH.

January, 1961	162.75	
February, 61	166.61	
March, 61	561.87	
April, 61	253.80	
May, 61	403.00	
June, 61	46.50	
July, 61	311.86	
August, 61	93.00	
September, 61	247.00	
October, 61	141.36	
November, 61	62.00	
December, 61	497.94	
January, 62	283.86	
February, 62	403.00	
March, 62	497.92	
April, 62	209.24	29.03
May, 62	77.50	
June, 62	11.61	
July, 62	—	
August, 62	—	
September, 62	67.75	
October, 62	46.50	
November, 62	255.75	
December, 62	—	40.69
	4,800.82	69.72

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक ३ अप्रेल, १९६३)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५७८९	६ पंक्ति के वाद	—	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	१०	तारांकित प्रश्नोत्तर	—
५७९०	१६	उज्त्र	उग्र
५७९३	शीर्षक	तारांकित प्रश्तनोर	तारांकित प्रश्नोत्तर
५७९४	८	सलन्वित	निलम्बित
,,	२१	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
५७९६	१	**श्री मय`शबिहारी माथुर**	**श्री मथुरेश बिहारी माथुर**
५७९७	१८	**श्री योगेन्दनथ होडा**	**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा**
५७९८	९	ह,	हैं,
५८००	अन्तिम से २	राज कार	राज्य सरकार की
५८०३	शीर्षक	ताराकित	तारांकित
५८०५ से ५८०७ तक	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोतर	तारांकित प्रश्नोत्तर
५८०७	४	डिप्टी कमाडग	डिप्टी कमांडिंग
,,	अन्तिम से ४	नगरप लिका	नगरपालिका
५८१० से ५८२० तक	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोतर	तारांकित प्रश्नोत्तर
५८१०	४	म	में
,,	अन्तिम से ५	हे	हैं
५८११	१३	पय जल	पेय जल
५८१२	३, ४	(श्री दोलतराम सारण)	(श्री दौलतराम सारण)
५८१५	९	नं०	नं०
५८१६	३	में	में
५८२२	१८	क्षत्र	क्षेत्र
,,	२१	ए ोसिस	एनेलेसिस
,,	२४	**श्री दोलतराम सारण**	**श्री दौलतराम सारण**
५८२३	१८	**श्री रामा शन**	**श्री रामकिशन**
५८२६	४	अस्पताल	अस्पताल में
,,	२४	बतानेत	बताने
,,	अन्तिम	साम`	सामने
५८२७	शीर्षक	३ अप्रल,	३ अप्रेल,
५८२९	स्कम्भ	८२९	५८२९
५८३०	स्कम्भ	८५३०	५८३०
५८३१ से ५८३४	शीर्षक	ताराकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर

१	२	३	४
५८३१	१३	स्तके	पुस्तकें
,,	१७, १८	पब्लि `शन	पब्लिकेशन
,,	अन्तिम से ४	एं ी	ऐसी
५८३२	२१	गृह- ंत्री	गृह-मंत्री
,,	अन्तिम से ५	पुलि ा	पुलिया
५८३३	१८	पत्रका के विरुद्ध कार्यवाह	पत्रकार के विरुद्ध कार्यवाही
५८३४	१०	रहो	रही
,,	१९	**श्री रानकिशन**	**श्री रामकिशन**
,,	अन्तिम से ५, ४	आबश्यकता	आवश्यकता
५८३५	४	**श्री रामानन्द अ ग्वाल**	**श्री रामानन्द अग्रवाल**
५८३६	३	(मथुरादास माथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
५८३६	४	सा है	साफ है
,,	११	Order pleas	Order please; !
५८३७	शीर्षक	–३ अप्रल, ५३	–३ अप्रेल, ६३–
,,	६	कायवाही	कार्यवाही
,,	१२	Order plesse !	Order please !
५८३९	२२	**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**	**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**
५८४०	स्कम्भ	५८४	५८४०
५८४१	शीर्षक	३ अप्राल,	३ अप्रेल,
५८४२	९, १८, ३१	**श्री दोलतराम सारण**	**श्री दौलतराम सारण**
५८४३	शीर्षक	तारांकिन प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	७, २६	**श्री दोलतराम सारण**	**श्री दौलतराम सारण**
५८४४	१४	**श्री दोलराम सारण**	**श्री दौलतराम सारण**
,,	२०	(वैर)	(वैर)
,,	२६	**श्रीमती लक्ष्मीकुकारी चुंडावत**	**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत**
५८४५	शीर्ष	**(श्रीमति लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)**	**(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)**
,,	२१	चौमोत	चौमेला
५८४७ से ५८५१ तक	शीर्षक	३–अप्रेल,	–३ अप्रेल,
५८४७	अन्तिम से ५	इन्फॉमेशन	इन्फोर्मेशन
,,	,, ३	क	कम
५८४८	८	हर्गिज	हर्गिज
५८४९	११	हमे	हमें
५८५०	२१	**श्री मथुरादास माथुर**	**श्री मथुरादास माथुर**
५८५१	६	**श्री मथुरादास मामुर**	**श्री मथुरादास माथुर**
५८५४	१६	गई ह ?	गई हैं ?
५८५५	शीर्ष	**(श्रीमती कमला बेनीवाल)**	———
,,	अन्तिम से ४	दन की कृपा करेंग	देने की कृपा करेंगे
,,	अन्तिम से २	स्टट	स्टेट

Page No.145

१	२	३	४
५८५७ से ५८७० तक	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर– ३ अप्रेल, ६३–तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर –३ अप्रेल, ६३–अतारांकित प्रश्नोत्तर
,,	शीर्ष	(श्री भीमसेन)	
५८५८	अन्तिम से ४	उतर	उत्तर
,,	,, २	powel)	power)
५८६२	२०	wh ere	where
५८६३	स्कम्भ	८६३	५८६३
५८६३ से ५८६७ तक	शीर्ष	(श्री विद्युत् मंत्री)	(विद्युत् मंत्री)
५८७१	शीर्षक	राजस्थान साहूकार–३ अप्रेल, ६३–विधेयक, १९६३	आश्वासन समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन–३ अप्रेल, ६३–कोटा में कास्टिक सोडा फैक्ट्री
५८७१	१	श्री अमृतलाल याटव	श्री अमृतलाल यादव
,,	८	इलेक्टिसिटी	इलेक्ट्रिसिटी
,,	९	वितीय	वित्तीय
,,	१६	साहकार	साहूकार
,,	१७	श्री रामप्रसाद लडडा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
,,	अन्तिम से ५	(अनुपस्थित)	(अनुपस्थित)
५८७२	१	श्री रानान्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
,,	८	श्री चन्दमल बैद	श्री चन्दनमल बैद
५८७५	शीर्षक	म्युनिसिपल बोर्ड दौसा–३ अप्रेल, ६३–ध्यान दिलाना	कोटा में कॉस्टिक सोडा फैक्ट्री–३ अप्रेल, ६३–म्युनिसिपल बोर्ड दौसा
५८७५	शीर्ष	(श्री अध्यक्ष)	(श्री अध्यक्ष)
,,	१९	श्री मथुरेशबिहारी माथुर	श्री मथुरेशबिहारी माथुर
५८७६	१३	अथिकारियों	अधिकारियों
,,	अन्तिम से ३	बोड	बोर्ड
,,	अन्तिम	डाइरैक्टर	डाइरेक्टर
५८७७	शीर्षक	बोढं	बोर्ड
५८७८	,,	दिलान	दिलाना
,,	१९	बनाऊ	बताऊं
५८७९	१६	मुनसिफ	मुन्सिफ
५८८०	१६	अहता	अहाता
५८८१	२०	कहेगे	कहेंगे
५८८२	११	ह,	हैं
५८८३	शीर्षक	–३ अप्रेल, ३३–	–३ अप्रेल, ६३–
,,	८	देते	देते
५८८५	१	व	वह
५८८९	शीर्षक	स्थनग-प्रस्ताव	स्थगन-प्रस्ताव
५८९१	६	अज	अर्ज
,,	२७	श्री सतीशचंद अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

१	२	३	४
५८९२	२१	मेंमें ने	में मैंने
५८९४	१२	बढा	बडा
५८९५	१९	फेर ने	फेर में
,,	अन्तिम से ४	म	में
५८९९	शीर्ष	(श्रो सतीशचन्द्र अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
५९०१से ६०२६	शीर्षक	स्थगन-प्रस्ताव–३ अप्रेल, ६३–स्थगन-प्रस्ताव	राजस्थान वित्त–३ अप्रेल, ६३–विधेयक, १९६३
५९०१	७	सेदस्य	सदस्य
,,	६	मैं	में
,,	१३	मेजें	मेजें
,,	१६	मैं ने	मैंने
५९०२	अन्तिम से ६	गिकाले	निकाले
५९०३	५	मिलगे	मिलेंगे
५९०५	८	ोयल्टी	रोयल्टी
५९०६	२३	फार्म में बना	फार्म बना
५९०७	२३	महारावल क्षी लक्ष्मणसिंह	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
५९०८	५	सेदन	सदन
,,	२४	नीति मंत्री	मंत्री
,,	अन्तिम	घ्यये	ध्येय
५९१०	२०	एक लाल	एक साल
,,	२७	वास्तविक्ता	वास्तविकता
,,	२८	बहार	ब.हर
,,	३५	लगजरी	लग्जरी
,,	३६	जन्ता	जनता
५९१२	२२	अ ी	अभी
५९१४	अन्तिम से ६	राष्द्र	राष्ट्र
५९१५	अन्तिम से ६	वडी भारी	बडा भारी
५९१६	९	श्री भेरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
,,	अन्तिम से ४	मैं	में
५९१९	शोर्ज	(श्री मरलीधर व्यास)	(श्री मुरलीधर व्यास)
५९२१	अन्तिम से ३	ैसा	पैसा
५९२२	२०	जमीनद जं	जमीन दर्ज
,,	२२	दज	दर्ज
५९२३	२७	मतादिक	मुतादिक
,,	३०	फयदा	फायदा
५९२५	५	तहीं	नहीं
,,	१५	निका ा	निकलता
५९३०	२५	टक्सेज	टैक्सेज
५९३१	१	है तो कि	है कि

१	२	३	४
५९३१	१५	Dsoretion usde	Discretion used
,,	१८	म हो।	में हो।
,,	१९	चाहए	चाहिए
,,	२१	ड ोक्रसी म डिस्रीशन	डेमोक्रेसी में डिस्क्रीशन
,,	२८	उसकी	उसको
,,	२९	बंद	बन्द
,,	३०	ोरं	और
,,	३०, ३१	प्रोहबशन	प्रोहिबिशन
,,	३१	प्रोहबिशन	प्रोहिबिशन
,,	अन्तिम से २	दन	दिन
,,	अन्तिम	प्रोहबिशन, वदेशी	प्रोहिबिशन, विदेशी
५९३२	१	क्राइटपरया	क्राइटेरिया
,,	४	प्रोहबिशन की शल	प्रोहिबिशन की शकल
,,	७	दुकान	दुकानें
,,	८	जाय	जायें
,,	९	म	में
,,	१३	असिस्टेट कमि नर	असिस्टेन्ट कमिश्नर
,,	२१	कमि नर	कमिश्नर
,,	२२	दया	दिया
,,	२३	कमि नर	कमिश्नर
,,	२४	कमि नर से रकमन्ड	कमिश्नर से रिकमन्ड
५९३३	२२	आप, ने	आपने
५९३४	१५	ह,	है,
५९३५	अन्तिम से ६	में	मैं
५९३६	१३	चाहता ह	चाहता हूं
,,	१५	लोगों क	लोगों को,
,,	२६	शुबहा	सूबा
५९३७	२४	**श्री ज्वालाप्रसाद शर्या**	**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा**
५९४१	१० के बाद	———	On a point of privilege, sir
५९४२	अन्तिम से ३	सकत	सकते
५९४७	६	मूल	मूल
५९५४	४	**श्री उमरावसिह ढावरिया**	**श्री उमरावसिंह डाबरिया**
५९५४	१४	**श्री बालकृष्णकौल**	**श्री बालकृष्ण कौल**
५९५८	७	६ ला	६ लाख
५९५९	शीर्ष	(श्री दमरावसिंह ढाबरिया)	(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
५९६२	अन्तिम से ६	ईमानदीरी	ईमानदारी
५९६६	अन्तिम से ६	परके-पिटा	पर-केपिटा
५९६७	१, २	आमदन	आमदनी
५९६८	१	मजद्रों	मजदूरों
५९७५	शीर्ष	———	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
५९७८	२२	कहूगा	कहूंगा

१	२	३	४
५९७९ से ५९८१	शीर्ष	(मोतीलाल चौधरी)	(श्री मोतीलाल चौधरी)
५९७९	१७	मिती है	मिलती है
,,	२०	तैदा	पैदा
५९८०	२२	म	में
,,	अन्तिम	जनत	जनता
५९८४	अन्तिम से ६	मेवाड ब्रोडिंग	मेवात ब्रोडिंग
,,	,, २	मेवाड का	मेवात का
५९८५	४	मेवाड ब्रोड	मेवात ब्रोड
५९८५	१६	श्री मानिक चन्द सुराना	श्री मानिक चन्द सुराणा
		प	आप
,,	२५	सदस्यन	सदस्य ने
५९९०	६	श्री मोतीलाल चोधारी	श्री मोतीलाल चौधरी
,,	१४	श्री भोतीलाल चोधारी	श्री मोतीलाल चौधरी
५९९१	अन्तिम से ४	हुआ	हुआ
५९९३	१४, १५	किया । जावे तो	किया जावे तो
५९९४	२०	निकलेंग	निकलेंगे
,,	२५	टक्स	टेक्स
५९९७	२२	अभुक	अमुक
५९९८	२४	श्री भरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
५९९९	२६	जा इन्डास्ट्रयल	जो इन्डस्ट्रियल
६०००	६	असेर	असर
,,	१५	४ पर	४. पर-
६००३	१०	ोकर	होकर
६००५	१२	श्री ज्वाला प्रशाद शर्मा	श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा
,,	१८	स	इस
६००६	२६	श्री मानिकचन्द सुराना	श्री मानिकचन्द सुराणा
६००९	अन्तिम से ५	सव	सर्वे
६०११	२७	एामेन्ट	एग्रीमेन्ट
६०१२	२४	मैं नेतिवेदन	मैं निवेदन
६०१४	१६	चिट्ठियां	चिट्ठियां
,,	२४	मे	मैं
६०१६	शीर्ष	(श्री मानिकचद सुराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
,,	१	श्री श्री हरिश्चन्द्र	श्री हरिश्चन्द्र
६०२०	अन्तिम से ४	अनता	जनता
६०२५	शीर्ष	(श्रीहरिराम चौहाण)	(श्री हरिराम चौहान)
६०२७	१	सक्षिप्त-विवरण	संक्षिप्त-विवरण (बुधवार, दिनांक ३ अप्रेल, १९६३)
,,	३	(बुधवार दिनांक ३ अप्रेल, १९६३)	

१	२	३	४
६०३१	अन्तिम	श्री मानिकचन्द सुराना	श्री मानिकचन्द सुराणा
६०३३	१६	pay	pay of
६०३६	२१	दरख्वास्त	दर्ख्वास्त
,,	२४	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र
,,	अन्तिम से ४	जमाखरा	माखरा
६०४०	५	पीने केट	पीने के
,,	१८	श्री भैंवरलाल 'कालाबादल'	श्री भैंरवलाल 'काला बादल'
,,	II कॉलम में २२ पंक्ति	में जू न	में जून
६०४३	१	रार्बसिहनगर	रार्यसिहनगर
६०४४	१	(कृपया तारांकित प्रश्न,	(कृपया अतारांकित प्रश्न)
६०४५	कॉलम ४ में ६	अवीक्षक	अधीक्षक
६०४६	कॉलम ६ में ११	फूयूचर	फ्यूचर